पंचम माला, खंड 37, अंक 24, सोमवार, 25 मार्च, 1974/4 चैत्र, 1896 (शक)
Fifth Series, Vol. XXXVII, No. 24, Monday, March 25, 1974/Chaitra 4, 1896 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवां सत्र
Tenth Session]

5th Lok Sabha

[खंड 37 में अंक 21 से 30 तक हैं
Vol. XXXVII contains Nos. 21 to 30]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय सूची/CONTENTS

ग्रंक 24, सोमवार, 25 मार्च, 1974/4 चैत्र, 1896 (शक)
No. 24, Monday, March, 25, 1974/Chaitra 4, 1896 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर — ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
425.	कलकत्ता पत्तन के नवनिर्माण में हुई प्रगति	Progress to reshape Calcutta Port.	2—5
426.	पाले ग्रौर शीत लहर से तिलहनों के उत्पादन में कमी	Short fall in production of oil seeds due to frost and cold wave	5—8
427.	चीनी की विश्वव्यापी कमी	World wide shortage of sugar	8—11
428.	विदेश जाने वाले भारतीय खिलाड़ियों के खर्चे में कटौती	Cut in expenditure on Indian sportsmen going abroad	11—13
430.	साहित्य ग्रकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाग्रों के लिये धनराशि का ग्रावंटन	Amount allotted to language recognised by Sahitya Akademi ..	13—15
431.	खाद्यान्नों के वितरण के लिये सहकारी समितियों का उपयोग	Use of Cooperatives for distribution of foodgrains	15—16

प्रश्नों के लिखित उत्तर — WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
429.	गंदी बस्ती हटाने के कार्य का दिल्ली विकास प्राधिकरण से हस्तांतरण	Transfer of slum clearance on Delhi to DDA	16
432.	खाद्य तेलों का ग्रायात	Import of edible oil ..	16—17
433.	वर्ष 1974 के दौरान राज्यों की उर्वरकों की ग्रावश्यकता	Requirement of fertilisers of States during 1974	17
434.	भारत में क्रिकेट का स्तर	Standard of cricket in India	17
435.	मौलाना ग्राजाद टेक्नालाजीकल कालेज, भोपाल का हाथ में लिया जाना	Take over of MACT, Bhopal ..	17—18

किसी नाम पर अंकित चिह्न + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।
The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

ता० प्र० सं० S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
436.	गुजरात के लिये 20 वर्षीय विकास योजना	Twenty years Development plan for Gujarat	18
437.	ग्रादिवासी संस्कृति ग्रौर सभ्यता का विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रध्ययन	Study of Adivasi Culture and Civilisation at University level	19
438.	प्रतिलिप्याधिकार कानूनों में परिवर्तन	Change in Copyright Laws ..	19
439.	बर्फ में लगी मछलियों की सप्लाई के लिए तटवर्ती नगरों में बर्फ तथा शीतागार संयंत्रों की व्यवस्था	Ice and cold storage Plants on coastal towns for supply of Frozen Fish ..	19—20
440.	वाडिया समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of recommendations made by Wadia Committee ..	20—22
441.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम पर बकाया ऋण	Loan due from National Cooperative Development Corporation	22—23
442.	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की छंटनी, पदावनति, मुग्रत्तली तथा तबादला	Retrenchment, reversion, suspensions and transfer of FCI Employees	23
443.	सेवानिवृत्त ग्रधिकारियों के कब्जे में सरकारी ग्रावास	Government accommodation occupied by retired officers	23—24
अता० प्र० सं० U. S. Q. No.			
4320.	मध्य प्रदेश में भूमि विकास बैंकों को ऋण वितरण कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक की ग्रनुमति	Permission of RBI to Land Development Banks in Madhya Pradesh to implement Loan Distribution Programme	24
4321.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से प्राप्त ऋण की वापस ग्रदायगी	Repayment of Loans obtained from National Cooperative Development Corporation	24—25
4322.	दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपलों के विरुद्ध जांच	Inquiry against Principals of Government aided Schools in Delhi ..	25—26
4323.	मध्य प्रदेश द्वारा 1972-73 में लघु सिंचाई की योजनायें	Schemes of Minor Irrigation submitted by Madhya Pradesh in 1972-73	26
4324.	देश में प्रत्येक स्कूल को रेडियो देने की योजना	Scheme to provide one Radio for each School in the country	27
4325.	भारतीय पत्तनों से बंगला देश माल ले जाने के लिये भाड़ा दरों में वृद्धि	Increase in Freight Rates for carrying Cargo from Indian Ports to Bangaladesh	27
4326.	मुंगफली की मांग	Demand for Groundnut	27—28
4327.	भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में सेवावधि में वृद्धि	Extension of service in Archaeological Survey of India	28

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4328.	भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभाग में निम्न पदों पर नियुक्त स्नातक इंजीनियरों को विशेष रियायतें	Privileges to Graduate Engineers employed in lower posts in Archaeological Survey of India	28—29
4329.	श्रेष्ठ नस्लों की मछलियों के लिए पिचुइटरी ग्लैंड बैंक स्थापित करना	Setting up Pituitary Gland Banks for pure seed cultured species of fish	29
4330.	दिल्ली में हुई मुख्य अध्यापकों की वर्कशाप द्वारा की गई सिफारिशें	Recommendations made by Workshop of Heads of Schools held in Delhi	29—30
4331.	बिहार में परिवहन का विकास तथा राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण	Development of Transport and construction of National Highways in Bihar	30
4332.	कर्नाटक द्वारा मांगी गई तथा उसे सप्लाई की गई चीनी	Sugar demanded and supplied to Karnataka	31
4333.	गत पांच महीनों में जम्मू और काश्मीर को सप्लाई किया गया चावल	Rice supplied to J & K during last Five Months	31
4334.	हरियाणा द्वारा मांगा गया तथा उसे सप्लाई किया गया गेहूं और मोटा अनाज	Wheat and coarse grain demanded by and supplied to Haryana	31—32
4335.	मध्य प्रदेश द्वारा मांगा गया तथा उसे दिया गया चावल	Rice demanded by and supplied to Madhya Pradesh	32
4336.	पंगु और विकलांग छात्रों के लिए सुविधाओं का अभाव	Lack of facilities for crippled and handicapped students	32
4337.	बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के संबंध में परियोजनाएं	Projects in regard to drinking water supply in rural areas of Bihar ..	32—33
4338.	दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाएं	DTC bus service in the rural areas of Delhi	33
4339.	मध्य प्रदेश में कृषि वनों इत्यादि के संबंध में आवंटित और व्यय की गई राशि	Amount allotted and spent on Agriculture, Forests etc. in Madhya Pradesh	33
4340.	अगली रबी फसल में गेहूं की वसूली की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपने की योजना आयोग का सुझाव	Suggestion from Planning Commission to fix responsibility for procurement of wheat with States for next Rabi crop	33—34
4341.	दिल्ली में छिपाए गए चावल, गेहूं और वनस्पति का पता लगाने के लिये छापे मारे जाना	Raids to unearth Rice, Wheat and Vanaspati in Delhi	34
4342.	टैगोर गार्डन, नई दिल्ली के निकट जे० जे० कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क की बत्तियों, सड़कों और शौचालयों की देखभाल	Street lights, roads and latrines maintained by DDA in J. J. Colony near Tagore Garden, New Delhi ..	34

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4343.	बजट की पूर्व संध्या पर खाद्यान्नों के मूल्यों में वद्धि	Rise in price of foodgrains on the eve of Budget	34—35
4344.	दिल्ली में उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से चावल की सप्लाई में कमी	Reduction in supply of rice through Fiar Price Shops in Delhi	35—36
4345.	पंजाब से महाराष्ट्र को सप्लाई किए गए अनाज की बोरियों पर 'विषाक्त बीज' का लेबिल होना	Foodgrains supplied to Maharashtra from Punjab labelled as seeds treated with poison	36
4346.	पैट्रोल की मूल्यवृद्धि का टैक्सी तथा आटोरिक्शा चालकों के व्यापार पर प्रभाव	Impact of increase in prices of petrol on the business of Taxi and Auto-Rickshaw Drivers	36—37
4347.	गुजरात में खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का बोया जाना	Switch over from food crop to cash crop in Gujarat	37—38
4348.	डा० भगवानदास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली के कानूनी किरायेदार	Legal tenants of Dr. Bhagwan Das Memorial Trust, New Delhi ..	38
4349.	कृषि उद्योग निगम, पश्चिम बंगाल पर केन्द्रीय नियंत्रण	Central Control on Agro Industries Corporation, West Bengal	38—39
4350.	राजस्थान में धौलपुर में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होना	FCI employee (Rajasthan) died on duty at Dholpur	39
4351.	अधिक दूरी तक बसे चलाने पर प्रतिबंध	Restrictions on Long Distance Operations	39—40
4352.	मजदूरों और किसानों को आवश्यक वस्तुओं की उचित मूल्य पर सप्लाई	Supply of Essential Commodities at Fair Prices to labourers and peasants	40
4353.	अकाल की स्थिति रोकने के लिये कृषि के लिये सिंचाई सुविधाएं	Irrigation facilities for Agriculture to check famine	40—41
4354.	कृषकों को नियंत्रित मूल्य पर यूरिया खाद की सप्लाई	Supply of Urea Fertilizer at controlled prices to cultivators	41
4355.	बाल अधिनियम, 1960 में संशोधन	Amendment to Children's Act. 1960	41
4356.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के बाद वर्षा पर निर्भर करने वाली भूमि की प्रतिशतता	Percentage of land dependent on rain after Fifth Plan	41—42
4357.	संविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधन विधियों का सम्मिलित किया जाना	Inclusion of Amended Land Ceiling Laws in IX Schedule of the Constitution	42

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4358.	अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों में परिवर्तन	Change in provisions of Essential Commodities Act	43
4359.	मध्य प्रदेश में पेय जल का दूषित होना	Pollution of Drinking Water in Madhya Pradesh	43
4360.	गुजरात में छिपा कर रखे गये खाद्यान्नों को बाहर निकालना	Dehoarding of foodgrains in Gujarat	43
4361.	ग्रामीण रोजगार योजना के लिये केन्द्रीय सेवाएं	Central Services for Rural Employment Scheme	43—44
4362.	शिक्षा, निदेशालय, दिल्ली में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को स्थायी बनाना	Confirmation of teachers belonging to S.C. and S.T. in Education Directorate, Delhi	44
4363.	राजधानी में भिखारियों को हतोत्साहित करने के प्रयास	Efforts to discourage beggars in Capital	45
4364.	देश में भू-स्खलन को रोकना	Checking land slides in the country	45—46
4365.	सहकारी क्षेत्र में चीनी उद्योग	Sugar Industry in Cooperative Sector	46
4366.	केरल में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए मत्स्य नौकाएं बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये केरल मत्स्यपालन निगम से आवेदन-पत्र	Application from Kerala Fishing Corporation for Deep Sea Fishing Trawlers Factory in Kerala ..	46
4367.	भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधिया लागू किये जाने के बाद राज्यों में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि	Additional land available in States after introduction of Land Ceiling Laws	46—47
4368.	उर्वरक यातायात कार्य संभालने के लिए विभिन्न पत्तनों पर क्षमता का विकास	Development of capacity at different Ports for handling traffic in fertilizers	47
4369.	डी० टी० सी० बसों के अकुशल परिचालन की जांच	Inquiry into inefficient running of DTC Buses	47—48
4370.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इंडियन ओशन (हिन्द महासागर) पर गोष्ठी	Seminar Re : Indian Ocean organised by Jawaharlal Nehru University ..	48—49
4371.	साइकिलों और साइकिल रिक्शों से मोटर लगाया जाना	Motorisation of Cycles and Cycle Ricksaws	49
4372.	रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कोआपरेटिव बैंक आफ केरल को दी गई वित्तीय सहायता	Financial Assistance by Reserve Bank of India to Cooperative Bank of Kerala	49—50

अता०प्र०सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4373.	खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये योजना मंत्री द्वारा दिये गये सुझाव	Suggestion by planning minister to check Rise in Prices of Foodgrains	50—51
4374.	वर्ष 1973-74 में सुपर बाजार दिल्ली को हुआ घाटा	Loss of Super Bazar Delhi during 1973-74	51
4375.	ब्रिटेन तथा महाद्वीपीय पत्तनों पर अधिभार	Surcharge on U.K. and Continental Parts	51—52
4376.	वर्ष 1973 में चावल और गेहूं के लिये पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री द्वारा किये गये अनुरोध	Number of Times Chief Minister and Food Minister of West Bengal requested for Rice and Wheat during 1973	52
4377.	भारतीय खाद्य निगम के पटना स्थित गोदामों में दोषयुक्त तोल बाटों का प्रयोग	Use of Defective Weighment Measures in FCI Godowns, Patna	52—53
4378.	चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भार्गव समिति का प्रतिवेदन	Report of Bhargava Commission on Nationalisation of Sugar Mills	53
4379.	हरियाणा और आसाम में किसानों और उद्योगों पर बिजली फेल होने का प्रभाव	Effect of Power break down on Farmers and Industry in Haryana and Assam	53—54
4380.	शिलांग में बच्चों की कथित बिक्री	Alleged sale of Child in Shillong	54
4381.	आंध्र प्रदेश में हिन्दी पंडित को वेतन का भुगतान न किया जाना	Non-payment of Salary to Hindi Pandits in Andhra Pradesh ..	54
4382.	उपकुलपत्तियों के चुनाव, नियुक्ति तथा पदावधि में समानता लाना	Uniformity in selection, Appointment and Tenure of Vice Chancellors	55
4383.	डी० एम० एस० के दुग्ध टोकनों के लिये आवेदन-पत्र और उनका जारी किया जाना	Applications for DMS Milk Token and issue of Token	55—56
4384.	कृषि विश्वविद्यालय	Agricultural Universities	56—57
4385.	वनस्पति के मूल्य में वृद्धि पर नाराजगी	Resentment over rise in Vanaspati price	57—58
4386.	पांचवीं योजना में विभिन्न राज्यों की ग्रामीण सड़कों का विकास	Development of rural roads of various States in Fifth Plan ..	58—59
4387.	खेल-कूद का स्तर	Standard of sports and games	59—60
4388.	बम्बई और कलकत्ता के लिए चावल और गेहूं की मांग	Demand of rice and wheat for Bombay and Calcutta	60—61

अता॰ प्र॰ सं॰ U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4389.	कलकत्ता सांविधिक राशन क्षेत्र में 'एटोप' चावल की सप्लाई	Supply of Atap Rice in Calcutta Statutory Rationing Area	61
4390.	1973-74 के दौरान गुजरात में उर्वरक	Fertilizers in Gujarat during 1973-74	61—62
4391.	कच्छ, गुजरात में लाखपत से तटवर्ती राज्य राजपथ	Coastal State Highway from Lakhpat in Kutch, Gujarat	62
4392.	गुजरात में कृषि सेवा केन्द्र	Agro-Service Centres in Gujarat	62—63
4393.	केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वार्षिक अनुदान	Annual Grants to Central Universities	63
4394.	केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश से चावल	Rice from Madhya Pradesh to the Centre	63—64
4395.	बेकार साबित की गई भवन निर्माण सामग्री की बिक्री	Sale of condemned building material	64
4396.	नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा बस सेवा आरम्भ करना	Bus service by NDMC	64
4397.	उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबन्ध और स्कूली शिक्षा को व्यावसाय प्रधान बनाना	Restriction on higher education and vocationalisation of School Education	65
4398.	फरवरी, 1974 में बनस्पति के मूल्य में वृद्धि करने का औचित्य	Justification for increase in Vanasapati price during February, 1974 ..	65—66
4399.	आवागमन पर प्रतिबन्ध के कारण खाद्यान्न की कमी	Shortage of foodgrains due to restrictions on movement	66
4400.	वर्ष 1973-74 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए परिव्यय में कटौती	Cut on the outlay for the development of National Highways in 1973-74	66
4401.	दिल्ली में स्कूलों में लगाई गई एक पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकालने की मांग	Demand for withdrawal of a book prescribed in Delhi Schools ..	66—67
4402.	मीना बाग (नई दिल्ली) के आसपास पक्की सड़क और बिजली की व्यवस्था करना	Provision of Pucca road and electric power around Meena Bagh, New Delhi	67
4403.	बोरो पैडी योजना पर अधिभार	Levy on Bore Paddy Scheme ..	67
4404.	अपनी हकदार श्रेणी से एक श्रेणी कम वाले क्वार्टरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी	Government Servants occupying below one class of their entitleo class ..	68

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4405.	कृषि मूल्य आयोग द्वारा गेहूं की वसूली मूल्यों में वृद्धि करने की सिफारिश	Recommendation of APC to increase procurement price of wheat ..	68
4406.	बस यात्रियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by bus commuters ..	68—69
4407.	केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्किट, नई दिल्ली के अस्थायी कक्षा कमरों के निर्माण पर हुआ व्यय	Expenditure incurred on construction of Temporary Class Rooms at Central School, Gole Market, New Delhi	69
4408.	नई दिल्ली नगरपालिका की शिक्षा की राशि में कटौती	Cut in amount provided to NDMC for Education	69
4409	दिल्ली में गंदी बस्तियां की सफाई	Slum clearance in Delhi	69—70
4410.	वर्ष 1973-74 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लक्ष्य	Target of Minor Irrigation schemes during 1973-74	70
4411.	चीनी के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की मांग तथा उसकी सप्लाई	Demand and supply of sugar to West Bengal	70—71
4412.	आगामी तीन महीनों के लिए पश्चिम बंगाल को आवंटित चावल और गेहूं	Rice and wheat allotted to West Bengal for coming three months ..	71
4413.	पश्चिम बंगाल द्वारा 1973 में मांगा गया तथा उसे सप्लाई किया गया गेहू तथा मोटा अनाज	Wheat and coarse grain demanded by and supplied to West Bengal during 1973	71
4414.	उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए चलते फिरते केन्द्र	Mobile centres to distribute consumer Items	71—72
4415.	कृषि मौसम स्थिति के अनुसार उर्वरक के प्रयोग की नयी समय सूची सम्बन्धी अनुसन्धान	Research on new Schedules for Fertilizer application depending on Agroclimatic condition	72
4416.	गेहूं के अधिक वसूली मूल्य के लिए पंजाब की मांग	Punjab's demand for higher procurement price of wheat	72—73
4417.	राजभाषा सम्बन्धी कार्य की प्रगति	Progress of Work regarding official Language	73
4418.	माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण	Nationalisation of Secondary Education	74
4419.	कृषि मंत्रालय की केन्द्रीय योजनायें	Central Schemes of Agriculture Ministry	74
4420.	दिल्ली में दूरस्थ कालोनियों के निवासियों के लिए परिवहन सुविधायें	Transport facilities for residents of flung colonies in Delhi	74—75
4421.	पंजाब तथा हरियाणा में गेहू के स्थान पर बाजरा उगाना	Switch over for wheat to barley in Punjab and Haryana	75

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4422.	उचित मूल्य की दुकानों पर अच्छी किस्म की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में भारतीय उपभोक्ता परिषद् द्वारा सर्वेक्षण	Survey by consumer council of India regarding availability of Essential Commodities of good quality at Fair Price Shops	75—76
4423.	बिहार को दिया गया गेहूं	Wheat to Bihar	76
4424.	मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग	Demand to declare Rewa Region in M.P. as drought affected area ..	76
4425.	उर्वरक की काले बाजार की दरों पर बिक्री	Sale of fertilizers on Black Market Rates	76—77
4426.	दुर्लभ पक्षियों तथा पशुओं को बचाने के लिए वन्य जीवों की रक्षा	Wild Life protection to save rare birds and animals	77
4427.	1974 के दौरान चीनी के निर्यात के बारे में निर्णय	Decision on export of sugar during 1974	77
4428.	सामान्य जनता के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी तथा मक्खन के उत्पादन को बन्द किया जाना	Stoppage of production of Ghee and Butter by DMS for general Public	78
4430.	नए जहाजों की खरीद, उनका टनभार और जी० आर० टी०	More ships with Tonnage and GRT	78—79
4431.	गायों तथा बैलों की संख्या	Population of cows and bullocks	79
4432.	जनजातियों को राहत के लिए ऋणों में राज सहायता	Subsidy on Loan for Relief to Tribals	79
4433.	प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स फैडरेशन को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to National Sports Federation for holding Coaching Camps	80
4434.	पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा इसका संरक्षण	Scheme for Ground Water Surveys and its conservation during Fifth Plan	80
4435.	कृषि विद्यालयों की स्थापना	Establishment of Agricultural Schools	80—81
4436.	गत तीन वर्षों में अनाज का आयात	Import of Foodgrains during last three years	81
4437.	खाद्य तेल के आयात में कठिनाई	Difficulty in importing Edible Oil	81
4438.	दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण खाद्यान्न का अभाव	Faulty distribution system Responsible for food Scarcity	81—82

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4439.	राष्ट्रीय बीज निगम को अनाज के बीजों की हुई हानि की मात्रा तथा मूल्य	Quantity and price of seeds of food-grains lost to National Seeds Corporation	82—83
4440.	गंदी बस्तियों की पर्यावरण सुधार योजना	Environment Improvement of Slums Scheme	83—84
4441.	एगमार्ग प्रयोगशालाएं	Agmark Laboratories ..	84—85
4442.	एगमार्क प्रयोगशालाओं में अस्थाई पदों को स्थाई घोषित किया जाना	Declaring of temporary posts as permanent in Agmark Laboratories	85
4443.	बड़े शहरों में फुटपाथों पर रहने वाले लोग	Footpath dwellers in big cities	85—86
4444.	गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पुस्तकालय खोलना	Library movement by Private Organisations ..	86—87
4445.	अन्तर्देशीय जल का मछली पालन के लिए उपयोग	Harnessing Inland Waters for Fish Production	87
4446.	पंजाब में चीनी मिलों को हानि	Loss to Sugar Mills in Punjab ..	87—88
4447.	लैवी की चीनी के मूल्य में वृद्धि	Increase in price of levy Sugar	88—89
4448.	चौथी तथा पांचवीं योजना में पटसन और मेस्टा के उत्पादन का लक्ष्य	Target of Jute and Mesta production	89
4449.	केन्द्र के लिए पंजाब से चावल	Rice from Punjab for Centre during Fourth and Fifth Plan	89
4450.	दिल्ली दुग्ध योजना के जन सम्पर्क अधिकारी को लारेंस रोड वैल्फेयर फैडरेशन, नई दिल्ली से प्राप्त अभ्यावेदन	Representation received by PRO of Delhi Milk Scheme from Lawrence Road Welfare Federation, New Delhi	90
4451.	दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों का निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आवंटन	Allotment of DDA Plots to the Low Income Group	90—91
4452.	टाइप-चार के क्वार्टरों का आवंटन	Allotment of Type IV Accommodation	91
4453.	ग्रामीण परिवारों की तुलना में भूमिहीन परिवारों की प्रतिशतता	Percentage of Landless Families to Rural Families	91
4454.	भारतीय खाद्य निगम का प्रशासनिक और अनाज की ढुलाई और रख-रखाव पर व्यय	Expenditure incurred on Administration of FCI and Transportation and Storage of Foodgrains	92

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4456.	मूंगफली की फसल	Groundnut crop	92—93
4457.	स्वान्तत्रोतर वर्षों की घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा को भूमि में गाड़ने के लिए अधिकार	Authority for burying historical review or happenings in post independence years	94
4458.	दिल्ली में सफदरजंग उपरिपुल के गिरने में तोड़-फोड़ के बारे में मंत्री का वक्तव्य	Minister's statement rearding sabotage in the collapse of Safdarjang overbridge in Delhi	94
4459.	कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का भाग लेना	Teacher and student participation in management of college and Universities	95
4460.	भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज डिसचार्ज करने वाली आधुनिक मशीनों की खरीद	Purchase of modern grain discharging machines by FCI	95—96
4461.	सफदरजंग उपरिपुल के गिरने के कारणों की जांच	Investigation into the collapse of Safdarjang overbridge	96
4462.	पनम्बर पत्तन	Panambur Harbour	96
4463.	कर्नाटक में मालपे में मत्स्य पत्तन के निर्माण की अनुमानित लागत	Estimates of fishing harbour at Malpe in Karnataka	97
4464.	भारतीय पत्तनों पर बंकर तेल के मूल्यों में वृद्धि	Rise in bunker oil prices at Indian ports	97
4465.	एरालम फार्म, केरल के कार्यों के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन	Report of the Enquiry Committee on Aralam Farm, Kerala	97—98
4466.	केरल में तलकर्षकों (ड्रैजरों) की सप्लाई	Supply of Dredgders to Kerala ..	98
4467.	केरल में साक्षरता परियोजनायें	Literacy projects in Kerala	98
4468.	नेहरू युवक केन्द्रों पर व्यय की गई धनराशि	Amount spent on Nehru Yuvak Kendras	99
4469.	'यूथ अगेंस्ट फेमाईन' परियोजना और 'एन० एस० एस०' पर व्यय की गई धन राशि	Amount spent on Youth against Famine and NSS	99—100
4470.	अन्तर्देशीय जल का परिवहन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के विचार से सभी नदियों का सर्वेक्षण	Survey of all rivers in order to work out the utility of Inland Waters for Transport Purposes	100

अता०प्र०सं० U.S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4471.	ग्रेडवार लेवी योजना	Scheme of Graded Levy	100
4472.	भावनगर में खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों के जमा भंडार का पता लगाना	Unearthing Foodgrains and Edible Oils in Bhavnagar	101
4473.	यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं को हुई क्षति	Damage caused to Mechanised Fishing Boats	101
4474.	गेहूं का लेवी मूल्य नियुक्त करने के लिए दिल्ली में मार्च, 1974 में मुख्य मंत्रियों की बैठक	Meeting of Chief Ministers in Delhi during March, 1974 to fix Levy Price of Wheat	101
4475.	मध्य प्रदेश में जल की कमी को दूर करने के लिए केन्द्रीय सहायता	Central aid to meet shortage of water in Madhya Pradesh	102
4476.	मध्य प्रदेश में कृषि पोलिटैकनिक स्थापित करना	Agricultural Polytechniques in M.P ..	102
4477.	भारत द्वारा वर्ष 1975 के दौरान विश्वकप हाकी मैच का आयोजन	India as venue of World Cup Hockey during 1975	102
4478.	1973-74 के दौरान इमरजैंसी रबी उत्पादन के लिए बिहार सरकार को केन्द्रीय सहायता	Central Grant to Bihar for Emergency Rabi Programme during 1973-74 ..	103
4479.	बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से ज्ञापन	Memorandum from Bihar Madhyamik Shikshak Sangh	103—104
4480.	पटना में आवासीय योजना की क्रियान्विति के लिए अनुमति	Permission for implementation of a Housing Scheme in Patna	104
4481.	अन्तर्देशीय जल परिवहन कर्मचारी संघ से ज्ञापन	Memorandum from Inland Water Transport Employees Association	104—105
4482.	खेती इत्यादि में महिलाओं को प्रशिक्षण देने की योजना	Plan for training women in farming etc.	105—106
4483.	दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों के मकानों का निर्माण	Construction of houses for non-teaching staff of Delhi University	106
4484.	दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन	Implementation of Pay Commission's recommendations for non-teaching staff of Delhi University	106—107
4488.	भारतीय विद्वानों और प्रोफसरों को विदेशों में जाने की अनुमति न देना	Refusal of permission to Indian Scholars and Professors for going abroad ..	107

अता० प्र० सं० U. S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4489.	राष्ट्रपति शासन के पश्चात् गुजरात में गहूं की वसूली की नीति	Wheat procurement policy in Gujarat after President's Rule	107-108
4491.	कृषि के लिए बनकटाई	Deforestation for Agriculture	108
4492.	भारतीय पत्तनों को ग्राधुनिक बनाया जाना	Modernisation of Indian Ports ..	108—109
4493.	उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विरोध करना	Opposition to nationalise Sugar Industry in U. P.	109
4494.	सामाजिक ग्रावास योजना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्यवार ग्रावंटन	State wise Allocation of Central Financial Assistance for Social Housing Scheme	110—111
4495.	गोवध पर रोक लगाने के सम्बन्ध मे ग्राचार्य विनोबा भावे का वक्तव्य	Statement of Acharya Vinobha Bhave on Ban on Cow Slaughter	111
4496.	नांगलोई में राशन का पूरा कोटा सप्लाई न किया जाना	Non-supply of full quota of ration in Nangloi	111—112
4497.	काकिनाडा मत्स्य पत्तन के लिए योजना	Scheme for Kakinada Fishing Harbour	112
4498.	विशाखापत्तनम में मत्स्य ग्रहण पत्तन के निर्माण के सम्बन्ध में परियोजना प्रतिवेदन	Project Report for the Construction of Fisheries Harbour at Vishakhapatnam	112
4499.	दिल्ली में कालेजों को भवन निर्माण के लिए ग्रनुदान	Grants to Colleges in Delhi for construction of Buildings ..	113
4500.	सहायक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि	Increase in price of Subsidiary Foods	113
4501.	जीवन बीमा निगम द्वारा केरल के स्टेट हाऊसिंग बोर्ड को दिया गया ऋण	Loans advanced by the LIC to the State Housing Board of Kerala ..	113—114
4502.	केरल में मत्स्य पत्तनों का विकास	Development of Fishing Ports in Kerala	114—115
4503.	गत तीन वर्षों के दौरान केरल को सप्लाई किया गया वनस्पति तथा शिशु ग्राहार	Vanaspati and baby food supplied to Kerala during last three years ..	115
4504.	केरल में परिवहन का विकास	Development of Transport in Kerala	115—116
4505.	केन्द्रीय सरकारी प्रैसों/दफ्तरों में कागज की कमी	Shortage of papers in Central Government Presses/Offices	116

अता० प्र० सं० U.S.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
4506.	अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के बारे में भगवती समिति का प्रतिवेदन	Bhagwati Committee Report on the Development of Inland Water Transport	116—118
4507.	अलीगढ़ और वाराणसी के मैडिकल कालेजों/संस्थाओं के प्राध्यापकों के वेतनमान	Pay Grades of Teaching Staff of Medical Colleges/Institutions in Aligarh and Varanasi	118
4508.	उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए प्रस्ताव	Proposal for Roads of Economic Importance in Backward Districts of Uttar Pradesh	118—120
4509.	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा पुस्तकों की समीक्षा	Review of Books by NCERT	120
4510.	जहाज निर्माण के तरीकों का अध्ययन करने के लिए कोचीन शिपयार्ड से प्रशिक्षणार्थियों का दल ब्रिटेन को रवाना होना	Batch of trainees from Cochin Shipyard proceed to U.K. for Ship Building Processes	120—121
4511.	गत तीन वर्षों में खाद्य तेलों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता	Requirement and availability of edible oils during last three years	121—122
4512.	गेहूं उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन	Incentives to farmers to grow wheat	122—123
4513.	राजस्थान द्वारा वर्ष 1974-75 के लिए प्रस्तुत लघु सिंचाई योजना	Minor Irrigation Scheme submitted by Rajasthan for 1974-75 ..	123
4514.	राजस्थान में बड़ी, मध्य तथा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत भूमि	Land under Major, Medium and Minor Irrigation Schemes in Rajasthan	123
4515.	विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में सुधार	Improvement in system of University Education	124
4516.	रबी उत्पादन की कमी को पूरा करने के लिए वर्ष 1974 के दौरान गरमा तथा भदई फसल का बोना	Sewing of Garma and Bhadai Crops during 1974 to meet shortfall in Rabi Production	124
4517.	संसद् सदस्यों के निवास स्थानों से संलग्न नौकरों के क्वार्टरों में शौचालय	Lavatory of servant quarters attached to residences of Members of Parliament	124—125
4518.	संसद् सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य परिलब्धियों में वृद्धि करने का प्रस्ताव	Proposal to increase emoluments and perquisites of M.P.s	125
4519.	सांस्कृतिक आदान प्रदान के सम्बन्ध में भारत-अफगान समझौता	Indo-Afghan agreement on Cultural exchange	125

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	Papers Laid on the Table	125—127
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति	Committee on Public Undertakings ..	127
47वां प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	Forty Seventh Report and Minutes	
नियम 377 के अन्तर्गत मामले	Matters under Rule 377 ..	127
विश्वविद्यालय और महाविद्यालय अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में संसद् भवन के सामने प्रदर्शन	Demonstration by University and College teachers before Parliament House	127—128
सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में	*Re;* Arrest of Member	128—129
(श्री अटलबिहारी वाजपेयी)	(*Shri Atal Behari Vajpayee*) ..	128—129
गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1974—**पुरःस्थापित तथा पारित**	Gujarat Appropriation (Vote on Account) Bill, 1974—**Introduced and passed**	130
लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक	Public Financial Institutions Laws (Amendment) Bill	131—134
नियम 74 के परन्तुक का निलम्बन	Suspension of proviso to Rule 74 ..	131
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee ..	131
विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक	Foreign Contribution (Regulation) Bill	134—137
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव	Motion to refer to Joint Committee	134—137
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, (रेल) 1973-74 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1971-72	Supplementary Demands for Grants (Railways), 1973-74 and Demands for Excess Grants (Railways), 1971-72	137—146
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी	Shri N. K. Sanghi	137—138
श्री एम० कल्याणसुन्दरम्	Shri M. Kalyanasundaram ..	138—139
श्री एस० ए० कादर	Shri S. A. Kadar	140
श्री हुकम चन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachwai	140
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B. R. Shukla	140
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan ..	141
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	141
श्री व्यालार रवि	Shri Vayalar Ravi	141—142
श्री नरेन्द्र कुमार सालवे	Shri N. K. P. Salve	142—143
श्री मुहम्मद शफी कुरेशी	Shri Mohd. Shafi Qureshi ..	143—146
विनियोग (रेल) संख्या 2 विधेयक, 1974—**पुरःस्थापित तथा पारित**	Appropriation (Railways) No. 2 Bill, 1974—**Introduced and passed** ..	146—147

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विनियोग (रेल) संख्या 3 विधयक, 1974—पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation (Railways) No. 3 Bill, 1974—Introduced and passed ..	147—148
अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य), 1973-74	Supplementary Demands for Grants (General), 1973-74	148—152
श्री एस० एम० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee ..	148—149
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E. R. Krishnan ..	149—150
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	150—152
विनियोग विधेयक, 1974—पुरःस्थापित तथा पारित	Appropriation Bill, 1974—Introduced and passed	152—153
पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन, विधेयक	North Eastern Areas (Reorganisation) Amendment Bill	153—155
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	154
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin ..	154
खंड 2 से 4 और 1	Clauses 2 to 4 and 1	154
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	155
दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बारे में सांविधिक संकल्प—स्वीकृत	Statutory Resolutions re: Code of Criminal Procedure, 1973—**Adopted**	155—156
आर्थिक अपराध (परिसीमा-काल का लागू न होना) विधेयक 1974	Economic Offences (Inapplicability of Limitation) Bill	157—159
विधेयक विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	157—158
श्री के० आर० गणेश	Shri K. R. Ganesh ..	157—159
श्री आर० वी० बड़े	Shri R. V. Bade	158
खंड 2 और 1	Clauses 2 and 1	159
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	159
गुजरात बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा	Gujarat Budget, 1974-75—General Discussion	159—170 170—175
गुजरात विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन), विधेयक	Gujarat State Legislature (Delegation of Powers) Bill	159—170 170—175

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha	159
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	159—160
श्री एस० पी० भट्टाचार्य	Shri S. P. Bhattacharyya	160—161
श्री डी० डी० देसाई	Shri D. D. Desai	161—163
श्री भोगेन्द्र झा	Shri Bhogendra Jha ..	163—164
श्री पीलू मोदी	Shri Piloo Mody	164—166
श्री प्रिय रंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi ..	166—168
श्री जगन्नाथ राव जोशी	Shri Jagannathrao Joshi ..	168
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri I. R. Krishnan ..	168—170
श्रीमती मणिबेन पटेल	Shrimati Maniben Patel	170—171
प्रो० मधु दंडवते	Prof. Madhu Dandawate	171—173
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C. M. Stephen	173—174
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P. G. Mavalankar	174
नेफ्था के मूल्य के बारे में वक्तव्य	Statement re: price of Naptha ..	170
श्री शाहनवाज खां	Shri Shahnawaz Khan	
आधे घन्टे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion ..	175—180
डालडा की कमी	Shortage of Dalda ..	175—180
श्री सी० के० चन्द्रप्पन	Shri C. K. Chandrappan	175—176
श्री फखरुद्दीन अली अहमद	Shri F. A. Ahmed	178—180

लोक-सभा

LOK SABHA

सोमवार, 25 मार्च, 1974/4 चैत्र, 1896 (शक)

Monday, March 25, 1974/Chaitra 4, 1896 (Saka)

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

प्रश्न संख्या 424 के बारे में

Re. Q. No. 424

अध्यक्ष महोदय: श्री मयावन उपस्थित नहीं हैं। **श्री प्रसन्न भाई मेहता**

श्री प्रसन्न भाई मेहता : प्रश्न संख्या 424।

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : एक विवरण सभापटल पर रखा जा रहा है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : श्रीमन् कोई विवरण सभा पटल पर नहीं रखा गया है। मंत्री महोदय ने सदन को गुमराह किया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्ति रखिए! श्री मेहता मुझे आश्चर्य है कि जब आपको प्रश्न के स्थगित कर दिये जाने के बारे में बता दिया गया था फिर भी आप खड़े होकर प्रश्न कर रहे हैं।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : मुझे एक मिनट पूर्व केवल मौखिक रूप से कह दिया गया था, जब आपने मेरा नाम पुकारा तो मैंने सोचा कि आपको कोई जनाकारी मिली होगी।

श्रीमन् अब मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होने एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है जब कि उन्हें सदन को सूचित करना चाहिए था कि प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : He is misleading the House. He does not know that committing such a mistake ....

Mr Speaker : Please observe some decorum or show some similarity.

1—212 LSS/74

श्री फखरूद्दीन अली अहमद : मैंने सोचा कि पहले प्रश्न का उत्तर मुझे देना है परन्तु यह प्रश्न संख्या 426 ह। इसलिए मैंने यह कहा है कि एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। पहला प्रश्न स्थगित कर दिया गया है।

श्री प्रसन्न भाई मेहता : श्रीमन् मैं कुछ अनुरोध करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: जी नहीं ।

श्री प्रसन्न भाई मेहता: आपने ठीक कहा था कि मुझे बता दिया गया था और मुझे प्रश्न नहीं पूछना चाहिए था। परन्तु मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप मंत्री महोदय से कहें जो जानकारी एकत्रित नहीं कर पाए हैं और इससे भी परे जिन्होंने कहा था कि उन्होंने एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। भविष्य में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिएं।

कलकत्ता पत्तन के नवनिर्माण में हुई प्रगति

***425 श्री शंकर नारायण सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने समुद्र की कम गहराई तथा अन्य बाधाओं की दृष्टि से कलकत्ता पतन का कोई मूल्यांकन किया है,

(ख) क्या इस समुद्र की कम गहराई और अन्य बाधाओं के कारण विदेशी क्रेता लौह अयस्क आदि को कलकत्ता पत्तन से ले जाने में हिचकिचाते हैं, और

(ग) क्या सरकार का पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कलकत्ता पत्तन का नव-निर्माण करने के लिए और वहां पर मशीनों से माल उतारने चढ़ाने की सुविधाओं की व्यवस्था करने और पानी की सतह को गहरा बनाने के लिए कार्यवाही आरंभ करने का कोई कार्यक्रम है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) जी हां,। वर्तमान डुबाव से कलकत्ता पत्तन गहरे डुबाव वाले बड़े आकार के जहाजों की धरा उठाई नहीं कर सकता। हल्दिया में एक गहरे पानी के पूरक पत्तन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। हल्दिया गोदी परियोजना में लौह अयस्क की धरा उठायी के लिए आधुनिक यान्त्रिक धरा उठायी सुविधाओं वाले घाट की व्यवस्था है। इस परियोजना को इस वर्ष में चालू किए जाने की संभावना है।

श्री एस० एन० सिंह देव : मैं नौवहन और परिवहन मंत्री महोदय से यह बात जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि कलकत्ता पत्तन पर यातायात काफी कम हो गया है। और यदि हां तो गत दस वर्षों के आंकड़े क्या हैं ? कलकत्ता पत्तन के विकास के लिए क्या योजनाएं बनायी गयी हैं। ऐसे विकास कार्यों पर सरकार का विचार कितना धनराशि व्यय करने का है ? योजना को पूरा होने में कितना समय लगेगा।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : यह सच है कि पिछले कई वर्षों से कलकत्ता पत्तन पर यातायात कम हो गया है। इसके कई कारण हैं। यह नदी के अंतिम छोर वाला पत्तन है और कभी-कभी हुगली नदी में बेयर्स और बार्ज के कारण कलकत्ता पत्तन पर बड़े जहाजों तथा पोतों के पहुंचने में रुकावट आ जाती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हल्दिया को कलकत्ता पत्तन के सहायक

पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं और इसमें 6 बर्थ वाली गोदी की व्यवस्था होगी। मैंने कुछ समय पहले भी बताया था कि यहां इस वर्ष के अन्त तक कार्य आरंभ हो जायगा जहां तक कलकत्ता पत्तन के विकास करने की बात है सरकार नदी से रेत निकालने के लिए पहले ही से कदम उठा रही है, आवश्यक नियतन किया गया है और सरकार 14 करोड़ रु० के लगभग व्यय करेगी। कलकत्ता की समस्या दो पहलुओं पर आधारित है अर्थात फरक्का बांध योजना से फालतू पानी प्राप्त करना और नदी का तलकर्षण करना। फरक्का बांध योजना के बारे में यह कई बार बताया जा चुका है कि हम बंगलादेश सरकार से बात-चीत कर रहे हैं। पोषक नहर पूरी होने वाली है। कलकत्ता पत्तन ने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं मैं माननीय सदस्य को उन्हीं में से कुछ आंकड़े बता सकता हूं। वर्ष 1961-62 में 93.02 लाख मीटरी टन माल ढोया गया। वर्ष 1962-63 में 102.03, वर्ष 1963-64 में 109.38 1964-65 में 110.63, वर्ष 1965-66 में 98.48, वर्ष 1966-67 में 101.04 और वर्ष 1972-73 में 66.77 मीटरी टन माल ढोया गया।

श्री एस० एन० सिंह देव : क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन के शीघ्र विकास पर कलकत्ता पत्तन अथवा समस्त पूर्वी भारत की आर्थिक क्षमता निर्भर करती है !

अध्यक्ष महोदय : आपका अनुपूरक प्रश्न तैयार रहता है ....

श्री एस० एन० सिंह देव : क्या सरकार स्थिति से संतुष्ट है ? और इस संदर्भ में मैं यह जानता चाहता हूं कि कलकत्ता के इस सहायक पत्तन की वर्तमान प्रगति कैसी चल रही है और इसे शीघ्र चालू करने के मामले में क्या बाधाएं आ रही हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षिप्त तथा संगत प्रश्न पूछिए।

श्री एस० एन० सिंह देव : प्रगति संतोषजनक नहीं है। प्रगित में विलम्ब हो गया है। मैं इसके कारण जानना चाहता हूं।

श्री प्रणब कुमारी मुखर्जी : जहां तक हल्दिया के विकास का प्रश्न है और जहां तक इसे उपयुक्त समय पर चालू करने की बात है मैं सदन में पहले इन प्रश्नों के उत्तर दे चुका हूं यह सच नहीं है कि इसके कार्य में विलम्ब हुआ है। कोई विलम्ब नहीं हुआ है। यह सच है कि हमने निर्धारित समय को आगे बढ़ा दिया है। साथ ही पिछली बार मैंने बताया था कि हल्दिया परियोजना पर प्रत्येक कार्य स्वदेशी रूप से हमारे अपने इंजीनियरों द्वारा किया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप हमें कठिनाई सामने आयीं जिनका पहले अनुमान नहीं था। इसमें विलम्ब हुआ है साथ ही जैसा कि मैं बता चुका हूं हल्दिया पत्तन इस वर्ष के अन्त तक कार्य करना आरंभ कर देगा। बहुत सा कार्य पूरा हो चुका है और कुछ कार्य के इस वर्ष के अन्त तक पूरा हो जाने की संभावना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : सर्व प्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है मशीनी लौह-अयस्क के प्रयोग करने वाले संयत्र के लिए उपकरण एक दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एम०ए०एम०सी० द्वारा बनाये गये हैं। दुर्भाग्यवश हल्दिया में इस संयत्र का निर्माण यहां पर सप्लाई आदि निर्धारित समय से पीछे है। यदि यह सच है तो क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि इस असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं जबकि पत्तन आयुक्त बार-बार यह प्रयत्न करते रहे हैं कि कार्य शीघ्र पूरा हो।

दूसरे क्या उन्हें कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के अध्यक्ष के वक्तव्य के बारे में पता है जिसमें कहा गया है कि यदि फरक्का बांध परियोजना की पूर्ति में और विलम्ब हुआ तो हुगली नदी की नौगम्यता जिस पर कलकत्ता और हल्दिया पत्तन निर्भर है की स्थिति गम्भीर रूप से कम हो जायेगी।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक लौह अयस्क प्रयोग संयन्त्र का प्रश्न है यह सच है कि एम०ए०एम०सी० निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं कर सकी। हमने मामले पर संबद्ध अधिकारी तथा भारी उद्योग मंत्री से बातचीत की। उनसे इस प्रकार की नवीनतम सूचना उपलब्ध हुयी है कि वे इस वर्ष सितम्बर अक्तूबर तक प्लांट सप्लाई कर सकेंगे। इसका परिणाम यह होगा, जैसा कि मैंने बताया है कि यह इस वर्ष के अन्त तक चालू तो हो सकेगा।

जहां तक ताजे पानी की बात है 40,000 क्युसैक पानी फरक्का से लेना अत्यंत आवश्यक है जिसके अभाव में कलकत्ता तथा हल्दिया पत्तनों को किसी सीमा तक क्षति पहुंचेगी। यह बात सदन को विदित है। ये सभी मामले बंगला देश सरकार के साथ उठाए गये हैं।

श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ऐसा क्यों है कि कलकत्ता पत्तन पर माल यातायात के वर्ष 1950-51 की तुलना में 33 प्रतिशत कमी आयी है जबकि देश पर्यंत सभी बड़े पत्तनों पर यातायात 157 प्रतिशत की वृद्धि हुयी है।

कलकत्ता तथा समस्त पूर्वी भारत की आर्थिक स्थिति कलकत्ता पत्तन के विकास पर निर्भर करती है। फरक्का बांध के बारे में हमें संसद में बताया गया है, कि बंगलादेश सरकार से बातचीत क्यों की जा रही है? कलकत्ता पत्तन के नौगम्य बनाने के लिए तथा वहां बड़े जहाजों के आ सकने के लिये कलकत्ता पत्तन पर मशीनों से सामान लादने उतारने की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक कलकत्ता पत्तन पर माल यातायात कम होने का प्रश्न है सर्व-प्रथम बड़े आकार के जहाज कलकत्ता नहीं आ सकते। इसलिए हम हल्दिया पत्तन का विकास कर रहे हैं जहां बड़े जहाज प्रवेश कर सकें। सामान लादने उतारने की आधुनिक सुविधायें न होने तथा 'लोड्राट' के कारण बड़े पोत कलकत्ता पत्तन पर नहीं पहुंच सकते।

इन सब बातों के कारण हम बड़े जहाजों का लाभ नहीं उठा सकते जो आयातित अशोधित तेल लाते हैं अथवा यहां से लौह अयस्क ले जा सकते हैं....

यही मुख्य कारण है कि कलकत्ता पत्तन पर माल यातायात कम हो गया है। जहां तक फालतू पानी की बात है हम पोषक नहर को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वास्तव में बहुत सा कार्य पूरा किया जा चुका है। फालतू पानी के उपयोग के संबंध में मामले पर दोनों सरकारों के बीच निर्णय हुआ है। इस समय इस बारे में कुछ भी बता सकना हमारे लिए संभव नहीं है।

श्री शक्ति कुमार सरकार : मंत्री महोदय के उत्तर से यह बात स्पस्ष्ट है हो जाती है कि जंगीपुरा नहर के माध्यम से पोषक नहर से पानी की स्थिति अनिश्चित है और कलकत्ता तथा हल्दिया दोनों पत्तनों का विकास करने की कोई संभावना नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मैं जान सकता हूं कि क्या उन्हें इस तथ्य का पता है कि एक विशेषज्ञ श्री काली भट्टाचार्य ने कहा है कि कलकत्ता और हल्दिया के पत्तन पर माल यातायात के लिए सागर द्वीप के पास दस मील लम्बा ऊंचा डाइव आव-श्यक है यदि हां तो क्या मंत्री महोदय इस सुझाव को अपनाएंगे?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : जहां तक विशेषज्ञ की विचारधारा का प्रश्न है मुझे उसका पता नहीं है परन्तु जहां तक फरक्का के पानी की बात है मुझे निराशा नहीं है।

डा० रानेन सेन : मंत्री महोदय ने बताया है कि हाल्दिया पत्तन में बड़े जहांज आएं जायेंगे। क्या यह सच है कि हल्दिया पत्तन का स्वरूप ढ़ांचा इस प्रकार का है कि वहां 1 लाख टन भार से अधिक क्षमता वाले जहाज नहीं आ सकते ? क्या यह भी सच है कि वर्तमान प्रवृत्ति लाख टन तथा इससे अधिक क्षमता वाले जहाजों के आने जाने की है यदि हां तो यह बड़े जहाज हल्दिया पर कैसे आयेगें और इस संबंध में सरकार के विचार क्या हैं ?

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : वर्ष 1980 के अन्त तक हमें हल्दिया में 40 फीट गहराई बना लेने की आशा है, अत: उसके पश्चात् बड़े जहाज हल्दिया पर आ सकेंगे ।

पाले और शीत लहर से तिलहनों के उत्पादन में कमी

*426. **श्री हरि किशोर सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की शीत लहर के दौरान पाले का रबी की फसल, विशेष कर तिलहनों पर क्या प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) इसके उत्पादन में कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उत्तरी क्षेत्र में शीत लहर के दौरान पाले से सम्भवत: तोरिया और रबी की कुछ फसलों के उत्पादन में और असिंचित क्षेत्रों के कुछ भागों में सरसों के उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है। पाले के अतिरिक्त रबी की फसलों पर अनेक अन्य बातों का भी प्रभाव पड़ता है, जैसा कि बुवाई के समय भूमि में नमी की अनुकूल परिस्थितियां, शरद् ऋतु के दौरान वर्षा की कमी, उर्वरकों की कमी और मौसम के शेष भाग में मौसमी परिस्थितियां आदि। वर्ष 1973-74 की रबी की फसलों के उत्पादन के अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर अर्थात किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में उपलब्ध होंगे।

(ख) देश में तिलहनों और तेलों के उत्पादन में हुई कमी को पूरा करने और उनकी कीमतों में होने वाली वृद्धि को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

1. यथा-सम्भव विभिन्न तिलहनों, तेलों और चर्बी का आयात करके आपूर्ति में वृद्धि करना ;
2. बिनौले और चावल की भूसी से तेल निकालने के कार्य को प्रोत्साहन देना ;
3. वृक्षमूलक लघु तिलहनों के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देना ;
4. वनस्पति के निर्माण में विभिन्न वैकल्पिक तेलों का उपयोग करके मूंगफली के तेल और सरसों के तेल के उपयोग को सीमित करना ;

5. सोयाबीन और सूरजमुखी आदि परम्परागत तथा गैर-परम्परागत तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि करना ; और

6. बैंक ऋण और सट्टे व्यापार को विनियमित करना।

हाल में ही राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे तिलहनों और तेलों की जमाखोरी और सट्टे व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाएं।

श्री हरि किशोर सिंह : श्रीमन्, सर्वप्रथम, मैं आपका ध्यान विवरण के प्रथम वाक्य की ओर दिलाना चाहता हूं जो इस प्रकार है :—

"उत्तरी क्षेत्र में शीत लहर के दौरान पाले से संभवतः तोरिया और रबी की कुछ फसलों के उत्पादन में और असिंचित क्षेत्रों के कुछ भागों में सरसों के उत्पादन में बाधा उत्पन्न हुई है।"

श्रीमन्, यह संभवतः क्या चीज़ है। सरकार से स्पष्ट उत्तर की अपेक्षा की जाती है।

विवरण में बताया गया है कि सरकार बिनौले और चावल की भूसी से तेल निकालने के कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठा रही है। मैं सरकार से यह बात जानना चाहता हूं कि चावल की भूसी से सरकारी अनुमानानुसार कितना खाद्य तेल निकाला गया है। कृषि वैज्ञानिकों ने यह सुझाव दिया है कि उन्हें चावल की भूसी से 300 हजार टन खाद्य तेल प्राप्त होने की आशा है। चावल की खेती के लिए बिहार की भूमि उपजाऊ है तो क्या सरकार बिहार में चावल की भूसी से तेल निकालने के लिए कोई कारखाना लगाने की योजना बना रही है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक माननीय सदस्य द्वारा पूछे गए प्रथम प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहता हूं कि शरद ऋतु में वर्षा न होने तथा दिसम्बर में तीसरे सप्ताह में शीत लहर के प्रभाव के अतिरिक्त भी और ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। उपज एकत्र होने के पश्चात् तो हम यह जान पाएंगे कि पाले का और दिसम्बर में शीत का कितना प्रभाव पड़ा है।

जहां तक दूसरे प्रश्न की बात है, यह सच है कि चावल की भूसी से बहुत अधिक मात्रा में खाद्य तेल नहीं निकाला जा सकेगा परन्तु हम प्रयास कर रहे हैं। चावल की भूसी से कुछ तेल उपलब्ध होगा जो खाद्य तेल तथा अन्य उद्योगों की आवश्यकता के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

श्री हरि किशोर सिंह : विवरण के अन्त में मंत्री महोदय ने बताया है :

"हाल में ही राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे तिलहनों और तेलों की जमाखोरी और सट्टे व्यापार को रोकने के लिए कदम उठाएं।"

राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार के इस अनुरोध को किस प्रकार क्रियान्वित किया है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जैसा कि माननीय सदस्य को पता है हमने तिलहनों तथा तेलों का वायदा व्यापार बन्द करने के लिए कदम उठाए हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मेरी जानकारी में सभी राज्य सरकारें इस बात के लिए आवश्यक कदम उठा रहीं हैं कि वे तेलों और तिलहनों की जमाखोरी न होने दें।

Shri Sarjoo Pandey; Sir, The Government have accepted that there has been a shortfall in the produce of mustard due to frost. In view of the scarcity of edible Oils, May I know the steps Government propose to take to make edible Oils available to the people?

Shri F. A. Ahmed : I have stated already the steps taken to meet the shortage of oils and oil seeds in the Country. Besides that we will try to import oil and oil seeds to every possible limit. But at present we are facing difficulty due to price rise and international shortage of these items. But certain Countries have agreed to export rapeseed and rapeseed oil to India and we hope that we may meet the shortage to considerable extent by this import.

श्री रामसहाय पांडे : सदन के समक्ष जो विवरण प्रस्तुत किया गया है वह बहुत भ्रमात्मक है। पहले भाग में बड़ी निराशाजनक स्थिति बताई गई है और दूसरे भाग में बताया गया है कि राज्य सरकारों से तिलहनों और तेलों का वायदा व्यापार रोकने और जमाखोरी न करने देने के लिए उपाय करने का अनुरोध किया गया है। यह ठीक है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है परन्तु देश के लोगों को इस बात की चिंता है कि राज्य सरकारों ने मूल्य कम करने तथा चीजें उपलब्ध कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए हैं?

अध्यक्ष महोदय : यह विवरण में बता दिया गया है।

श्री राम सहाय पांडे : केवल अनुरोध से ही काम नहीं चलेगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक कमी की बात है, सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं और वे प्रश्न के भाग (ख) के उत्तर में विवरण में बताए गए हैं। उनके अतिरिक्त हमने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि वे तेलों और तिलहनों की जमाखोरी रोकने के लिए प्रत्येक संभव कार्यवाही करें और कुछ राज्य सरकारें कार्यवाही कर रहीं हैं और उनके परिणाम निकल रहे हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee: May I know whether his attention has been drawn to the news item published in Gujarat newspapers that Shri Chiman Bhai Patel after accepting Rs 25 lakh, permitted price rise by the oil manufacturers...

श्री ए० के० एम० इसहाक : यह किस प्रकार संगत है। कुछ न कुछ सम्बद्धता तो होनी ही चाहिए।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, Kindly look into the reply:

> "Recently the State Governments have been requested to take measures to check speculative trading and hoarding of stocks in oilseeds and oils"

. State Governments have been instructed.

Mr. Speaker : Where from are you quoting this?

Shri Atal Bihari Vajpayee : This is from the Statement given by the hon. Minister.

Mr. Speaker : I have seen only the original question. This question arises out of the Departments reply.

Shri Atal Bihari Vajpayee: This Question arises out of the reply given by the hon. Minister.

Mr. Speaker : Certainly, you may ask.

Shri Atal Bihari Vajpayee: Sir, it is a serious matter. Gujrat Nav Nirman Samitee had discussions with the mill owners and they have tape recorded the talk in which Mill owners have ccepted that they have paid Rs. 25 lakh for the price increase of oils.

Shri F. A. Ahmed: We are not to be guided by the news items published in News papers. If we go according to the news items it will create many problems for us.

Shri Atal Bihari Vajpayee: I have said that the tape record of the talks is available.

Mr. Speaker : The Minister may reply to him the Question is regarding Cold wave and Production. But this supplementary arises out of the reply you have given. While replying to a Question it should be seen that the reply is relevant, otherwise it will be headache for you, for me and for members.

Shri F. A. Ahmed : A mention has been made to the measures adopted.

Mr. Speaker : And the Question regarding Chiman Bhai arises out of that.

Shri Shankar Dyal Singh : Sir, May I know whether the statewise figures of damage due to cold wave are available with the Government ?

Mr. Speaker : It has already been replied, you are late.

चीनी की विश्वव्यापी कमी

*427. †**श्री निहार लास्कर**
श्री नवल किशोर शर्मा : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि शीघ्र ही विश्व भर में चीनी की कमी हो जाएंगी,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) क्या इस वर्ष भारत में चीनी का उत्पादन कम होगा ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार का चीनी की उत्पादन सम्बन्धी सम्भावनाओं, आन्तरिक खपत की आवश्यकताओं और चल रही अन्र्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर इस वर्ष चीनी की निर्यात की जाने वाली मात्रा की समय-समय पर समीक्षा करने और उसका निर्धारण करने का विचार है।

(ग) जी नहीं।

श्री निहार लास्कर : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चालू वर्ष में चीनी के उत्पादन की अच्छी संभावना है; गत वर्ष के 30 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना में इस वर्ष उत्पादन 45 लाख मीटरी टन बताया जाता है जिससे सप्लाई की स्थिति अच्छी हो जाएगी और इस बात को भी ध्यान में रखते हुए कि चीनी के मूल्य में वृद्धि हो जाने के कारण अन्तर्राष्ट्रीय निर्यात क्षमता बढ़ गई है, सरकार ने अभी तक चीनी निर्यात की मात्रा के बारे में निश्चय क्यों नहीं किया है जबकि हमें विदेशी मुद्रा की बहुत आवश्यकता है ।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : माननीय सदस्य की धारणा गलत है कि अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। सरकार ने निर्णय कर लिया है परन्तु कुछ चीजें अपने ढंग से ही करनी होती हैं। इन मामलों में अधिक वाचाल नहीं होना चाहिए।

श्री निहार लास्कर : देश में एक विचार धारा फैली हुई है कि सरकार देश की आन्तरिक मांग की उपेक्षा करके चीनी पर्याप्त मात्रा में निर्यात कर रही है, यदि ऐसा है, तो क्या मंत्री महोदय इस बारे में एक वक्तव्य देंगे।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने बताया है कि उत्पादन में देश की आन्तरिक आवश्यकता, तथा निर्यात को ध्यान में रख कर ये कदम उठाए जा रहे हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर ही कार्यवाही की जा रही है।

Shri Naval Kishore Sharma : Sir, the hon. Minister in his reply has said that at present there is shortage of sugar and the steps are being taken to augment the production. In view of the shortage of sugar in International market it is necessary that we boost our Sugar production against what we have achieved this year. May I know the measures adopted to increase our present sugar production? In addition to this may I also know whether the Government propose to export the major part of the increased production in order to meet our foreign exchange requirements and to remove the shortage of fertilisers? What action the Government propose to take in this regard ?

Shri F. A. Ahmed : I think the hon. Member has not correctly understood my reply. I have said in reply that last year the production has increased. The Government is taking action having taken into account the production. The internal requirement and the necessity to export with a view to have maximum profit to the nation. It is, therefore, we intend to increase sugar production during the coming years. We have adopted certain measures to achieve this objective. Incentives to growers and to factory owners to have the maximum cane and sugar production are some of these measures, All these steps have been taken and we hope that production will increase in the coming years as compared to this year.

श्री माधुर्य्य हालदार : अध्यक्ष महोदय, सरकार बार-बार वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि की बात कहती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य बढ़े हैं अथवा नहीं ; मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या सरकार चीनी के निर्यात मूल्य में वृद्धि करने का विचार कर रही है और इस समय चीनी का निर्यात मूल्य क्या है और इसमें कितनी और वृद्धि करने का विचार किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न उत्पादन के बारे में है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य का सम्बन्ध है यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मेरे पास वास्तविक आंकड़े नहीं हैं परन्तु मूल्य लगभग 300 पौंड प्रति टन है। यह मुझे पता नहीं कि निकट भविष्य में मूल्य क्या होगा। जहां तक हमारे मूल्यों की बात है, माननीय सदस्य को पता है हम लेवी की चीनी 2.15 रुपए प्रति किलो की दर से उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। जहां तक लेवी की चीनी का सम्बन्ध है· · ·

श्री माधुर्य्य हालदार : मैंने निर्यात मूल्यों के बारे में पूछा है तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बारे में पूछा है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : निर्यात मूल्य के बारे में मैं बता चका हूं कि अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य क्या है।

अध्यक्ष महोदय : आपने बता दिया है ?

Shri Ram Surat Prasad: May I know whether this is also one of the reasons of the shortage of Sugar that the factory owners do not pay in time the cost of the sugar cane to the producers, if so, what steps are being taken in this regard?

Shri F.A. Ahmed : So far as my knowledge goes, Sugar factories are purchasing Sugercanes. But the factory owners have complained that the quantity of sugar contents in sugarcane has gone very low and they have demanded assistance from the Government to run their factories for more time. The Government have received this complaint and the matter is being considered.

श्री वीरभद्र सिंह : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चीनी की विश्व व्यापी कमी है, मैं यह बात जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के सामने कोई ऐसी योजना है जिससे चुकन्दर की खेती को प्रोत्साहन दिया जा सके जिससे चकन्दर से भी चीनी बनाई जा सके और यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए हैं?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए चुकन्दर की खेती का प्रश्न है, हमने एक दो स्थानों पर प्रयास किए हैं जहां गन्ने से चीनी बनाने के अतिरिक्त चुकन्दर से भी चीनी बनाई जाएगी। परन्तु ये प्रयास बहुत छोटे पैमाने पर किए गए हैं और यदि इस प्रयोग में हमें सफलता मिली तो हम इसे बड़े पैमाने पर आरम्भ कर देंगे।

श्री त्रिदिब चौधरी : क्या चीनी निर्यात करने वाले अन्य देशों के साथ कोई अन्तर्राष्ट्रीय समझौता हुआ है और क्या हम किन्हीं देशों को एक विशिष्ट मात्रा में कोटा देने के लिए बाध्य हैं अथवा चीनी की विश्व व्यापी कमी तथा मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या हम कोटा नियंत्रण समझौतों को समाप्त करेंगे?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : प्राथमिक व्यवहार के अन्तर्गत अमरीका और ब्रिटेन के साथ एक समझौता है और यह वर्ष 1974 के अन्त तक है। इस समझौते के अन्तर्गत हमें इन देशों को 1 लाख मीटरी टन चीनी देनी है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के मूल्यों के अनुसार चीनी का मूल्य बढ़ाने के लिए हम इन देशों के साथ बात चीत कर रहें हैं। यह समझौता केवल वर्ष 1974 तक है इसके पश्चात् हम स्वतंत्र हैं। जहां तक अन्य चीनी के निर्यात का प्रश्न है इस सम्बन्ध में हमारा कोई समझौता नहीं है और ना ही हम पर कोई कोटा नियंत्रण है।

श्री जगदीश भट्टाचार्य : देश में चीनी की उत्पादन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या राशन में प्रति व्यक्ति चीनी के कोटे की मात्रा में वृद्धि की जाएगी और क्या मूल्य में कमी की जाएगी?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जहां तक खपत का सम्बन्ध है, एक ओर तो माननीय सदस्य कहते हैं कि निर्यात में वृद्धि की जाए। जब तक घरेलू खपत में कमी नहीं की जाएगी तब तक उद्देश्य की प्राप्ति किस प्रकार की जा सकेगी। दूसरी ओर, यह चीज है। परन्तु मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि सभी राज्यों के सामान्य कोटे में वृद्धि कर दी गई है और मुझे आशा है इस वृद्धि से वे संतुष्ट होंगे और बहुत से माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उस उद्देश्य को शीघ्रातिशीघ्र उपलब्ध कराने में मेरी सहायता करेंगे।

श्री रामगोपाल रेड्डी : गत वर्ष चीनी की खपत 35 लाख टन थी। अब हमारा उत्पादन 45 लाख टन से अधिक हुआ है और इस वर्ष हमें, विदेशी मद्रा में लगभग 600 रुपए प्रति

टन चीनी का अधिक मूल्य मिल रहा है। क्या मंत्री महोदय का विचार 10 लाख टन ची ी का निर्यात करने का है? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या वित्त और वाणिज्य मंत्रालय चीनी का निर्यात करने की जोरदार सिफारिश की है परन्तु कृषि मंत्रालय इस मामले में बाधा उत्पन्न कर रहा है? यदि चीनी की कमी है, तो उसके लिए कोई मर नहीं जाएगा।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: इन मामलों पर हम विचार कर रहे हैं और यदि इस मामले में अधिक कुछ न करें तो यह हमारे देश के हित में होगा।

प्रो० मधु दंडवते: मंत्री महोदय ने चीनी के निर्यात के बारे में कहा है मैं उनसे यह बात जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने अमरीका की कृषि समिति के अध्यक्ष का अपमानजनक वक्तव्य देखा है जिसमें भारत को प्रताड़ना दी गई है और कहा गया है कि भारत की नीतियों के कारण उन्हें चीनी के निर्यात की हमारी मांग पर सहानुभूतिपूर्ण ढंग से विचार नहीं करना चाहिए तथा यह भी कहा है कि अमरीका को उन्हीं देशों को प्रोत्साहन देना चाहिए जो अमरीकी नीतियों का समर्थन करते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अमरीका का दृष्टिकोण क्या है?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद: यह प्रश्न ही नहीं उठता। इसके साथ ही इस प्रश्न का उत्तर मेरे साथी विदेश मंत्री द्वारा दे दिया गया है।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister has accepted that there is a world wide shortage of sugar and the price of sugar in International market has increased by Rs. 300 per Tonne.

May I know our export rates of sugar and whether we have exported any quantity on increase prices, if so how much ?

Shri F. A. Ahmed : I have already replied that so far as export is concerned, every year we take into account our production, national requirement and the cost we get frcm export. keeping in view all these things we take a decision. As regards export to U. K. and U.S.A., there was an agreement and on prefrential treatment basis we have exported sugar on fixcd prices. As regard other Countries, we export according to the international prices. The sugar, apart from the quantity we are supposed to export to both of these countries, we will export to other countries we will take into account the international prices and will see that we get the maximum of it.

Shri Hukam Chand Kachwai : I have asked about the price on which we have exported our sugar ?

Shri F. A. Ahmed : I do not have all the details regarding transactions made everyday. But I have said that our export price has not been less than the international price.

Cut in Expenditure on Indian Sportsmen going Abroad

*428. **Shri Mahadeepak Singh Shakya :** Will the Minster of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(*a*) whether Government have effected cut in the expenditure to be incurred on Indian Spo- Sportsmen going abroad for participation in games during the Fifth Five Year Plan; and

(*b*) if so, the extent thereof and the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education, Social Welfare and the Department of Culture (Shri Arvind Netam) : (*a*) No, Sir. According to the draft Fifth Plan no cut is proposed in the allocation of funds for the purpose.

(*b*) Does not arise.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : It is good that the Hon. Minister has changed the practice of affecting cuts in Plan allocations. With the beginning of Fifth Five Year Plan, the prices of essential commodities in the international markets has gone just the double as compared to the Fourth Plan. May I know whether the Question to link the expenditure with the prices has been considered and if not, the reasons therefor ?

Shri Arvind Netam : During Fourth Plan a sum of Rs. 48 lakh was spent on Indian Sportsmen who participated in International Sports and a sum of Rs. 65 lakh has been proposed to be spent during Fifth Plan period. Threre is a substantial increase in the provision.

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : Sir, I would like to make a point. I am amplifying the reply that has been given by my colleague so that there is no confusion, the fact is, that grants sanctioned to Sports federation involve the huge expenditure on Indian Teams going abroad and the expenditure on Coaching Camps etc. is also increased from those grants. Therefore, the increase in allocation will also meet the petty non plan expenditures. It is, therefore, the amount of grant will not be limited to 65 lakh it may be somewhat more than that.

Shri Mahadeepak Singh Shakya : May I know to what experiments the Ministry has obtained from the Sportsmen sent abroad during Fourth Plan period and whether those experiences has been included in it and if so, the details thereof ?

Mr. Speaker : How does it arise ? This does not arise out of that.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Probably his intention is that the players, who were sent abroad, are not given adequate funds and therefore they did not give their best performance. Has it come to the notice of the Government ?

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : खर्चे में प्रस्तावित कटौती की. बात को ध्यान में रखते हुये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि भारत की प्रथम श्रेणी की फुटबाल लीग टीम के गम्भीर विरोध करने के उपरान्त भी भारत सरकार ने कुअलालम्पुर के मरडेका में भारत की दूसरे दर्जे की टीम भेजी अत: वह पराजित हुई ।

अध्यक्ष महोदय : पृथक-पृथक खेलों के बारे में प्रश्न नहीं उठाये जाने चाहियें ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : भारत सरकार ने जानबूझकर दूसरे दर्जे की टीम भेजी । हमारे राज्य के इस खेल के चैम्पियन टीम में नहीं लिये गये इसका परिणाम यह हुआ कि टीम पराजित हुई और देश की प्रतिष्ठा समाप्त हुई ।

श्री वयालार रवि : मैं जानता हूं वे बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : दो नवयुवकों के बीच इस प्रकार का झगड़ा मेरी समझ में नहीं आता । श्री सालवे ।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : आज एक बड़ा निराशाजनक समाचार पढ़ा है कि भारतीय टीम फैडरेशन के दो पदाधिकारियों के बीच जो विदेश गये थे और जिनके खर्चे में कोई कटौती नहीं की गई, चलते आ रहे विवाद के कारण वर्ल्ड हाकी कप टूर्नामेंट भारत में नहीं हो सका और यह मलेशिया में होगा ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें मलेशिया कहां से ले आये ?

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : यदि विदेशों में जाने वाली टीमों के खर्चे में कटौती की जाती है तो इन अधिकारियों को, जो आपस में झगड़ रहे हैं, विदेशी मुद्रा किस प्रकार उपलब्ध हुयी? दूसरे ....

अध्यक्ष महोदय : पहला प्रश्न असंगत है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : हाकी पंजाब का लोकप्रिय खेल है। आप अपने निर्वाचित क्षेत्र की आवश्यकता पूरी करने में असमर्थ हैं तो मुझे कुछ करने की अनुमति ही दी जाए। कभी-कभी संगत-असंगत बातों की अनुमति दी जाती है। शिक्षा मंत्रालय इस बारे में क्या कार्यवाही करेगा? क्या यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम उठाये जाएंगे कि विश्व हाकी कप टूर्नामेंट भारत में हो।

अध्यक्ष महोदय : वकील के रूप में मैं आपकी क्षमताओं का आदर करता हूं किन्तु मूल प्रश्न का क्षेत्र बहुत सीमित है। प्रश्न पंचवर्षीय योजना में नियत धनराशि में कटौती करने के बारे में है।

श्री एम० एम० बनर्जी : मंत्री महोदय ने हमें यह आश्वासन दिया है कि कोई कटौती नहीं की जाएगी। विदेशों में हुई खेल-कूद प्रतियोगिताओं और ओलम्पिक खेलों में हमारे खिलाड़ियों की असंतोषजनक उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुये क्या अधिक धनराशि नियत की जाएगी जिसमें हमारे युवकों को समुचित प्रशिक्षण दिया जा सके तथा हम पुनः न केवल हाकी में वरन अन्य खेलों में भी विश्व चैम्पियन बन सकें? अन्य देश हमारी तुलना में बहुत अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं। अतः क्या इस वर्ष अथवा पांचवी योजना के दौरान खेल-कूद के लिये अधिक धनराशि नियत की जाएगी जिससे हमारे में अनेक खिलाड़ी उपलब्ध हो सकें?

प्रो० एस० नूरुल हसन : चौथी योजना में खेल कूद के लिय कुल 469 लाख रुपये नियत किये गये थे। योजना प्रारूप से अनुसार पांचवी योजना में खेल-कूद के विकास के लिये 1,232 लाख रुपये खर्च किये जाने का प्रस्ताव है।

अध्यक्ष महोदय : उनका प्रश्न था कि क्या नियतन में वृद्धि की जाएगी।

श्री एस० एम० बनर्जी : यह भी कि क्या धनराशि को खेल-कूद कार्यों पर ही खर्च किया जाएगा?

श्री एस० नूरुल हसन : यह बिलकुल सच है कि हमारी मंशा प्रशिक्षण, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों से प्रतिभा सम्पन्न युवकों की पता लगाने तथा अन्य सम्बधित गतिविधियों जिसमें खिलाड़ियों को विदेशों में खेलकूद प्रतियोगिताओं में भेजने का काम भी सम्मिलित है, कार्यों के लिये धनराशि में वृद्धि किये जाने की है।

साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं के लिए धनराशि का आवंटन

***430. श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक भाषा के लिए 1973-74 में कितनी धनराशि का वार्षिक आवंटन किया गया ;

(ख) प्रत्येक ऐसी भाषा पर वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई ; और

(ग) धनराशि आवंटित करने की क्या कसौटी है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) (क) से (ग) : साहित्य अकादमी ने बीस भाषाओं को मान्यता दी है किन्त यह भारतीय भाषाओं के विकास के लिए उपलब्ध अपनी निधियों का भाषावार आधार पर आवंटन नहीं करती है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर: इस उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ क्योंकि मंत्रालय ने साहित्य अकादमी द्वारा भाषाओं के विकास पर खर्च की गई धनराशि के आंकड़े भी नहीं दये। अतः सर्वप्रथम मैं यह जानना चाहता हूं कि प्रबन्ध और अधिकारियों को विदेश भेजे जाने पर नहीं वरन भाषाओं के विकास पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैवल वर्ष 1973-74 से ही सम्बन्धित है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उन्होंने जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

श्री डी० पी० यादव : हमें जो भी जानकारी उपलब्ध है माननीय सदस्य को उसे प्राप्त करने की पूरी स्वतंत्रता है। किन्तु मेरा निवेदन है कि साहित्य अकादमी का उद्देश्य भाषा की उन्नति से नितांत भिन्न है। इसी लिये हमने यहां जानकारी नहीं दी।

प्रो० नारायण चन्द पराशर: यदि साहित्य अकादमी का उद्देश्य भाषाओं का विकास नहीं तो फिर क्या है? साहित्य में भाषाओं की उन्नति भी निहित है।

श्री डी० पी० यादव: अकादमी का एक उद्देश्य भाषाओं में शोध कार्य करना है। दूसरा उद्देश्य दूसरे क्षेत्र की भाषाओं और साहित्य की शिक्षा को बढ़ावा देना है।

प्रो० नारायण चन्द पराशर : शोध कार्य में भाषा सम्वर्धन निहित है। विभिन्न भाषा भाषी इस बात को कैसे जान सकते हैं कि साहित्य अकादमी द्वारा उनकी भाषाओं का विकास किया जा रहा है तथा सरकार द्वारा अनुसंधान कार्य सहित इस प्रयोजन के लिये निर्धारित धनराशि इस प्रकार खर्च की जा रही है कि प्रत्येक भाषा के साथ न्याय हो तथा उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है जैसा कि भाषा सम्बन्धी खोसला जांच समिति के प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : विभिन्न भारतीय भाषाओं की उन्नति के लिये जहां तक सरकार के प्रयत्नों का सम्बध है यह केवल साहित्य अकादमी के माध्यम से नहीं किये जाते। इसके लिये कई अन्य योजनाएं हैं। जहां तक साहित्य अकादमी का सम्बन्ध है उसकी सिब्बन्दी व्यय के अतिरिक्त विभिन्न गतिविधियों पर 1970-71 में 4.97 लाख रुपया 1971-72 में 4.51 लाख रुपया, 1972-73 में 4.56 लाख रुपया तथा 1973-74 में 4.26 लाख रूपया खर्च किया गया है। आशा है पांचवीं योजना में इस धनराशि में वृद्धि की जाएगी। जैसाकि मेरे सहयोगी ने अभी बताया है साहित्य अकादमी का विचार है कि पृथक-पृथक भाषा के लिये पृथक-पृथक धनराशि का नियतम किया जाना विभिन्न भाषाओं की एकता के लिये तथा एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद कार्यक्रम के लिये अथवा विभिन्न भाषा भाषियों को एक दूसरे के निकट लाने के लिये, जिससे वे एक दूसरे के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, अनुकूल नहीं होगा। अतः अकादमी अपने बजट में भाषावार धनराशि नियत नहीं करती।

Shri Atal Bihari Vajpayee : The hon. Minister's reply has surprised me. He has admitted that Sahitya Akadami has recognised 20 languages. He has also mentioned the amount spent on the development of languages. Is it possible for the Ministry to tell the separate figures of the amount being spent on the various languages ? There can be no difference of opinion on the point that all the languages are to be developed. But there is a great difference between all the languages and only one language required to be developed.

Prof. S. Nurul Hasan : I have got separate figures on two-three specific items. If hon. member so desires I will give the figures.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने भाषावार अलग-अलग आंकड़े मांगें हैं जिस पर आपने बताया है कि यह आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। वह चाहते हैं कि भाषावार आंकड़े दिये जाने चाहियें।

प्रो० एस० नूरुल हसन : कुल धनराशि का नियतन पृथक-पृथक भाषाओं के लिये नहीं किया जाता तथापि उसमें कुछ धनराशि को भाषावार समझा जा सकता है। यदि माननीय कुल खर्च का भाषावार ब्यौरा चाहते हैं तो माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये इस ब्यौरे को सभापटल पर रख दिया जाएगा।

खाद्यान्नों के वितरण के लिये सहकारी समितियों का उपयोग

***431. श्री डी० डी० देसाई :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रुटिपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि हुई है,

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय, खाद्यान्नों के बेहतर वितरण के लिये सहकारी समितियों की स्थापना कर रहा है, और

(ग) इस योजना को कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सरकार की नीति सरकारी वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्नों के वितरण के लिए यथा सम्भव अधिकतम संख्या में सहकारी समितियों की एजेन्सी को इस्तेमाल करने की है। पंच वर्षी योजनाओं के अधीन योजना कार्यक्रम के एक अंग के रूप में सहकारी समितियों का पहले ही विकास किया जा रहा है।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने कहा है कि मूल्य वृद्धि के वर्तमान वितरण प्रणाली उत्तरदायी नहीं है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह तो इस बात से भी इनकार करते हैं कि मूल्यों में वृद्धि हुई है।

श्री डी० डी० देसाई : तब आज हम जिस अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि का मुकाबला कर रहे हैं। उसके लिये उत्तरदायी कौन है तथा क्या सरकार यह बता सकती है कि वैकल्पिक उपायों द्वारा खाद्यान्नों के मूल्यों में किस प्रकार कमी की जा सकती है? दूसरे शब्दों में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिये सरकार का क्या वैकल्पिक तरीके अपनाने का विचार है ?

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : महोदय इस प्रश्न का यहां क्या औचित्य है ?

Shri Atal Bihari Vajpayee : How can he say 'no' Kindly go through the question. It has been asked in part (a) as to how the prices gone upward or not ?

अध्यक्ष महोदय : उनका पहला प्रश्न यह है कि क्या दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण खाद्यान्नों के मूल्य में वृद्धि हुई है। इसके बाद भाग (ख) और (ग) आते हैं। मुझे

माननीय सदस्य के प्रश्नों को सुनना होता है। मैं इस सम्बन्ध में अपना न कोई मत व्यक्त करता हूं और न कोई फैसला देता हूं। सदस्य जानकारी चाहते हैं।

Shri Atal Bihari Vajpayee : Complete information should be submitted before the House. Does the hon. Minister mean that prices have not increased ?

अध्यक्ष महोदय : जिन्होंने यह प्रश्न किया है वह यहां उपस्थित हैं। उन्हें अभी प्रश्न पूछने का पूरा अवसर नहीं मिला है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वह प्रश्न पूछें किन्तु सदन को संतोषजनक उत्तर पाने का अधिकार हैं।

श्री डी० डी० देसाई : मंत्री महोदय ने पहले भाग के उत्तर में कहा है, नहीं। अतः मैंने यह अनुपूरक प्रश्न किया कि यदि मूल्यों में वृद्धि हुई है तो क्या यह दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण नहीं हुई है। चूंकि उन्होंने इनकार कर दिया है तो उनसे निवेदन करूंगा कि हमें यह बताया जाए कि मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में खाद्यान्नों के मूल्यों पर नियंत्रण करने के लिये क्या वैकल्पिक उपाय किये जाने का विचार है।

श्री राम सहाय पांडे : मंत्री महोदय इसकी जानकारी कल दे सकते हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : मैंने अपने उत्तर में कहा है कि मूल्यों में वृद्धि दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण नहीं हुई। दूसरा प्रश्न यह था कि क्या उस प्रयोजन के लिये सहकारी समितियों का उपयोग किया जाएगा। इसका मैं उत्तर दे चुका हूं। मूल्य वृद्धि के विभिन्न कारण हैं। यह प्रश्न वह पूछ ही चुके हैं क्या ऐसा दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण हुआ है जिसका उत्तर मैंने नकारात्मक दिया है। माननीय सदस्य तथा सभी को ज्ञात है कि मूल्य वृद्धि के लिये अनेक बातें उत्तरदायी हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

गंदी बस्तियां हटाने के कार्य का हस्तान्तरण

*429. **श्री राम भगत पासवान** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गन्दी बस्तियां हटाने तथा पर्याप्वरण सुधार का कार्य दिल्ली विकास प्राधिकरण को हस्तान्तरित करने संबंधी निर्णय के विरुद्ध सरकार को कोई विरोध पत्र प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) (क) जी, हां।

(ख) निर्णय पर पुनः विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य तेलों का आयात

*432. **श्री यमुना प्रसाद मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1,50,000 टन खाद्य तेलों का आयात करने का निर्णय किया है, और

(ख) इसमें कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) 1974-75 के दौरान आयात किए जाने वाले खाने योग्य तेलों की मात्रा के बारे में अभी कोई पक्का निर्णय नहीं किया गया है ।

वर्ष 1974 के दौरान राज्यों की उर्वरकों की आवश्यकता

***433. श्री पी० गंगादेव, श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष राज्यों की उर्वरकों की कुल आवश्यकता कितनी है तथा विभिन्न राज्यों के लिये इस वर्ष, राज्यवार, कितना-कितना उर्वरक निश्चित किया गया है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6528/74 ।]**

भारत में क्रिकेट का स्तर

***434. श्री प्रियरंजन दास मुन्शी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्रालय को पता है कि भारत में विशेषकर युवा खिलाड़ियों में क्रिकेट का स्तर सुधारा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के युवा क्रिकेट-खिलाड़ियों के प्रशिक्षण आदि तथा उन्हें प्रोत्साहन देने एवं कुशल बनाने के लिए कोई वित्तीय व्यवस्था की जा रही है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बन्धित राज्य खेल परिषदों के सहयोग से, राष्ट्रीय खेल संस्थान द्वारा देश के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्रों के जरिए क्रिकेट में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं । यह कार्यक्रम, भारत में क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे इसी प्रकार के कार्यक्रमों के अतिरिक्त है ।

मौलाना आज़ाद टैक्नालाजीकल कालेज, भोपाल का हाथ में लिया जाना

***435. डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गवर्नरों के बोर्ड अथवा मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से मौलाना आज़ाद कालेज आफ टैक्नालाजी, भोपाल को अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या रीजनल इंजिनियरिंग कालेज संबंधी जयकृष्ण समिति ने भी मौलाना आज़ाद टैक्नालाजीकल कालेज, भोपाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की सिफारिश की है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जी, नहीं ।

2—212LSS/74

(ख) और (ग) : जयकृष्ण समिति ने केन्द्रीय सरकार से मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी कालेज अथवा किसी अन्य प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेज को अपने हाथ में लेने की कोई समिरिश नहीं की है । तथापि, उस ने सभी प्रादेशिक इन्जीनियरी कालेजों के प्रशासनिक तथा शैक्षणिक गठन तथा उनकी वित्तीय सहायता प्रदान करने की पद्धति के सम्बन्ध में सिफारिशें की हैं।

समिति की सिफारिशों की जांच की जा रही है ।

गुजरात के लिए 20 वर्षीय विकास योजना

*436. श्री वेकारिया
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के लिए 20 वर्षीय विकास योजना तैयार की गई है ।

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमला पति त्रिपाठी) : (क) से (ग). संभवतया माननीय सदस्य का आशय भारत के मुख्य इंजीनियरों की सड़क विकास योजना (1961-81) की रिपोर्ट के आधार पर गुजरात सरकार द्वारा निकाले गये सड़क विकास के लक्ष्य से है । इस रिपोट की सिफारिशें इस मामले में सरकारी नीति का प्रतिबिम्ब नहीं हैं । ये सिफारिशें केवल केन्द्रीय और संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विस्तृत कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए मोटे निर्देशक के रूप में हैं, जो अन्य बातों के साथ साथ साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हैं। नीचे की सारणी उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपने राज्य के लिए गुजरात सरकार द्वारा निकाले गये लक्ष्यों और अपनी पांचवीं पंच वर्षीय योजना के मसौदे में गुजरात राज्य द्वारा दिखाई गई संभाव्य उपलब्धियों को सूचित करती है :—

क्र० सं०	श्रेणी	31-3-81 को किलोमीटर दरी लक्ष्य	31-3-74 तक संभाव्य उपलब्धियां
(क)	**मुख्य सड़कें**		
(1)	राष्ट्रीय राजमार्ग . . .	3,602	1,335
(2)	राज्य राजमार्ग . . .	6,168	8,186
(3)	बड़ी जिला सड़कें .	14,382	7,330
(ख)	**अन्य सड़कें**		
(4)	अन्य जिला सड़कें	16,441	9,410
(5)	ग्राम सड़क . . .	17,035	10,391
	कुल	57,628	36,652

Study of Adivasi Culture and Civilisation at University Level

***437. Shri Dhan Shah Pradhan :** will the Minister of Education, Social Welfare and Culture be pleased to state :

(*a*) whether any curriculum has been prescribed at University level for the study of Adivas Culture and civilisation; and

(*b*) if not, whether it is proposed to introduce such a course and if so, by what time it will b introduced during the Fifth Five-Plan period ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan): (a) and (All the Departments of Anthropology, in the universities, have courses on Tribal Culture an Society, both at the undergraduate and post-graduate levels. Courses on tribal culture are als prescribed for Sociology students in certain universities.

प्रतिलिप्याधिकार कानूनों में परिवर्तन

*438. **श्री राम प्रकाश**
श्री राम सहाय पाण्डेय } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दी लेखक सम्मेलन ने लेखकों को शोषण से बचाने के लिए प्रतिलिप्याधिकार कानूनों में परिवर्तन किए जाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। सरकार को सम्मेलन की प्रेस रिपोर्टों की जानकारी है।

(ख) 1957 के कापीराइट अधिनियम को संशोधित करने का प्रश्न, सरकार के पहले से ही विचाराधीन है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ लेखकों के हितों की सुरक्षा की व्यवस्था भी शामिल है ।

बर्फ में लगी मछलियों की सप्लाई के लिये तटवर्ती नगरों में बर्फ तथा शीतागार संयंत्रों की व्यवस्था

*439. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के बाजारों में बर्फ में लगी मछलियों की बेहतर तथा नियमित रूप से सप्लाई करने के लिए पश्चिमी तथा पूर्वी तट के सभी महत्वपूर्ण नगरों में बर्फ तथा शीतागार संयंत्रों की श्रृंखला स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान एक शीतागारों की श्रृंखला विकसित करने का प्रस्ताव है । चुने हुए मछली उतारने वाले और विपणन केन्द्रों पर बर्फ संयंत्रों, शीतागारों और प्रशीतन केन्द्रों की स्थापना करना इस योजना का उद्देश्य है ।

विपणन केन्द्रों में उत्पादन और अन्य केन्द्रों से प्रति दिन ताज़ी मछली की सप्लाई प्राप्त होगी। सके अलावा उत्पादन और विपणन केन्द्रों में प्रशीतित मछली का पर्याप्त बफर स्टाक बनाये रखा जायेगा। मछलियों की दिन-प्रतिदिन विपणन की व्यवस्था अभिशीतित मछलियों की ताज़ा आवक से की जायेगी। किन्तु मछलियों की प्राप्ति में किसी प्रकार की कमी अथवा आवागमन में बाधाओं से उपभोक्ता केन्द्रों में वितरण पर असर नहीं पड़ेगा क्योंकि प्रशीतित रूप में जमा स्टाक नियमित सप्लाई बनाये रखने के लिए नियुक्त किया जा सकेगा।

वाडिया समिति द्वारा की गई सिफारिशों की क्रियान्विति

*440. **श्री डी० पी० जदेजा : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965 में भारत में सामाजिक कार्य शिक्षा के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त वाडिया समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ; और

(ख) इन सिफारिशों को कहां तक क्रियान्वित किया गया है ?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : (क) भारतीय विश्वविद्यालयों में सामाजिक कार्य शिक्षा संबंधी समिति की प्रमुख सिफारिशों का सार संलग्न है।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली और उन्हें संबंधित विश्वविद्यालयों एवं सामाजिक कार्य स्कूलों विद्यालयों के पास विचारार्थ तथा कार्यान्वयन के लिये भेज दिया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार अधिकांश संबंधित विश्वविद्यालयों/सामाजिक कार्य स्कूलों ने सिफारिशों का स्वागत किया है और उन्हें क्रियान्वित करने का भी प्रयत्न किया है। विश्वविद्यालयों के सामाजिक कार्य शिक्षा विभागों तथा उन से संबद्ध सामाजिक कार्य के स्कूलों को, सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए, आयोग द्वारा भी सहायता उपलब्ध करायी गई है।

समिति की रिपोर्ट के अनुवर्ती कार्य के रूप में, आयोग ने सरकार के परामर्श से 1968 में एक स्थायी सलाहकार समिति नियुक्त की थी ताकि वह सामाजिक कार्य-शिक्षा और प्रशिक्षण के विकास के संबंध में आयोग को परामर्श दे सके। इस समिति की उन सिफारिशों को समय-समय पर विश्वविद्यालयों और समाज कार्य के स्कूलों के नोटिस में लाया गया था जिनमें सामाजिक कार्यकर्ताओं की शिक्षा और प्रशिक्षण के सभी पहलू सम्मिलित थे। समाज कार्य शिक्षा के नये स्कूलों को संबद्ध करने और वर्तमान स्कूलों के लिए न्यूनतम मानकों की रूपरेखा तैयार की गयी थी तथा उसे विश्वविद्यालयों और संबंधित स्कूलों के पास भेज दिया गया था। आयोग ने स्तरों में सुधार करने की प्रेरणा देने के लिए समाज कार्य शिक्षा को संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में एक वैकल्पिक विषय के रूप में अपनाने के लिए भी संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध किया है।

भारतीय विश्वविद्यालयों में समाज कार्य शिक्षा संबंधी समिति की प्रमुख सिफारिशों का सारांश

1. **प्रशिक्षित कल्याण कार्मिकों** की आवश्यकताएं

कल्याण कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए अंशकालीन तदर्थ तथा सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रमों को, जो इस समय देश में चल रहे हैं, जारी रखा जाना चाहिए, परन्तु उन्हें समाज कार्य के स्कूलों के परामर्श

से तैयार किया जाना चाहिए। ये स्कूल भी ऐसे ही कार्यक्रम आरम्भ कर सकते हैं बशर्ते कि उनके पास अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हों।

2. प्रशिक्षण को मान्यता

जिस क्षेत्र में कार्य प्रशिक्षण को सांविधिक मान्यता दी गई है वह केवल श्रम है। प्रशिक्षण के अन्य क्षेत्रों को भी, केन्द्र तथा राज्य दोनों सरकारों द्वारा ऐसे सभी पदों की भर्ती के लिए जिनमें कल्याण कार्यकलाप सम्मिलित हों प्रशिक्षण की एक जरूरी अनिवार्य योग्यता के रूप में मान्यता प्रदान की जानी चाहिए।

3. पाठ्यक्रमों की विषय वस्तु

इन पाठ्क्रमों के आधारभूत पाठ्क्रमों को आजकल उपयुक्त रूप से समेकित नहीं किया गया है। उनमें अन्तर-विषयक शिक्षा को स्पष्ट करने का प्रयन्न किया जाना चाहिए।

अध्यापकों में फील्ड अनुभव के आभाव में, शिक्षा पूरे तौर पर सैद्धान्तिक ही बन कर रह जाती है। सामाजिक कार्य के स्कूलों में शिक्षक को भर्ती करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। वैकल्पिक तौर पर शिक्षक को ऐसे अवसर प्रदान किये जाएं ताकि वह कल्याण-कारी अधिकरणों के निकट के संपर्क में आ सके।

समाज कार्य के सभी विषयों को पर्याप्त रूप से दो वर्षीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जा सकाता। तथापि, इस पाठ्क्रम की अवधि में वृद्धि करना भी सम्भव नहीं जान पड़ता। अतः वर्तमान परिस्थितियों में उत्तम समाधान यह होगा कि प्रशिक्षण के प्रथम वर्ष के दौरान एक समान्य कार्यक्रम और दूसरे वर्ष के दौरान विशिष्ट पाठ्क्रमों की व्यवस्था की जाए। श्रमिक संस्थानों को अपनी सामान्य बुनियाद को मज़बूत करने की आवश्कता है जो केवल एक विशिष्ट पाठ्क्रम की पेशकश करते हैं। इसी प्रकार से जातिमत स्कूलों को भी कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करती है।

लैक्चरों को शिक्षकीय और सैमिनारों द्वारा पूरा करना अपेक्षित है। यह भी वांछनीय होगा कि छात्रों को अनुसंधान प्रविधियों में कुछ प्रशिक्षण दिया जाए।

4. अध्यापक

अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक वर्ष की अवधि का होना चाहिए। इस पाठ्यक्रम में प्रवेश उन अध्यापकों के लिए सीमित होना चाहिए जिन्होंने 3 वर्ष से कम की सेवा की हो। इस प्रशिक्षण के लिए चुने गये सभी उम्मीदवारों के पास समाज कार्य में उत्तर स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा होना चाहिए। जो स्कूल इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करते है उन्हें तथा अन्य स्कूलों को उनके प्रतिनियुक्त अध्यापकों के वेतनों की प्रतिपूर्ति के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना आवश्यक होगा।

समाज कार्य के स्कूलों के वेतनमान उसी प्रदेश में स्थित विश्वविद्यालयों के उत्तर स्नातक अध्यापकों के वेतनमानों के अनुरूप होने चाहिए।

समाज कार्य के अध्यापकों के लिए यह भी वांछनीय होगा कि वे अपने आपको अपने क्षेत्रों, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिन पर भारतीय सामजिक समस्याओं की छाप है, के सुसंगत विषयों के अनुसंधानों में व्यस्त रहें।

5. क्षेत्रीय कार्य

क्षेत्रीय कार्य की आयोजना और उसका पर्यवेक्षण ध्यान पूर्वक करने की आवश्यकता है :—

विद्यार्थियों को स्वतन्त्र रूप से क्षेत्र कार्य में उत्तीर्ण होना चाहिए। क्षेत्र कार्य के निष्पादन का मूल्यांकन विद्यार्थी द्वारा किये गये कार्य के विस्तृत तथा व्यवस्थित रिकार्ड के आधार पर किया जाना चाहिए।

जिन स्कूलों के पास आवश्यक सुविधाएं हैं उन्हें अध्ययन यात्राएं, प्रेक्षण यात्राएं समवर्ती क्षेत्र कार्य और कार्य शिविर आयोजित करने चाहिएं।

6. पुस्तकालय की सुविधाएं

प्रत्येक स्कूल में एक स्वतंत्र पुस्तकालय होना चाहिए जिसके लिए पुस्तकें तथा आवधिक पत्रिकाएं खरीदने के लिए कम से कम 3000/- रुपये की वार्षिक व्यवस्था होनी चाहिए।

7. प्रशिक्षण कार्यक्रमों का समन्वय

सामाजिक कार्य संस्थाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को समन्वित करने के प्रयोजन के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक कार्य शिक्षा परिषद स्थापित करना वांछनीय होगा।

8. सामाजिक कार्य शिक्षा का आयोजना

सामाजिक कार्य के स्कूलों को स्वतंत्र एककों के रूप में कार्य करना चाहिये। अनुदान के प्रयोजनों के लिये इन संस्थाओं को अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के समान समझा जाना चाहिए।

9. सामाजिक कार्य में अवर स्नातक कार्यक्रम

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिये, अवर स्नातक स्तर पर समाजिक कार्य शिक्षा में पर्याप्त आधार की व्यवस्था की जानी चाहिए।

Loan due from National Cooperative Development Corporation

*441. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the amount owed by the National Co-operative Development Corporation to Government uptill the 31st March, 1973;

(b) the amount of interest paid by the Corporation to Government annually; and

(c) the mode of repayment and means by which the Corporation will repay this loan, the amount of loan that will be repaid and by what time and the amount of loan which it will not be able to repay ?

The Minister of Agriculture (Shri Fakhuruddin Ali Ahmed) : (a) The amount of Government loan outstanding against the National Cooperative Development Corporation, as on the 31st March, 1973, was Rs. 52,27,89,465/-.

(b) The interest payable annually varies from year to year depending on the outstanding loan during the year. Interest amounting to Rs. 2,45,77,717/- and Rs. 2,65,01,202/- was paid by the Corporation to the Central Government during 1972-73 and 1973-74 respectively.

(c) (i) *Mode of Repayment*

Annual instalments are paid by deposit in the Reserve Bank of India.

(ii) *Means by which the Corporation will repay the loan.*

Out of the repayments of loan instalments and interest received from the State Governments and cooperative institutions to whom the loans are advanced for specific programmes.

(iii) *The amount of loan that will be repaid and by what time*

The entire outstanding amount of loan actually due together with interest is repaid in annual instalments on due dates according to terms of each loan. So far the Corporation has paid the due instalments regularly and in time.

(iv) *The amount of loan which it will not be able to repay*

Does not arise in view of (iii) above.

भारतीय खाद्य निगम के कमचारियों की छंटनी, पदावनति, मुअत्तली तथा तबादला

*442. **श्री आर एन० वर्मन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के एक हजार कर्मचारियों की छंटनी, पदावनति, मुअत्तली तथा तबादले किये जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन कर्मचारियों को पुनः रोजगार देने के लिये सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

सेवा निवृत्त अधिकारियों के कब्जे में सरकारी आवास

*443. **श्री भागीरथ भंवर : निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय कितने सेवानिवृत अधिकारियों के कब्जे में सरकारी आवास हैं ;

(ख) क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों के निकट सबंधी कर्मचारियों को तुरन्त क्वार्टर अलाट कर दिये जाते हैं ;

(ग) क्या ऐसे हजारों कर्मचारियों को अभी तक सरकारी आवास नहीं दिये गये जो एक ही स्थान पर 10 से 15 वर्ष तक की अवधि से सेवा कर रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो केवल वरिष्ठता के आधार पर क्वार्टर आवंटित किये जाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है।

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : (क) 365।

(ख) सरकारी कर्मचारियों के पात्र आश्रित संबंधियों को, तदर्थ आवंटन सामान्यत: सेवा निवृत होने वाले अधिकारियों को दी जाने वाली रियायती अवधि के अन्दर अथवा इसके यथाशीघ्र बाद, किये जाते हैं।

(ग) जी हां।

(घ) सामान्यत: सभी आवंटन अग्रता तारीख के आधार पर किये जाते हैं। केवल असाधारण कारणों से, सीमति संख्या में तर्दर्थ आंवटन किये जाते हैं।

Permission of R.B.I. to Land Development Banks in Madhya Pradesh to Implement Loan Distribution Programme

4320. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the Reserve Bank of India propose to allow the Land Development Banks, in case of Madhya Pradesh to implement cent per cent loan distribution programme if the realisation is only 60 per cent instead of 85 per cent in view of the fact that most of the population there is Adivasis and Harijans and that most part of it have so far been deprived of irrigation facilities for various reasons; and

(b) if, not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) No, Sir.

(b) In accordance with the existing discipline, which has been evolved by the Reserve Bank of India in consultation with the All India Central Land Development Banks Cooperative Union, advances by a State Land Development Bank to Primary Land Development Banks/Branches, in any particular year, are regulated with reference to the overdues position of the latter at the end of the previos year. Accordingly, if in a particular Primary Land Development Bank/Branch the recoveries are 60 per cent of the demand at the end of the previous year, the Bank concerned will be eligible for 75 per cent of the target of lending allotted to it at the beginning of the year.

It may, however, be pointed out that initial eligibility of members for loans is assessed wih reference to the incremental income and loan instalments are fixed as a portion of the incremental income. If Harijans/Advasis are not practising intensive cultivation, they will have small incremental income and consequently they will be allowed a larger repayment period (subject to the prescribed maximum). This would mean that in areas predominantly covered by Adivasis, the instalments will be smaller and as such the demand will also be less. There is, thus, very little case for reduction in *percentage* of recoveries for eligibility of primary banks to borrow from the State Land Development Bank. Further, keeping in view the developing nature of Madhya Pradesh, a larger programme is approved every year by the Reserve Bank of India for this State, a part of which could be used for loans to Harijans/Adivasis. The State Government and the State Land Development Bank are competent to allot relatively larger amount for loans to Primaries/Branches situated in Adivasis & Harijans dominated areas after determining the relative priorities.

Repayment of Loans obtained from National Cooperative Development Corporation

4321. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether the instalments of repayment of loans obtained from the National Cooperative Development Corporation are spread over a period of 14 to 15 years while in case of other commercial banks and financial institutions, loans are spread over 5 to 6 years: and

(b) if so, the justification for the order that it would not be possible for the N.C.D.C. during the Fifth Plan period to advance loans for providing assistance for setting up processing units after having formulated Central Sector Schemes?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde): (a) The National Cooperative Development Corporations loans are now generally repayable within a period of 14 years.

(b) No order has been issued to the effect that N.C.D.C. will not provide assistance in the Fifth Plan for the setting up of cooperative processing units. On the other hand, a Central Sector Scheme has been proposed in the Fifth Plan with an outlay of Rs. 25 crores for giving assistance through the Corporation to cooperative programmes of marketing, processing and storage in under-developed States. In other areas, the Corporation is expected to provide assistance for these programmes from out of its own corpus of funds.

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रिंसिपलों के विरुद्ध जांच

4322. **श्री चन्द्रशेखर सिंह : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के ऐसे प्रिंसिपलों के नाम तथा संख्या क्या है जिनके विरुद्ध शिक्षा निदेशालय, दिल्ली ने जांच प्रारम्भ की है,

(ख) मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है, और

(ग) जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) निम्नलिखित प्राधानचार्यों के विरुद्ध जांच की गई थी :—

1. **श्री ए० आर० दीक्षित** प्रधानाचार्य, विद्या ज्ञान मन्दिर, एच० एस० स्कूल।

2. **श्रीमती पुष्पा गुप्ता**, विद्या भवन महाविद्यालय, नई दिल्ली।

3. **श्री वी० पी० उप्पल,** क्वेटा डी० ए० वी० उच्चतर माध्यमिक स्कूल, निजामुद्दीन।

4. **श्रीमती प्रकाश जैन,** जैन कन्या उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ग्रीन पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली।

5. **श्रीमती चन्द्र कान्ता वर्मा ,** बलवंत राय मेहता विद्या मन्दिर, लाजपत नगर, नई दिल्ली।

(ख) और (ग) प्रत्येक मामले की स्थिति इस प्रकार है :—

श्री ए० आर० दीक्षित

दंडाधिकारी ने प्रधानाचार्य को आरोप-पत्र दिया था। प्रधानाचार्य ने आरोप-पत्र का उत्तर अभी तक नहीं दिया है। दंडधिकारी को 3 महीनों के अन्दर मामले को अन्तिम रूप देने के लिए 20-3-74 को सलाह दी गई है।

श्रीमती पुष्पा गुप्ता

जांच को अन्तिम रूप दे दिया गया है और प्रतिकारी कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के आदेश भेज दिए गए हैं। अपने आदेशों के पालन के लिए, दिल्ली प्रशासन का शिक्षा विभाग मामले पर कार्रवाई कर रहा है।

श्री वी० पी० उप्पल

दंडाधिकारी ने श्री उप्पल को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत कर दिया है परन्तु उसे दंडाधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के विरुद्ध न्यायाधिकरण में अपील की है। अपील न्यायाधिकरण ने मामला दंडाधिकारी के पास भेज दिया है।

श्रीमती प्रकाश जैन

उसके विरुद्ध लगाए गये आरोपों की दंडाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

श्रीमती चन्द्र कान्ता वर्मा

उसने अपना त्याग पत्र दे दिया है। अत: अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को अब रोक देने का प्रस्ताव है।

मध्य प्रदेश द्वारा 1972-73 में लघु सिंचाई की योजनाएं

4323. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य द्वारा वर्ष 1972-73 के दौरान राज्य में (जिले वार) लघु सिंचाई सुविधाओं का विकास करने के लिए पेश की गई योजनाओं का सारांश तथा उनके नाम क्या क्या हैं; और

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता भी मांगी गई है, और यदि हां, तो कितनी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) मध्य प्रदेश सरकार से लघ सिंचाई के लिए 1972-73 में राज्य की योजना के अलावा केन्द्रीय सहायता और ऐसी योजनाओं के लिए वर्ष के दौरान अपात कृषि उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण के रूप में दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-पत्र में दिया गया है। यह विशेष कार्यक्रम बड़े पैमाने पर सूखा पड़ने के कारण उत्पादन में हुई कमी पूरी करने के लिए 1972-73 में शुरू किया गया था। तत्संबंधीय जिला वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम संख्या	योजना का नाम	मंजूर की गई ऋण की राशि (लाख रुपयों में)
1.	पम्प सेटों को शक्ति चालित करना	200.00
2.	पम्पसेटों को बिजली देने के लिए बिजली की लाइनों के लिए राज्य विद्युत बोर्ड को ऋण	90.00
3.	विभागीय पम्प सेट लगाना	83.00
4.	किसानों के लिए 5689 पम्पसेटों की सप्लाई (सहकारिता समितियों के माध्यम से ऋण)	200.00
5.	सिंचाई विभाग द्वारा अप्रचलित जलाशयों के उपयोग के लिए उठाऊ सिंचाई के लिए .	8.00
	कुल :	581.00

देश में प्रत्येक स्कूल को रेडियो देने की योजना

4324. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश के प्रत्येक छोटे, प्राथमिक और उच्चतर स्कूल में रेडियो की व्यवस्था करने की कोई योजना है, और

(ख) यदि हां, तो कितने रेडियो दिये जा चुके हैं और उन पर कितना खर्च आया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी नहीं। देश के प्रत्येक स्कूल के लिए रेडियो सेट की व्यवस्था करने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है। तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्ररूप में राज्य सरकारों से स्कूलों में रेडियो सेट प्रदान करने के लिए परिकल्पना की गई है। कितने स्कूलों को वास्तव में रेडियों सेट प्रदान किये जाएं, यह बात राज्य सरकारों को दिये जाने वाले आवंटित धन तथा देश में रेडियो प्रसारण क्षेत्र पर निर्भर करती है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय पत्तनों से बंगला देश माल ले जाने के लिए भाड़ा दरों में वृद्धि

4325. **श्री एम० एस० पुरती :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-श्रीलंका-बंगलादेश-वर्मा सम्मेलन ने भारतीय बन्दरगाहों से बंगलादेश भेजे जाने वाले सीमेंट और चूना पत्थर पर भाड़े में वद्धि कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो भाड़े की नई दरें क्या हैं?

नौवहन और पविहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) (क) और (ख) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी

मूंगफली की मांग

4326. **श्री मार्तण्ड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में वसूली की प्रमुख मंडियों में मूगफली की कम आवक से इस फसल के पूर्वानुमानों के बारे में संदेह पैदा हो गया है;

(ख) खाद्य तेलों की किस्मों के अनुसार उनके मूल्यों में सामान्यतः 20 से 30 प्रतिशत की वद्धि हुई है और क्या सप्लाई की स्थिति भी अनिश्चित रही है; और

(ग) यदि हां, तो देश में मूंगफली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) वर्तमान संकेतों के अनुसार 1973-74 के चालू वर्ष के दौरान मूंगफली का उत्पादन गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक होने की संभावना है। तथापि, उत्पादन के अन्तिम अनुमान कृषि वर्ष के अन्त में अर्थात जुलाई-अगस्त 1974 में किसी समय उपलब्ध हो सकेंगे। फसल के परिणाम के

अलावा कई अन्य बातों का भी मंडियों में उसकी आवक पर प्रभाव पड़ता है। इनमें किसानों को अपने प्रयोग आदि के लिए फसल को रोक लेना और वर्तमान तथा आगे के संभावित मल्य स्तर भी शामिल हैं।

(ख) 2 मार्च 1974 को समाप्त होने वाले सप्ताह के थोक मूल्यों के उपलब्ध सूचकांकों से जोकि अन्तिम है यह पता चलता है कि मूंगफली के तेल के मामले में गत वर्ष के इसी अवधि के सूचकांकों की तुलना में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई, तिल के तेल के मामले में 23 प्रतिशत और सरसों के तेल के मामले में 68 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1972-73 में तिलहनों के उत्पादन को गम्भीर रूप से धक्का लगने के परिणामस्वरूप इनके स्टाक में कमी, सट्टेबाजी और विभिन्न स्तरों पर जमाखोरी सामान्य मूल्य स्तर में वद्धि और विश्व की मंडियों में तेलों के मूल्यों में तेजी से वद्धि के कारण तिलहनों और तेलों की सप्लाई की स्थिति सख्त रही है।

(ग) देश में मूंगफली का उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रीष्मकालीन/रबी की मूंगफली के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार करने, सिंचाई वाले क्षेत्र को बढ़ाने और चुने हुए क्षेत्रों में सघन जिला के दृष्टिकोण का प्रचार करने के विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में मूंगफली का उत्पादन 60 लाख मीटरी टन के आधार स्तर से बढ़ाकर 76.5 लाख मीटरी टन करने का प्रस्ताव है। यह वृद्धि 27.5 प्रतिशत होगी। इसके आलावा वनस्पति घी के निर्माण में मूंगफली की जगह अन्य तेलों के प्रयोग को प्रोत्साहन देकर मूंगफली की उपलब्ध सप्लाई पर दबाव कम करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में सेवावधि में वृद्धि

4327. **डा० लक्ष्मी नारायण पांडेय :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में काम कर रहे ऐसे कितने व्यक्तियों की सेवा निवृत्ति की आयु के बाद सेवावधि में गत तीन वर्षों में वृद्धि की सिफारिश की गई है या प्रदान की गई है जिनके पास अपने वर्तमान पद के लिए कोई शैक्षिक, तकनीकी तथा आवश्यक योग्यता नहीं है जिससे उनके बिलकुल बाद के कर्मचारियों को लाभ और पदोन्नति के अवसरों से वंचित होना पड़ा है?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल दो व्यक्तियों को, निवर्तन आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात उनके सेवाकाल में बढ़ोत्तरी स्वीकृत की गई है, जिनके पास 15-6-1968 को अधिसूचित संबंधित भर्ती नियमों में निर्धारित अर्हताएं नहीं है। इन दोनों की नियुक्ति ऐसे काम पर की गयी है जहां उनका उस काम पर बने रहना जन हित में जरूरी समझा गया था। इसमें से एक को दिल्ली स्थित जामा मस्जिद के संरक्षण कार्य के लिए नियुक्त किया गया था, जबकि दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति मुख्यालय में पुरावशेषों के प्रलेखन के लिए की गयी थी। क्योंकि प्रत्येक वर्ग में पहले ही कुछ रिक्त पद उपलब्ध थे, अत: उनके सेवा में बने रहने से उनसे ठीक निचले व्यक्तियों की पदोन्नति के अवसरों पर अब तक कोई असर नहीं पड़ा है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में निम्न पदों पर नियुक्त स्नातक इंजीनियरों को विशेष रियायतें

4328. **श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग में संधारण संबंधी निम्न पदों पर नियुक्त

स्नातक इंजीनियरों को विशेष रियायतें नहीं दी जा रहीं है जब कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, एम० ई० एस० रेलवे, परिवहन और कन्द्रीय जल एवं विद्युत आयोग जैसे सरकारी विभागों में उन्हें विशेष वेतनमान दिये जा रहे हैं?

शिक्षा समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में सरंक्षण के पदों पर नियुक्त किए गए स्नातक इंजीनियरों को कोई विशेष रियायतें नहीं दी जा रही हैं, और न ही प्रश्न उल्लिखित सरकार के अन्य विभागों में ऐसी कोई रियायत दी जा रही है।

श्रेष्ठ नसलों की मछलियों के लिए पिचुइटरी ग्लैंड बैंक स्थापित करना

4329. **श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत सरकार को सुझाव दिया है कि श्रेष्ट नस्लों की मछलियों की दुर्लभता को समाप्त करने के लिए (अन्तर्देशीय मत्स्यग्रहण के संबंध में) प्रत्येक राज्य में पिचुइटरी ग्लैण्ड बैंक स्थापित किये जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिप पी० शिन्दे) : (क) मछली पालन के केन्द्रीय सलाहकार मण्डल की सिफारिश पर कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) में केन्द्रीय अन्त:स्थलीय मछली अनुसंधान संस्थान (भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद) के निदेशक की अध्यक्षता में एक अन्त:स्थलीय मछली पालन तकनीकी समिति बनायी गयी। इस समिति ने अन्य बातों के साथ यह भी सिफरिश की है कि प्रत्येक राज्य में पीयूष ग्रन्थि बैंक स्थापित किये जाये। इन बैंकों में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि समस्त मछली एकत्र करने वाले स्थलों और मछली बाजारों से उचित मौसमों में पीयूष ग्रन्थियां एकट्ठी की जायें। इनसे समांगिकृत उत्पाद को आवश्यक निरीक्षणों के बाद एम्प्यूलों में भर कर पीयष ग्रन्थि बैंकों में भविष्य में इस्तेमाल के लिए संचित किया जा सकता है।

(ख) यह सिफारिश विभिन्न राज्य सरकारों को कार्यान्वयन के लिए भेज दी गई है।

Recommendations made by Workshop of Heads of Schools held in Delhi

4330. **Shri Chhatrapati Ambesh : Will the Minister of Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state:

(a) whether a workshop of the Principals and the Head Masters of the Higher Secondary Schools and Middle Schools of the South Delhi Education Zone was held in Sardar Patel Higher Secondary School, Lodi Road, New Delhi on 23rd February, 1974 and 24th February, 1974;

(b) if so, the points discussed therein:

(c) The recommendations made by the workshop, and

(d) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture (Shri D. P. Yadav): (a) Yes, Sir.

(b) The theme of the Workshop was "Human Relations and Effective School Supervision .

(c) The Recommendations from the various groups are being finalised by the Group Convenors and thereafter they are required to be scrutinised by the Editing Committee before circulation.

(d) Government's reaction can be known only after the recommendations are received by them.

Development of Transport and Construction of National Highways in Bihar

4331. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state:

(a) the amount of financial assistance given to the Government of Bihar by the Central Government during the last two years for development of Transport and construction of national highways;

(b) the amount of financial assistance sought by the State Government during the period for these works; and

(c) the amount of financial assistance to be given to the State Government for the purpose during the financial year 1974-75?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee): (a) and (b). The Government of India has not given any grant or other financial assistance to Government of Bihar for development of Road Transport except the contribution made by the Ministry of Railways to the Capital of Bihar State Road Transport Corporation. In the field of Highways, the Government of India are mainly concerned with National Highways which are a Central subject. The entire expenditure on their development and maintenance is, therefore, being met by the Government of India. Central financial assistance by way of loan is given for some projects including *inter-alia* selected State roads/bridges of inter-State or economic importance. Further, money is also provided for some special roads under some other Schemes. The table below indicates the position regarding final requirements received from the Government of Bihar and the allotments made against those requirements under the various schemes:—

	1971-72		1972-73	
	Final requirements intimated by State Govt.	Amount allotted	Final requirements intimated by State Govt.	Amount allotted
	(in lakhs of Rupees)			
(*i*) Development & construction of National Highways	297·07	283·91	687·74	687·74
(*ii*) Central Road Fund	30·50	23·80	46·80	40·04
(*iii*) Loan assistance for development of State Roads of Inter-State or Economic Importance	43·58	43·58	55·18	55·18
(iv) Central non-Plan loan assistance for construction of a Bridge over the river Ganga at Patna				162·55
(v) Advance Action for 5th Plan in respect of National Highways		1·65		15·130
(*vi*) Lateral Roads (State Road portion)	117·32	117·32	25·79	17·67

(c) Allocations for 1974-75 can be decided only after the Budget Estimates for that year have been voted by Parliament.

Sugar Demanded and Supplied to Karnataka

4332. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of sugar supplied by the Central Government to Karnataka State Government during the last five months;

(b) the quantity of sugar demanded by the State Government from the Central Government during the said period: and

(c) the reasons for not giving full quota of sugar to the State Government?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya): (a) The following quantities of levy sugar were allotted to Karnataka State during the last five months:-

October, 1973..	.. 21876 tonnes
November, 1973	.. 19793 tonnes
December, 1974 ..	.. 19793 tonnes
January, 1974 ..	.. 20857 tonnes
February, 1974	.. 20857 tonnes

(b) The State Government has requested in December 1973 for increasing monthly quota of levy sugar to 38,000 tonnes.

(c) The basic quotas of levy sugar for various States/Union Territories have been fixed on a rational basis, taking into account the population figures as recorded in 1971 census and the past pattern of consumption. Actual monthly allotments are, however, adjusted marginally in relation to the total release of levy sugar for each month. Due to limited availability of sugar stocks, it has not been possible to increase their monthly quota of levy sugar as requested by them. The position was suitably explained to the Sate Government.

Rice supplied to J & K during last Five Months

4333. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice supplied by the Centre to Jammu and Kashmir during the last five months.

(b) the quantity of rice sought by that State ; and

(c) the reasons for not supplying the quota in full?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) to (c). Supplies of foodgrains including rice to State Governments are made taking into account the availability in the Central pool, needs of other deficit States, market availability and other relevant factors. Jammu & Kashmir Government were suplied a little over 14 thousand tonnes rice during the period October, 1973 to February, 1974 against their demand for 39 thousand tonnes for the same period.

Wheat and Coarse Grain Demanded by and Supplied to Haryana

4334. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of wheat and coarse grains demanded by the Haryana Government from the Central Government during the last five months;

(b) the quantity of foodgrains supplied by the Central Government to the State Government during the said period; and

(c) the reasons for the non-supply of required quantity?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) and (b) The quantity of wheat and coarse grains demanded and supplied to the Haryana Government from the Central Pool during the last five months (October 1973 to February 1974) is as follows:

(In '000 tonnes)

	Quantity demanded	Quantity supplied
Wheat	155·0	35·7
Coarse grains	—	—

(c) Allotments of foodgrains from the Central Pool are made keeping in view of the State is surplus or deficit, the availability of stocks in the Central Pool, the needs of all deficit States, market availability, price position and other relevant factors.

Rice demanded by and Supplied to Madhya Pradesh

4335. **Shri Hukam Chand Kachwai :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice supplied by the Central Government to Madhya Pradesh during the last five months;

(b) the quantity of rice demanded by the said State from the Central Government during the aforesaid period; and

(c) the reasons for the non-supply of full quota of rice?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c) : No quantity of rice was supplied to Madhya Pradesh Government during the last five months as the State is surplus in rice. Besides the State did not ask for any allotment of rice.

पंगु और विकलांग छात्रों के लिए सुविधाओं का अभाव

4336. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में पंगु और विकलांग छात्रों के लिए बस सेवा और छात्रावास सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति सुधारने के लिए क्या आवश्यक कदम उठायेगी।

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) हां, श्रीमान।

(ख) दिल्ली प्रशासन ने बधिरों के शासकीय लेडी नामस स्कूल, नई दिल्ली में विद्यार्थियों के लिए बसें किराये पर ली हैं। विकलांग औषधि और पुनर्वास के जवाहरलाल संस्थान, नई दिल्ली, के विकलांग बच्चों के स्कूल के लिए वे शीघ्र ही 45,000 रुपये का अनुदान मंजूर करने वाले हैं।

बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के संबंध में परियोजनाएं

4337. **श्री सुख देव प्रसाद वर्मा :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973 के दौरान बिहार सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की सप्लाई के संबंध में कितनी परियोजनाएं पेश की गई ; और

(ख) सरकार द्वारा ऐसी कितनी परियोजनाएं अस्वीकृत की गई तथा इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग, निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) बिहार सरकार ने जून, 1972 में त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 2010.75 लाख रुपये की अनुमानित लागत की जलपूर्ति योजनाएं अनुमोदनार्थ भेजी थीं। 239.41 लाख रुपये की अनुमानित लागत की वे योजनाएं जिन्हें उल्लिखित कार्यक्रम में निर्दिष्ट सिद्धान्तों तथा मानदण्डों के अनुरूप पाया गया, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादन, हेतु अनुमोदित कर दी गई।

10.50 लाख रुपये की लागत के वाहन तथा रिग खरीदने की स्वीकृति पुनः मार्च, 1973 में दी गई ।

1973 में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ ।

दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवाएं

4338. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली परिवहन निगम की असंतोषजनक और अपर्याप्त बस सेवाओं के बारे में जानकारी है,

(ख) क्या सरकार ग्रामीणों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रही है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार का इस सम्बन्ध में क्या आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) दिल्ली परिवहन निगम ग्रामीण क्षेत्रों से कई सेवाएं चला रहा है। अभी अभी निगम ने उपरोक्त ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों की काफी अर्से से की जा रही मांग को पूरा करने के लिए बवाना, अलीपुर, नरेला, कुंजावाला, रावता और ढांसा से केन्द्रीय सचिवालय को तथा वापसी सेवाओं की व्यवस्था की हैं। निगम ने ग्रामीण क्षेत्र में बवाना और डिच्चाओं कलां (नजफगढ़ के निकट) में दो डिपुओं का निर्माण भी किया है महरौली-बदरपुर सड़क पर तिगड़ी ग्राम के निकट तथा आजादपुर के आगे जी०टी० करनाल सड़क पर ग्रामीण क्षेत्रों में दो और डिपुओं के निर्माण के लिए भूमि भी अधिग्रहण की गई है।

मध्य प्रदेश में कृषि, वनों इत्यादि के संबंध में आवंटित और व्यय की गई राशि

4339. **श्री मार्तंड सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971, 1972 और 1973 के दौरान मध्य प्रदेश राज्य को केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कृषि, वनों, सहकारी समितियों और विपणन के विकास के लिए कितनी राशि आवंटित की गई ; और

(ख) मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कितनी राशि वास्तव में व्यय की गई तथा उससे क्या उपलब्धियां हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिंदे) : (क) तथा (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

Suggestion from Planning Commission to fix Responsibility for Procurement of Wheat with States for next Rabi Crop

4340. **Shri Chandu Lal Chandrakar :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) whether the Planning Commission has advised the central Government that the responsibility for the procurement of wheat in the next rabi crop should be handed over to the State Governments;

(b) whether such suggestions were made to Government earlier as well but no attention had been paid to them;

(c) whether uniform procurement price would be fixed for all States; and

(d) the full facts in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) to (d): This Department has not received any such advice from the Planning Commission. The procurement price is already being fixed on a uniform basis throughout the country.

Raids to Unearth Rice, Wheat and Vanaspati in Delhi

4341. **Shri Chandulal Chandrakar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the number of raids conducted in Delhi to unearth rice, wheat and vanaspati in the context of present scarcity;

(b) the quantity of goods seized as a result thereof; and

(c) the action taken by the police against the persons involved?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

टैगोर गार्डन, नई दिल्ली के निकट जे० जे० कालोनी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सड़क की बत्तियों, सड़कों और शौचालयों की देखभाल

4342. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'एफ० ब्लाक" जे०जे० कालोनी (टैगौर गार्डन के निकट), नई दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण सड़क की बत्तियां, सड़कों तथा शौचालयों की ठीक प्रकार से देखभाल नहीं कर रहा है ; और

(ख) सरकार को इस बारे में कितनी शिकायतें मिली हैं और अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम महता): (क) नज़फरोड़ जे० जे० कालोनी के "एफ ब्लाक" में गलियों की रोशनी के मौजूदा स्थलों का रख-रखाव, दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से, दिल्ली विद्युत प्रदान संस्थान द्वारा संतोषजनक ढंग से किया जा रहा है। कालोनी में सड़कों का रख-रखाव, दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जा रहा है । शौचालयों की सफाई का काम, दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग की देख रेख में किया जाता है।

(ख) जे०जे० कालोनी में अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं के सम्बन्ध में निवासियों से कभी-कभी शिकायतें प्राप्त होती हैं तथा इनको, आवश्यक कार्यवाही हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को भेजा जाता है। तथापि, नज़फगढ़ रोड़, जे०जे० कालोनी के "एफ ब्लाक" के सम्बन्ध में कोई शिकायत विचाराधीन नहीं है।

बजट की पूर्व संध्या पर खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि

4343. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि बजट की पूर्व संध्या (बजट पेश होने से पहले) चावल के मूल्यों में 30 प्रतिशत की वृद्धि हो गई थी जबकि मोटे अनाज के मूल्य 50 से 70 प्रतिशत तक बढ़ गए थे;

(ख) क्या सरकार भारतीय उपभोक्ता परिषद् के उक्त निष्कर्षों से सहमत है, और यदि नहीं, तो बजट के प्रस्तुत किए जाने से पहले तथा बजट प्रस्तावों के पेश हो जाने के बाद ऐसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के बारे में सरकार का क्या अनुमान था; और

(ग) बजट के पश्चात् इस मूल्य-वृद्धि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इसके क्या कारण हैं और खाद्यान्नों के मूल्यों पर बजट के अवांछित प्रभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) : बजट प्रस्तुत करने के तरन्तु पहले और बाद में चावल और मोटे अनाजों के मूल्यों में कोई असामान्य घट-बढ़ नहीं देखी गई है। एक विवरण संलग्न है जिसमें 23-2-74 और 9-3-74 को खाद्यान्नों के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक का ब्यौरा दिया गया है।

विवरण

खाद्यान्नों के थोक मूल्यों का अखिल भारतीय सूचकांक

(आधार : 1961-62=100)

जिन्स	को सूचकांक		23-2-1974 की तुलना में 9-3-74 को सूचकांक में वृद्धि (+) गिरावट (—) की प्रतिशतता
	23-2-74	9-3-74	
चावल . . .	303.0	308.2	(+) 1.7
ज्वार	325.1	322.4	(—) 0.8
बाजरा	277.7	275.5	(—) 0.8
मक्का	433.5	431.2	(—) 0.5
जौ . .	414.5	418.8	(+) 1.0
रागी .	267.1	268.4	(+) 0.5
अनाज	295.7	298.4	(+) 0.9
चना (सफेद) . . .	590.2	567.0	(—) 3.0

दिल्ली में उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से चावल की सप्लाई में कमी

4344. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में उचित मूल्य की दूकानों के माध्यम से बिकने वाले चावल की सप्लाई में काफी कमी कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की गई तथा कब से की गई ;

(ग) क्या इसके फलस्वरूप दिल्ली में चावल भोगी लोगों को अपनी आवश्यकता पूरी करना मुश्किल हो गया है क्योंकि खुले बाजार में चावल के भाव अन्यायोचित रूप से चढ़ गए हैं ; और

(घ) इस कटौती को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ? और इसे कब समाप्त किया जायेगा ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद): (क) से (घ) हाल ही के महीनों में दिल्ली के चावल के केन्द्रीय आबंटन में कोई कटौती नहीं की गई है। दिल्ली प्रशासन केन्द्रीय पूल से प्रति मास 4,000 मी० टन चावल सप्लाई करने की मांग कर रहा है। केन्द्रीय पूल में चावल की कुल उपलब्धता और केरल, पश्चिमी बंगाल आदि जैसे, जोकि प्रमुखतः चावल खाने वाले राज्य हैं, कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर और इस बात को भी ध्यान में रख कर कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अधिशेष राज्यों के उत्तरी जोन में आता है, दिल्ली प्रशासन को सरकारी वितरण प्रणाली की उपयुक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए नवम्बर, 1973 से प्रति मास 2,000 मीटरी टन चावल आवंटित किया जा रहा है। प्रदेश में वितरण करने की जिम्मेदारी दिल्ली प्रशासन की है।

पंजाब से महाराष्ट्र को सप्लाई किए गए अनाज की बोरियों पर विषाक्त बीज का लेबिल लेना

4345. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब से हाल में महाराष्ट्र को भेजे गए अनाज (गेहूं) की बोरियों पर 'विषाक्त बीज" के लेबिल लगे हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में जांच कराई गई है ; और यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं, और

(ग) ऐसे कदाचार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

पैट्रोल की मूल्य वृद्धि को टेक्सी तथा आटो रिक्शा चालकों के व्यापार पर प्रभाव

4346. **श्री एम० एम० जोजक :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल के मूल्यों में दूसरी बार की गई भारी वृद्धि के कारण टैक्सी तथा आटो रिक्शा चालकों तथा देश के उन सभी लोगों में भारी असंतोष फैल गया है, जिन का व्यापार तथा जीविका पैट्रोल पर आधारित है;

(ख) क्या वर्तमान व्यवसाय में भारी हानि के कारण उनमें से अधिकांश लोग कोई अन्य धंधा करने पर विचार कर रह हैं, और

(ग) भारत सरकार इस सम्बन्ध में किस प्रकार की उपचारात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) : पैट्रोल के मूल्य में वृद्धि के कारण टैक्सी और आटो रिक्शा चालकों में क्षोभ है, क्योंकि इससे उनके व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा है। परन्तु जब भी तेल के मूल्य में काफी वृद्धि होती है, तभी राज्य सरकारें और संघ प्रशासन टैक्सी और स्कूटर किराया भी बढ़ा देते हैं। आशा है कि किराए की इस वृद्धि से टैक्सी और आटो रिक्शा मालिकों को बढ़ी हुई परिचालन लागत की क्षत्तिपूर्ति हो जाएगी। मैसर्स इण्डियन आयल कारपोरेशन लि० की टैक्सी और आटोरिक्शा मालिकों को सहकारी संस्थाओं के केवल अपने इस्तेमाल के लिए उपभोक्ता पैट्रोल पम्प अलाट करने की योजना है। इन पम्पों से लेने वाले परिचालकों को प्रतिलिटर 4 पैसे की बचत होगी और उन्हें नियमित सप्लाई भी मिलती रहेगी।

गुजरात में खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों का बोया जाना

4347. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्त गुजरात के अधिक से अधिक किसान गत तीन वर्षों से अनाज की फसलों के स्थान पर नकदी की फसलें बो रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(ग) किसानों द्वारा फसलों में परिवर्तन किए जाने के कारण हैं ; और

(घ) क्या सरकार इस स्थिति में सुधार करने के लिए तुरन्त उपचारात्मक कदम उठा रही है और यदि हां, तो ये कदम कौन-कौन से हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) 1969-70 से खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र के मामले में मिश्रित प्रवृत्ति रही है, जो कि इस प्रकार है :--

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

वर्ष	खाद्यान्नों की फसलें	खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलें*
1969-70	4948	3617
1970-71 . .	5101	3585
1971-72 .	4934	3871
1972-73	4330	3764

*इनमें गन्ना, कपास, मूंगफली, एरंड, तिल, तोरिया और सरसों शामिल हैं।

1970-71 के दौरान खाद्यान्न के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई थी, लेकिन खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलों के क्षेत्र में गत वर्ष की तुलना में कुछ कमी हुई थी। 1971-72 के दौरान खाद्यान्नों के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई है, जबकि अन्य फसलों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि हुई। 1972-73 के वर्ष में लम्बे अर्से तक गम्भीर रूप से सूखा पड़ा रहा है और खाद्यान्नों तथा खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलों दोनों ही के अन्तर्गत क्षेत्र में कमी हुई।

(घ) खाद्यान्नों तथा खाद्यान्नों के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि के प्रयास किए जा रहे हैं।

डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट नई दिल्ली के कानूनी किरायेदार

4348. **श्री अम्बेश : क्या निर्माण और आवास** मन्त्री अखिल भारतीय नेत्र सुधार संघ और डा० भगवानदास स्मारक ट्रस्ट, नई दिल्ली से हर्जाने की वसूली के बारे में 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उक्त प्रश्न से संलग्न सूची में अनुसूचित जातियों के कुछ व्यवित भी हैं और वे इस संपत्ति को छोड़ने से पूर्व डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के प्राधिकृत तथा कानूनी किरायेदार हैं ;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को वही स्थान अलाट करने या वैकल्पिक स्थान अलाट करने का कोई प्रस्ताव सरकार के सामने हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो बिना वैकल्पिक स्थान दिए उन्हें वहां से हटाने के क्या करणा हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) 26 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2111 के उत्तर के साथ संलग्न सूची में शामिल अनधिकृत दख़लकारों की जाति के बारे सरकार के पास कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। किन्तु दखलकारों से, स्थल पर प्राप्त सूचना से यह प्रतीत होता है कि अनधिकृत दखलकारों में से तीन व्यक्ति अनूसूचित जातियों के हैं। सरकार के पास इस बारे में कोई सूचना नहीं है कि क्या ये व्यक्ति, सरकार को सम्पत्ति सौंपने से पूर्व, डा० भगवान दास स्मारक ट्रस्ट के अधिकृत तथा वैध किरायेदार थे।

(ख) जी, नहीं।

(ग) चूंकि यह सम्पत्ति अब सरकार के अधिकार में हैं, अतः दख़लकार अनधिकृत हैं। उनको लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अधीन वेदखल किया जा रहा है, अतः उन्हें वैकल्पिक स्थान देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

कृषि उद्योग निगम, पश्चिम बंगाल पर केन्द्रीय नियन्त्रण

4349. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कृषि उद्योग निगम, पश्चिम बंगाल में सरकार का कितना हिस्सा है ;

(ख) क्या पम्प सैटों को खरीद कर किसानों में इनके वितरण के बारे में निगम की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु केन्द्रीय सरकार का कोई प्रतिनिधि निगम के निदेशक बोर्ड में है ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान निगम ने कितने मूल्य के पम्प सैट खरीदे तथा निर्माताओं के नाम और/पते क्या हैं तथा प्रत्येक निर्माता से कितने मूल्य के पम्प सैट खरीदे गए; और

(घ) क्या निगम द्वारा पम्प सैटों की खरीद के बारे में अनियमितताओं सम्बन्धी कोई अभ्यावेदन उन्हें प्राप्त हुआ है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) निगम की शेयर पूंजी में पश्चिम बंगाल सरकार तथा भारत सरकार 51:49 के अनुपात में अंशदान देती है।

(ख) निगम के निदेशक मंडल में भारत सरकार के तीन निदेशक हैं।

(ग) अपेक्षित जानकारी को प्रस्तुत करने वाला एक विवरण संलग्न है। (ग्रन्थालय में रखा गया देखिए संख्या एल०टी० 6529/74)।

(घ) जी नहीं।

राजस्थान के धौलपुर में भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारी की ड्यूटी के दौरान मृत्यु होना

4350. **श्री भान सिंह भौरा : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान (अलवर जिला) के बाडी स्थित भारतीय खाद्य निगम के एक कर्मचारी की धौलपुर में ड्यूटी के दौरान 8 अगस्त, 1973 को मृत्यु हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी अचानक मृत्यु के कारण का पता लगाने के लिए कोई जांच की गई थी ;

(ग) क्या सकरकार को मुआवजे आदि के लिए उसकी माता से कोई याचिका प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त मामले में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) इस मामले को स्थानीय पुलिस ने अपने हाथ में ले लिया था। पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट से हिंसा का कोई संकेत नहीं मिला था। तथापि, विस्केरा को रासायनिक विश्लेषण के लिए भेजा गया है और रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ग) और (घ) मृतक की माता से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उन्हें इस मामले में स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा कपट किए जाने की आशंका है और उन्होंने इस मामले की बारीकी से जांच करने का अनुरोध किया था। भारतीय खाद्य निगम ने ग्रेच्युटी और निवृति-लाभ प्रदान करने के बारे में पहले ही कार्यवाही शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त मृतक के परिवार को निम्नलिखित भुगतान पहले ही किए जा चुके हैं/किए जा रहे हैं :—

(i) स्वर्गीय श्री एम० एल० शर्मा की मृत्यु पर उनकी माता को तुरन्त राहत के रूप में 500 रुपए दिए गए।

(ii) सेवांत लाभ के प्रति 1000 रु० का तदर्थ भुगतान किया जा रहा है।

(iii) मृत-शरीर को धौलपुर से अमृतसर ले जाने के लिए 1300 रु० खर्च किए गए थे।

अधिक दूरी तक बसें चलाने पर प्रतिबन्ध

4351 **श्री सी० के० जाफरशरीफ : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिक दूरी तक बसें चलाने पर कुछ रोक लगाने और इसके साथ ही छोटी फीडर सड़कों पर चल रही बसों की संख्या कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है,

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य परिवहन निगमों को किराये न बढ़ाने की सलाह दी है, और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) (क) और (ग) मोटर गाड़ियों द्वारा डीजल तेल और पेट्रोल की खपत कम करने की दृष्टि से राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे निम्नलिखित सुझावों पर विचार करें:

(i) भविष्य लम्बी दूरी के कोई बस मार्ग खोलने की अनुमति न दी जाए।

(ii) जहां कहीं संभव हो, मौजूदा लंबी दूरी के बस मार्ग रद्द कर दिये जाएं या कम से कम, कम कर दिये जाएं।

लंबी दूरी के मार्गों से हटायी गई बसें राजधानियों वाले शहरों में लगाई जा सकती हैं।

(ख) जी नहीं।

Supply of Essential Commodities at Fair Prices to Labourers and Peasants

4352. Shri **B. S. Chowhan**: Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government are considering a scheme under which poor labourers and peasants with a monthly wage of Rs 300/- will be supplied, at fair prices ration, coal kerosene and other essential commodities; and

(b) if so, the main features thereof?

The Minister of Agriculture (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

अकाल की स्थिति रोकने के लिये कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं

4353 : **श्री मधु दंडवते : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई की पर्याप्त सुविधाएं न होने के कारण कृषि के लिये वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है जिस के कारण कुछ राज्यों में अकाल की स्थिति पैदा हो सकती है; और

(ख) यदि हां, तो कृषकों को सिंचाई की अधिक सुविधाएं देने के लिये क्या ठोस कार्यवाही करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां। अब तक कुल कृषिगत क्षेत्र के लगभग 23.0 भाग को ही सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं।

(ख) किसानों को सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिये निम्न कदम उठाने का प्रस्ताव है :

(1) राज्य योजना के अन्तर्गत राशि आवंटित करने के मामले में सिंचाई सम्बन्धी योजनाओं को प्राथमिकता देना ;

(2) जहां तक सम्भव हो, लघु सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र विकास के लिये धन प्राप्त करने के लिए संस्थागत एजेंसियों के स्रोतों से अधिकाधिक लाभ उठाना।

(3) आयोजना, डिजाइन, विनिर्माण, परिचालन और सिंचाई योजनाओं की व्यवस्था में अधिक तालमेल प्रारम्भ करना तथा इस उद्देश्य के लिये राज्य और केन्द्रीय संगठनों को सुदृढ़ बनाना; और

(4) सर्जित सिंचाई क्षमता का कारगर और पूर्ण रूप से उपयोग करने के लिये चुनींदा परियोजनाओं में कमाण्ड क्षेत्र विकास कार्यक्रम प्रारम्भ करना।

Supply of Urea Fertiliser at Controlled Prices to Cultivators

4354. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Miniter of Agriculture be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2439 on 11th March, 1974 regarding black marketing of urea fertiliser and state the steps taken by the Central Government for the supply of urea to cultivators at controlled prices?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : The Central Government have promulgated the Fertiliser (Control) Order, 1957 under the Essential Commodities Act, 1955 under which the maximum retail price of urea has been statutorily fixed. Sale of urea at a price higher than the statutorily fixed price is an offence for which punishment has been provided for in the Essential Commodities Act. The administration of the Fertiliser (Control) Order is the responsibility of State Governments and they have been given adequate powers under the Fertiliser (Control) Order and the Essential Commodities Act to apprehend and prosecute the offenders indulging in black-marketing. The F.C.O. has also been declared as a 'Special Order' under the Act enabling the State Governments to try these offenders in a summary way thereby making conviction easier and quicker. The Central Government have also been impressing upon the State Governments from time to time, the need for vigorously implementing the price control on fertilisers.

बाल अधिनियम, 1960 में संशोधन

4355. **श्री एम० कतामुतु :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बाल अधिनियम, 1960 में संशोधन करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरबिन्द नेताम): (क) और (ख) बाल अधिनियम, 1960 में संशोधन के कुछ सुझाव सरकार के विचाराधीन ह। संशोधनों के विषय में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

Percentage of Land Dependent on Rain after Fifth Plan

4356. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state:

(a) the percentage of land that will depend on rains even after the completion of the Fifth Five Year Plan;

(b) its State-wise breakup; and

(c) the acreage of irrigated land after the Fourth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) About 70% of the land, it is estimated, will have dependence on rains after the completion of the Fifth Five Year Plan.

(b) The required information is given in the Statement.

(c) About 43 million hectares of land is likely to be irrigated at the end of the 4th Five Year Plan.

Statement

S. No.	Name of State	Percentage of land depending on rains at the end of 1978-79
1.	Andhra Pradesh	65·5
2.	Assam	77·4
3.	Bihar	63·4
4.	Gujarat	77·7
5.	Haryana	48·8
6.	Himachal Pradesh	90·0
7.	Jammu & Kashmir	51·0
8.	Karnatak	79·4
9.	Kerala	74·1
10.	Madhya Pradesh	87·0
11.	Maharashtra	86·9
12.	Manipur	81·2
13.	Meghalaya	93·9
14.	Nagaland	90·7
15.	Orissa	75·8
16.	Punjab	25·3
17.	Rajasthan	90·7
18.	Tamil Nadu	60·6
19.	Tripura	94·6
20.	Uttar Pradesh	48·4
21.	West Bengal	62·1

सांविधान की 9वीं अनुसूची में भूमि की अधिकतम सीमा सम्बन्धी संशोधित विधियों का सम्मिलित किया जाना

4357. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित विधियों को संविधान की 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां ।

(ख) एक विधेयक का प्रारूप संसद में प्रस्तुत करने के लिये तैयार किया जा रहा है।

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों में परिवर्तन

4358. **श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के उपबन्धों में इस समय जमाखोरी, अपमिश्रण आदि को जमानती अपराध माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपबंध को तत्काल बदला जा सकता है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 10ए में यह व्यवस्था है कि अधिनियम के अधीन प्रत्येक दंडनीय अपराध की जमानत होगी। सरकार जमानत से सम्बन्धित उपबन्धों की समीक्षा कर रही है।

Pollution of Drinking Water in Madhya Pradesh

4359. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to State :

(a) the number of Adivasi areas in Madhya Pradesh where the water of rivers and rivulets used for drinking is in the danger of being polluted due to the likelihood of setting up of factories there and the number of rivers ad rivulets where water has become polluted so far;

(b) whether the reports have been submitted to the Ministry in this regard and the action taken on this basis;

(c) the measures to be taken to save the drinking water in these areas from being polluted; and

(d) whether any provision has been made therefor during the Fifth Five Year Plan ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (d). The information is awaited from the Government of Madhya Pradesh. The same will be laid on the Table of the Sabha on receipt.

गुजरात में छिपा कर रखे गए खाद्यान्नों को बाहर निकालना

4360. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य में आवश्यक वस्तुओं और तेल एवं खाद्यान्नों की विभिन्न मदों की बड़े पैमाने पर जमाखोरी के कारण राज्य में खाद्य की कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य में अधिक छापे मारने का निर्णय किया है ;

(ग) इस बारे में क्या आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) खाद्यान्नों की जमाखोरी करने पर गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

ग्रामीण रोजगार योजना के लिये केन्द्रीय सेवाएं

4361. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय ग्रामीण रोजगार सेवा योजना की क्रियान्विति के सम्बन्ध में वर्ष 1973 में कितनी प्रगति हुई है; और

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने उक्त योजना को पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) माननीय सदस्य का आशय शायद वित्तीय वर्ष 1973-74 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के कार्यान्वियन से है। 20-3-74 तक मिली रिपोर्टों के आधार पर वर्ष 1973-74 में ग्राम रोजगार की त्वरित योजना के अन्तर्गत व्यय करने तथा रोजगार पैदा करने में हुई प्रगति बताने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6531/74]।

(ख) भारत सरकार के पास विभिन्न राज्यों में दिए गए व्यय के जो नवीनतम आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके अनुसार असम, गुजरात और जम्मू तथा काश्मीर के राज्य वर्ष 1973-74 में आवंटित पूरी धनराशि का उपयोग शायद नहीं कर पाएंगे। तथापि, सही स्थिति का पता कुछ समय के बाद चलेगा।

शिक्षा निदेशालय, दिल्ली में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों को स्थायी बनाना

4362. **श्री अम्बेश : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने अध्यापकों को स्थायी बनाने के मामले में परिपत्र संख्या 27/2/71-एस्ट (एस० सी० टी०) दिनांक 27 नवम्बर, 1972 के माध्यम से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अध्यापकों को स्थायी बनाने के लिए आरक्षण करने हेतु स्वीकृति दी है;

(ख) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशक ने उक्त समुदायों के अध्यापकों के मामलों में उक्त कार्यालय ज्ञापन लागू अथवा क्रियान्वित नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्यालय ज्ञापन कब क्रियान्वित अथवा लागू किया गया; और

(घ) उक्त कार्यालय द्वारा उक्त कार्यालय ज्ञापन क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) दिनांक 27-11-1972 के कार्यालय ज्ञापन में योग्य होने पर वरीयता के आधार पर पदोन्नति द्वारा की गयी नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये, आरक्षण की व्यवस्था है। यह ज्ञापन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के लिये स्थायीकरण के मामलों में लागू नहीं होता।

(ख) से (घ) जो पद 27-11-1972 के पश्चात रिक्त हुए हैं, उन पर उक्त कार्यालय ज्ञापन के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के अध्यापकों की पदोन्नतियां दिल्ली प्रशासन द्वारा कर दी गई हैं। जहां तक स्थायीकरण का संबध है, दिल्ली प्रशासन द्वारा इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

राजधानी में भिखारियों को हतोत्साहित करने का प्रयास

4363. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कानून बना कर भिखारियों की बढ़ती हुई संख्या को, विशेषकर राजधानी में, रोकने के प्रयत्न किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई अध्ययन भी किया गया है और यदि हां, तो इस अध्ययन समिति ने इस बारे में क्या सिफारिशें की हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री अरविन्द नेताम)

(क) हां, श्रीमान।

(ख) सरकार ने समस्या का अध्ययन कर लिया है और भविष्य में की जाने वाली कार्यवाई के लिए मार्ग दर्शिकाएं इस प्रकार हैं:—

(1) समस्या के परिमाण और अन्तविषय का जायजा लेने हेतु समय-समय पर सर्वेक्षण करना।

(2) ठीक शरीर वाले व्यक्तियों को काम दिलाने वाली उपयक्त योजनाओं का क्रियान्वन।

(3) प्रशिक्षत व्यक्तियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए सामयिक निपुणताओं में प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करना।

(4) यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोग दोबारा भिक्षावृत्ति ना अपना लें, अनुवर्त्ती कार्यक्रम पर बल।

(5) स्वयं-रोजगार को बढ़ावा देने हेतु उधार-राशियां तथा उपकरण देने की सुविधाएं प्रदान करना।

(6) बीमार और विक्लांग व्यक्तियों का इलाज और पुनर्वास हेतु उनका प्रशिक्षण।

(7) सरकारी प्रयासों के अनुपूरक के रूप में विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं की सेवाओं की लाभवन्दी।

देश में भू-स्खलन को रोकना

4364. **श्री निहार लास्कर**
श्री आर० बी० स्वामीनाथन } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बड़े पैमाने पर होने वाले भू-स्खलन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : भू-स्खलन किसी चट्टान के अग्र भाग में झुकी हुई लुढ़कने वाली चट्टानों अथवा मिट्टी या चट्टान की सतह पर ढलवा मिट्टी के लुढ़कने से हो सकता है। इन दोनों मामलों में पानी ऐसी चट्टानों पर मिट्टी की अस्थिरता को बढ़ाता है और ओंगर्न का भी काम करता है। व्यापक मृदा और जल संरक्षण तथा प्रबन्ध सम्बन्धी उपायों का एक ठोस पनधारा प्रबन्ध कार्यक्रम खासतौर से उन क्षेत्रों में जहां मिट्टी निरंतर खिसकती रहती है, भू-स्खलनों को कम कर सकता है। देश में तृतीय योजनावधि से

पनधारा प्रबंध कार्यक्रम हाथ में लिया गया है और कृषि मंत्रालय की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं की 21 पनधाराओं में 10 लाख हैक्टार क्षेत्र को ठीक किया गया है। राज्य क्षेत्र में सामान्य मृदा संरक्षण कार्यक्रम भी जिसके अंतर्गत देश में 160 लाख हैक्टार क्षेत्र का विकास पहले ही किया जा चुका है, पर्वतीय क्षेत्रों में भू-स्खलन की रोक-थाम के काम को बढ़ावा देता है। तथापि विशेष प्रकार के भू-स्खलन जिनसे सड़कों, रेलों, पुलों आदि जैसे सार्वजनिक निर्माण कार्यों को खतरा हो सकता हो, की रोक-थाम का कार्य सम्बन्धित विभाग करते हैं।

Sugar Industry in Cooperative Sector

4365. **Shri G. P. Yadav : Will the Minister of Agriculture** be pleased to state :

(a) whether sugar industry is proposed to be run in Co-operative Sector;

(b) the number of sugar mills running in Co-operative Sector in our country at present; and

(c) annual profit earned by Government thereby?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) The present policy of the Government is to give preference to Co-operative/Public Sector units in the establishment of new sugar factories.

(b) There are 89 cooperative sugar mills in production in the country at present.

(c) Cooperative are autonomous institutions, registered under the State Cooperative Soceities Acts and the State Governments are responsible for the administration of these societies. Central Government do not have any share in the profits of the cooperative sugar mills.

केरल में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिये मत्स्य नौकाएं बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये केरल मत्स्यपालन निगम से आवेदन-पत्र

4366. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल मत्स्यापालन निगम ने केरल में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिये मत्स्य नौकाएं बनाने का कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भेजा है।

(ख) यदि हां, तो आवेदन-पत्र कब मिला था; और

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब कर लिया जायेगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) केरल मत्स्य-पालन निगम ने केरल राज्य में गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने के लिए मत्स्य नौकाएं बनाने के उपक्रम के लिए लाइसेंस प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र भेजा था। 12-3-1973 की तारीख का प्रार्थना-पत्र 10-8-73 को प्राप्त हुआ था, यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। आशा है कि इस मामले में यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी विधियां लागू किये जाने के बाद राज्यों में उपलब्ध अतिरिक्त भूमि

4367. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने राज्य सरकारों से भूमि की अधिकतम सीमा संबंधी संशोधित विधियां लागू किये जाने के बाद उपलब्ध अतिरिक्त भूमि के बारे में जानकारी देने के लिए कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका प्रयोजन क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) कृषि मंत्रालय में राज्य सरकारों से यह सूचना देने के लिए कहा है।

(ख) इसका उद्देश्य भूमि की जोत संबंधी कानूनों के क्रियान्वयन में प्रगति का जायज़ा लेना है।

उर्वरक यातायात कार्य संभालने के लिये विभिन्न पत्तनों पर क्षमता का विकास

4368. **श्री गजाधर माझी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान कारखानों के विस्तार तथा पांचवीं योजना में नये कारखानों की स्थापना के प्रस्तावों से उत्पन्न कच्चे माल सहित उर्वरक के यातायात का कार्य संभालने के लिये विभिन्न पत्तनों की क्षमता के विकास के आयोजन की आवश्यकता पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी व्योरा क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी हां।

(ख) कांडला और हल्दिया पत्तनों में उर्वरकों और उर्वरकों के लिए कच्चे माल के यांत्रिक उतराई और धरा उठाई के लिए सुविधाओं की चौथी योजना अवधि में व्यवस्था की गई है। कांडला में निर्माण कार्य पूरे होने वाले हैं और परियोजना के 1975 तक पूरे हो जाने की सम्भावना है। जहां तक हल्दिया का संबंध है, समुद्री उतारकों और संबद्ध उपकरण के लिये टेंडर प्राप्त कर लिये गये हैं और उन पर कार्रवाई की जा रही है।

उर्वरकों के लिये पत्तन धरा उठाई सुविधाओं के विकास के लिये पांचवीं योजना में शामिल करने हेतु 15 करोड़ रु० रकम मंजूर की गई है इनमें बंबई, मद्रास और विशाखापत्तनम में उर्वरकों के लिये उर्वरकों और कच्चे माल की यांत्रिक उतराई और धरा उठाई शामिल है। मद्रास और विशाखापत्तनम में अन्तरिम प्रबन्धों के लिये व्यवस्था की गई है। ताकि देर न हो। मद्रास में अन्तरिम प्रबंधों के लिये स्वीकृति जारी कर दी गई है। विशाखापत्तनम पत्तन के लिये उचित अन्तरिम प्रबंध किये जा रहे हैं। मद्रास में एक पूर्ण यांत्रिक कम्पलेक्स के लिये सिद्धान्त रूप में भी मंजूरी जारी कर दी गई है और मद्रास पत्तन न्यास एक परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है। उपलब्ध स्थान के अन्दर उर्वरकों के यंत्रीकृत निकास और बंबई पत्तन पर क्रेन पावर के प्रबंध किये जा रहे हैं।

डी० टी० सी० बसों के अकुशल परिचालन की जांच

4369. **श्री मौलाना इसहाक संभली** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम के कार्मिक संघ ने नगर बस सेवा के अकुशल परिचालन की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या निर्णय किया गया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख): निगम के कर्मचारी संघों ने दिल्ली परिवहन निगम के कार्य की एक उच्चस्तरीय जांच करने की कोई मांग नहीं की है। परन्तु कर्मचारी संघ के महामंत्री के पत्र में उन कारणों की चर्चा की गई है; जोकि संघ के विचार में निगम के काम में मौजूदा दोषों के लिये जिम्मेदार है और इन दोषों को दूर करने के लिए सुझाव दिये गये।

निगम को जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, उनके समाधान के लिये और दिल्ली में बस सेवाओं में सुधार लाने के लिये दिल्ली परिवहन निगम प्रबंध संगठित प्रयत्न कर रहा है। हाल ही में इसने केन्द्रीय सचिवालय से राजधानी के 9 विभिन्न स्थानों को ग्रीन लाईन बस सेवाएं चलाई हैं। ये सेवाएं दस मिनट की हैं और प्रातः 7 से रात के 10 बजे तक चलती हैं और नियमित यात्रियों को बदल सुविधाओं की व्यवस्था करती है। अपने बेड़े के अधिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए निगम अपनी गाड़ियों की मरम्मत और रखरखाव के लिये प्रबंधों के सुधार के लिए कदम उठा रहा है।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित इण्डियन ओशन (हिन्द महासागर) पर गोष्ठी

4370. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन**
श्री निहार लास्कर : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 18 फरवरी, 1974 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय द्वारा, आयोजित 'इण्डियन ओशन' (हिन्द महासागर) पर दो दिवसीय गोष्ठी हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसमें भाग लेने वाल व्यक्तियों के नाम क्या हैं?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली द्वारा 18 तथा 19 फरवरी, 1974 को हिन्द महासागर के बारे में एक सैमिनार आयोजित किया गया था।

(ख) उसमें निम्नलिखित व्यक्तियों ने भाग लिया था :—

1. लेफ्ट० जेन० हरबक्श सिंह
2. एडमिरल एस० एम० नन्दा (सेवानिवृत्त)
3. कर्नल रामा रात्र (सेवानिवृत्त)
4. कमांडर रवि कौल (सेवानिवृत्त)
5. कमांडर जे० के० पुरी
6. श्रीमती वीरा सिन्हा प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय
7. श्री दयाशंकर, प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय
8. श्री सतीश चन्द्र, प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय
9. श्री सलीम खान, रीडर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय
10. श्री एन० के० ककड़, प्राध्यापक, इलाहाबाद विश्वविद्यालय

11. डा० जे० पी० जेन, निरीक्षण सह प्रोफसर अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
12. डा० विशाल सिंह, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
13. डा० सतीश कुमार, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
14. डा० के० पी० सक्सेना, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
15. डा० टी० टी० पुलुये, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
16. डा० जफर इमाम, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
17. डा० एस० सी० मंगल, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
18. श्री बी० विवेकानन्दन, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
19. डा० पी० ए० नरसिम्हा मूर्ति, अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
20. श्री रमेश दीक्षित, अनुसंधान छात्र अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
21. डा० (श्रीमती) उर्मिला फडनीस अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल
22. श्री एम० के० नवाज, निदेशक, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय विधि सोसायटी
23. परम श्रेष्ठ श्री जस्टिन श्रीवर्दने, उच्चायुक्त, श्रीलंका।
24. डा० फ्रेंक वरनाले, निदेशक सिपरी (स्टोकहेल्म), अन्तर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान।

साईकिलों और साइकिल रिक्शों में मोटर लगाया जाना

4371. **श्री बी० एस० मूर्ति : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: कि :

(क) मंत्रालय की परिवहन शाखा द्वारा साइकिलों और साइकिल रिक्शा में मोटर लगाये जाने के बारे में अनुसंधान कार्य इस समय किस स्थिति में है; और

(ख) अब तक इस परियोजना पर कुल कितनी राशि खर्च की गई है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) नौवहन और परिवहन मंत्रालय द्वारा इस मामले में कोई अनुसंधान नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रिजर्व बैंक आफ इंडिया द्वारा कोआपरेटिव बैंक आफ केरल को दी गई वित्तीय सहायता

4372. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ने वर्ष 1973-74 में कोआपरेटिव बैंक आफ केरल को कितनी वित्तीय सहायता दी थी;

(ख) क्या कोआपरेटिव बैंक आफ केरल ने इस धनराशि का उपयोग किया था; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केरल राज्य सहकारी बैंक को विभिन्न प्रयोजनों के लिए वर्ष 1973-74 में

4—212 LSS/74

स्वीकृत की गई ऋण सीमायें तथा उनका फरवरी, 1974 तक किया गया उपयोग नीचे दिया गया है :—

प्रयोजन	स्वीकृत धनराशि	उपयोग की गई धनराशि
		(लाख रु० में)
1. अल्पकालीन (कृषि संबंधी) (जुलाई से जून)	1,875.00	1,624.60
2. बुनकर वित्त (अप्रैल से मार्च)	135.32	122.9
3. ट्रेडिंग-इनयार्न (अप्रैल से मार्च)	10.00	10.00
4. मध्यकालीन कृषि सम्बन्धी (जनवरी से दिसम्बर)	73.00*	37.02

*इसके अतिरिक्त एक केन्द्रीय सहकारी बैंक के नाम से वर्ष 1974 के लिए 10 लाख रु० स्वीकृत किए गए।

(ग) मध्यकालीन ऋण सीमाओं के अन्तर्गत अपेक्षाकृत कम धन लिया गया है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा केवल 42 21 लाख रु० के लिए गारंटी दी गई थी।

Suggestion by Planning Minister to Check Rise in Prices of Foodgrains

4373. **Shri Bhagirath Bhanwar :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) whether his attention has been drawn to the suggestions given by the Central Planning Minister in the Chambers of Commerce in regard to checking the rise in the prices of foodgrains;

(b) if so, the gist thereof; and

(c) the steps being taken by Government in this direction ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) Yes, Sir.

(b) A statement is attached.

(c) The steps taken by Government to check the rise in prices of foodgrains include :

(*i*) Intensification of the production programme by increasing the area under high yielding varieties effective utilisation of irrigation, fertilizers, timely provision of credit and offering incentive prices to the producer for encouraging production.

(*ii*) Releases of foodgrains from the Central Pool and supplementing the stocks by import.

(*iii*) Strict enforcement of de-hoarding, antismuggling and other regulatory measures.

(*iv*) Tightening up of credit control and other fiscal and monetary measures etc.

STATEMENT

The Union Minister of Planning in the inaugural address at the meeting of the Associated Chamber of Commerce and Industry of India held at Calcutta on 23-2-74 made the following suggestions for checking the rise in the prices of foodgrains:-

(*i*) In order to keep food prices at reasonable levels it is necessary to have a high rate of growth in agriculture to meet the requirements of growing population;

(*ii*) Government must have command over agricultural surpluses to supply food at reasonable prices to the vulnerable sections of the population both in the cities as well as in the rural areas;

(*iii*) A major thrust is required to be made in bringing with in the ambit of scientific agriculture the hitherto neglected segments of the rural population. Special attention should be given to programmes for improving the productivity of small farmers and landless agrcultural workers by providing them modern inputs and credit facilities.

(iv) Additional incomes arising from improved productivity be distributed more equitably. For this, basic institutional changes in agriculture have to be brought about for strengthening the foundations of economic progress in India;

(v) A viable public distribution system which will serve as a major weapon to fight inflation and price instability should be evolved. All bottlenecks and short comings in the way of successful functioning of the public distibution system should be removed;

(vi) The public distribution system would succeed in stabilising prices only if it does not bear the burden of a large subsidy; and

(vii) Fiscal and monetary policy should be oriented to keep money supply in line with the real growth of output.

Loss of Super Bazar, Delhi, During 1973-74

4374. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state:

(a) the total loss suffered by the Super Bazar in Delhi during the last year; and

(b) the reasons for the loss and the steps being taken to avoid the loss in future ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The exact position of the working results of the Cooperative Store Ltd., (Super Bazar), New Delhi, for the cooperative year ending 30th June 1973, will be known after audit of its accounts for that year is completed.

(b) The main reasons for losses in the past were high promotional expenditure in the first year, heavy administrative and operational costs, large shortages and leakages, and high rent of the building occupied by the Connaught Circus branch. The steps taken to improve its working and avoid losses include expansion of sales and services, opening of new branches and larger business in essential and popular consumer goods, increase in trading as well as non-trading income, reduction in expenditure and enforcement of economies, strict control over leakages and shortages, streamlining of purchase and pricing policies and operational procedures, and improvement in salesmanship.

ब्रिटेन तथा महाद्वीपीय पत्तनों पर अधिभार

4375. **श्री के० मालन्ना :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आल इंडिया शिप्पर्स कौंसिल ने हाल ही में बताया था कि डालर की स्थिति फिर मजबूत हो गई है और इसकी स्थिति खराब होने के कारण लगाये जाने वाले अधिभार का अब कोई औचित्य नहीं है ;

(ख) क्या इसी के साथ ब्रिटेन के पत्तनों से भारत के आयात पर करेंसी (चलार्थ) समायोजन की 1.50 प्रतिशत तक कम करने के लिये भी कोई निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या भारत सरकार ने परिषद् से अपील की है कि महाद्वीपीय और ब्रिटेन के पत्तनों पर अधिभार पूरी तरह समाप्त कर दिया जाये और यदि हां तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्रणबर कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सम्भवतया उल्लेख भारत-यू० के० महाद्वीप कांफ्रेंस का है जिसमें 1-2-73 से दोनों पूर्व और पश्चिम के लिए व्यापार पर 11.11 प्रतिशत मुद्रा समंजन तत्व अधिभार लगाया। उत्तरी महाद्वीप से भारत के लिये व्यापार के संबंध में 1-8-73 से यह अधिभार बढ़कर 27.85 प्रतिशत कर दिया गया। यू० एस० डालर के विनिमय दर में मूल्य वद्धि के परिणामस्वरूप, अधिभार को निम्न प्रकार से 1-2-74 से घटा दिया गया है।

(i) यू० के० से भारत तक के व्यापार के लिए—11.11 प्रतिशत से 1.50 प्रतिशत।

(ii) भारत से यू० के० तक के व्यापार के लिए —11.11 प्रतिशत से 1.25 प्रतिशत।

और

(iii) उत्तरी महाद्वीप से भारत के व्यापार के लिए—27.85 प्रतिशत से 15.5 प्रतिशत।

(ग) कांफ्रेंस से पूर्व और पश्चिम के लिये व्यापारों पर अधिभार समाप्त करने के लिये अनुरोध किया गया है और उसके उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

वर्ष 1973 में चावल और गेहूं के लिए पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मन्त्री द्वारा किए गए अनुरोध

4376. **श्री एस० एन० सिंह देव :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री तथा खाद्य मंत्री ने इस वर्ष 1973 में व्यक्तिगत मुलाकातों और तारों के द्वारा राज्य के लिए चावल और गेहूं की सप्लाई हेतु कितनी बार और किस किस तारीख को केन्द्रीय सरकार को अनुरोध किया है और कितने अनाज का अनुरोध किया गया है;

(ख) इस अवधि में राज्य के लिए कितना अनाज केन्द्रीय सरकार ने मंजूर किया है; और

(ग) इसी अवधि में राज्य में कितने मूल्य के अनाज का उत्पादन किया गया है तथा कितना अनाज वसूल किया गया है?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) राज्य में सरकारी वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केन्द्रीय पूल से चावल और गेहूं का अधिक आवंटन करने हेतु पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री, खाद्य मंत्री तथा राज्य सरकार ने कई बार अनुरोध किया है। राज्य सरकार ने 1973 के लिए कुल 24.10 लाख मी० टन चावल और गेहूं की मांग की थी। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धता, अन्य कमी वाले राज्यों की आवश्यकताओं, स्थानीय मंडी में उपलब्धता और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर उसी अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल सरकार को 17.39 लाख मी० टन चावल और गेहूं सप्लाई किया गया था।

(ग) पश्चिम बंगाल में 1973-74 के दौरान खाद्यान्नों की पैदावार के अन्तिम अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं। पश्चिमी बंगाल में वर्ष 1972-73 के दौरान अनाजों का कुल उत्पादन 64.84 लाख मी० टन हुआ था। पंचांग वर्ष 1973 में पश्चिमी बंगाल राज्य में लगभग 1.56 लाख मी० टन चावल और गेहूं की अधिप्राप्ति की गई थी।

भारतीय खाद्य निगम के पटना स्थित गोदामों में दोषयुक्त तोल बाटों का प्रयोग

4377. **श्री हरि किशोर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में बिहार सरकार के माप-तोल अधिकारियों ने पटना में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों पर छापा मारा था;

(ख) क्या उन्होंने इन छापों में माप-तोल के बाटों को जो दोषयुक्त पाए गए थे और तोल में कम थे अपने कब्जे में ले लिया था ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस बारे में स्थानीय अधिकारियों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया है; और यदि हां, तो उसका सार क्या है; और

(घ) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) सूचना इक्ट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी।

चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के बारे में भार्गव समिति का प्रतिवेदन

4378. **श्री निहार लास्कर**
श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भार्गव आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण करने का समर्थन नहीं किया है और इसे कब सभा-पटल पर रखा जायेगा ;

(ग) क्या कुछ मामलों में आयोग के सदस्यों ने भिन्न विचार व्यक्त किए हैं; और

(घ) किन-किन मामलों पर भिन्न विचार व्यक्त किए गए हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (ख) से (घ) : जी हां। 27 फरवरी 1974 को।

(क) भारत सरकार इस समय आयोग की रिपोर्ट की जांच कर रही है। इन जटिल मसलों जैसे कि वित्तीय देश की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति, संगठनात्मक, प्रबन्धकीय, तकनीकी आदि मसलों पर सम्पूर्ण दृष्टिकोण लेने और राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर सुविचारित निर्णय लेने का इरादा है। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छः मास की अवधि में सभा के पटल पर रखने सम्बन्धी सांविधिक अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए यह रिपोर्ट साथ में की गई कार्यवाही का ज्ञापन यथा शीघ्र सभा के पटल पर रख दिया जाएगा।

हरियाणा और आसाम में किसानों और उद्योगों पर बिजली फेल होने का प्रभाव

4379. **श्री निहार लास्कर**
श्री आर० वी० स्वामीनाथन : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि हरियाणा के उद्योगों और किसानों को बिजली फेल होने से भारी परेशानी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या हरियाणा के किसान जिन्हें भरपूर फसल की आशा थी उत्पादन के मोर्चे पर बहुत गम्भीर स्थिति होने से चिन्तित हैं जो बिजली की लगातार कमी और उर्वरकों की अपर्याप्त सप्लाई से उत्पन्न हुई है ;

(ग) यदि हां, तो यह कहां तक सच है; और

(घ) क्या असम में कम वसूली के भी यही कारण है; यदि हां, तो दोनों राज्यों में क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) हरियाणा बिजली की कमी है इसलिए वहां औद्योगिक यूनिटों को बिजली में कटौती कर दी गई है। लेकिन कृषि उत्पादन पर बिजली की सप्लाई के प्रतिकूल असर को कम से कम करने की दृष्टि से कृषि कार्यों के लिये बिजली की सप्लाई नियमित कर दी गई है। तथापि, सर्दियों में वर्षा की कमी, फरवरी, 1974 के दूसरे सप्ताह के दौरान असामान्य रूप से सर्दी पड़ना और उर्वरकों की कमी से रबी उत्पादन के लक्ष्यों पर कुछ हद तक असर पड़ सकता है।

(घ) असम राज्य में कृषि कार्यों के लिए बिजली की अत्यधिक कमी होने की अभी तक सूचना नहीं मिली है। तथापि, 21-3-74 तक 1.11 लाख मीटरी टन चावल की वसूली की गई, जबकि खरीफ 1973-74 के लिये 1.5 लाख मीटरी टन वसूली का लक्ष्य रखा गया था।

शिलांग में बच्चों की कथित बिक्री

4380. **श्री निहार लास्कर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि 1 मार्च, 1974 को शिलांग में भोजन के लिए एक बच्चे को बेचा गया है ;

(ख) क्या यह सिर्फ आजीविका कमाने के लिए किया गया है, ; और

(ग) यदि हां, तो क्या निरन्तर फसल बरबाद होने के कारण गोलपाड़ा-धुबरी डिवीजन के पूरे दक्षिणी क्षेत्र को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) और (ख) : सरकार ने समाचार देखा है। तथापि, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि बच्चे की तथाकथित बिक्री की कोई घटना नहीं हुई है।

(ग) यह क्षेत्र बाढ़-उन्मुख है और राज्य सरकार ने कठिनाई को दूर करने के लिए उपयुक्त राहत उपाय किए हैं।

आंध्र प्रदेश में हिन्दी पंडितों को वेतन का भुगतान न किया जाना

4381. **श्री राम भगत पासवान** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस आशय के समाचारों की ओर दिलाया गया है कि आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक योजना के अधीन नियुक्त किये गये हिन्दी पंडितों को गत 22 महीनों से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने हाल ही में सरकार को यह सूचित किया है कि वह हिन्दी अध्यापकों को पूरा वेतन देने में कठिनाई अनुभव कर रही है। राज्य सरकार से पूरे तथ्यों का पता लगाया जा रहा है तथा अपेक्षित सूचना यथासमय लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

उप-कुलपतियों के चुनाव, नियुक्ति तथा पदावधि में समानता लाना

4382. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों के चायन, नियुक्ति तथा पदावधि में समानता लाने पर विचार कर रही है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरूल हसन) : जहां तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय का संबंध है, कुलपति के चयन तथा उनकी पदावधि की क्रियाविधि एक जैसी ही है । विश्व-भारती में, उपाचार्य (कुलपति) की नियक्ति तीन नामों के उस पेनल में से वरीयता के आधार पर की जाती है, जो कि कर्म समिति द्वारा अपनी सिफारिशों के साथ कोर्ट को भेजा जाता है,। यदि पेनल के प्रथम नाम को उपस्थित एवं मतदान देने वाले सदस्यों के बहुमत से कोर्ट द्वारा स्वीकृत कर लिया जाता है तो परिदर्शक (विजिटर) उस नियुक्ति की पुष्टि कर देगा किन्तु, यदि पेनल का प्रथम नाम कोर्ट को स्वीकार्य नहीं हो, तो तीनों नामों को मतदान के लिये एक साथ रख दिया जाता है तथा कोर्ट द्वारा एक नये वरीयता के क्रम की सिफारिश की जाती है । तब कार्य समिति एवं संसद की सिफारिशों सहित तरजीह के दोनों क्रमों को परिदर्शक को प्रेषित किया जाता है तथा उन सब नामों में से परिदर्शक द्वारा नियुक्ति की जाती है । उपाचार्य छः वर्ष के लिए, अथवा 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक इनमें से जो भी पहले हो, तब तक के लिए पद पर रहते हैं ।

बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय में, कुलपति की नियुक्ति विजिटर द्वारा इस कार्य के लिए गठित की गई एक प्रवरण समिति की सिफारिशों पर विजिटर द्वारा ही की जाती है और वह तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है तथा वह दूसरी बार भी उसी अवधि के लिए पुर्ननियुक्ति का पात्र होता है ।

इन विश्वविद्यालयों के अधिनियमों और कानूनों से संबंधित उपबन्धों में एकरूपता लाने के प्रश्न पर उस समय विचार किया जाएगा जब कभी उनके अधिनियमों/कानूनों में संशोधन किया जाएगा ।

डी० एम० एस० के दुग्ध टोकनों के लिये आवेदनपत्र और उनका जारी किया जाना

4383. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारी दूध के टोकनों के लिये नये आवेदकों की कोई प्रतीक्षा सूची बनाते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्रमशः दिसम्बर, 1973, जनवरी, 1974 और फरवरी, 1974 के अन्त में प्रतीक्षा सूची में कितने आवेदक थे;

(ग) क्या 30 जून, 1973 के बाद नये आवेदकों को कोई टोकन जारी किये गये हैं;

(घ) यदि हां, तो जुलाई, 1973 से लेकर फरवरी, 1974 तक प्रत्येक महीने में कितने व्यक्तियों को दूध के नये टोकन जारी किये गये हैं ; और

(ङ) दूध के ये टोकन किस आधार पर जारी किये गये हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां ।

(ख) दिसम्बर, 1973, जनवरी 1974 और फरवरी, 1974 के अंत में प्रतीक्षा सूची में आवेदकों की संख्या इस प्रकार थी:—

महीना	आवेदकों की संख्या
दिसम्बर, 1973 . . .	90,347
जनवरी, 1974 . .	93,260
फरवरी, 1974	96,559

(ग) जी हां।

(घ) जुलाई, 1973 और फरवरी, 1974 के बीच सीमित संख्या में टोकन जारी किये गये हैं। इनका व्यौरा इस प्रकार है :—

महीना	जारी किये गये टोकनों की संख्या
जुलाई, 1973 .	410
अगस्त, 1973	435
सितम्बर, 1973	433
अक्तूबर, 1973	311
नवम्बर, 1973	286
दिसम्बर, 1973	398
जनवरी, 1974	467
फरवरी, 1974	436

(ङ) चूंकि दिल्ली दुग्ध योजना इस समय अपनी वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का 100 प्रतिशत उपयोग कर रही है, इस लिये अधिक संख्या में दूध के नये टोकन जारी करना सम्भव नहीं हैं। नये टोकन अपवादस्वरूप कुछ खास मामलों में ही जारी किये जाते हैं। इनमें चिकित्सा का आधार, विधवाएं, सेना पर सेवा में व्यक्तियों से अलग रहने वाले उनके परिवार आदि शामिल हैं। ऐसे मामलों में भी आधारभूत न्यूनतम मात्रा में दूध दिया जाता है।

कृषि विश्वविद्यालय

4384. श्री नारायण चन्द पराशर : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में कितने और कौन-कौन से कृषि विश्वविद्यालय हैं; और

(ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितने कृषि विश्वविद्यालय खोले जायेंगे और वे कौन-कौन से हैं तथा ये कृषि विश्वविद्यालय किन स्थानों पर खोले जायेंगे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) देश में 1 कृषि विश्वविद्यालय हैं। इन कृषि विश्वविद्यालयों के नाम नीचे दिये गये हैं :

(1) कृषि और प्रौद्योगिकी गोबिन्द बल्लभ पन्त विश्वविद्यालय, पन्तनगर, जिला-नैनीताल (उ० प्र०)।
(2) पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लधियाना।
(3) उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर।
(4) उड़ीसा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेश्वर।
(5) आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, इरूवाका, हैदराबाद।
(6) कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, हेब्बल, बंगलौर।
(7) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
(8) कल्याणी विश्वविद्यालय, पो० आ० कल्याणी, जिला: नादिया।
(9) महात्मा फूले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जिला अहमदनगर।
(10) पंजाब कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला।
(11) आसाम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट।
(12) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार।
(13) राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पो० आ० पूसा, जिला-समस्तीपुर।
(14) केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी, जिला-त्रिचूर (केरल)।
(15) तमिलनाडू कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर।
(16) हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (कृषि विभाग) शिमला।
(17) गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, अहमदाबाद।
(18) मराठवाड़ा कृषि विद्यापीठ, परभनी।
(19) कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली, जिला रत्नगिरी।

इन विश्वविद्यालयों में से, उदयपुर विश्वविद्यालय और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में कृषि और सामान्य संकाय दोनों हैं।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद और कानपुर में दो और कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने भी राज्य में एक कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का निश्चय किया है।

धारवाड़ में दूसरा कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का एक प्रस्ताव कर्नाटक सरकार के विचाराधीन है।

वनस्पति के मूल्य में वृद्धि पर नाराजगी

4385. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री के० लकप्पा
} : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री ने वनस्पति के मूल्य में वृद्धि किए जाने पर नाराज़गी व्यक्त की थी; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की नीति मूंगफली के तेल के मूल्य के अनुसार वनस्पति के मूल्य निर्धारित करने की है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) समाचार पत्रों में इस सम्बन्ध में समाचार प्रकाशित हुआ था।

(ख) क्योंकि वनस्पति की लागत का 80 प्रतिशत उसके निर्माण में प्रयुक्त तेलों की लागत का होता है इसलिए सरकार वनस्पति और तेलों के मूल्यों में सस्ते आयातित तेल देकर और/या मूल्य समायोजन कर समता बनाने की कोशिश करती है।

पांचवीं योजना में विभिन्न राज्यों की ग्रामीण सड़कों का विकास

4386. **श्री डी० डी० देसाई**
श्री पी० गंगादेव : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में पांचवीं योजना में ग्रामीण सड़कों के लिए कितना धन रखा गया है;

(ख) क्या इन सड़कों के विकास के लिए यह धन काफी होगा, और

(ग) गुजरात और उड़ीसा में ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए कितना धन रखा गया है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) पांचवी योजना में केन्द्रीय क्षेत्रीय सड़क कार्यक्रम में ग्रामीण सड़कों के विकासार्थ कोई व्यवस्था नहीं है। परन्तु राज्य क्षेत्र के भाग के रूप में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 1500 या अधिक जनसंख्या वाले सभी गांवों में पांचवीं योजना अवधि के अंत तक सभी मौसमों में चलने वाली सड़कों, पर्वतीय या तटीय या कबायली क्षेत्रों में जहां जनसंख्या अधिक बिखरी हुई है, 1500 या अधिक जनसंख्या वाले ग्राम समूहों में योजक सड़कों की व्यवस्था की जायेगी। पांचवी योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये की कुल व्यवस्था की गई है। उपलब्ध साधनों के अन्तर्गत राज्य प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करने के बाद योजना आयोग ने इसका फैसला किया है। राज्यों की मांग तुलना में अधिक थी। पाँचवीं योजना के दौरान इन सड़कों के राज्यवार परिव्यय संलग्न विवरण में दिखाया गया है। गुजरात और उड़ीसा के लिए क्रमश: 25 करोड़ और 35 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अभी विस्तृत कार्यक्रम तैयार किये जाने हैं।

विवरण

पांचवीं पंचवर्षीय योजना—न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम —राज्य ग्रामीण सड़कें

(रुपये करोड़ों में)

राज्यों के नाम	राज्यों द्वारा प्रस्तावित परिव्यय	योजना आयोग के विचाराधीन परिव्यय
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	52.73	30
असम .	31.00	20
बिहार	344.19	60

1	2	3
गुजरात . .	45.92	25
हरियाणा . .	21.10	3
हिमाचल प्रदेश . . .	25.00	10
जम्मू और कश्मीर . .	41.93	8
केरल . . .	333.00	18
मध्य प्रदेश . .	117.50	45
महाराष्ट्र . .	119.79	50
मणिपुर .	85.00	4
मेघालय	38.00	2
मैसूर . . .	29.43	10
नागालैण्ड . .	10.00	3
उड़ीसा .	182.79	35
पंजाब	10.00	3
राजस्थान . .	64.00	40
तामिल नाडु .	60.00	10
त्रिपुरा	16.00	4
उत्तर प्रदेश .	250.00	85
पश्चिम बंगाल	76.70	33
	1954.08	498

खेलकूद का स्तर

4387. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को इस तथ्य की जानकारी है कि गत तीन वर्षों से खेलकूद, विशेषतया फुटवाल, बैडमिंटन तथा खेल-कूद के अन्य क्षेत्रों में स्तर गिरता जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो देश में खेल-कूद के स्तर में सुधार और उसके विकास के लिए केन्द्रीय सरकार क्या विशेष कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) क्या देश में खेल-कूद का विकास करने के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों अथवा खेल-कूद परिषद् से हाल ही में कोई सुझाव प्राप्त हुआ है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री अरविन्द नेताम) (क) और (ख) सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि देश में खेल-कूद का स्तर वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों की तुलना में कम है । खेल-कूद की प्रतिस्पर्धात्मक स्तर पर प्रोन्नति करना मूलतः विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों की जिम्मेदारी है।

समस्त देश में खेल-कूद के स्तर को सुधारने के लिए सरकार समय-समय पर विभिन्न कदम उठाती रही है। राष्ट्रीय खेल संघों को, वार्षिक चैम्पियनशिप आयोजित करने, सहायक सचिवों के वेतनों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, (वरिष्ठ तथा कनिष्ठ के लिए) विदेशों में चुने हुए महत्वपूर्ण खेल-प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

राज्य खेल परिषद् की ओर से अनुरोध किये जाने पर, प्रशिक्षण शिविर आयोजित करने, स्टेडियम का निर्माण करने खेलों के उपस्कर खरीदने, ग्रामीण खेल केन्द्र स्थापित करने इत्यादि के लिए धनराशि उपलब्ध की जाती है। स्कूलों तथा कालेजों के छात्रों के लिए खेल-प्रतिभा खेल छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शारीरिक शिक्षा की सुविधाओं के निर्माण/सुधार और प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए धनराशि उपलब्ध करते हुए, विश्वविद्यालयों और कालेजों में खेलों को प्रोत्साहन दे रहा है। सरकार विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए विस्तृत शिक्षण और प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भी आर्थिक सहायता देती है।

ब्लाक, जिला और राज्य स्तरों पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने तथा अखिल भारतीय ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य खेल परिषदों को वित्तीय सहायता दी जाती है।

अखिल भारतीय खेल परिषद् की सलाह पर, टीमों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने तथा उनके चयन के लिए मार्ग दर्शक-रूपरेखाएं निर्धारित की गयी हैं तथा उन्हें मार्गदर्शन तथा कार्यान्वियन के लिए संघों को भेज दिया गया है।

खेलों को प्रोत्साहन देने तथा राष्ट्रीय आधार पर उपलब्धियों के स्तर में सुधार लाने के लिये सरकार भी विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए टीमों का चयन व्यापक आधार पर किया जा सके। पांचवीं आयोजना के अन्तर्गत, अन्तिम आवंटन प्राप्त होने पर तत्संबंधी ब्यौरों को अन्तिम रूप दिया जायेगा।

(ग) जी नहीं।

बम्बई और कलकत्ता के लिए चावल और गेहूं की मांग

4388. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार से बम्बई और कलकत्ता के सांविधिक राशनिंग क्षेत्र के राशन कार्ड धारियों का कार्ड पर कुल कितनी वस्तुएं मिलनी होती हैं—

(ख) क्या इन दो राज्य सरकारों ने इन दोनों नगरों के लिए केन्द्रीय सरकार के सामने अपनी चावल तथा गेहूं के लिए विशेष मांगें रखीं हैं; और

(ग) ये मांगें कहां तक पूरी की गई हैं?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, राज्यों की सापेक्ष आवश्यकताओं और अन्य संगत बातों को ध्यान में रखकर सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों सहित राज्यों की सरकारी वितरण प्रणाली की समूची

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्यों को प्रत्येक मास केन्द्रीय पूल से आवंटन किए जाते हैं। जनवरी से मार्च, 1974 की अवधि के लिए बम्बई और कलकत्ता के सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्रों सहित सरकारी वितरण प्रणाली के लिए महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल की सरकारों द्वारा चावल और गेहूं की मांगी गई मात्रा और उसी अवधि के लिए उनको केन्द्रीय पूल से आवंटित की गई मात्रा का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(हजार मीटरी टन में)

	मांगी गई मात्रा		आवंटित की गई मात्रा	
	चावल	गेहूं	चावल	गेहूं
महाराष्ट्र . . .	80	395	51	234
पश्चिमी बंगाल	120	380	90	270

कलकत्ता सांविधिक राशन क्षेत्र में "एटोप" चावल की सप्लाई

4389. **श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा कलकत्ता सांविधिक राशन क्षेत्र को गत एक वर्ष से "बेल्ड" चावल के स्थान पर" एटोप" चावल सप्लाई किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या किसी सांविधिक राशन क्षेत्र को "बेल्ड" चावल सप्लाई किया जा रसकता है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) कलकत्ता सांविधिक राशन व्यवस्था वाले क्षेत्र की आवश्यकताएं केन्द्रीय पूल से सप्लाई किए गए स्टाक से और स्थानीय रूप से अभिप्राप्त किए गए सेला चावल से की जाती है। केन्द्रीय पूल में सेला-चावल की बहुत ही सीमित उपलब्धता के कारण राज्य की सेला चावल की मांग को पूर्णतया पूरा करना सम्भव नहीं है।

1973-74 के दौरान गुजरात में उर्वरक

4390. **श्री बेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य में किसानों को उर्वरकों के वितरण के लिए क्या कसौटी अपनाई गई है ;

(ख) गजरात राज्य को वर्ष 1973-74 में जिलेवार कितनी मात्रा में उर्वरकों का आवंटन किया गया ; और

(ग) कितनी मात्रा में उर्वरकों की वास्तविक सप्लाई की गयी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) भारत सरकार उर्वरकों का आबंटन जिले-वार आधार पर नहीं बल्कि सम्पूर्ण राज्य के लिए करती है और राज्य के अन्दर उनका वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है। गुजरात सरकार ने

सूचित किया है कि विभिन्न जिलों में उर्वरकों का युक्तिसंगत वितरण करने की दृष्टि से 1973-74 में जिलों को उनकी खपत के आधार पर ही उर्वरकों का वितरण किया गया है पर 1973-74 में जिले-वार आबंटन किया गया है। 1973-74 में गुजरात राज्य को आबंटित किये गये उर्वरकों (एन० पी० तथा के०) की कुल मात्रा और वास्तव में सप्लाई की गई मात्रा, क्रमश: 2.53 लाख मीटरी टन और 2.10 लाख मीटरी टन है।

कच्छ, गुजरात में लाखपत से तटवर्ती राज्य राजपथ

4391. **श्री वेकारिया**
श्री डो० पी० जदेजा : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्छ जिले में लाखपत से आरम्भ होने वाले और काटेश्वर मुदरा, कांडला, भावनगर, नेगरोल संजुन आदि को मिलाने वाले तटवर्ती राज्य राजपथ के बारें में योजना बनाई गई है और उस पर कार्य आरम्भ हो गया है,

(ख) यदि हां, तो इस बारें में कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) इसके कब तक पूरा होने की सम्भावना है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने 25 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से तटीय राजमार्ग के विकासार्थ योजना बनाई है। यह एक राज्य सड़क है और गुजरात सरकार इसके विकास से मुख्यत: संबंधित है। परन्तु, क्षेत्र की अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस सड़क के विकास करने में राज्य सरकार की सहायतार्थ, भारत सरकार नें कुछ लुप्त कड़ियों तथा पुलों की लागत पूरी करने के लिए राज्य सरकार को 1.43 करोड़ रुपये का ऋण मंजूर किया है। राजमार्ग की कुल लम्बाई 1752 किलो मीटर है, जिसमें से 973 किलो मीटर की तारकोली है, 452 किलोमीटर घटिया सतह की है और शेष भाग में लुप्त कड़ियां हैं। लुप्त खंडों पर 26 सड़क कार्य तथा 44 पुलों का कार्य प्रगति पर है। राजमाग का पूरा होना वर्षानुवर्ष धनकी उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

गुजरात में कृषि सेवा केन्द्र

4392. **श्री वेकारिया**
श्री अरविन्द एम० पटेल : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि-सेवा केन्द्रों को स्थापित करने के पीछे क्या उद्देश्य है; और

(ख) गुजरात में अब तक कितने कृषि केन्द्र स्थापित किए गए हैं और वे कहां कहां पर हैं और इन पर कितना पूंजी निवेश किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) केन्द्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित कृषि सेवा केन्द्र सम्बन्धी योजना, निम्नलिखित तीन उद्दश्यों को पूरा करने के लिए बनाई गई है :

(1) युवा बेरोजगार इंजीनियरों तथा अन्य तकनीकी कार्मिकों के लिए स्व-रोजगार की व्यवस्था करना।

(2) कृषिक समुदाय और विशषकर छोटे तथा मध्यम श्रणी के कृषकों को आवश्यक सप्लाई/सेवाओं को व्यवस्था करना, और

(3) भारतीय फार्मों के लिए अतिरिक्त भारवाही पशुओं की व्यवस्था करके कृषि उत्पादन बढ़ाने में सहायता करना।

(ख) अब तक गुजरात में विभिन्न स्थानों पर अर्थात् जामखन्मलिया बोरसाद, पद्रा, आइदर चिलोदा, बीजापुर, चलाला, पेतलाद, धोराजी, काम्बे, मारत, पातन, हरिज, महुरा तथा धासा में 25 कृषि-सेवा केन्द्र स्थापित किय जा चुके हैं।

केन्द्र के क्रिया-कलापों के अनुसार प्रत्येक केन्द्र का पूंजी-निवेश 50,000. रुपये से लेकर 2,00,000 रुपये तक भिन्न-भिन्न है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वार्षिक अनुदान

4393. **श्री वेकारिया : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को वार्षिक अनुदान के बारे में 8 अगस्त, 1972 अतारांकित प्रश्न संख्या 1105 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपेक्षित जानकारी इस बीच एकत्रित करली गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसमें वर्णित तथ्य क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त जानकारी कब तक एकत्रित कर ली जाएगी?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 1969-70, 1970-71 और 1971-72 में केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को दिये गये अनुदानों से संबंधित सूचना संलग्न विवरण के अनुसार संकलित कर ली गई है।

विश्वविद्यालयों के वार्षिक खर्चे के अनुदानों की प्रतिशतता निकाली जा रही है और उसे यथासमय सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

विवरण

क्र० सं०	विश्वविद्यालय का नाम	1969-70 में दिया अनुदान (रु०)	1970-71 में दिया अनुदान (रु०)	1971-72 में दिया अनुदान (रु०)
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	3,04,11,779	2,96,44,104	3,42,82,361
2.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	3,60,24,530	2,63,80,565	4,24,68,402
3.	दिल्ली विश्वविद्यालय	1,67,65,705	1,68,71,970	2,19,86,209
4.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	22,34,000	67,50,772	1,10,42,587
5.	विश्व-भारती विश्वविद्यालाय	68,33,954	89,79,931	88,75,383

Rice from Madhya Pradesh to the Centre

4394. **Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Agriculture** be pleased to state:

(a) the quantity of rice demanded by the Central Government from the Madhya Pradesh Government and the response and the reaction of Madhya Pradesh Government thereto;

(b) whether the Government of Madhya Pradesh agreed to give rice voluntarily and if so, the quantity thereof;

(c) whether an indication has been given that in case any cut is effected in the demand of the Central Government, the Central Government will also curtail the facilities being given by them; and

(d) the final decision taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) to (d) The target of contribution of rice for the Central pool out of 1973-74 kharif crop was fixed at 5 lakh tonnes. The State Government have so far offered 25 thousand tonnes of rice to the Central pool. Further contribution is yet to be received. The State Government have reported that due to damage to paddy crop it will not be possible for them to achieve the target fixed for the kharif season 1973-74. The matter was discussed with the State Government and number of suggestions have been made to them with a view to achieving the target. Fullest assistance of the Central Government is being extended to the State Government in the matter.

Sale of Condemned Building Material

4395. **Shri Dhan Shah Pradhan** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(*a*) the total amount of realised from the sale of condemned building material in 1972-73 and 1973-74;

(*b*) whether the said material is sold to the contractors at throw away prices ; and

(*c*) the action proposed to be taken to remove these irregularity ?

The Minister of State in the Department of Parliamentry Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) to (c) The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा बस सेवा आरम्भ करना

4396. **श्री राम प्रकाश**
श्री राम सहाय पांडे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका ने नई दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी बस सेवा आरम्भ करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) तथा (ख) नई दिल्ली नगर पालिका ने अपने क्षेत्र में सरकारी बस्तियों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों को उनके मुख्य कार्य स्थानों तक तथा उनके निवास स्थानों पर लौटने की सुविधा के लिए एक बस सेवा चलाने की योजना बनाई है । राजधानी में उपलब्ध परिवहन क्षमता को पूरा करने के लिए दस बसों को दिल्ली परिवहन निगम के प्रबंध में चलाने का प्रस्ताव है । समिति निगम से उसी दर पर भुगतान करेगी जो निजी परिचालकों को लागू है जिनकी बसें निगम ने भाड़े पर ले रखी हैं । नई दिल्ली नगरपालिका गाड़ियों के ड्राइवरों, पैट्रोल, तेल तथा गाड़ियों के रखरखाव का खर्च वहन करने के लिए उत्तरदायी होगी । कन्डक्टर दिल्ली परिवहन निगम के होंगे तथा भाड़ा एकत्र करेंगे । समिति की बसें दिल्ली परिवहन निगम के परामर्श से चुने हुए मार्गों पर चलेंगी । शुरू में, बस सेवा मोतीबाग, नेताजी नगर, सरोजिनी नगर, किदवई नगर तथा लोधी कालोनी से केन्द्रीय सचिवालय, कनाट प्लेस और गोल मार्केट होकर मंदिर मार्ग तक चलाने का प्रस्ताव है । सेवाओं को जून 1974 में शुरू किए जाने की संभावना है ।

उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबंध और स्कूली शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाना

4397. **श्री राम प्रकाश** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने सरकार से देश में उच्चतर शिक्षा पर प्रतिबन्ध लागाने और स्कूली शिक्षा को व्यवसाय प्रधान बनाने का अनुरोध किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव): (क) और (ख) योजना आयोग ने उच्च शिक्षा पर प्रतिबन्ध लगाने की ऐसी कोई योजना तैयार नहीं की है। वास्तव में योजना आयोग ने यह कहा है कि दाखिले पर सीमा लगाने संबंधी सीधी नीति व्यावहारिक नहीं हो सकती। तथापि, योजना आयोग ने एक ऐसी नीति का सुझाव दिया है जिससे अत्यन्त आवश्यकता की स्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र को सक्रिय रूप से विस्तृत करते हुए विश्वविद्यालयों में भीड़ को कम किया जा सकता है। उसी नीति में निम्नलिखित बातों का समावेश है :—

(क) उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण, ताकि उच्चतर माध्यमिक स्तर के अंत में बड़ी संख्या में लोग रोजगार प्राप्त कर सकें ;

(ख) नियमित संस्थाओं में दाखिले को सीमित करना, जिससे प्रशिक्षण कक्षाएं तथा समायोजित पाठ्यक्रमों के सहयोग से पिछड़े वर्गों के लिए उपयुक्त आरक्षण रखते समय व योग्यता के आधार पर कुछ सु-परिभाषित स्तरों के अनुकल हो सकें; तथा

(ग) उच्च शिक्षा की शेष सामाजिक मांग को, सांयकालीन कालेजों, पत्राचार पाठ्यचर्या तथा प्राइवेट अध्ययन द्वारा उपलब्ध कराना।

उपर्युक्त नीत राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुकूल है, जिसे संसद ने अनुमोदित किया है तथा यह केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार है।

2. उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण तथा सांयकालीन कक्षाओं, पत्राचार पाठ्यक्रमों और प्राइवेट अध्ययन की व्यवस्था के कार्यक्रम सरकार द्वारा पांचवीं पंचवर्षीय मसौदा योजना के अंश के रूप में स्वीकृत कर लिए गए हैं।

फरवरी 1974 में वनस्पति के मूल्य में वृद्धि करने का औचित्य

4398. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **कृषि** मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फरवरी, 1974 के प्रथम सप्ताह में वनस्पति के मूल्य में भारी वृद्धि करने का निर्णय किया था; और

(ख) यदि हां, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उसकी उत्पादन लागत में, जो जनवरी, 1974 में थी, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस वृद्धि का क्या औचित्य है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरूद्दीन अली अहमद) : (क) विभिन्न जोनों में पहली फरवरी, 1974 को वनस्पति के मूल्यों में 54 से 60 पैसे की वृद्धि की गई थी।

5—212 LSS/74

(ख) यह वृद्धि इस लिए अनिवार्य हुई क्योंकि संगत अवधि अर्थात जनवरी, 1974 के पहले पखवाड़े के दौरान अच्चे तेलों के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गयी थी और अंशता पैंकिंग की लागत में वृद्धि हो गई थी, इन दोनों से वनस्पति की उत्पादन लागत में वृद्धि हुई ।

आवागमन पर प्रतिबन्ध के कारण खाद्यान्न की कमी

4399. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी**
श्री प्रबोध चन्द्र : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान समाचारपत्रों में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि खाद्यान्न के अबाध आवागमन पर प्रतिबंध और क्षेत्रीय बाधाओं के कारण देश के विभिन्न भागों में खाद्यान्न की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) : सरकार को आलोचना का पता है । विभिन्न राज्यों में खाद्यान्नों की उपलब्धता, चल रहे मूल्यों और जहां कहीं आवश्यक होता है वहां संचलन पर प्रतिबंध लगाने विषयक अन्य तथ्यों को ध्यान में रखकर समय समय पर उचित नीति विषयक उपाय किए जाते हैं ।

वर्ष 1973-74 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए परिव्यय में कटौती

4400. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी** : क्या **नौवहन और परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में राष्ट्रीय राजपथों के विकास के लिए किए जाने वाले परिव्यय में कटौती की गई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार कितनी कितनी; और

(ग) इसमें कटौती करने के क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : (क) से (ग) : चालू वित्तीय कठिनाई की दृष्टि से 1973-74 में राष्ट्रीय राजमार्ग (मूल) कार्यों के लिए 6388.70 लाख रुपये की बजट व्यवस्था घटाकर 60 करोड़ रुपये कर दी गई । इस समय उपलब्ध धन, प्राप्त अन्तिम मांगों और उन मांगों के अंतर्गत विभिन्न मदों की अनुमेयता या अन्यथा को दृष्टि में रखते हुए इस कमी का फैलाव विभिन्न राज्यों में करना पड़ेगा ।

दिल्ली में स्कूलों में लगाई गई एक पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकालने की मांग

4401. **श्री डी० पी० जदेजा**
श्री अरविन्द एम० पटेल क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में नेत्रहीन विद्यार्थियों ने दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लगाई गई एक पुस्तक को पाठ्यक्रम से निकालने की मांग की है क्योंकि उसमें यह उल्लेख किया गया है कि "नेत्रहीनों के बच्चे नैत्रहीन ही पैदा होते हैं" (बिलाइन्ड बिगैट्स बिलाइन्ड); और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को ऐसी कोई मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, अध्ययन के लिए सिफारिश की गई पुस्तकों में से एक पुस्तक के रूप में बोर्ड द्वारा स्वीकृत नागरिक शास्त्र का प्रारंभिक अध्ययन शीर्षक नामक पुस्तक के बारे में एक समाचार इस संबंध में कुछ स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था।

(ख) मामले की जांच की जा रही है।

Provision of Pucca Road and Electric Power around Meena Bagh, New Delhi

4402. Shri M. C. Daga: Will the Minister of **Works & Housing** be pleased to state :

(*a*) whether mud and uncleanliness have become a permanent feature around houses bearing Nos. 5 to 16 at Meena Bagh, New Delhi in the absence of a Pucca road and surface drainage there;

(*b*) whether in the absence of electric lights there remains pitch darkness near these houses at night, due to which many thefts have occurred there; and

(*c*) whether complaints have been lodged in this regard ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing Shri Om Mehta : (a) No.

(b) No lights have been provided in this open space between the houses, but the area receives some light from the street lights on the adjacent main road.

(c) Yes. Complaints regarding lack of cleanliness in the locality have been received which are being attended to.

बोरो पैड़ी योजना पर अधिकार

4403. **श्री आर० एन० बर्मन:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने हाल ही में बोरो पैडी के उत्पादकों पर अधिभार लगाने के लिए कार्यवाही की है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना की रूपरेखा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) चालू खरीफ वर्ष के दौरान चावल की अधिप्राप्ति बढ़ाने के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार ने बौरो धान की परम्परागत किस्मों और ग्रीष्म धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों के उत्पादकों पर लेवी लगाने का निश्चय किया है। लेवी की मात्रा इस प्रकार होगी :—

जोत का क्षेत्र	लेवी की मात्रा
2 एकड़ तक	2 क्विंटल धान प्रति एकड़
2 एकड़ से उपर	पहले दो एकड़ों के लिए 4 क्विंटल धान जमा पहले 2 एकड़ों से ज्यादा क्षेत्र के लिए प्रति एकड़ 4 क्विंटल धान।

अपनी हकदार श्रेणी से एक श्रेणी कम वाले क्वाटरों में रहने वाले सरकारी कर्मचारी

4404. **श्री पी० वेंकटासुब्बया :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1944 की आंवटन प्राथमिकता वाले व्यक्ति अभी भी अपनी श्रेणी से निम्न श्रेणी वाले क्वाटरों में रह रहे हैं तथा उस श्रेणी के मकानों के लिए भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी अभी प्रतीक्षारत हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनको सेवानिवृत होने से पूर्व ही उनकी अपनी श्रेणी का मकान दिलाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) जी, हां।

(ख) विभिन्न टाईप के क्वाटरों की वर्तमान संख्या इतनी नहीं है जिससे कि उन के पात्र व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी की जा सके। सभी व्यक्तियों को उनके पात्र टाइपों के मकान तभी दिये जा सकते हैं यदि अपेक्षित संख्या में क्वार्टरों का निर्माण किया जाए। नये निर्माण कार्य निधियों, भवन सामग्री आदि की सीमा के भीतर रह कर ही आरम्भ किये जा रहे हैं।

Recommendation of A. P. C. to increase Procurement Price of Wheat

4405. **Shri B. S. Chowhan**
Shri Chandulal Chandrakar } : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Agricultural Prices Commission has recommended to the Central Government to increase the procurement price of wheat; and

(b) if so, the extent of increase recommended and the reaction of Government thereto ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) The Agricultural Prices Commission has recommended an increase of Rs. 10 per quintal in the procurement prices of different varieties of wheat for the rabi marketing season 1974-75 over the guaranteed support prices recommended by it earlier in August, 1973 The recommendations of the Commission have been discussed at the recent Conference of Chief Ministers and decision thereon is expected to be taken by Government shortly.

Demonstration by Bus Commuters

4406. **Shri B. S. Chowhan :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether bus commuters of Delhi held a demonstration in front of Transport Bhavan in the last week of January; and

(b) if so, what were their demands ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b) : There was no demonstration by commuters in front of Transport Bhavan in the last week of January, 1974. However, a delegation of residents of Tilak Nagar and adjoining localities, who make use of D. T. C. bus services on route No. 47, submitted a memorandum in the middle of January, 1974, asking for increase in the number of buses on the above route during peak hours, especially mornings.

D. T. C. is presently operating an eight minute service from Tilak Nagar to Udyog Bhavan/ Central Secretariat in the mornings and sixteen minute service in the evenings. The present fleet

position of the Corporation does not permit it to employ extra buses on the above route. However, instructions have been issued to the concerned officers of the Corporation to ensure the regular and punctual operation of the existing scheduled services on the route.

केन्द्रीय विद्यालय, गोल मार्किट, नई दिल्ली के अस्थायी कक्षा-कमरों के निर्माण पर हुआ व्यय

4407. **श्री भागीरथ कंवर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राबर्टस स्क्वेयर, गोल मार्किट, नई दिल्ली में केन्द्रीय विद्यालय के अस्थायी कक्षा-कमरों के निर्माण पर कुल कितना व्यय किया गया है ;

(ख) क्या इस विद्यालय के लिए बनाया गया पूरा यह ढांचा गिरा दिया जायेगा और इसकी जगह विद्यालय की एक नई इमारत बनायी जायेगी ;

(ग) यदि हां, तो इस इमारत के निर्माण के लिए कितनी धनराशी उपलब्ध करायी जायेगी ; और

(घ) इस विद्यालय के अस्थायी ढांचे पर इतनी अधिक धनराशी खर्च करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) केन्द्रीय विद्यालय राबर्टस स्क्वेयर गोल मार्किट नई दिल्ली के अर्धअस्थायी ढांचे के निर्माण पर अब तक 3,12,091 रुपये व्यय हुए हैं।

(ख) जी, नहीं। स्कूल का नया भवन उक्त स्कूल के विद्यमान भवन के अतिरिक्त होगा और यह भवन राबर्टस स्क्वेवर गोल मार्किट नई दिल्ली में अतिरिक्त अर्जित की जाने वाली भूमि पर बनाया जाएगा।

(ग) प्रावकलन अभी तैयार किये जाने हैं ।

(घ) पुराने आवासीय क्वार्टरों के निर्माण मरम्मत पर स्कूल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धन राशि खर्च की गई थी। स्कूल के अर्ध अस्थायी ढांचे को पूरा करने के लिए निर्माण ऐजेंसी, नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा 3,12,091 रु० की राशि की मांग की गयी थी।

Cut in amount provided to N.D.M.C. for Education

4408. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have effected cut in the amount provided to the New Delhi Municipal Committee for education during the current year;

(b) whether the New Delhi Municipal Committee has expressed resentment in this regard; and

(c) the reasons for effecting this cut ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Social Welfare and in the Department of Culture : (Shri D. P. Yadav) : (a) No, Sir.

(b) and (c) Do not arise.

Slum Clearance in Delhi

4409. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Works and Housing** be pleased to state :

(a) whether the Central Government have given grants to the tune of Rs. 689 lakhs to Delhi Municipal Corporation for a slum clearance upto the 31st January, 1974; and

(b) whether Rs. 720 lakhs were spent by the Corporation in this work uptil the above period ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta): (a) A sum of Rs. 689·661 lakhs was given as loans and grants for slum clearance/improvement schemes only.

(b) Yes, but this includes the excess expenditure over approved costs of sanctioned schemes.

वर्ष 1973-74 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं के लक्ष्य

4410. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 में प्रस्तावित लघु सिंचाई परियोजनाओं का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1973-74 के दौरान लघु सिंचाई योजनाओं से 15.5 लाख हैक्टर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य पूर्णतया प्राप्त हो जाने की आशा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

चीनी के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल की मांग तथा उसको सप्लाई

4411. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छ: महीनों में केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल सरकार को कितनी मात्रा में चीनी की सप्लाई की है ;

(ख) राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी मात्रा में चीनी की मांग की थी; और

(ग) राज्य सरकार को पूरा कोटा सप्लाई न करने के क्या करण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पश्चिमी बंगाल सरकार को पिछले छ: महीनों में केन्द्रीय सरकार ने लेवी चीनी की निम्नलिखित मात्राएं आवंटित की थी :–

सितम्बर, 1973	9401 मीटरी टन
अक्तूबर, 1973	10391 मीटरी टन
नवम्बर, 1973	9401 मीटरी टन
दिसम्बर, 1973	9401 मीटरी टन
जनवरी, 1974	9907 मीटरी टन
फरवरी, 1974	9907 मीटरी टन

(ख) और (ग) इस अवधि में पश्चिमी बंगाल सरकार से मासिक कोटा बढ़ाने के बारे में कोई पत्र नहीं आया है। तथापि, पश्चिमी बंगाल समेत विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेश का लेवी चीनी का मूल मासिक कोटा 1971 की जनगणना में दर्ज जनसंख्या के आकड़ों

और खपत के पिछले प्रतिमान को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। लेकिन वास्तविक मासिक कोटे में प्रत्येक मास के लिए लेवी चीनी की कुल निर्मुक्ति के अनुपात में सीमान्त रूप से समायोजन कर लिया जाता है।

आगामी तीन महीनों के लिए पश्चिम बंगाल को आवंटित चावल और गेहूं

4412. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल को आगामी तीन महीनों के लिये कितना चावल और गेहूं आवंटित किया जा रहा है तथा इसका महीनेवार ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : केन्द्रीय पूल से प्रत्येक मास विभिन्न राज्यों को चावल और गेहूं समेत खाद्यान्नों का आवंटन पूल में समूची उपलब्धता राज्यों की सापेक्ष आवश्यकता बाजार उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। मार्च, 1974 मास के लिए पश्चिमी बंगाल सरकार को 1.35 लाख मीटरी टन खाद्यान्न आवंटित किए गए हैं जिसमें 30 हजार मीटरी टन चावल 90 हजार मीटरी टन गेंहू और 15 हजार मीटरी टन मोटे अनाज हैं। पश्चिमी बंगाल समेत विभिन्न राज्यों को अप्रैल का आवंटन बहुत जल्द किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल द्वारा 1973 में मांगा गया तथा उसे सप्लाई किया गया गेंहू तथा मोटा अनाज

4413. **श्री ए० के० एम० इसहाक :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पश्चिम बंगाल सरकार ने 1973 में कितना गेहूं तथा मोटा अनाज मांगा था,

(ख) केन्द्रीय सरकार ने उक्त अवधि में राज्य सरकार को कितने खाद्यान्न की सप्लाई की थी, और

(ग) अपेक्षित मात्रा में खाद्यान्न सप्लाई न किये जाने के क्या करण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल द्वारा जनवरी से दिसम्बर, 1973 के दौरान गेहूं और मोटे अनाजों की मांगी गई मात्रा और उन्हें सप्लाई की गई मात्रा इस प्रकार थी :--

(हजार मीटरी टन में)

	मांगी गई मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा
गेहूं .	1660.0	1326.0
मोटे अनाज . . .	---	13.5

(ग) केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन पूल में उपलब्धता सभी कमी वाले राज्यों की जरूरतों बाजार उपलब्धता मूल्य स्थिति और अन्य संगत तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए चलते फिरते केन्द्र

4414. **श्री सी० के० जाफर शरीफ**
श्री जगन्नाथ मिश्र } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादय तेल, साबन मधु तथा जूते-चप्पल आदि जैसी उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण के लिए सरकार का विचार चलते फिरते केन्द्रों की व्यवस्था करने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस योजना का सार क्या है तथा दिल्ली जैसे नगरों में इस योजना को कब तक आरम्भ किये जाने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । तथापि, कोआपरेटिव स्टोर लि० (सुपर बाजार), नई दिल्ली का दिल्ली में अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुएं बेचने के लिए चलती फिरती दुकान खोलने का इरादा है।

कृषि-मौसम स्थिति के अनुसार उर्वरक के प्रयोग की नयी समय-सूची सम्बन्धी अनुसन्धान

4415. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कृषि मौसम स्थिति और उगाई गई फसल के अनुसार उर्वरक के प्रयोग की नयी समय सूची बनाने के लिए राष्ट्र व्यापी अनुसंधान किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से चलायी जा रहीं अनेक अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं में विभिन्न कृषि जलवायु दशाओं के लिए उनमें उगाई जाने वाली फसलों के अनुसार उर्वरक देने के तरीके खोजे गये हैं। इस संबंध में सबसे प्रमुख तीन प्रायोजनाएं इस प्रकार हैं :

(1) अखिल भारतीय सस्य विज्ञान समन्वित प्रायोगिक योजना,

(2) बारानी कृषि पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना ; और

(3) मिट्टी परीक्षण और फसल सह-संबंध पर अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजना।

इनके अलावा सूक्ष्म-मात्रिक पोषक तत्वों की कमी का पता लगाने के लिए भी एक योजना चल रही है।

(ख) इन प्रायोजनाओं के परिणामों पर आधारित विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न फसलों के लिए उर्वरक देने के तरीके खोज लिये गये हैं। बारानी प्रायोजना से प्राप्त परिणाम पहले अनुसंधान केन्द्रों में अग्रगामी प्रायोजनाओं में जांचे जाते हैं और उसके बाद विस्तार कार्यकर्त्ताओं को दिये जाते हैं। अनुसंधान की खोजों को व्यावहारिक रूप से अपनाने के लिए राष्ट्रीय प्रदर्शनों में जांचा जाता है और धान सम्बन्धी अनुसंधान मिनी किट प्रदर्शनों में परखा जाता है। राज्यों के कृषि विभाग उर्वरक देने की उपयुक्त विधियों को किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं।

गेहूं के अधिक वसूली मूल्य के लिए पंजाब की मांग

4416. **श्री देवेन्द्र सिंह गरचा**
श्री महेन्द्र सिंह गिल } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब ने, जो कि केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं का मुख्य सप्लायर है मांग की

है कि कृषि खाद बीज आदि, के मूल्य में अत्याधिक वृद्धि हो जाने, उर्वरकों की कमी और गत एक वर्ष में प्रतिकूल मौसम के कारण अप्रैल से प्रारंभ होने वाले मौसम के लिये वसूली मूल्य 110 रु० नियत किया जाये, और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र की इस मांग पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) 16 मार्च, 1974 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पंजाब के मुख्य मंत्री ने कृषि मूल्य आयोग द्वारा अभिस्तावित गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों से अधिक मूल्य निर्धारित करने के लिए अनुरोध किया। तथापि, उन्होंने किसी मूल्य विशेष का उल्लेख नहीं किया था लेकिन उसका फैसला केन्द्रीय सरकार पर छोड़ दिया था।

राजभाषा सम्बन्धी कार्य की प्रगति

4417. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जहां तक राजभाषा के सम्बध में मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्य का संबंध है, उसमें से पूरे हो चुके कार्य, पूरे होने ही वाले अथवा उसके संबंध में मंत्रालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) शेष कार्य पूरा करने में मंत्रालय को कितना समय लगेगा।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): मंत्रालय के 80 प्रतिशत कर्मचारियों को हिन्दी का कार्यकारी ज्ञान है और बाकी 20 प्रतिशत कर्मचारियों को भारत सरकार की हिंदी शिक्षण योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसके अलावा, कर्मचारियों को कर्मशालाओं के माध्यम से हिन्दी में टिप्पण और प्रारूप लेखन में भी व्यापक प्रशिक्षण दिया जाता है। इनमें से छः कर्मशालाएं पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं।

इस मंत्रालय के अब तक 138 फार्म और नियम-पुस्तिकाओं का हिन्दी में अनुवाद किया जा चुका है तथा अन्यों का अनुवाद किया जा रहा है। अधिनियमों और सांविधियों के अनुवाद से संबंधित कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है।

व्यक्तियों तथा राज्य सरकारों से हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। इस मंत्रालय द्वारा हिन्दी भाषी राज्यों को भेजे जाने वाले पत्रों में हिन्दी का प्रयोग करने की दिशा में भी शुरूवात की जा चुकी है। सभी सरकारी रिपोर्टों, अधिसूचनाओं, संकल्पों, परिपत्रों, सांस्कृतिक करारों आदि का हिन्दी और अंग्रेजी में साथ-साथ अनुवाद किया जाता है।

सरकारी कामकाज में हिन्दी का उत्तरोत्तर प्रयोग करने के संबंध में मंत्रालय को सलाह देने के लिये इस मंत्रालय में एक हिन्दी सलाहकार समिति का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष शिक्षा मंत्री हैं। उक्त समिति के अलावा इस मंत्रालय में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति भी है, जो सरकारी प्रयोजनों के लिए हिन्दी के प्रयोग की प्रगति का पुनरीक्षण करती है।

माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण

4418. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों तथा केन्द्रीय प्रशासन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में माध्यमिक शिक्षा के राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रस्ताव अथवा सुझाव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख): यद्यपि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किए जाने के लिए मांगें होती रहीं हैं, परन्तु अपनी पसन्द की शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने तथा उनका प्रशासन करने के बारे में, अल्पसंख्यकों के सांविधानिक व्यवस्थाओं की वजह से ऐसा करना अनुमत्य नहीं होगा। तथापि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों का यह मत है कि ऐसे स्कूलों के शैक्षणिक तथा गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों की सुरक्षा और उनके शैक्षणिक स्तरों के अनुरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए, प्राईवेट स्कूलों को पर्याप्त नियंत्रित तथा नियमित किया जाना चाहिए।

कृषि मन्त्रालय को केन्द्रीय योजनायें

4419. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी योजना में कृषि मंत्रालय द्वारा प्रायोजित केन्द्रीय योजनाओं की राज्य-वार प्रगति का व्यौरा क्या है; और

(ख) क्या वे योजनाएं पांचवीं योजना में चालू रहेंगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र संकलित करने के बाद सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में दूरस्थ कालोनियों के निवासियों के लिए परिवहन सुविधायें

4420. **श्री के० रामकृष्ण रेड्डी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनकपुरी, तिलक नगर तथा आजादपुर, दिल्ली जैसी दूरस्थ कालोनियों के निवासी सार्वजनिक परिवहन के सम्बन्ध में कठिनाइयां अनुभव कर रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली परिवहन निगम द्वारा निजी बस चालकों को बसें चलाने के लिए आमंत्रित किया जाएगा ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) दिल्ली परिवहन निगम जनकपुरी/तिलकनगर से दिल्ली में विभिन्न स्थानों को 21 मार्गों पर केवल एक बसमार्ग, जहां 70 मिनट की सर्विस है, को छोड़ कर 8 मिनट से 22 मिनट तक की सर्विस की बस सेवा चला रहा है। निगम आजादपुर से शहर में विभिन्न स्थानों को 10 बस मार्गों पर 19 मिनट से 50 मिनट की सर्विस से बस सेवाएं

चला रहा है। इस के अलावा, तिलक नगर से 7.40 बजे और 7.50 बजे मौरिस-नगर के लिए और 8.10 बजे केन्द्रीय वहेकिल डिपो के लिए 3 अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था की गई है।

आजादपुर से 8.50 बजे लक्ष्मीबाई कालेज को तथा केन्द्रीय सचिवालय को 9.12 बजे दो विशेष फेरों की और जनकपुरी से तिलकनगर, धौलाकुआं, मौरिस नगर, केन्द्रीय सचिवालय और मद्रास होटल को 6.25 प्रातः काल और 4.10 शाम के समय के बीच 12 विशेष फेरों की व्यवस्था भी की गई है। कुल मिलाकर मौजूदा सेवाएं यात्रियों की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी गई हैं। इन मार्गों पर सेवाएं चलाने के लिए निजी परिचालकों को आमंत्रित करने का निगम के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

पंजाब तथा हरियाणा में गेंहूं के स्थान पर बाजरा उगाना

4421. **श्री मान सिंह भौरा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब तथा हरियाणा में बाजरे की खेती गेंहूं से अधिक लाभप्रद है ;

(ख) क्या किसान इसकी काश्त कर रहे हैं ; और

(ग) इससे इस क्षेत्र में गेंहूं का उपादन किस प्रकार प्रभावित हो रहा है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) हाल के वर्षों में गेंहूं की अधिक उत्पादनशील किस्मों की बुवाई प्रारंभ होने से अधिकांश प्रतियोगी फसलों की तुलना में गेंहूं की फसल काफी लाभप्रद बन गई है । इसके फलस्वरूप वर्ष 1967-68 तथा 1972-73 के बीच की अवधि में पंजाब तथा हरियाणा में गेंहूं की बुवाई के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। दूसरी ओर इस अवधि के दौरान जौ की बुवाई का क्षेत्र स्थिर रहा है या उसमें कमी हुई है। वर्ष 1972-73 की अवधि के सिवाय (जबकि अगेती लू होने तथा उर्वरकों व बिजली की कमी के कारण उत्पादन में कमी आ गई थी) इन राज्यों में गेंहूं के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। जहां तक वर्ष 1973-74 का सम्बन्ध है, गेंहूं तथा जौ के क्षेत्र तथा उत्पादन के पक्के अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् अर्थात् किसी समय जुलाई-अगस्त, 1974 में ही उपलब्ध हो सकेंगे।

उचित मूल्य की दुकानों पर अच्छी किस्म की आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में भारतीय उप-भोक्ता परिषद द्वारा सर्वेक्षण

4422. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उपभोक्ता परिषद ने उचित मूल्य की दुकानों से अच्छी किस्म की तथा पर्याप्त मात्रा में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसे वहां कौन-कौन सी वस्तुएं मिलावटी पायी तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) और (ख) "अखिल भारत खुदरा मूल्य स्तर पर सहकारिकता" शीर्षक से भारत की उपभोक्ता परिषद की सर्वेक्षण रिपोर्ट सरकार ने देखी है जिसमें अन्य बातों के अलावा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जारी की गई

आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता और किस्म का उल्लेख किया गया है। परिषद द्वारा किए गए सुझावों को नोट कर लिया गया है।

बिहार को दिया गया गेहूं

4423. **श्री जगन्नाथ मिश्र :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार को गेहूं का कोटा नियमित रूप में नहीं दिया जा रहा है, और

(ख) यदि हां, तो गत चार मास में अब तक प्रति मास केन्द्र ने कितनी मात्रा सप्लाई की ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) नवम्बर, 1973 से फरवरी, 1974 के दौरान बिहार को गेहूं का आवंटन और उस की सप्लाई इस प्रकार थी :—

(हजार मीटरी टन में)

महीना	आवंटन	सप्लाई
नवम्बर, 1973	20.0	21.0
दिसम्बर, 1973	20.0	22.0
जनवरी, 1974	20.0	22.0
फरवरी, 1974	25.0	25.0*

*आवंटन

मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग

4424. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार से मध्य प्रदेश के रीवा क्षेत्र को सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने की मांग की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो यह मांग क्यों नहीं मानी जा रही है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरकों की काले बाजार की दरों पर बिक्री

4425. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में शिकायतें मिली हैं कि उर्वरकों की बिक्री नियंत्रित मूल्यों से काले बाजार में उत्तरोत्तर अधिक दरों पर हो रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे सुलभ बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) उर्वरकों की बड़े पैमाने की चोर बाजारी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु कुछ राज्यों ने उर्वरकों की कमी का लाभ उठाते हुए चोर-बाजारी करने वाले बेईमान विक्रेताओं के सम्बन्ध में कुछ मामलों की सूचना भेजी है।

(ख) देशी उत्पादन एवं आयात को बढ़ाने और वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार हर सम्भव कदम उठा रही है। ताकि उर्वरकों की उपलब्धि में सुधार हो सके। राज्य सरकारों को आवश्यक जिसे अधिनियम के अंतर्गत भी पर्याप्त अधिकार दे दिए गए हैं और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे चोर-बाजारी, मिलावट तस्करी, आदि कदाचारों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए काफी सतर्क रहें।

दुर्लभ पक्षियों तथा पशुओं को बचाने के लिए वन्य जीवों की रक्षा

4426. **श्री रणबहादुर सिंह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या वन्य जीवों की रक्षा संबंधी विधियों के उपबन्ध कठोरता से लागू किए जा रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप दुर्लभ पक्षी तथा जीव समाप्त होते जा रहे हैं और उनके भविष्य में आमूल समाप्त हो जाने की आशंका है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या प्रयास किए हैं और इन पक्षियों तथा जीवों की रक्षा हेतु कितनी सफलता मिली है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

1974 के दौरान चीनी के निर्यात के बारे में निर्णय

4427. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या **कृषि** मंत्री यह बतानेकी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने वर्ष 1974 में विभिन्न देशों को चीनी का निर्यात करने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप भारत को विदेशी मुद्रा की कितनी हानि होगी,

(ग) देश में चीनी की आवश्यकता को पूरा करने के बाद कितनी आय होने की सम्भावना है, और

(घ) चीनी की कमी के विश्व-व्यापी खतरे को ध्यान में रखते हुए सरकार चीनी के निर्यात न करने के बारे में कब तक निर्णय ले लेगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) चीनी के उत्पादन की सम्भावनाओं, आन्तरिक खपत की जरूरतों और चीनी के चल रहे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर सरकार का चीनी निर्यात की जाने वली मात्रा की समय समय पर समीक्षा करने और मात्रा का निर्धारण करने का विचार है।

(ख) 1974 में निर्यात से हानि होने की सम्भावना नहीं है।

(ग) विदेशी मुद्रा की कमाई चीनी की निर्यात की जाने वाली मात्रा और विक्रय मूल्य पर निर्भर करेगी।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सामान्य जनता के लिए दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा घी तथा मक्खन के उत्पादन को बंद किया जाना

4428. **श्री नवल किशोर शर्मा : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना ने सामान्य जनता को सप्लाई के लिए मक्खन और घी का उत्पादन बन्द कर दिया है :

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं :

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों ने पहले सामान्य जनता को दूध की नियमित सप्लाई के बारे में आश्वासन दिया था : और

(घ) यदि हां, तो सामान्य जनता को बेचने के लिए घी तथा मक्खन का उत्पादन न करने के क्या कारण हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (घ) दिल्ली दुग्ध योजना की प्रमुख जिम्मेदारी वास्तविक टोकनधारियों को प्रक्रियागत दूध सप्लाई करना है। पास्चुरीकृत दूध की आवश्यकता पूरी होने के बाद यदि फालतू दूध उपलब्ध हो तो घी और मक्खन तैयार किए जाते हैं। तथापि गत कई महीनों के दौरान दूध की कमी के कारण दिल्ली दुग्ध योजना के लिए अधिक मात्रा में घी और मक्खन तैयार करके सामान्य जनता को बेचना सम्भव नहीं हो सका है। इस समय कुछ हद तक जो घी बनाया जाता है, उसका वितरण संसद सदस्यों, दिल्ली महानगर परिषद् के सदस्यों और प्रैस प्रत्यायित प्रतिनिधियों को ही किया जाता है। मक्खन की बिक्री भी बहुत सीमित है।

(ग) दिल्ली दुग्ध योजना ने यह आश्वासन दिया था कि यह अपनी अधिष्ठापित क्षमता के अनुसार दूध का वितरण बनाए रखने के लिए हर सम्भव प्रयत्न करेगी।

नए जहाजों की खरीद, उनका टनभार और सी० आर० टी०

4430. **श्री नवल किशोर शर्मा :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने इस वर्ष जनवरी के महीने के दौरान कुछ और जहाज खरीदे हैं,

(ख) यदि हां, तो कितने जहाज खरीदे गए हैं और उनका टनभार तथा सी० आर० टी० क्या है,

(ग) इन जहाजों के प्राप्त करने से अब भारत में तटीय और समुद्र-पारीय जहाजों की संख्या कितनी हो गई है, और

(घ) इन जहाजों के द्वारा वार्षिक रूप से कितनी वस्तुओं का परिवहन किए जाने की आशा है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) सरकार जहाज नहीं खरीदती। जहाज नौवहन कंपनियां लेती हैं। जनवरी 1974 के दौरान निम्नलिखित नौवहन कंपनियों ने नीचे लिखे जहाजों की सुपुर्दगी ली :—

कंपनी का नाम	जहाज का नाम	जहाज की किस्म	डी० डब्लू० टी०	जी० आर० टी०
शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	विवेकानन्द	समुद्रपारीय तेल वाहक पोत	87980	51526
शिपिंग कारपोरेशन आफ इंडिया लि०	विश्वेश्वर्या	तटीय तेल वाहक पोत	16,400	10,759
अंडमान लाइन्स प्राईवेट लि० कलकत्ता	आईजेंड ग्लोरी	बरते हुए सूखे माल पोत	608	300

(ग) 1-2-1974 को भारतीय तटीय और समुद्रपारीय जहाजों की संख्या निम्न प्रकार है :—

	संख्या
तटीय	58
समुद्रपारीय	210

(घ) इन जहाजों से वर्ष में कितना माल ढोया जा सकता है का कोई अनुमान नहीं लगाया गया है।

Population of Cows and Bullocks

4431. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Agriclture** be pleased to state :

(a) the number of cattle heads viz., cows and bullocks as per the 1970 census figures; and

(b) their number in 1973 ?

The Minister of State in the Ministery of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) & (b) The latest available data on the number of cattle pertain to 1972 when the livestock census was conducted in most States. The preceding livestock census was conducted in 1966. The data on the number of cattle for 1972 for the States for which data are already available are given in the statement attached. [Placed in Library *See* No. L. T. 6532/74]

जनजातियों को राहत के लिए ऋणों में राज सहायता

4432. **श्री के० मालन्ना** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि जनजातियों और जनजाति विकास ऐजंसियों को कुछ राहत देने के लिए उन्हें मध्यम कालीन ऋणों पर 10 प्रतिशत तक राज सहायता और दीर्घावधि ऋणों पर 3 प्रतिशत तक ब्याज राज सहायता के रूप में दी जानी चाहिए ;

(ख) क्या सहकारी समितियों को भी जनजातियों को दिए जाने वाले ऋणों पर कम दर से ब्याज लेने का सुझाव दिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य/जनजाति ऐजंसियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए नेशनल स्पोर्टस फैडरेशन को वित्तीय सहायता

4433. **श्री के० मालन्ना :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल स्पोर्टस् फेडेरेशन को प्रशिक्षण शिविर लगाने के लिए वित्तीय सहायता बन्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नैताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उटता।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा इसका संरक्षण

4434. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों में भूमिगत जल सर्वेक्षण तथा इस के संरक्षण के बारे में कौन-कौन से उपबंध तथा योजनाएं विचाराधीन हैं ; और

(ख) क्या इस बारे में उच्चतम प्राथमिकता आन्ध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में चित्तूर जिले को दी गई है जो पूर्ण रूप से एकमात्र भूमिगत जल सिंचाई पर ही आश्रित है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) विभिन्न राज्यों में पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रावधानों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) भू-जल विज्ञान संबंधी अन्वेषणों में देश के निरन्तर सूखे से प्रभावित रहने वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रस्ताव है। चित्तूर जिले को ऐसे क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा।

कृषि विद्यालयों की स्थापना

4435. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा को व्यवसायिक बनाए जाने की शिक्षा में एक उपाय के रूप में कृषि विद्यालयों की स्थापना करने संबंधी योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या है ; और

(ग) शिक्षा को व्यावसायिक बनाए जाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किन अन्य योजनाओं पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) से (ग) बड़ी संख्या में स्कूल पहले ही से हाई स्कूल की कक्षाओं में कृषि पढ़ा रहे हैं। उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में भी कृषि विज्ञानों की गणना विशेष विषयों के रूप में की जाती है। पांचवीं योजना में मांग के अनुसार और अधिक स्कूलों को कृषि अध्यापन और संबंधित विषयों को पढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाएगी।

ऐसा मालूम हुआ है कि पांचवीं योजना के दौरान 50 कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विचाराधीन एक योजना है। शिक्षा मंत्रालय ने, देश में चुने हुए उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर नये व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को आरम्भ करने के लिए एक नई योजना का सुझाव दिया है। ऐसे 1000 स्कूलों के लक्ष्य का सुझाव दिया गया है।

गत तीन वर्षों में अनाज का आयात

4436. **श्री योगेश चन्द्र मुरमु:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में आस्ट्रेलिया, अमरीका, सोवियत संघ, कनाडा तथा अन्य निर्यातकर्ता देशों से प्रति वर्ष कितना गेहूं मंगाया;

(ख) क्या अनेक देशों ने समझौते में निर्धारित निर्यात मात्रा में कमी की है; और

(ग) यदि हां, तो क्यों और कितनी?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) पिछले तीन वर्षों में गेहूं के आयातों का देशवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

(हजार मीटरी टन में)

निर्यातक देश	1971	1972	1973
अर्जेनटाइना	—	—	189
आस्ट्रेलिया	121	23	—
कनाडा	459	220	614
संयुक्त राज्य अमेरिका	1234	71	1381
सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ	—	—	230

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

खाद्य तेल के आयात में कठिनाई

4437. **श्री प्रबोध चन्द्र:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में खाद्य तेल के अधिक मूल्यों के कारण सरकार को इस के आयात में कठिनाई हो रही है, और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) देश में खाद्य तिलहनों/तिलों का यथा सम्भव अधिकतम सीमा तक उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं ताकि आयातों पर निर्भरता बहुत ही कम रहे।

दोषपूर्ण वितरण प्रणाली के कारण खाद्यान्न का अभाव

4438. **श्री शंकर राव सावन्त**
श्री रण बहादुर सिंह } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

6—212 LSS/74

(क) क्या देश में विद्यमान खाद्यान्न के अभाव का दायित्व दोषपूर्ण तथा बेईमान खाद्य वितरण प्रणाली पर निर्भर है;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान वितरण प्रणाली में क्या दोष है तथा इस वितरण प्रणाली में किस प्रकार की बेईमानी की जाती है, और

(ग) इन दोषों तथा बेईमानियों को दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : राज्य में उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्नों के वितरण की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। उचित मूल्य की दुकानों की किसी अनियमितता/कदाचार के बारे में प्राप्त शिकायतों पर उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा जांच करवाई जाती है। राज्य में उचित मूल्य की दुकानों को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए राज्य सरकारों को निम्नलिखित सुझाव अपनाने के लिए कहा गया है कि :—

(1) उचित मूल्य की दुकानों को चाहिए कि वे केवल वास्तविक कार्ड धारियों को खाद्यान्न दें।

(2) राज्य सरकारों को चाहिए कि वे क्षेत्र, कस्बा या शहरों की जनसंख्या जैसी कि जनगणना और निर्वाचिन पंजी में प्रकाशित है, के प्रति जारी किए गए कार्डों की वास्तविक संख्या की जांच करें ताकि जाली राशन कार्डों को समाप्त किया जा सके।

(3) प्रत्येक राज्य में प्रतिदिन उचित मूल्य की दुकानों पर मूल्य चार्ट के साथ नमूनों का प्रदर्शन खाद्यान स्टाक का अर्थशेष तथा इतिशेष स्टाक और अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के स्टाक बताने की बात को कडाई से लागू किया जाना चाहिए।

(4) उचित मूल्य की दुकानों को देख-भाल का कार्य राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा किया जाना चाहिए और कसूरवार पाए जाने वाले व्यक्तियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

(5) उचित मूल्य के दुकानदारों की अनियमितताओं और कदाचारों के बारे में कार्ड-धारियों से प्राप्त शिकायतों पर तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

राष्ट्रीय बीज निगम को अनाज के बीजों की हुई हानि की मात्रा तथा मूल्य

4439. **श्री शंकर राव सावन्त :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1970-71, 1971-72 और 1972-73 में भारतीय बीज निगम को चूहों तथा कीड़ों द्वारा खाये जाने चोरी और दोषपूर्ण भंडारण या उतारने चढ़ाने के प्रबन्ध के परिणामस्वरूप बुआई या मानवाहार के अयोग्य हो जाने पर विभिन्न प्रकार के अनाज के बीजों की कितनी-कितनी हानि हुई तथा उसका मूल्य कितना-कितना था;

(ख) क्या इस हानि के लिये जिम्मेदारी निर्धारित की गई है; और यदि हां, तो किस पर, कितनी और उसका क्या परिणाम रहा है; और

(ग) हानिकारक इन कारणों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) प्रश्न में गिनाए गए विभिन्न कारणों की वजह से 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के खाद्यान्नों के बीजों की कितनी मात्रा और मूल्य की हानि हुई है, इसका राष्ट्रीय बीज निगम ने कोई अलग रिकार्ड नहीं रखा है। तथापि, 1970-71, 1971-72 और 1972-73 के वर्षों में क्रमश: 16.93 लाख रु० 70.37 लाख रु० और 18.47 लाख रु० के मूल्य के धान्य, रेशे वाली फसलों और अन्य किस्मों के बीज रद्द किये गये।

(ख) जिन मामलों में हानि असाधारण रूप से अधिक होती है, उनकी जांच की जाती है और जिम्मेदारी निश्चित की जाती है। निगम ने सूचित किया है कि अभी तक किसी भी कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है।

(ग) निगम बीजों के भंडारण और उन्हें उतारने-चढ़ाने में होने वाली हानि से बचने के लिए बीजों के भंडारों में सुधार करता है। इस उद्देश्य से क्वालिटी नियंत्रण प्रभाग समय-समय पर बीजों के भण्डारों की जांच करता है। निश्चित अवधियों के बाद बीजों के नमूने लेकर अंकुरण की प्रतिशतता की दृष्टि से उनका परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार निर्धारित मानकों के अनुसार न पाए जाने वाले बीज रद्द कर दिए जाते हैं। बीजों के भंडारों में निश्चित अवधि के बाद धूम्रीकरण किया जाता है ताकि इन्हें कीटों आदि से बचाया जा सके।

गन्दी बस्तियों को पर्यावरण-सुधार योजना

4440. **श्री शंकर राव सावन्त** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंदी बस्तियों को पर्यावरण सुधार योजना के लिए भारत में किन शहरों को चुना गया है ;

(ख) अब तक इन शहरों में से प्रत्येक शहर पर कितना व्यय किया गया है ;

(ग) इस योजना के अधीन प्राय : कौन-कौन से सुधार किए गए हैं ;

(घ) क्या पांचवीं योजना में इस योजना के अन्तर्गत शहरों को शामिल करने की शर्तों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव है ; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित परिवर्तन कौन-कौन से हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) संलग्न विवरण-पत्र के अनुसार।

(ग) गंदी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के अन्तर्गत सामान्यत : जलपूर्ति की व्यवस्था करना है जिसमें पेय जल, नल, भूमिगत नालियां, बरसाती नालियां, सामुदायिक स्नान-गृह तथा शौचालय, वर्तमान गलियों (लेनों) को चौड़ा करना तथा उनमें खंड़जा लगाना तथा सड़कों को रोशनी सामिल हैं।

(घ) तथा (ङ) पांचवीं योजना में यह स्कीम, उन सभी नगरों में, जिनकी जनसंख्या तीन लाख अथवा इससे ऊपर है और इसके अतिरिक्त ऐसे प्रत्येक राज्य के एक-एक नगर में जहां ऐसे बड़े नगर नहीं हैं, लागू करने का प्रस्ताव है। यह योजना न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य क्षेत्र में भी शामिल करने का प्रस्ताव है।

विवरण

गंदी बस्तियों में पर्यावरणीय सुधार की केन्द्रीय योजनाओं में शामिल किए गए नगरों और 1972-73 तथा 1973-74 में, 20 मार्च, 1974 तक, दी गई राशियों का विवरण-पत्र।

क्रम संख्या	नगर का नाम	किस्तों में दी गई राशि
		रूपयों में
1.	कलकत्ता	5,33,00,000
2.	बम्बई	2,31,14,500
3.	दिल्ली	1,39,07,000
4.	मद्रास	2,59,10,000
5.	हैदराबाद	30,35,800
6.	बंगलौर	57,73,525
7.	अहमदाबाद	10,90,125
8.	कानपुर	1,32,19,000
9.	पूना	27,31,000
10.	लखनऊ	95,48,999
11.	इन्दौर	19,53,000
12.	नागपुर	1,02,18,198
13.	जयपुर	49,71,940
14.	श्रीनगर	15,00,000
15.	पटना	21,18,000
16.	कोचीन	9,70,000
17.	लुधियाना	39,66,660
18.	कटक	3,94,000
19.	गोहाटी	1,81,000
20.	रोहतक	7,89,500
	कुल	17,86,92,247

एगमार्क प्रयोगशालाएं

4441. **श्री समर गुहा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश के विभिन्न भागों में एगमार्क प्रयोगशालाएं कहां-कहां खोली हुई है तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1971-73 में प्रत्येक प्रयोगशाला में कितने रुपए मूल्य की वस्तुओं पर जांच के बाद एगमार्क अंकित किया गया ;

(ग) प्रत्येक प्रयोगशाला में कितने (1) स्थाई (2) अस्थाई (3) वरिष्ठ विश्लेषण-कर्ता और (4) कनिष्ठ विश्लेषणकर्ता कर्मचारी हैं ;

(घ) इन में विभिन्न क्षमताएं क्यों रखी गई हैं ;

(ङ) उड़ीसा और असम में ऐसी कोई प्रयोगशाला क्यों नहीं है ;

(च) कलकत्ता की प्रयोगशालाओं के कार्यकरण में गिरावट आ जाने के क्या कारण हैं ;

(छ) क्या खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या के साथ कठोरता से निपटने और उपभोक्ती वस्तुओं की किस्म सुधारने तथा उनके निर्यात को बढ़ाने के लिए एगमार्क अंकित करने की प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है ; और

(ज) यदि हां, तो क्या सरकार इन प्रयोगशालाओं की संगठनात्मक प्रणाली के अधिक विकास और उनके कार्यकरण में सुधार की समस्याओं की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति बनाएगी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

एगमार्क प्रयोगशालाओं में अस्थाई पदों को स्थाई घोषित किया जाना

4442. **श्री समर गुह :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न एगमार्क प्रयोगशालाओं में कार्य करने वाले बहुत से तकनीकी व्यक्ति 1971, 1972 और 1973 में अस्थाई कर्मचारी के रूप में ही रिटायर हो गए;

(ख) यदि हां, तो उन अस्थाई कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो पर्याप्त पैंशन सुविधाएं प्राप्त किए बिना सेवा मुक्त हो गए तथा उन्होंने अस्थाई कर्मचारी की हैसियत से कितने वर्ष सेवा की;

(ग) क्या एगमार्क प्रयोगशालाओं में बहुत से तकनीकी कर्मचारी गत 7 से 10 वर्ष तक की अवधि से अस्थाई कर्मचारी के रूप में सेवा कर रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है; और क्या इनमें बहुत से कर्मचारी 1974 में सेवा मुक्त हो जाएंगे; और

(ङ) क्या दिनांक 10 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4139 के उत्तर के अनुसरण में सरकार 320 पदों को स्थाई बनाने के लिए तुरन्त आदेश जारी करेगी जिससे 1974 में सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों को इन उपायों का लाभ हो सके ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णा साहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और यथा-शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

बड़े शहरों में फुटपाथों पर रहने वाले लोग

4443. **श्री समर गुह :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-73 के दौरान बड़े शहरों में फुटपाथों पर रहने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है अथवा कमी;

(ख) विभिन्न बड़े शहरों में फुटपाथों पर रहने वाले लोगों की वर्तमान संख्या लगभग कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे बेघर व्यक्तियों के लिए आश्रम स्थान बनाने का है ; यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ;

(घ) ऐसे बेघर फुटपाथ वासियों को आवारा लोगों के लिए सरकारी गृहों में न ले जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) क्या इस उद्देश्य हेतु आवारा लोगों के लिए सरकारी गृहों की संख्या बढ़ाई जाएगी ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) सुस्पष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है । कुछ बड़े शहरों में फुटपाथों पर रहने वालों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है :—

दिल्ली	7,000	लगभग
बम्बई	59,000	,,
कलकत्ता	49,000	,,
मद्रास	9,000	,,

(ग) राज्य सरकारें, गंदी बस्ती उन्मूलन तथा सुधार योजना के अधीन, निराश्रय व्यक्तियों के लिए रैन बसेरे बनाकर आश्रय देने की परियोजना बनाने के लिए सक्षम हैं। राज्य सरकारें औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना के अधीन भी ऐसे लोगों के लिए सक्षम हैं।

(घ) तथा (ङ) फुटपाथों पर रहने वाले, आवारा लोगों के लिए बने सरकारी घरों में रहने के पात्र नहीं हैं क्योंकि उन्हें भिक्षा अधिनियम के अधीन भिखारी नहीं कहा जा सकता। भिक्षा का विषय राज्य सरकारों का है तथा इससे संबंधित सभी राज्य क्षेत्र में आती हैं ।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पुस्तकालय खोलना

4444. श्री रानेन सेन : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा पुस्ताकालय खोलने की लहर जोर पकड़ रही है ;

(ख) क्या सरकार ने भी इसके विकास की कोई योजना बनाई है ; और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस संबंध में गैर-सरकारी संगठनों को सरकार क्या वित्तीय सहायता देगी ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) (क) जी, हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार, देशभर में सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संगठनों और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में स्वैच्छिक संगठनों तथा साथ में पुस्तकालय विकास के लिए सहायता देती है। सरकार ने देशभर में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में एक पुस्तकालय

तंत्र की स्थापना को सुदृढ़ बनाने तथा उन्नत करने के लिए राजा राम मोहन राय प्रतिष्ठान की भी स्थापना की है। पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान नव-साक्षरों के लिए ग्रामीण पुस्तकालय स्थापित करने की एक योजना, प्रौढ़ शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों के भाग के रूप में तैयार की जा रही है?

(ग) वर्ष 1974-75 के दौरान, पुस्तकालय अभियान के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता के रूप में 10 लाख रुपए प्रदान करने का प्रस्ताव है।

अन्तर्देशीय जल का मछली पालन के लिए उपयोग

4445. श्री रानेन सेन
श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली } : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मछली पालन के लिये अन्तर्देशीय जल का उपयोग करने के लिये काफी क्षमता और देशीय जानकारी होने पर भी प्रगति काफी धीमी रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और इसका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) संसाधनों तथा तकनीलौजी उपलब्ध होने के बावजूद अन्तर्देशीय मात्स्यकी संसाधनों का उपयोग करने की दिशा में काफी प्रगति नहीं हो सकी। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(i) विभिन्न स्तरों पर प्रभावी विस्तार एजेंसी का प्रभाव

(ii) सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों आदि के जल क्षेत्रों को अल्पकालीन पट्टे पर देने की मौजूदा पद्धति; और

(iii) सामयिक आपूर्ति और आदानों का सुनिश्चित करने की व्यवस्था का अभाव

आशा है पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन कमियों पर काफी हद तक काबू पाया जा सकेगा। मछली पालन की आधुनिक तकनीकों को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा विस्तार सहायता देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। केन्द्रीय सरकार ने विस्तार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और विस्तार सामग्री उपलब्ध करने की व्यवस्था की है। अन्तर्देशीय जल के बारे में पट्टा नीति सम्बन्धी समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने जल क्षेत्रों को दीर्घकालीन आधार पर पट्टे पर देने की सिफारिश की है ताकि पट्टेदारों को प्रोत्साहन मिल सके और वे मीन उद्योग का विकास कर सकें और पट्टेदारी को उत्पादन से सम्बद्ध कर सकें।

भारत सरकार ने मछली पालकों को सामयिक सप्लाई और सुविधाएं दे कर मछली पालन की विभिन्न अवस्थाओं को प्रभावी रूप से समेकित करने के लिए मछली पालक विकास एजेन्सियों के लिए एक योजना तैयार की है। ऐसी चार एजेन्सियों ने कुछ राज्यों में कार्य शुरू कर दिया है।

पंजाब में चीनी मिलों को हानि

4446. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में चीनी मिलों को पिछले वर्ष हानि हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) 1972-73 के लिए पंजाब की छः चीनी मिलों के बारे में लाभ/हानि स्थिति जैसी कि उन्होंने बतायी है, नीचे दी जाती है :—

फैक्ट्री	लाभ (+) और हानि (—) लाख रुपयों में	कैफियत
घुरी	(+) 2.02	(लेखा परीक्षित)
फगवाड़ा	(—) 47.11	(लेखा परीक्षित)
मोरिन्डा	(—) 21.95	लेखा परीक्षित तुलन पत्र अभी प्राप्त नहीं हुए ।
भोगपुर	(—) 19.04	
बटाला	(—) 8.17	
नवांशहर	(—) 20.18	

उपर्युक्त आंकड़ों में कराधान और छूट/आरक्षण विकास, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान शामिल नहीं है ।

लेवी की चीनी के मूल्य में वृद्धि

4447. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लेवी की चीनी के मूल्य में वृद्धि की है, और

(ख) यदि हां, तो कितनी?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) लेवी चीनी के निकासी मूल्यों में पिछली बार संशोधन 15 दिसम्बर, 1973 को किया गया था ।

(ख) विभिन्न 16 ज़ोनों में इस संशोधन का प्रभाव इस प्रकार पड़ा है :—

क्रम सं०	जोन का नाम	आई० एस० एस० ग्रेड की डी-29 के पिछले मूल्य की अपेक्षा अन्तर (+) वृद्धि (-) कमी
(1)	(2)	(3)
		रु० पै०
1.	पश्चिमी उत्तर प्रदेश	(+) 5.21
2.	मध्य उत्तर प्रदेश	(+) 1.91
3.	पूर्वी उत्तर प्रदेश	(+) 10.54
4.	उत्तरी बिहार	(+) 2.95
5.	दक्षिणी बिहार	(+) 8.62
6.	पश्चिमी बंगाल, असम, नागालैंड और उड़ीसा	(+) 6.61
7.	हरियाणा	(+) 19.82

(1)	(2)	(3)
8.	पंजाब	(+)42.67
9.	मध्य प्रदेश	(−)14.51
10.	राजस्थान	(−) 6.21
11.	महाराष्ट्र और गोग्रा	(+)13.05
12.	गुजरात	(+) 5.39
13.	कर्नाटक	(+)11.07
14.	केरल	(+)16.27
15.	आन्ध्र प्रदेश	(−) 1.69
16.	तमिल नाडू तथा पांडिचेरी . . .	(+) 2.08

चौथी तथा पांचवीं योजना में पटसन और मेस्ता के उत्पादन का लक्ष्य

4448. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं योजना में पटसन और मेस्ता का उत्पादन लक्ष्य 660 लाख गांठें निर्धारित करने का विचार है जबकि चौथी योजना के दौरान पटसन और मेस्ता का प्रत्याशित उत्पाद लगभग 320 लाख गाठें हैं; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों के लिये जूट और मेस्ता का 360 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जबकि चौथी पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों में 320 लाख गांठों का उत्पादन होने की संभावना है। 1978-79 के लिये 77 लाख गांठों के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है जोकि सबसे अधिक है, जबकि 1973-74 में 67 लाख गांठों के उत्पादन का अनुमान लगाया गया।

केन्द्र के लिए पंजाब से चावल

4449. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से केन्द्रीय पूल के लिए 10 लाख टन चावल सप्लाई करने के लिए कहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या पंजाब सरकार ने बुआई के समय ऐसा कोई वचन दिया था, और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय पूल में पंजाब सरकार से कितना चावल मिल चुका है और क्या केन्द्र ने पंजाब को चावल उत्पादन सम्बन्धी सभी प्रकार की सहायता दी है?

कृषि मन्त्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : (क) से (ग) 9.5 लाख मी० टन की अधिप्राप्ति करने के लक्ष्य के प्रति, केन्द्रीय पूल में अंशदान देने का लक्ष्य 9.0 लाख मी० टन का था। 20 मार्च, 1974 तक पंजाब में केन्द्रीय पूल के लिए लगभग 8.58 लाख मी० टन चावल अधिप्राप्त किया गया है और आशा है कि केन्द्रीय पूल को उक्त सरकार से चावल का और अंशदान दिया जाएगा। केन्द्रीय पूल को अंशदान देने के लिए पंजाब सरकार को बोनस मिलेगा।

दिल्ली दुग्ध योजना के जन-सम्पर्क अधिकारी को लारेंस रोड के वेल्फेयर फैडरेशन, नई दिल्ली से प्राप्त अभ्यावेदन

4450. **श्री झारखंडे राय :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के जन-सम्पर्क अधिकारी को 30 अक्तूबर, 1973 को लारेंस रोड वेल्फेयर फैडरेशन से कोई अभ्यावेदन मिला है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) 30 अक्तूबर, 1973 को दिल्ली दुग्ध योजना के पास लारेंस रोड वेल्फेयर एसोसिएशन की ओर से कोई खास अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ। तथापि, लारेंस रोड योजना के ए-1 और सी-1 के निवासियों की वेल्फेयर एसोसिएशन से दिल्ली दुग्ध योजना के नये डिपो खोलने के सम्बन्ध में एक अनुरोध प्राप्त होने पर दिल्ली दुग्ध योजना ने 28 जून, 1973 से सी ब्लाक में शाम की पारी का एक डिपो और 26 जनवरी, 1974 से ए ब्लाक में सिर्फ सुबह की पारी का एक डिपो खोला था। एसोसिएशन ने वहां के निवासियों को बिना बारी के अधिक संख्या में दूध के टोकन जारी करने का भी अनुरोध किया था। दिल्ली दुग्ध योजना ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत काल क्रमानुसार दर्ज कर लेती है और इसी क्रम से टोकन जारी किये जाते हैं। अतः दिल्ली दुग्ध योजना के लिए किसी भी स्थान के निवासियों को बिना बारी के टोकन जारी करना सम्भव नहीं है। तथापि, लारेंस रोड डी० डी० ए० कालोनी में रहने वाले टोकनधारियों को उनके टोकनों में दर्ज दूध की मात्रा नियमित रूप से दी जा रही है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के प्लाटों का निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को आवन्टन

4451. **श्री झारखंडे राय :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिमपुरी जैसे विभिन्न क्षेत्र में 1971 में निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को 40 रुपया प्रति वर्ष गज की निर्धारित दर पर विकसित प्लाट आवंटित किये हैं;

(ख) क्या इस प्रकार निर्धारित की गई दरों में भूमि का मूल्य तथा पार्कों, सड़कों और सामुदायिक केन्द्रों की व्यवस्था सहित विकास शुल्क सम्मिलित है; और

(ग) यदि हां, तो क्या लारेंस रोड रेजीडेंशियल योजना के बारे में भी इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया गया है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मत्री (श्री ओम मेहता) : (क) दिसम्बर, 1971 तथा जनवरी, 1972 में, विभिन्न क्षेत्रों में विकसित तथा अर्थ-विकसित भू-खण्ड, 35 रुपये तथा 46 रुपये प्रति वर्ग गज की दर पर आवंटित किये गये थे। पश्चिमपुरी में भूखण्ड 35/- रू० प्रति वर्ग गज की दर पर दिये गये थे।

(ख) इन दरों में भूमि की कीमत, विकास प्रभार, सरकार द्वारा निर्धारित अतिरिक्त प्रभार, सौंदर्य प्रभार और क्षेत्रीय सड़कों तथा ग्रामों के पुनर्विकास प्रभार शामिल हैं।

(ग) जी हां।

टाइप IV के क्वार्टरों का आवन्टन

4452. श्री पी० वेंकटासुब्बया
श्री आर० पी० उलगनम्बी } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 25 वर्ष से अधिक सरकारी सेवा कर चुके काफी कर्मचारी टाईप IV क्वार्टरों के आवंटन के लिए अपनी बारी का बेताबी से इन्तजार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है और इस श्रेणी में इतने दिन तक बारी न आने के क्या कारण है;

(ग) क्या टाइप IV आवंटियों के लिए निर्धारित बड़ी संख्या में क्वार्टर उन लोगों के कब्जे में हैं जो इस टाइप के ऊंचे या निम्न श्रेणी के मकानों के पात्र हैं; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि कम से कम उन व्यक्तियों को तो टाइप IV क्वार्टरों का अविलम्ब आवंटन कर दिया जाए जो 31 दिसम्बर, 1945 से पहले से सेवा में हैं?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली/नई दिल्ली में सामान्य पूल वास के आवंटन के लिये आवेदन पत्र सीमित आधार पर मंगवाये जाते हैं जिस में किसी विशेष आवंटन वर्ष में आवंटन के लिये उपलब्ध होने वाले एककों की संख्या को ध्यान में रखा जाता है। इस आधार पर एकत्र की गई सूचना के अनुसार, टाइप IV वास के आवंटन के लिये 2,614 अधिकारी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

(ग) टाईप IV के क्वार्टर काफी बड़ी संख्या में, उच्चतर टाइप के पात्र अधिकारियों के दखल में हैं। लेकिन निचली टाइप के पात्र उन अधिकारियों की संख्या बहुत कम है जिनके दखल में टाइप IV के क्वार्टर हैं और ये अधिकारी वही हैं जिन्हें 1963 में मकानों का पुर्नवर्गीकरण करते समय संरक्षण प्रदान किया गया था।

(घ) उपलब्ध निधियों और भवन सामग्री की सीमाओं में रहते हुए, सामान्य पूल में यथा संभव अधिक से अधिक रिहाशयी मकान बनाने के प्रयास किये जा रहे हैं?

Percentage of Landless Families to Rural Families

4453. **Shri Jagannathrao Joshi** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the number of landless families in various States in 1960-61 and 1970-71 and their percentage in relation to the rural families of the States; and

(b) the percentage of such families to the total rural population of the country ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) A statement is placed on the Table of the House. [Placed in Library. *See* No. L. T. 6533/74.]

Expenditure Incurred on Administration of F. C. I. and Transportation and Storage of Foodgrains

4454. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) the expenditure incurred on the administration of the Food Corporation of India and the per quintal expenditure incurred on the transportation and storage of foodgrains druring each of the last three years ; and

(b) the special steps taken by Government to reduce this expenditure and the results thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) The expenditure on administrative overheads and the per quintal expenditure on the transportation and storage of foodgrains incurred by the Food Corporation of India on Central Government account during each of the last three years are as under :—

(i) *Administrative overheads :—*

Year		Amount Rs. crores
1970-71		16·03
1971-72		18·99
1972-73	(Prov.)	22·53

(ii) *Transportation and Storage :—*

Year		Transporatation (Rs. per quintal of sale)	Storage
1970-71		3·47	1·01
1971-72		3·96	1·32
1972-73	(Prov.)	3·48	1·15

(b) Government have been giving broad policy directions to the Corporation from time to time on various aspects of its operations including movement and storage in order to bring about economy in the operations. Government have also appointed a Committee of Secretaries to examine the incidentals incurred by the Corporation on various matters including administration transportation and storage. The Committee has almost finalised its study and is expected to submit the report shortly.

मूंगफली की फसल

4456. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973-74 में मूंगफली की कुल कितनी फसल हुई थी;

(ख) पिछले दो वर्षों में कितनी फसल हुई थी;

(ग) इन दो वर्षों में (1971-72 और 1972-73) डालडा और मूंगफली के तेल की क्या कीमतें थीं; और

(घ) वर्ष 1973-74 में मूंगफली का तेल और डालडा की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने के क्या कारण हैं?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) 1973-74 के दौरान मूंगफली के उत्पादन के अंतिम अनुमान कृषि वर्ष के समाप्त होने पर, अर्थात् किसी समय

जुलाई-अगस्त 1974 में ही उपलब्ध हो सकेंगे। तथापि, वर्तमान संकेतों से पता चलता है कि इस वर्ष मूंगफली का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की अपेक्षा काफी अधिक होगा।

(ख) पिछले दो वर्षों 1971-72 और 1972-73 के दौरान मूंगफली के उत्पादन का अनुमान नीचे दिया गया है :—

वर्ष	उत्पादन (छिल्के समेत—हजार मीटरी टनों)
1971-72	6180.5
1972-73	3923.8

(ग) विपणन वर्ष 1971-72 और 1972-73 (नवम्बर से अक्तूबर) के दौरान (मूंगफली के तेल की महत्वपूर्ण मण्डी) बम्बई में वनस्पति और मूंगफली के तेल के मूल्य संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(घ) चालू वर्ष की अवधि में खरीद की अच्छी फसल होने के बावजद मूंगफली के तेल की कीमतों में जो दृढ़ता मौजूद है उसका कारण 1972-73 में व्यापक सूखा पड़ने के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी होना, भण्डारों का कम होना, विभिन्न स्तरों पर सट्टा व्यापार और जमा खोरी की प्रवृत्ति मूल्य स्तर में आम वृद्धि होना और विश्व मण्डी में तेलों की कीमतों में तेजी से वृद्धि होना है। मूंगफली के तेल और अन्य खाद्य तेलों की कीमतों में वृद्धि का असर वनस्पति के मूल्यों पर भी पड़ा है क्योंकि इसके निर्माण पर होने वाला 80% व्यय इन ही तेलों की खरीद पर होता है।

विवरण

बम्बई में वनस्पति (अधिसूचनानुसार) और मूंगफली के तेल के मासान्त थोक मूल्य

(प्रति मीटरी टन—रुपये)

मास	1971-72		1972-73	
	वनस्पति	मूंगफली का तेल	वनस्पति	मूंगफली का तेल
नवम्बर	4860	3750	5655	5400
दिसम्बर	4860	3900	5655	5260
जनवरी	4860	3970	6055	5550
फरवरी	4860	3920	6055	6250
मार्च	4860	3880	6055	6200
अप्रैल	4860	3730	6055	6925
मई	4760	3680	6055	7250
जून	4960	4125	6805	8000
जुलाई	4960	4375	7555	9200
अगस्त	5155	4300	7555	कोई लेन-देन नहीं
सितम्बर	5355	4750	7555	8050
अक्तूबर	5555	4850	7555	7755

स्वातन्त्रोत्तर वर्षों की घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा को भूमि में गाड़ने के लिए अधिकार

4457. **श्री मधु लिमये** : क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वातन्त्रोत्तर वर्षों की घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा तैयार करने तथा उसे दिल्ली के लाल किले के क्षेत्र में भूमि में गाड़ने का अधिकार संसद् के किसी अधिनियम अथवा इसके किसी संकल्प अथवा संविधान के किसी अनुच्छेद से लिया गया था;

(ख) क्या भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद को ऐसा दस्तावेज तैयार करने का अधिकार किसी कानून से प्राप्त है; और

(ग) यदि (क) और (ख) का उत्तर नहीं में है तो क्या कालपात्र को खोद कर बाहर निकाला जायेगा और उसे संसद् के समक्ष टिप्पणी तथा अनुमोदन के लिये रखा जायेगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख). भारत की स्वतन्त्रता की 25वीं वर्षगांठ को मनाने के सम्बन्ध में काल-पात्र को गाड़ने के लिए सरकारी निर्णय अथवा भारतीय ऐतिहासिक अनुसन्धान परिषद् को ऐतिहासिक प्रलेखन तैयार करने के कार्य को सौंपने के सम्बन्ध में किसी भी सांविधिक प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली में सफदरजंग उपरिपुल के गिरने में "तोड़-फोड़" के बारे में मंत्री का वक्तव्य

4458. **श्री मधु लिमये**
श्री प्रसन्न भाई मेहता } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान मंत्री महोदय से इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि जनवरी, 1974 में दिल्ली में सफदरजंग उपरिपुल "तोड़-फोड़" की कार्यवाही के कारण गिरा था ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या साक्ष्य एकत्र किए गए हैं और कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किए गए हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता): **(क) तथा (ख)**. केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्री ने यह कहा था कि इसके गिरने के कई कारण हो सकते हैं जिनमें तोड़-फोड़ की भी एक संभावना हो सकती है।

दुर्घटना के तथ्य तथा परिस्थितियों की जांच करने के लिए जिस में दुर्घटना के कारण भी शामिल हैं, सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के अधीन एक जांच आयोग की नियुक्ति की जो अपनी सिफारिशों के साथ यह भी सुझाव, यदि कोई हो, दे कि भविष्य में ऐसी घटना को रोकने के लिए क्या उपाए किए जाएं।

कालेजों और विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों का भाग लेना

4459. **श्री मधु लिमये :** क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालय और कालेजों के प्रबन्ध में अध्यापकों और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने की आवश्यकता की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ;

(ख) क्या राज्य सरकारों के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों और कालेजों के अध्यापकों की ऐसोसिएशनों तथा विद्यार्थियों की यूनियनों ने इसी प्रकार की मांग की है ;

(ग) क्या सरकार का विचार प्रबन्ध में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के भाग लेने का अवसर देने के लिए केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का है अथवा इसके विकल्प में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से विनियमों तथा अधिनियमों में संशोधन करने के लिए विश्वविद्यालयों को अनुदेश देने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुलहसन) : (क) से (घ) विश्वविद्यालयों तथा कालेजों के प्रबन्ध में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा भाग लिए जाने के बारे में अध्यापक तथा छात्र संघों की ओर से समय समय पर आन्दोलन प्राप्त होते रहे हैं। विश्वविद्यालयों के अभिशासन के बारे में गजेन्द्रगडकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ अध्यापकों तथा विद्यार्थियों द्वारा अभिशासन में भाग लिए जाने के बारे में भी कुछ सिफारिशें की हैं। भारत सरकार तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने समिति की सिफारिशें सिद्धांत रूप से मान ली हैं। समति की रिपोर्ट भी राज्य सरकारों को भेज दी गई है ताकि वे विश्वविद्यालयों के अधिनियमों को संशोधित करते समय उस पर विचार कर सकें।

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम में 1972 के किए गए संशोधन के अनुसार विश्वविद्यालय के कोर्ट में विद्यार्थियों तथा विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों में अध्यापकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कानूनों में जो अभी हाल ही में; संशोधन किए गए हैं अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षणिक परिषद् तथा स्कूल बोर्डों में विद्यार्थी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की शैक्षणिक परिषद् भी, शैक्षणिक परिषद में तथा विभिन्न विषयों की पाठ्यक्रम तथा अध्ययन समितियों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिए जाने की बात पर सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। एक सममिति द्वारा ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं जो विश्वविद्यालय की अन्य निकायों में विद्यार्थियों द्वारा भाग लिए जाने के प्रश्न पर भी विचार कर रही है। इससे विश्वविद्यालय के कानूनों में भी संशोधन करना पड़ेगा। इस संबंध में गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियमों/कानूनों का संशोधन करते समय विचार किया जाएगा।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा अनाज डिसचार्ज करने वाली आधुनिक मशीनी की खरीद

4460. **श्री मधु लिमये :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम ने विदेशों से अनाज डिसचार्ज करने वाली आधुनिक मशीनों की खरीद की है,

(ख) यदि हां, तो ऐसी कितनी मशीन खरीदी गई हैं और किन किन देशों से खरीदी गई हैं, और

(ग) इनकी खरीद पर कुल कितनी धनराशि व्यय हुई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी हां।

(ख) 1973 के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका से 25 वेक्यूवेटर मशीनें, बैल्जियम से 8 विगन मशीनें और स्विटज़रलेण्ड से 6 बुहलर मशीन खरीदी गई हैं।

(ग) इन मशीनों को खरीदने पर सीमा शुल्क, भाड़े आदि सहित अनुमानतः 1.78 करोड़ पए का कुल परिव्यया खर्च हुआ।

सफदरजंग उपरिपुल के गिरने के कारणों की जांच

4461. **श्री बी० एस० मूर्ति**
श्री चन्द्र शेखर सिंह } : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफदरजंग उपरीपुल के गिरने के कारणों की जांच अब किस अवस्था में है ;

(ख) क्या कनिष्ठ कर्मचारियों को निलम्बित किए जाने के अलावा इस मामले में कोई वरिष्ठ अधिकारी जिम्मेवार ठहराया गया है ; और

(ग) पुल को पूरा करने तथा इसे चालू करने में कितना समय लगेगा

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ओम मेहता : (क) तथा (ख). जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जो भारत सरकार के विचाराधीन है।

(ग) पुल के मई, 1974 तक बन जाने की आशा है ?

पनम्बूर पत्तन

4462. **श्री पी० आर० शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैलेट के रूप में कुद्रमुख से लौह अयस्क की सप्लाई करने के लिए अभी हाल के भारत-ईरान समझौते को ध्यान नें रखते हुए, पनम्बूर स्थित पत्तन में सुधार किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सुधार की मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) कुद्रमुख से ईरान को लौह अयस्क के निर्यात के लिए किसी करार को अंतिम रूप नहीं दिया गया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में माल्पे में मत्स्य पत्तन के निर्माण की अनुमानित लागत

4463. **श्री पी० आर० शिनाय** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक राज्य के माल्पे में मत्स्य पत्तन के निर्माण लागत के अनुमान बना लिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस मत्स्य पत्तन का निर्माण कब आरंभ करने का विचार है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) मात्स्यकी बन्दरगाहों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण सम्बन्धी परियोजना में कर्नाटक राज्य में माल्पे में मात्स्यकी बन्दरगाह के निर्माण के सम्बन्ध में विस्तृत इंजीनियरी और आर्थिक मूल्यांकन की रिपोर्टें तैयार की थीं। इन पर 275 लाख रुपए की लागत आने का अनुमान था। कर्नाटक सरकार और मात्स्यकी बन्दगाहों के निवेश-पूर्व सर्वेक्षण सम्बन्धी परियोजना के साथ परामर्श करके इस अनुमान को संशोधित करके 217.13 लाख रुपए कर दिया गया था।

(ख) सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा धन-निवेश के सम्बन्ध में निर्णय लिए जाने के बाद आवश्यक मंजूरी जारी कर दी जाएगी, ताकि राज्य सरकार बन्दरगाह के निर्माण का काम हाथ में ले सके।

भारतीय पत्तनों पर बंकर तेल के मूल्यों में वृद्धि

4464. **श्री गजाधर माझी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय नौवहन कम्पनियों की ओर से यह नोटिस मिला है कि भारतीय पत्तनों पर बंकर तेल के मूल्यों में भारी वृद्धि होने से के कारण वे विदेशी कम्पनियों की तुलना में बड़ी ही अलाभकारी स्थिति में रहती हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने 31-1-1974 से अन्य देशों में प्रचलित मूल्य स्तर की दृष्टि से बंकर ईंधन में कुछ कमी की है।

एरालम फार्म, केरल के कार्यों के बारे में जांच समिति का प्रतिवेदन

4465. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एरालम फार्म के कार्यों के बारे में जांच करने के लिए नियुक्त सरकारी समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इस प्रतिवेदन पर आधारित बातों पर क्या कार्यवाही की गई हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) (क) से (ग) : एरालम फार्म के कार्यों के बारे में जांच करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने अपना

7—212LSS/73

प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। आशा है समिति अप्रैल, 1974 के समाप्त होने से पहले अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी।

केरल को तलकर्षकों (ड्रेजरों) की सप्लाई

4466. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात को जानती है कि केरल में अनेक बन्दरगाहों से गाद निकालने के लिए उनका तलकर्षण करना आवश्यक है जिससे उनको कार्यकरण स्थिति में लाया जा सक ;

(ख) क्या केरल सरकार ने और अधिक तलकर्षकों (ड्रेजरों) की सप्लाई के लिए केन्द्रीय सरकार से कहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). केरल सरकार ने वेपुर मुहाने में पहुंच जलधारा में निकर्षण के लिए एक निकर्षक के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया। केन्द्रीय सरकार ने अक्टूबर, 1973 में वेपुर को एम०ओ०टी० ड्रेजर 2 को भेजा है।

केरल में साक्षरता परियोजनायें

4467. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** : **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल ग्रन्थालय संगम द्वारा केरल में आयोजित साक्षरता परियोजनाओं को केन्द्र सहायता दे रहा है ;

(ख) क्या उक्त संगठन के अधिक अनुदानों के लिए एक विस्तृत योजना भेजी है; और

(ग) यदि हां, उसका व्यौरा क्या है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) जी, हां। सरकार ने केरल ग्रन्थशाला संगम को सहायता की एक प्रायोगिक परियोजना के लिए आर्थिक सहायता दी है। इस परियोजना में साक्षरता कक्षाएं, नव-साक्षरों के लिए साहित्य निर्माण तथा नव-साक्षरों के लिए चल-पुस्तकालय भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। संगम ने राज्य भर में फैले हुए ऐसे 2[illegible] केन्द्रों में, जिन से कुछ महिलाओं तथा आदिवासियों की सेवा करेंगे, कार्यक्रम का विस्तार करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

नेहरू युवक केन्द्रों पर व्यय की गई धनराशि

4468. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सरकार ने गत वर्ष, "नेहरू युवक केन्द्रों" संबंधी परियोजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय की थी;

(ख) क्या सरकार ने उक्त परियोजना का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) इस कार्यक्रम की भावी योजनाओं का व्यौरा क्या है?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) वर्ष 1972-73 के दौरान नेहरू युवक केन्द्र योजना के लिए 13,64, 677.17 रुपए की राशि मंजूर की गयी थी। वर्ष 1973-74 के दौरान 32,16,995.57 रूपए की धनराशि मंजूर की गई है। वास्तविक खर्चे के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) नेहरू युवक केन्द्र योजना युवकों, मुख्यत: गैर-छात्र युवकों की क्रिया कलापों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दशाओं में प्रोत्साहित और समन्वित करती है:—

(1) कार्यात्मक साक्षरता और व्यावसायिक प्रशिक्षण सहित अनौपचारिक शिक्षा;

(2) समाज सेवा;

(3) शारीरिक संस्कृति और खेल।

इस योजना को क्योंकि हाल ही में आरम्भ किया गया है; और इसकी पूरी तरह से कार्यन्वित करने में कुछ समय लगेगा, अत: इसके मूल्यांकन को अपने हाथ में लेने का प्रश्न स्वाभाविक है

(घ) इस योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है ताकि पांचवीं पंच वर्षीय योजना की अवधि के दौरान देश के सभी जिलों को इसमें शामिल किया जा सके।

"यूथ अगेंस्ट फेमाईन' परियोजना और "एन० एस० एस०" पर व्यय की गई धन राशि

4469. **श्री सी० के० चद्रप्पन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष "यूथ अगेंस्ट फैमाईन" परियोजना और "एन०एस०एस०" पर कुल कितनी धनराशि व्यय की है;

(ख) क्या सरकार ने इन परियोजनाओं का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(घ) भविष्य में प्रत्येक के लिए क्या योजनाएं बनाई गई हैं।

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री डी० पी० यादव): (क) 1973-74 के दौरान, 'अकाल बनाम तरूण' और राष्ट्रीय सेवा योजना सम्बन्धी कार्यक्रमों पर भारत सरकार द्वारा क्रमश: लगभग 81 लाख रुपये व 51 लाख रुपये के लगभग खर्च होने की संभावना है।

(ख) और (ग) दिल्ली स्कूल ग्राफ शोसल वर्क द्वारा ग्रारम्भ की गई परियोजना 'ग्रकाल बनाम तरूण' सम्बन्धी मूल्यांकन रिपोर्ट प्राप्त हो गई है ग्रौर उसकी जांच की जा रही है। उससे तथा राष्ट्रीय सेवा योजना की मूल्यांकन रिपोर्ट से इन योजनाग्रों की उपयोगिता का पता चलता है तथा उन्हें उन्हीं संगठनों में ही जारी रखने की वांछनीयता प्रतीत होती है।

(घ) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय सेवा योजाना को जारी रखने का विचार है, जिसमें ऐसे युवक शिविरों के कार्यक्रम भी शामिल होंगे।

अन्तर्देशीय जल का परिवहन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के विचार से सभी नदियों का सर्वेक्षण

4470. **श्री धामनकर :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रन्तर्देशीय जल को परिवहन प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के विचार से देश की सभी नदियों का सर्वेक्षण करने का प्रस्ताव सरकार के सक्रिय विचाराधीन है; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उस प्रकार की योजनाएं कब कार्यान्वित की जाएंगी ग्रौर उन पर क्या व्यय होगा?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) और (ख) देश में सभी मुख्य नौगम्य जलमार्गों के जल सर्वेक्षण का प्रस्ताव राज्य सरकारों के परामर्श से विचाराधीन है। व्यय के ग्रनुमानों सहित योजना के ब्यौरे को ग्रभी तक ग्रंतिम रूप नहीं दिया गया है।

ग्रेडवार लेवी योजना

4471. **श्री धामनकर :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिससे उत्पादकों ग्रथवा मिल मलिकों पर ग्रेड-वार लैवी लगाई जायगी ग्रौर शेष उत्पादों को खुले बाजार में बिना किसी क्षेत्रीय प्रतिबन्ध के बेचने की ग्रनुमति दी जायेगी,

(ख) यदि हां, तो सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ग्रनाज का न्यायोचित वितरण कैसे सुनिश्चित करेगी ग्रौर वे इस सम्बन्ध में क्या नियंत्रण रखेगी जिससे जनता के निर्धन ग्रौर कमजोर वर्ग को ग्रनाज की सप्लाई निश्चित मात्रा में ग्रौर नियमित रूप से सस्ते दामों पर हो सके, ग्रौर

(ग) वर्तमान वितरण प्रणाली की तुलना में प्रस्तावित योजना का क्या लाभ होगा?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) से (ग) चावल ग्रौर मोटे ग्रनाजों के बार में ग्रधिप्राप्ति के वर्तमान तरीके में परिवर्तन करने का कोई विचार नहीं है। तथापि, ग्राशा की जाती है कि आगामी रबी मौसम के लिए अपनायी जाने वाली नीति को शीघ्र ही ग्रन्तिम रूप दिया जाएगा।

भावनगर में खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों के जमा भंडार का पता लगाना

4472. श्री प्रसनभाई मेहता : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने खाद्यान्नों तथा खाद्य तेलों के जमा भंडारों का पता लगाने के लिए भावनगर में जमा खोरों के विरुद्ध अभियान चलाया है;

(ख) क्या इस क्षेत्र में बड़ी मात्रा में खाद्यान्नों की जमाखोरी का समाचार मिला है, और

(ग) भावनगर में जमाखोरी के विरुद्ध अभियान से इस क्षेत्र में खाद्य स्थिति कितनी सुधरी है जहां कि खाद्य की अत्यधिक कमी हो रही थी ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जाएगी ।

यन्त्रीकृत मत्स्य नौकाओं को हुई क्षति

4473. श्री प्रसन्न भाई मेहता : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांच यंत्रीकृत मत्स्य नौकाओं का, चार नौकाओं का द्वारका पत्तन के पास और एक का पोरबन्दर पत्तन के पास, उपयोग नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है; और

(घ) क्या लगभग 90,000 रुपये के मूल्य की और प्रत्येक नौका को काफी क्षति हुई है?

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

गेहूं का लेवी मूल्य नियत करने के लिए दिल्ली में मार्च, 1974 में मुख्य मन्त्रियों की बैठक

4474. प्रसन्न भाई मेहता
श्री आर० वी० स्वामिनाथन } : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या राज्यों के मुख्य मंत्रियों को गहूं के लेवी मूल्य नियत करने संबंधी निर्णय लेने के लिये 15 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में बुलाया गया था,

(ख) यदि हां, तो कितने मुख्य मंत्री बैठक में उपस्थित हुए, और

(ग) बैठक में क्या निर्णय किये गये और गेहूं का क्या लेवी मूल्य नियत किया गया ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) से (ग) रबी मौसम 1974-75 के लिए मूल्य तथा अधिप्राप्ति नीति पर विचार करने के लिए 16 मार्च, 1974 को मुख्य मंत्रियों और राज्यों के खाद्य मंत्रियों का एक सम्मेलन बुलाया गया था । मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली और मुख्य आयुक्त, चण्डीगढ़ के अलावा ग्यारह मुख्य मंत्रियों ने सम्मेलन में भाग लिया था ।

आशा है कि गेहूं के अधिप्राप्ति मूल्यों की शीघ्र ही घोषणा कर दी जाएगी ।

Central Aid to Meet Shortage of Water in Madhya Pradesh

4475. **SHRI G. C. DIXIT :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether serious famine conditions and problem of acute shorgate of water in various parts of Madhya Pradesh had arisen during the last two years; and

(b) if so, the amount of assistance given to the State by the Central Government to meet the situation and for the famine relief works executed this year to date ?

The Minister Of State In The Ministry Of Agriculture (Shri B. P. (Maurya) : (a) Parts of Madhya Pradesh were affected by drought conditions during 1972-73.

(b) On the basis of the recommendations made by the Central Study Team, which visited Madhya Pradesh during February, 1973. an amount of Rs. 4 crores has so far been released to the State Government towards drought relief expenditure.

Agricultural Polytechniques In M. P.

4476. **Shri G. C. Dixit :** Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether a proposal has been included in the Fifth Five Year Plan for setting up Agricultural Polytechniques in Madhya Pradesh ; and

(b) if so, aims and objects of the Polytechniques ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Aannasaheb P. Shinde) : (a) A scheme to set up Krishi Vigyan Kendras (Agricultural Polytechnics) has been prepared by the Indian Council of Agricultural Research for implementation during the Fifth Plan period. The location of Kendras in various parts of the country including madhya Pradesh will be decided in consultation with Agricultural Universities and State Governments after the project is given financial clearance.

(b) The main aims and objects of the Krishi Vigyan Kendras will be as follows :—

1. To impart learning solely through work experience, there by making it possible for both literate and illiterate farmers to undergo training.

2. To impart training to extension workers who are already employed and both to practising farmers and fishermen.

3. To develop for each agro ecological area a course of training suited to the maximisation of the agricultural growth and employment generation potential of that area.

भारत द्वारा वर्ष 1975 के दौरान विश्व कप हाकी मैच का आयोजन

4477. **श्री पी० ए० सामिनाथन :** क्या शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतवर्ष 1975 के दौरान यहां खेले जाने वाले विश्व कप हाकी मैच का आयोजन कर रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्व कप हाकी मैच खेले जाने के स्थान के बारे में निर्णय कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो यह कहां खेला जायेगा ?

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग). भारतीय हाकी संघ ने यह सूचित किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय हाकी संघ द्वारा विश्व कप हाकी प्रतियोगिता, 1975 भारत को आवंटित किया गया है । स्थान से सम्बन्धित प्रश्न, भारतीय हाकी संघ के विचाराधीन है ।

Central Graut to Bihar for Emergentcy Rabi Programme During 1973-74

4478. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether the Central Government had given Rs. 24 crores to the Bihar Government for emergency rabi crops' production last year;

(b) if so, the heads on which the same was spent by Bihar Government; and

(c) The results achieved ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) & (b) Under the Emergency Agricultural Production Programme taken up mainly for increasing production of rabi summer crops during 1972-73. Central Government released an amount of Rs. 17·73 crores as long-term loan to the Government of Bihar for minor irrigation schemes. In addition, the State Government was given a short-term loan of Rs. 7·00 crores for purchase and distribution of agricultural inputs. According to the State Government the long-term loan was utilised by them for minor irrigation schemes relating to :—

(1) Purchase and running of new Emergency River Pumping sets.

(2) Immediate commissioning of existing State tubewells.

(3) Construction of New State tubewells in rain-shadow areas.

(4) Construction of larte diameter wells.

(5) Construction of feeder channels in major canals and installation of pumps on upper reaches of Sone Canal.

(6) Energisation of tubewells.

(7) Barge-mounted river pumps.

(8) Purchase of aluminium pipes for water distribution from State tubewells where channels cannot be constructed because of delay in land acquisition proceedings.

(9) Bamboo borings, Hand pumps, cavity borings.

(10) Purchase of rigs and ancillary equipments.

(c) The achievements in respect of the important special minor irrigation programmes as reported by the State Government are inidcated below :—

	(In Numbers
1. Energisation of tubewells/pump sets	17,000
2. *Lift Irrigation Schemes :*	
(*i*) River pumping sets	600
(*ii*) Barge-mounted river pumps	30
(*iii*) Installation of pumps on upper reaches of Sone Canal	51
3. *Construction of shallow-tubewells :*	
(*i*) Bamboo borings, hand pumps and cavity borings.	46,000
(*ii*) Construction of large diameter wells	1,000
4. Construction of feeder channels	72 miles

Memorandum from Bihar Madhyamik Shikshak Sangh

4479. **Shri Ramavtar Shastri** : Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to state :

(a) whether a delegation of Bihar Madhyamik Shikshak Sangh (Bihar Secondary Teachers Association) had met him on the 22nd February last;

(b) whether the said delegation had presented a memorandum to him.

(c) if so, the gist thereof; and

(d) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Minister In The Ministry Of Education and Social Welfare and Department of Culture (Shri D. P. Vaidav) : (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) The memorandum demanded that Secondary education in Bihar should be nationalised in order to ensure that (i) there is no disparity in the pay of governmental and non-governmental teachers; (ii) lack of security of service under private management is removed; and (iii) salaries are paid to the teachers regularly. Further, the Central Government should spend a minimum of 30% on secondray education.

(d) Education is a State subject. The Government of Bihar has already informed the Bihar Madhyamik Shikshak Sangh that it is not possible to nationalise secondary education. However, the State Government has agreed in principle to remove the disparity in pay scales of government and non-government school teachers by 1979-80 and a phased programme as been prepared for it. It has also been decided that for the security of service, appointment of teachers etc., the existing Secondary Education Board will be converted into an autonomous body. The demand that the Central Government should spend a minimum of 30% on secondary education is not practicable.

Permission For Implimentation of A Housing Scheme In Patna

4480. **Shri Ramavtar Shastri :** Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether the Central Government have sanctioned money for implementation of a housing scheme in Patna, the Capital of Bihar;

(b) if so, the facts thereof; and

(c) whether the Bihar Government have taken permission for the said scheme from the Central Government ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing ((Shri Om Mehta) : (a) to (c) The requisite information has been called for from the Government of Bihar and it will be laid on the Table of the Sabha, when received.

Memorandum from Inland Water Transport Employees' Association

4481. **Shri Ramavtar Shustsi :** Will the Minister of Shipping and Transport be pleased to state :

(a) whether the Anterdeshiya Jal Pariwahan Karamchari Sangh (Inland Water Transport Employees' Association) had sent a telegram to him on the 11th December, 1973 and a memorandum on the 13th December, last;

(b) if so, the contents thereof; and

(c) the reaction of Government thereto ?

The Deputy Ministry in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Pranab Kumar Mukherjee) : (a) & (b). The Anterdeshiya Jal Pariwahan Karamchari Sangh (Inland Water Transport Employees Union), Patna had sent a telegram dated 10th December, 1973 (and not dated 11th December, 1973) and also a memorandum dated 13th December, 1973 stating that all the employees of the I. W. T. Directorate are temporary for the last 15 years, many of them have retired and many died in harness without pernsion and that their families are starving. They requested that the staff concerned may be declared permanent.

(c) Some of these temporary posts have recently been converted into permanent ones and on steps are being taken to declare the eligible employees as permanent against those posts. As

soon as employees are made permanent they will automatically be entitled to pension after retirement as admissible under the Government Rules. Terminal gratuity/family pension, as the case may be, have already been sanctioned as admissible under Government Rules to those persons who have retired or died in harness.

खेती इत्यादि में महिलाओं को प्रशिक्षण देने की योजना

4482. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं को खेती में, जैसे घरेलू उद्यानों में शाक सब्जी उगाने, बीजों के परीक्षण, अनाज भंडारण और पोषक आहार बनाने में प्रशिक्षण देने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा बनाई गई योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) फार्म महिलाएं निम्नलिखित योजनाओं के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करती है :

(1) कृषकों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण

(क) फार्म महिलाओं को प्रशिक्षण देना, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण जिले को (देश में ऐसे 100 जिले हैं) फार्म महिलाओं के लिये वर्षभर में 5-5 दिन की अवधि के 10 प्रशिक्षण कैम्पों की व्यवस्था करनी पड़ती है। एक बैच में प्राय: 30 फार्म महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। उन्हें स्थानीय फसलों के (जिनमें कि ये महिलाएं कार्य करती हैं) खाद्यान्नों के भण्डारण, शाक वाटिका, पशुओं की देख-भाल, सस्ते पोषक आहारों की तैयारी आदि के विषय में प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ख) विशिष्ट कृषि प्रणालियों के विषय में एक दिन के प्रशिक्षण कैम्प की व्यवस्था की जाती है, प्रत्येक जिला फार्म महिलाओं के लिये वर्ष में 30 से 50 तक ऐसे कैम्पों की व्यवस्था करता है।

(2) ऐच्छिक संगठनों को सहायक अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत ऐच्छिक संगठनों को निम्न कार्यों के लिये कुछ सहायता दी जाती है :—

(क) शाक वाटिका, अनाज, बीज के भण्डारण और पोषाहार आदि विषयों में फार्म महिलाओं के लिये प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(ख) देश के अन्दर फार्म महिलाओं का आदान-प्रदान

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण महिलाओं को पड़ौसी/अन्य राज्यों में खेती का दौरा कराया जाता है ताकि उन्हें अन्य क्षेत्रों में हुई प्रगति से अवगत कराकर अनुभव का आदान-प्रदान कराया जाए।

(3) सहायक महिला कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण

सहायक महिला कार्यकर्त्ताओं (ग्रामीण महिला पथ प्रदर्शकों) के लिये ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों में एक महीने की अवधि के प्रशिक्षण को व्यवस्था की जाती है। ये महिला कार्यकर्ता वास्तव में खेतिहर परिवारों की होतीं हैं और अधिकांश मामलों में ये खेती बाडी

के कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इस प्रशिक्षण में पोषाहार सहित वे सभी कृषि सम्बन्धी विषय शामिल होते हैं, जिनसे फार्म महिलाओं का सम्बन्ध रहता है।

4. ग्रामीण युवक पथ-प्रदर्शकों का प्रशिक्षण

इस योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण युवा लड़कियों को ग्राम सेविका प्रशिक्षण केन्द्रों में 12 दिन का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस कार्यक्रम में भी कृषि को प्राथमिकता दी जाती है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों के मकानों का निर्माण

4483. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिये मकानों के निर्माण की दशा में और क्या उपाय किये गये हैं; और

(ख) क्या सरकार ने इसके लिये कोई धन मंजूर किया है और यदि हां, तो वर्ष 1973-74 के दौरान कितनी धन राशि मंजूर की गई?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने नवम्बर, 1970 में रेडस् लाइन्स, दिल्ली में, विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण स्टाफ के लिए 120 क्वाटरस् के निर्माणार्थ दिल्ली विश्वविद्यालय का एक प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। भूमि के विकास की लागत सहित परियोजना की अनुमानित लागत 30,90,400 रुपये है। आयोग ने अब तक विश्वविद्यालय को इस उद्देश्य के लिए 27,20,000 रुपये (1973-74 के दौरान दिए गए 19,80,000 रुपये सहित) का "अन्तरिम" अनुदान दिया है। निर्माण कार्य पूरा होने वाला है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन

4484. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरे वेतन आयोग द्वारा सुलझाये गये केन्द्रीय वेतनमान दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-अध्यापन कार्य करने वाले कर्मचारियों पर लागू कर दिये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो इस अत्यधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक लागू किया जायेगा?

शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दो समितियां नियुक्त की हैं, जो केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में क्रमश: पुस्तकालय, प्रेस, मैडिकल कालेजों, तथा अस्पतालों, लो० नि० वि० और फर्मों आदि के स्टाफ सहित (i) चतुर्थ श्रेणी और सचिवालय स्टाफ तथा (ii) तकनीकी और प्रयोगशाला स्टाफ के वेतन मानों के पुनरीक्षण के सम्बन्ध में सिफारिशें करेंगी। आशा है कि समितियां अपनी-अपनी रिपोर्ट आयोग को शीघ्र ही प्रस्तुत कर देंगी। इसी बीच, आयोग ने ये अनुदेश जारी

किए हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय तथा इसके कालजों सहित सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्तरिम भुगतान के रूप में क्रमश: 150 रुपये और 100 रुपये दे दिए जाएं।

भारतीय विद्वानों और प्रोफैसरों को विदेशों में जाने की अनुमति न देना

4488. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और सांस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1973 और 1974 में किसी भारतीय विद्वान और प्रोफेसर को विदेशों में जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया था जिन्हें वहाँ की प्रसिद्ध शैक्षिक संस्थाओं ने आमंत्रित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्हें अनुमति न देने के क्या कारण है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा सांस्कृति मंत्री (प्रो०एस० नुरुल हसन) (क) से (ग) वर्ष 1973 और 1974 के दौरान, भारतीय अध्यापकों द्वारा सम्मलनों, सेमिनारों, आदि में भाग लेने के लिये विदेशी दौरों के कुछ प्रस्तावों को, आवेदनपत्रों की विलम्ब से प्राप्ति, प्रायोजित करने वाले संगठनों के विषय में अप्रर्याप्त तथा विदेशी मुद्रा की कठिनाई आदि जैसे विभिन्न कारणों से स्वीकृति प्रदान नहीं की जा सकी। इस सम्बन्ध में प्रक्रिया को परिशोधित किया जा रहा है ताकि उचित मामलों में कठिनाइयों से बचा जा सके।

राष्ट्रपति शासन के पश्चात् गुजरात में गेहूं की वसूली की नीति

4489. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 9 फरवरी, 1974 को राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात् राज्य प्रशासन ने गेहूं की वसूली के लिए क्या नई नीति बनाई है ;

(ख) क्या उक्त नीति सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो अब तक उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) यह योजना केवल हाल ही में घोषित की गई है और इसे कार्यरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

(ग) गेहूं की बाजार उपलब्धता में सुधार हुआ है और मूल्यों में गिरावट आयी है।

विवरण

(1) राज्य के अन्दर गेहूं के संचलन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। एक जिले में से दूसरे जिले या एक गांव से दूसरे गांव में लाने-ले-जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा।

(2) गुजरात से अन्य राज्यों को गेहूं के संचलन पर प्रतिबन्ध लगा रहेगा और इस प्रतिबन्ध को प्रभावी बनाने के लिए पड़ताल चौकियों को मजबूत करने और निरीक्षण तथा देख-भाल की प्रणाली में सुधार लाने के लिए पग उठाए गए हैं। राज्य से बाहर गेहूं के चोरी छिपे संचलन को रोकने के लिए जहां आवश्यक हुआ, वहां उन स्वयंसेवी एजेंसियों की सहायता भी ली जाएगी जो कि सहायता करने के लिए इच्छुक हैं।

(3) गेहूं का थोक व्यापार करने की इजाजत और 3 महीनों अर्थात् 31 मई, 1974 तक की अवधि के लिए दी जाएगी। थोक व्यापारियों द्वारा एक समय में रखने के लिए स्टाक की सीमा निर्धारित कर दी गई है।

(4) असिंचित क्षेत्र की गेहूं के बारे में कोई लेवी नहीं होगी।

(5) उत्पादकों पर $1\frac{1}{2}$ क्विंटल प्रति हैक्टर की दर से सिंचित गेहूं पर थोड़ी लेवी लगाई जाएगी तथापि, जिन कृषकों ने 0.4 हैक्टर (एक एकड़) या कम क्षेत्र में गेहूं पैदा की है वे लेवी से मुक्त होंगे। जो लेवी देने के पात्र हैं उनको भी गेहूं के अधीन क्षेत्र के पहले एक एकड़ पर लेवी नहीं देनी होगी।

(6) कृषक उपर्युक्त लेवी देने के पात्र होंगे लेकिन मामलतदार द्वारा मांग नोटिस देने पर वह अपनी लेवी सम्बन्धी दायिता को पूरा करने से पहले भी शेष पैदावार को बेचने के लिए स्वतन्त्र होगा ; दूसरे शब्दों में वह लेवी देने के लिए पर्याप्त मात्रा रखे लेकिन वह गेहूं का सौदा और उसकी सुपुर्दगी भी दे सकता है। गुजरात राज्य सहकारी विपणन समिति, जोकि लेवी एकत्र करने की एजेन्सी है, कलक्टर की देख-भाल में पर्याप्त संख्या में क्रय केन्द्र खोलेगी।

(7) लेवी गेहूं का क्रय मूल्य खुले अनाज के लिए 105 रु० प्रति क्विंटल होगा जिसमें दो रुपये प्रति क्विंटल परिवहन और प्रोत्साहन बोनस भी शामिल है।

कृषि के लिए बनकटाई

4491. श्री फतहसिंह राव गायकवाड़ : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि के विस्तार के लिए सरकार का बनकटाई का कोई कार्यक्रम है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) तथा (ख) राज्यों से सूचना एकत्र की जा रही है और संबंधित सूचना प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय पत्तनों को आधुनिक बनाया जाना

4492. श्रीमती रोजा देशपाण्डे : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज कम्पनी-मालिक सम्मेलन में भारतीय पत्तनों को आधुनिक रूप देने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हाँ तो भारत के मुख्य पत्तनों के विशिष्ट सन्दर्भ में इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या योजनायें बनाई हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां। परन्तु ज्ञात हुआ है कि आल इंडिया शिपर्स कौंसिल ने वाणिज्य मंत्रालय को पत्तन सुविधाओं के बारे में एक टिप्पणी भेजी है ।

(ख) जहाँ तक पत्तनों के आधुनिकीकरण का सम्बन्ध है कौंसिल ने सुझाव दिया है कि हल्दिया और नहावा शेवा में पत्तन सुविधाओं का शीघ्र विकास किया जाए । हल्दिया गोदी पद्धति के इस वर्ष के दौरान चालू होने की संभावना है । नहावा शेवा के संबंध में, योजना आयोग ने यातायात अनुमानों और पर्यावरण संबंधी समस्याओं पर विचार करने के लिए कार्य दलों का गठन किया है और कार्य दल की रिपोर्टों की प्राप्ति के बाद वे परियोजना का जायजा लेंगे।

देश के बड़े पत्तनों के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाओं को हाथ में लिया है ।

उत्तर प्रदेश में चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने का विरोध करना

4493. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सोशलिस्ट इण्डिया" के गणतन्त्र दिवस अंक में प्रकाशित अपने एक लेख में प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री और वर्तमान मुख्य मंत्री श्री कमलापति त्रिपाठी और श्री बहुगुणा ने चीनी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए केन्द्रीय सरकार से मंजूरी मांगी थी, परन्तु केन्द्रीय सरकार ने इस आधार पर राष्ट्रीयकरण की अपेक्षित मंजूरी देने से इंकार कर दिया था कि इससे उत्पादन में गिरावट आयेगी ;

(ख) यदि हां, तो किन निश्चित कारणों से चीनी उद्योग के राष्ट्रीयकरण का केन्द्रीय सरकार विरोध कर रही है ; और

(ग) चीनी उद्योग जांच आयोग के मुख्य निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा "सोशलिस्ट इण्डिया" को दिए गए केवल मात्र इन्टरव्यू जोकि उसके गणतन्त्र दिवस अंक में प्रकाशित हुआ था, से सम्बन्धित हिस्से से उद्धरण संलग्न है । (ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 6534/74) ।

(ग) आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 27 फरवरी, 1974 को प्रस्तुत कर दी है और इस रिपोर्ट की जांच की जा रही है । रिपोर्ट प्रस्तुत करने की छः मास की अवधि में सभा के पटल पर रखने सम्बन्धी सांविधिक अपेक्षा की दृष्टि में रिपोर्ट साथ में लिए गए निर्णय सम्बन्धी ज्ञापन को सभा के पटल पर रख दिया जाएगा ।

सामाजिक आवास योजना हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता का राज्यवार आवंटन

4494. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक सामाजिक आवास योजना हेतु राज्यवार केन्द्रीय वित्तीय सहायता के आबंटन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस अवधि के दौरान राज्यवार कुल कितना धन वास्तविक रूप से वितरित किया गया और व्यय हुआ ;

(ग) क्या सामाजिक आवास योजना की प्रगति संतोषजनक नहीं है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) राज्य सरकारों को निम्नलिखित केन्द्रीय दो क्षेत्र आवास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी जाती है :—

(i) बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना; तथा

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन मजदूरों को आवास-स्थल देने की योजना ।

उपर्युक्त (i) में उल्लिखित योजना वर्ष 1970-71 अर्थात् चौथी योजान के दूसरे वर्ष में राज्य क्षेत्र से केन्द्रीय क्षेत्र को हस्तांतरित कर दी गई थी । उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित योजना अक्तूबर, 1971 में आरम्भ की गई थी तथा इसके कार्यान्वयन के लिये 1972-73 (अर्थात् चौथी पंचवर्षीय योजना के चौथे वर्ष) में निधियां दी गई थीं अत: चौथी योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अन्तर्गत कोई व्यय नहीं किया गया था ।

वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों को नियत की गई तथा उनके द्वारा ली गई केन्द्रीय वित्तीय सहायता का एक विवरण-पत्र संलग्न है । वर्ष 1969-70 में जब यह योजना राज्य क्षेत्र में थी, तो केन्द्रीय सरकार ने इस योजना के अन्तर्गत अलग से कोई नियतन नहीं किया था ।

निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा चलाई गई अन्य सभी सामाजिक आवास योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं । चौथी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ से, वित्त मंत्रालय राज्यों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता सामाजिक आवास योजनाओं सहित राज्यक्षेत्र की सभी योजनाओं को मिलाकर तथा किसी योजना, परियोजना अथवा विकास शीर्ष विशेष से सम्बद्ध किये बगैर 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में देता है । राज्य सरकारें, अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए समेकित सहायता का नियतन करने और उसे उपयोग करने के लिये स्वतन्त्र है । अत: राज्य क्षेत्र में प्रत्येक सामाजिक आवास योजना के लिये केन्द्रीय वित्तीय सहायता का नियतन करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) तथा (घ) साधनों में समस्त रूप से कमी तथा अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को अपेक्षाकृत उच्च प्राथमिकता दिये जाने के कारण ऐसी मात्रा में निधियों का नियतन करना सम्भव नहीं हो पाया है, जिससे कि देश की आवास समस्या पर पर्याप्त प्रभाव पड़ सके ।

विवरण

वर्ष 1970-71 तथा 1971-72 के दौरान बागान कर्मचारियों के लिये सहायता प्राप्त आवास योजना के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकारों को नियत की गई तथा उनके द्वारा प्राप्त की गई निधियों का विवरण :—

(लाख रुपयों में)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नियत की गई धनराशि	प्राप्त की गई धनराशि
1	2	3	4
1.	असम . . .	67.60	45.30
2.	कर्नाटक . . .	10.00	9.84
3.	तमिलनाडु .	2.00	0.50
4.	त्रिपुरा	0.38	—
5.	पश्चिम बंगाल . . .	12.00	6.00
	कुल	91.98	61.64

Statement of Acharya Vinoba Bhave on ban on Cow Slaughter

4495. **Shri Chandulal Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement made by Acharya Vinoba Bhave to the effect that legislation for banning cow-slaughter should be enacted immediately;

(b) whether cow rearing is very essential for agricultural development; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in The Minister of Agriculture (Shri B. P. Maurya) : (a) No Sir. No such statement has come to the notice of Government.

(b) & (c) Yes, Sir. Article 48 of the Constitution was provided as directive principle of State Policy on this consideration.

Non-Supply of Full Quota of Ration in Nangloi

4496. **Shri Chandual Chandrakar** : Will the Minister of **Agriculture** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a complaint made by the Uchit Dar Dukandar Sangh (Fair Price Shopkeepers Association) of Nangloi (Delhi) area to the effect that the Supply Department of Delhi Administration has not supplied the full quota of the provisions to the shops in the area, as a result of which about 50 per cent of the card-holders are not supplied with their ration;

(b) if so, the reasons for non supplying full quota to the shopkeepers; and

(c) the reaction of Government to the said conduct of the supply Department in these days of rising prices and scarcity?

The Minister of Agriculture (Shri Fakhruddin Ali Ahmed) : (a) & (b) The Delhi Administration has reported that a complaint was received from the fair price shopkeepers association of Nangloi (Delhi). The Administration has, however, denied the

the allegation that 50 per cent of the card holders were not supplied specific food articles. It has further stated that supplies are made according to availability and after taking into consideration the fact that all the card holders do not always draw their full quota of food articles.

(c) The distribution of foodgrains within the Territory is the responsibility of the Delhi Administration. Keeping in view the overall availablility in the Central pool, needs of other deficit States, market availability and other relevant factors, maximum possible quantities of foodgrains are being allotted to Delhi from the Central pool for meeting the reasonable requirements of the Public Distribution System.

काकिनाडा मत्स्य पत्तन के लिये योजना

4497. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काकिनाडा मत्स्य पत्तन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना का दूसरे चरण का कार्य अभी तक आरम्भ नहीं हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) काकिनाडा में वर्तमान मात्स्यकी बन्दरगाह के साथ नये मात्स्यकी बन्दरगाह के निर्माण के प्रस्ताव की अभी स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, इस प्रस्ताव की तकनीकी दृष्टि से जांच की गई है और निवेश सम्बन्धी निर्णय लेने के लिये इस पर कार्यवाही कीं जा रही है।

विशाखापत्तनम में मत्स्य ग्रहण पत्तन के निर्माण के संबंध में परियोजना प्रतिवेदन

4498. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में मत्स्य ग्रहण पत्तन के निर्माण के सम्बन्ध में एक परियोजना प्रतिवेदन भारत सरकार को भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इस परियोजना पर निर्णय लिया है।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) भारत सरकार को विशाखापटनम में वाणिज्यिक (वाह्य) बन्दरगाह के भीतर मछली पकड़ने वाले एक बन्दरगाह के निर्माण के लिए परियोजना रिपोर्ट प्राप्त हुई है। मूल अनुमानों के अनुसार बन्दरगाह के प्रथम चरण पर 2.515 करोड़ रु० लागत आने की आशा थी और यह 15 बड़ी नौकाओं तथा 150 यंत्रीकृत नावों के परिचालन की सुविधायें उपलब्ध करेगा। इस बन्दरगाह पर मछली उतारने और जहाज़ों को खड़ा करने के साथ-साथ "स्लिप वे" कर्मशाला, सड़कों, जल-निकास, बिजली, जल-सप्लाई और नौपरिवहन सम्बन्धी सहायता की भी व्यवस्था है। विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट के संशोधित अनुमान के अनुसार इस मात्स्यकी बन्दरगाह पर 3.242 करोड़ रुपये की लागत आएगी।

(ग) यह प्रस्ताव सार्वजनिक पूंजी–निवेश बोर्ड के पास निर्णय के लिए लम्बित पड़ा है।

दिल्ली में कालेजों को भवन निर्माण के लिए अनुदान

4499. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव } : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में उन कालेजों के नाम क्या हैं जिन्हें अब तक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भवन निर्माण के लिए अनुदानों की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) क्या कुछ सम्बद्ध कालजों को ऐसे अनुदान नहीं दिये गये हैं और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार उन कालजों को भवन निर्माण के लिए अनुदान देने का है जिन्हें अब तक अनुदान नहीं दिया गया है ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नुरुल हसन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

सहायक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि

4500. **श्री मुख्तियार सिंह मलिक**
श्री बीरेन्द्र सिंह राव } : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बजट पेश किये जाने के बाद राजधानी में सहायक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि हुई है, और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष के दौरान राजसहायता प्रदान करने तथा सहायक खाद्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाने सम्बन्धी कोई योजना सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसका सार क्या है?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) और (ख) सहायक खाद्य पदार्थों के मूल्यों में कई बातों पर निर्भर करते हुए घट-बढ़ होती है, लेकिन इस बात का कोई संकेत नहीं मिलता कि बजट पेश करने के परिणामस्वरूप विशेषतया मूल्यों में वृद्धि हुई है। तथापि, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न सहायक और संरक्षी खाद्य पदार्थों की पैदावार में वृद्धि करने की व्यवस्था की गई है। सहायक खाद्य पदार्थों की लागत में राजसहायता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

जीवन बीमा निगम द्वारा केरल के स्टेट हाउसिंग बोर्ड को दिया गया ऋण

4501. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1972-73 और 1973-74 के दौरान जीवन बीमा निगम द्वारा केरल के स्टेट हाउसिंग बोर्ड को कितना ऋण दिया गया;

(ख) क्या उक्त बोर्ड ने वर्ष 1974-75 के दौरान विशेष ऋणों की मांग की हैं; और

(ग) यदि हां, तो बोर्ड ने कुल कितनी राशि की मांग की है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) जीवन बीमा निगम ने केरल राज्य आवास बोर्ड को 1972-73 और 1973-74 में कोई ऋण नहीं दिया ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में मत्स्य पत्तनों का विकास

4502. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में मत्स्य पत्तनों का विकास करने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का सार क्या है; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या निर्णय किये हैं तथा कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) और (ख) केरल सरकार ने अपनी पांचवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 22 करोड़ रुपये की लागत से विझिनजोम और वेपोर में गहरे समुद्र में मात्स्यकी बन्दरगाह और नीन्दाकारा, अझीकोड, पोन्नानी, थलायी, मोपला बे, अझीकल, चन्द्रगिरि और थोट्टापल्ली में लघु बन्दरगाह निर्माण करने का प्रस्ताव रखा है । व्यय का परियोजना-बार ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

(रु० लाखों में)

विझिनजोम	1,000
वेपोर	300
नीन्दाकारा	200
मापला बे	100
अझीकोड	200
पोन्नानी	100
अझीकल	50
थलायी	150
चन्द्रगिरी	50
थोट्टापल्ली	50

यह राशि उस राशि के अतिरिक्त है जो राज्य में मात्स्यकी बन्दरगाहों के लिये पहले ही स्वीकृत की जा चकी है और जिसमें कोचीन में मात्स्यकी बन्दरगाह के निर्माण के लिये 272.40 लाख रु० की स्वीकृत राशि भी शामिल है ।

(ग) भारत सरकार पांच छोटी बन्दरगाहों पर मात्स्यकी बन्दरगाह के निर्माण के कार्यों के लिये 2.72 करोड़ रु० की राशि की मंजूरी दे चुकी है। इसका ब्यौरा नीचें दे दिया गया है :—

बन्दरगाह का नाम	राशि (लाख रु०)
1. पोन्नानी	7.50
2. वलियापट्टम	13.06
3. मोपला बे	29.655
4. बेपोर .	3.91
5. विझिनजोम	173.00

केरल सरकार ने अपनी पांचवीं योजना में जिन प्रस्तावों का उल्लेख किया है वे विस्तृत आवश्यकताओं के रूप में हैं और इन प्रस्तावों के विषय में प्रशासनिक मंजूरी देने के लिये कार्यवाही करने से पहले निवेशपूर्व सर्वेक्षण करने पड़ेंगे।

गत तीन वर्षों के दौरान केरल को सप्लाई किया गया वनस्पति तथा शिशु आहार

4503. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा केरल को वर्षवार कितनी मात्रा में वनस्पति तथा शिशु आहार संप्लाई किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितनी मात्रा की मांग की गई; और

(ग) पूरा कोटा सप्लाई न करने के क्या कारण थे ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य): (क) इन जिन्सों में किसी के वितरण पर कोई केन्द्रीय नियंत्रण नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

केरल में परिवहन का विकास

4504. **श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार ने केरल सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान परिवहन का विकास करने के लिए कितनी वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) राज्य सरकार ने उपरोक्त कार्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता की मांग की है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 1974-75 के दौरान उपरोक्त कार्य के लिए राज्य सरकार को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) केरल राज्य सड़क परिवहन निगम की पूंजी में रेलवे के अंशदान के अतिरिक्त राज्य में सड़क परिवहन विकास के लिए केरल सरकार को केन्द्रीय सरकार कोई वित्तीय सहायता नहीं देती। गत तीन वर्षों में राज्य सरकार

द्वारा दी गई अंशदान पूंजी के बराबर की रेलवे की शेयर पूंजी तथा रेलवे द्वारा दिया गया वास्तविक अंशदान निम्न प्रकार है :--

	रेलवे की शेयर पूंजी	रेलवे द्वारा दिया गया अंशदान
1971-72 . . .	70 लाख रुपए	70 लाख रुपए
1972-73	50 लाख रुपए	50 लाख रुपए
1973-74	62.50 लाख रुपए	कुछ नहीं

चूंकि इस कार्य के लिए रेलवे की चौथी योजना में व्यवस्थित पूर्ण धन राशि (10 करोड़ रुपए) 1972-73 के अन्त तक खर्च कर दी गई, रेलवे ने 1973-74 के दौरान किसी भी राज्य सड़क परिवहन निगम को कुछ भी अंशदान न कर सकी।

(ग) 1974-75 में रेलवे द्वारा केरल राज्य सड़क परिवहन निगम को दिये जाने वाली अंशदान की राशि 19.30 लाख रुपए होने की संभावना है।

केन्द्रीय सरकारी प्रैसों/दफ्तरों में कागज की कमी

4505. **श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी प्रैसों/दफ्तरों को कागज की कमी का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कागज की कमी का कारण यह है कि कागज मिलों ने पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय के साथ किये गये ठेकों को पूरा नहीं किया है; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

संसदीय कार्य विभाग तथा निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ओम मेहता) : (क) तथा (ख) जी, हां।

(ग) पेपर मिलों द्वारा की जाने वाली सप्लाई की प्रगति पर ध्यानपूर्वक निगरानी रखी जाती है तथा सप्लाई की प्रगति की समीक्षा हेतु पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय और लेखन सामग्री नियन्त्रक, पेपर मिलों के साथ आवधिक बैठकें करते हैं। स्वदेशी स्रोतों से सप्लाई में कमी के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई उसका सामना करने के लिए, बंगला देश से सफेद मुद्रण कागज का आयात किया गया था तथा 2,800 मी० ट० (लगभग) कागज प्राप्त किया गया।

अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के बारे में भगवती समिति का प्रतिवेदन

4506. **श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं को छोड़कर देश में अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास के लिए भगवती समिति ने वर्ष 1970 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पश्चिम बंगाल के विशेष सन्दर्भ में इसका क्रियान्वयन किस स्थिति में है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां ।

(ख) अन्तर्देशीय जल परिवहन राज्य विषय होने से अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास से सबंधित भगवती समिति की सिफारिशों को कार्यरूप देने के बारे में राज्य सरकारें मुख्यतः सम्बन्धित हैं । समिति की रिपोर्ट राज्य सरकारों को भेजी गई, जिन्होंने समिति की वहुत सी सिफारिशों पर सहमति प्रकट की ।

समिति ने सिफाशि की थी कि स्थायी रूप से एक ऐसा उच्च सत्तायुक्त बोर्ड गठित किया जाये जो विभिन्न योजनाओं के निष्पादन में की गई प्रगति की समीक्षा करे और अन्तर्देशीय जल परिवहन के तीव्र प्रगति से कार्यान्विति और उचित विकास के लिए सुझाव दे। इस सिफारिश पर आधारित दो तल का संगठन अर्थात् नौवहन और परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन बोर्ड तथा परिवहन सचिव की अध्यक्षता में अन्तर्देशीय जल परिवहन कार्यन्वयन और समन्वय समिति की अब स्थापना की गई है।

इसके अलावा, समिति ने 27.31 करोड़ रुपए के परिव्यय की सिफ़ारिश की है जिसे चौथी और पांचवीं पंचवर्षीय योजना में चरणवार किया जाये । 12.42 करोड़ रुपए की 32 योजनाओं में से, जिनकी समिति ने चौथी पंचवर्षीय योजना में कार्यान्विति के लिए सिफारिश की है, अब तक 7.66 करोड़ रुपए की लागत की 22 योजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं । समिति की अन्य सिफारिशों के आधार पर 6.75 लाख की लागत की दो और योजनाएं स्वीकृत की गई हैं । सभी 24 योजनाओं की कुल लागत 7.73 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं कार्यान्विति के विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से बहुत से कार्य चालू वर्ष के अन्त तक पूरे हो जाने की संभावना है। समिति द्वारा चौथी योजना अवधि में कार्यान्विति के लिए अनुशंसित 32 योजनाओं में से 274.72 लाख रुपए की लागत की 6 योजनाएं पश्चिम बंगाल सरकार से सम्बन्धित हैं । इनमें से अब तक 108.12 लाख रुपए की 3 योजनाएं निष्पादन के लिए स्वीकृत की जा चुकी हैं । इनमें ये शामिल हैं :—

(i) तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण तथा गंगा-भागीरथी-हुगली पर अन्य जांच कार्य— 1.10 लाख रुपए; (ii) रायदीधी में एक घाट का निर्माण 2.08 लाख रुपए (iii) कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी में फैरी सेवा चलाना— 104.94 लाख रुपए । राज्य सरकार ने इन योजनाओं का निष्पादन कार्य शुरू कर दिया है । कृष्टोपुर नहर के सुधार की परियोजना रिपोर्ट प्राप्त गई है और उसकी जांच की जा रही है। शेष योजनाओं पर रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुई है ।

समिति ने पांचवीं योजना अवधि में कार्यान्विति के लिए 14.89 करोड़ रुपए की लागत की 14 विकास योजनाओं की सिफारिश की थी । इनमें पश्चिम बंगाल में हिजिली टिडल नहर के सुधार सम्बन्धी एक योजना शामिल है—40.50 लाख रुपए । राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे योजना के विस्तृत अनुमान नये सिरे से तैयार कर रहे हैं। समिति की सिफारिशों में एक के अनुसार पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सूचित किया है कि

उन्होंने पांचवीं योजना अवधि में अन्तर्देशीय जल परिवहन नौचालन सैल को सशक्त करने के लिए कदम उठाए हैं ताकि उस राज्य में अन्तर्देशीय जल परिवहन योजनाओं को तैयार करके उनका निष्पादन किया जा सके।

अलीगढ़ और वाराणसी के मैडिकल कालेजों/संस्थाओं के प्राध्यापकों के वेतनमान

4507. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलीगढ़ अथवा वाराणसी में केन्द्र शासित मैडिकल कालिजों/संस्थाओं के प्राध्यापकीय कर्मचारियों के वेतन-मान दिल्ली और चण्डीगढ़ के कर्मचारियों के वेतनमान की अपेक्षा कम हैं;

(ख) यदि हां, तो परिलब्धियों में इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या निकट भविष्य में उन्हें उनके बराबर करने का विचार है ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : (क) से (ग) जवाहरलाल नेहरू मैडिकल कालिज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और विश्वविद्यालय मेडिकल कालिज, दिल्ली विश्वविद्यालय के अध्यापकों के वेतनमान एक समान हैं। उक्त वेतनमान लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज, दिल्ली तथा मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज, दिल्ली के तदनुरूपी पदों के वेतनमानों से कम हैं; पहले पदों के वेतनमान उन्हीं विश्वविद्यालयों के विभिन्न संकायों में कार्य कर रहे अध्यापकों के वेतनमानों पर आधारित हैं, जब कि बाद के वेतनमान केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के वेतनमानों के समान हैं। अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली और उत्तर स्नातक चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ मुख्यतः अनुसंधान संस्थान है और उनके अपने वेतनमान हैं।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय यह नहीं चाहते कि विभिन्न संकायों में नियुक्त अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न वेतनमान हों; तथापि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों सहित सभी विश्वविद्यालयों और कालेज-अध्यापकों के वेतनमानों को परिशोधित करने के सामान्य प्रश्न की जांच की जा रही है।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए प्रस्ताव

4508. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश की अन्तर्राज्यीय अथवा आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के लिए 279 लाख रुपये का ऋण अलग से रख दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त ऋण प्राप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के पिछड़े जिलों में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के संबंध में कुछ प्रस्ताव पेश किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त ऋण में यह प्रस्ताव भी सम्मिलित होंगे ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग). उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अन्तर्राज्यीय या आर्थिक महत्व की राज्य सड़कों के केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित सड़कों और पुलों के निर्माण/सुधार के लिए 279.30 लाख रुपये की ऋण सहायता का अनुमोदन किया गया है :—

1. भिड-जलौन सड़क जिसमें पहुज नदी पर पुल शामिल है . .	72.00	लाख रुपए
2. चौस-कुमहर सड़क पर कर्मनाशा नदी के ऊपर पुल (उत्तर प्रदेश और बिहार के बीज लागत विभाजित की जाएगी) . .	12.00	लाख रुपए
3. दस्यु ग्रस्त इलाकों में 11 सड़कें (**संलग्न सूची देखें**) . .	134.50	लाख रुपए
4. पुलों सहित जगतपुर—डलमऊ सड़क . .	20.00	लाख रुपए
5. रायबरेली—मोहनगंज रोड में सुधार .	18.00	लाख रुपए
6. पुलों सहित सरेनी-सेरमी का निर्माण . . .	22.80	लाख रुपए
	279.30	लाख रुपए

प्रस्तुत ऋण सहायता से अधिक धन की राज्य सरकार ने अपने ही साधनों से पूर्ति करनी है । ऐसे कार्यों के लिए सरकारों को प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत राज्य सरकार, एक करोड़ रुपए की लागत तक की परियोजनाओं के लिए अनुमानों को स्वीकार करने हेतु सक्षम है । अनुमानों की स्वीकृति के बारे में राज्य सरकार की सूचना प्राप्त होने पर राज्य सरकार को पेश किये गये ऋण के भुगतानों के लिए आवश्यक प्राधिकरण, क्रम संख्या 1,4, 5 और 6 में उल्लिखित कार्यों के बारे में भारत सरकार ने दे दिये हैं और शेष (मद 2 और 3) के संबंध में क्षण भुगतान के लिए उस समय कार्रवाई की जायेगी, जबकि राज्य सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति की सूचना भारत सरकार को प्राप्त हो जाएगी ।

विवरण

100 प्रतिशत केन्द्रीय ऋण सहायता से उत्तर प्रदेश में चम्बल घाटी के दस्यु ग्रस्त इलाके में बनाई जाने वाली अनुमोदित अन्तर्राज्य सड़कों की सूची :—

क्र० सं०	सड़क का नाम	लम्बाई किलोमीटरों में	अनुमानित लागत (रुपए लाखों में)
1	2	3	4
1.	उमरी-कंवर-फौप-चौरीला	39	39.00
2.	मंचद-उंचो-माधोगढ़	10	10.00
3.	तेहनगुर-संडियूस-साहसन	—	—
4.	उदोतगढ़-कंजराघाट-कंजरा .	3	3.00
5.	दबोह-समथर	10	10.00
6.	इंदरगढ़-पंडोखार-समथर	7	7.00
7.	बनपुर-टीकमगढ़	5	5.00

1	2	3	4
8.	वनपुर-केलवन-गोरा . . .	14.50	14.50
9.	पाली-पीरघाट-खिमलासा-कंजिया . .	38	38.00
10.	वरिथा-गिरार . . .	—	—
11.	वड़रगांव-कजरवाह, सड़क के साथ मिलाने के लिए सोजना-जागरा (मध्य प्रदेश की सीमा पर) .	8	8.00
	कुल . .	134.50	134.50

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद द्वारा पुस्तकों की समीक्षा

4509. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद अगले वर्ष के आरम्भ में सामाजिक विज्ञान तथा जीव-विज्ञान पर अपनी प्रकाशित 100 से अधिक पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा करेगी;

(ख) यदि हां, तो उनकी समीक्षा की क्या आवश्यकता पड़ी ; और

(ग) क्या इन पुस्तकों का उपयोग अब तक केवल सरकारी संस्थानों तथा स्कूलों में ही होता था या सार्वजनिक संस्थानों और पब्लिक स्कूलों में ही होता था ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद ने सामाजिक-विज्ञान तथा जीव-विज्ञान में अपने द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों की समीक्षा करने के लिये पहले ही से एक कार्यक्रम शरू किया हुआ है । रा० शि० प्र० तथा श० परि० ने अब तक 132 पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया है जिनमें से 20 पुस्तकें सामाजिक विज्ञान में हैं और 15 भाषाओं में हैं ।

(ख) स्वीकृत शिक्षा नीति के इस उद्देश्य से समीक्षा कार्य को शुरू किया गया है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षा सामग्री की आवधिक रूप से समीक्षा तथा संशोधन किया जाय । परिषद् द्वारा तैयार की गयी पाठ्यपुस्तकें 5 से 10 वर्ष की अवधि के बीच से प्रयोग में हैं ।

जहाज निर्माण के तरीकों का अध्ययन करने के लिय कोचीन शिपयार्ड से प्रशिक्षणार्थियों का दल ब्रिटेन को रवाना होना

4510. **श्री राजदेव सिंह** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन शिपयार्ड के प्रशिक्षणार्थियों का एक दल एक सहयोगी फर्म से जहाज निर्माण के तरीकों का अध्ययन करने के लिए ब्रिटेन रवाना हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) कोचीन शिपयार्ड के 9 अधिकारी, जिनमें नौसेना वास्तुविद, इंजीनियर और प्रशिक्षण अधिकारी शामिल है, पोर्ट ग्लासगो में किंगस्टन शिपयार्ड आफ स्काट लिथगो लिमिटेड में इस समय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि पोत निर्माण में और तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण देने में तकनीकी सहायता देने के लिए उस फर्म के साथ करार हुआ था। प्रशिक्षण अधिकारियों को 6 महीने का तथा शेष को 9 महीने प्रशिक्षण प्राप्त करना है। प्रशिक्षण 24-9-1973 को शुरू हुआ था।

गत तीन वर्षों में खाद्य तेलों की आवश्यकता और उनकी उपलब्धता

4511. डा० **हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में देश में खाद्य तेलों की कितनी मात्रा में आवश्यकता थी तथा वे कितनी मात्रा में उपलब्ध थे ;

(ख) इन में से प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में खाद्य तेलों और तिलहनों का आयात किया गया; और

(ग) क्या पांचवीं पंच वर्षीय योजना में देश को खाद्य-तेलों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने का कोई विशेष कार्यक्रम है ; और यदि हां, तो कार्यक्रम का सारांश क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) खपत संबंधी किसी बृहत् एवं वैज्ञानिक सर्वेक्षण की अनुपस्थिति में और इस बात को दृष्टिगत रखते हुए कि मांग कुछ सीमा तक मूल्यों में परिवर्तन, आय के स्तर, खपत के प्रतिमान, जनसंख्या की वृद्धि, आदि बातों पर निर्भर करते हुए बदलती रहती है। अतः देश में खाद्य तिलहनों/तेलों की मांग के ठीक-ठीक अनुमान तैयार करना सम्भव नहीं है। जहां तक उपलब्धि का संबंध है, 1970-71 से 1972-73 तक के गततीन वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण खाद्य तेलों के उत्पादन के अखिल भारतीय अनुमान निम्नलिखित विवरण में दिये गये हैं :—

('000 मीटरी टन में)

जिंस	1970-71*	1971-72*	1972-73%
मूंगफली का तेल .	1,413	1,429	874
सरसों का तेल	633	456	604
तिल का तेल . . .	175	140	110

*तिलहनों के आंशिक रूप से संशोधित उत्पादन के अनुमानों पर आधारित हैं।

%तिलहनों के उत्पादन के अंतिम अनुमानों पर आधारित हैं। इन में संशोधन हो सकता है।

टिप्पणी: (i) ये अनुमान उपलब्धि के आधार पर तैयार किए गए हैं, जिसमें संबंधित तिलहनों की देशी तथा आयातित उपलब्धि, बीज, प्रत्यक्ष मानक्खपत, तथा तेल में बदलने का अनुपात, आदि विभिन्न उद्देश्यों के लिए इन तिलहनों के उपयोग के संबंध में कुछ अनुमान भी शामिल हैं।

(ii) वर्ष 1973-74 के तिलहनों के उत्पादन के अनुमान अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

देश में तिलहनों/तेलों का आन्तरिक उत्पादन मांग की तुलना में कम है ।

(ख) वर्ष 1970-71 से 1972-73 तथा वर्ष 1973-74 के दौरान आयात की गई खाद्य तेलों तथा तोरिया के बीजों की मात्रा को प्रतिदर्शित करने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ग) खाद्य तेलों के संबंध में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने के लिए पंचम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप में परम्परागत तथा गैर-परम्परागत तिलहनों (अर्थात् सोयाबीन तथा सूरजमुखी) के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करने और विनौला, चावल की भूसी तथा नारियल आदि विभिन्न श्रोतों से भी तेल की सप्लाई को बढ़ाने का विचार है। तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अपनाई जाने वाली नीति में क्षेत्र तथा सिंचाई की सुविधाओं का विस्तार करना, तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि करना, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में उत्पादन में आने वाले तीव्र उतार-चढ़ाव को रोकना और अनुसंधान संबंधी प्रयासों को गतिमान करना, आदि शामिल है।

विवरण

खाद्य तेलों तथा तोरिया का आयात

(मीटरी टनों में)

जिस	1970-71	1971-72	1972-73	1973-74×
पाम आयाल .	—	—	5,052	76,870×
सोयाबीन का तेल	99,603	80,331 +59,554*	24,693	33,833
सूरजमुखी का तेल	—	— 2,983*	—	—
तोरिया का तेल	—	—	8,292* — 10,170	32,735
तोरिया के बीज	28,260	49,250 +17,200*	67,052	26,777

*राहत सप्लाई ।

×मार्च के अंत तक प्राप्त होने वाला 14,700 मीटरी टन भी शामिल है ।

गेहूं उगाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन

4512. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं के थोक व्यापार के सरकारीकरण के बाद किसानों को गेहूं उगाने के लिए प्रोत्साहन देने सम्बन्धी कोई योजना है ताकि किसानों को मोटे अनाज अथवा वाणिज्यिक फसलें उगाने से रोका जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी सार क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि में गेहूं की खेती की गई और आगामी वर्षों में इसमें कितनी कमी होने की सम्भावना है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे) : (क) तथा (ख) गेहूं के थोक व्यापार का सरकारीकरण वर्ष 1973-74 के विपणन मौसम के प्रारम्भ से शुरू

किया गया था । इस मौसम के लिये देशी सामान्य गेहूं तथा विभिन्न किस्मों के मैक्शिकन गेहूं के लिये निर्धारित किये गये 76 रुपये प्रति क्विन्टल के अभिप्राप्ति मूल्य की तुलना में आगामी फसल के लिए न्यूनतम साहाय्य मूल्य बुवाई के मौसम से पहले 85 रुपये प्रति क्विन्टल निर्धारित किया गया था। कृषि मूल्य आयोग ने इस फसल के लिये 95 रुपये प्रति क्विन्टल के अधिप्राप्ति मूल्य की सिफारिश की है। अधिप्राप्ति मूल्य के स्तर को निर्धारित करने में अन्य बातों के साथ-साथ अन्तर्वर्ती फसल के मूल्यों की समानता को भी ध्यान में रखा जाता है ।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में खाद्यान्नों की बुवाई के कुल क्षेत्र एवं गेहूं की बुवाई के कुल क्षेत्र तथा गेहूं की बुवाई के क्षेत्र की प्रतिशतता के आंकड़े नीचे दिए गए हैं :—

(क्षेत्र दस लाख हैक्टर में)

वर्ष	खाद्यान्नों की बुवाई का क्षेत्र	गेहूं की बुवाई का क्षेत्र	प्रतिशतता
1970-71 .	124.3	18.24	14.7
1971-72 .	122.6	19.16	15.6
1972-73	117.4	19.88	16.9

वर्ष 1973-74 के आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं ।

राजस्थान द्वारा 1974-75 के लिये प्रस्तुत लघु सिंचाई योजना

4513. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने वर्ष 1974-75 के लिये लघु सिंचाई योजना प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका सारांश क्या है और उस पर कितना व्यय होगा ; और

(ग) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : (क) जी नहीं। राजस्थान सरकार से राज्य की योजना के अलावा लघु सिंचाई योजनाओं के लिये 1974-75 में केन्द्रीय सहायता के प्राप्त करने के लिये कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता ।

राजस्थान में बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत भूमि

4514. **डा० हरि प्रसाद शर्मा :** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय राजस्थान में बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत कितनी भूमि है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बी० पी० मौर्य) : 1971-72 के वर्ष के भूमि उपयोग सम्बन्धी अन्तिम आंकड़े उपलब्ध हैं। उनके अनुसार राजस्थान में बड़ी, मध्यम तथा लघु सिंचाई योजनाओं के अन्तर्गत लाया गया कुल क्षेत्र 21.7 लाख हैक्टर है ।

Improvement in System of University Education

4515. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Education, Social Welfare and Culture** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 141 on the 23rd July, 1973 regarding Introduction of Vocational Training in Colleges and state :

(a) whether the scheme to bring about some improvement in the system of University education in view of the present condition of the country, so that the students could also be given practical training in various social fields, *e.g.* agriculture, industries, productivity of essential items, has since been finalised; and

(b) if so, the main features of the scheme in this regard ?

The Minister of Education, Social Welfare and Culture (Prof. S. Nurul Hasan) : (a) and (b) The University Grants Commission attaches high priority to linking education with productivity and research and to the introduction of work experience as a part of the university level courses. The Commission proposes to set up a Committee to examine this question in detail. The programme will be implemented in some selected Universities Institutions during the Fifth Five Year Plan, subject to availability of funds.

The Commission is also of the view that attempts will have to be made to bring about congruance of the University Curriculum with needs of the country, and has decided to appoint an Expert Committee to work out the broad outlines and structure of courses.

Sowing of Garma and Bhadai Crops during 1974 to meet shortfall in Rabi Production

4516. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Agriculture be pleased to state :

(a) whether the rabi crop is likely to register a shortfall in 1974 over the previous year throughout the country ; and

(b) if so, the schemes being formulated for sowing maximum garma and Bhadai crops in 1974 so as to make up the shortfall ?

The Minister of State in the Ministry of Agriculture (Shri Annasaheb P. Shinde) : (a) The foodgrains production during Rabi 1972-73 was 37·97 million tonnes and the target for Rabi 1973-74 was fixed at 48 million tonnes. The rabi production during this year would depend upon several factors like favourable conditions of soil moisture that prevailed at the time of sowing, deficiency of rainfall during January-February, 1974, severe cold during the crop growth period and overall shortage of fertilisers, power and diesel in the country. However, firm estimates of production of rabi crop for 1973-74 would be available after the close of the current agricultural year *i. e.* sometimes during July-August, 1974 and it is too early to say that Rabi crop will register a shortfall throughout the country.

(b) There are no separate schemes formulated for sowing *Garma* and *Bhadai* crops in 1974. However, efforts are being made by the Central and State Governments to realise the food production targets in general by (*i*) increasing the area under important crops; (*ii*) extension of area under HighYielding Varieties of Crops; and (*iii*) concertration of efforts and improved crop management with supporting inputs in selected areas that have greater potential but where high yielding varieties have not yet been successfully adopted.

Lavatory for Servant Quarters attached to residences of Members of Parliament

4517. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of Works and Housing be pleased to state :

(a) whether in a few servant quarters attached to the residences of Members of Parliament, lavatories have been provided while in others this facility has not been provided ;

(b) whether the same rent is charged for all servant quarters irrespective of whether the lavatory has been provided therein or not; and

(c) if so, the reasons for this partiality ?

The Minister of State in the Department of Parliamentary Affairs and in the Ministry of Works and Housing (Shri Om Mehta) : (a) & (b) In many cases, servants' quarters attached to or intended for the Members of Parliament residences, had no lavatories. These were provided in some at the request of the Members of Parliament on payment of extra rent by them.

(c) Does not arise.

Proposal to increase emoluments and perquisites of M. Ps

4518. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Parliamentary Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1783 on the 4th March, 1974 regarding proposal to increase emoluments and perquisites of M. Ps and state :

(a) whether Government have since considered taking into view the abnormal price rise prevailing at present and taken decisions in the matter ;

(b) if so, what are the decisions ; and

(c) if not, when the decisions will be taken ?

The Minister of Parliamentary Affairs (Shri K. Raghuramaiah) : (a) to (c) The matter is still under consideration.

सांस्कृतिक आदान-प्रदान के संबंध में भारत-अफगान समझौता

4519. **श्री एम० एस० संजीवी राव :** क्या शिक्षा, **समाज कल्याण और संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संस्कृति आदान-प्रदान के संबंध में भारत-अफगान समझौता तैयार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) और (ख) जी, हां, । 1973 और 1974 वर्षों के लिए, भारत-अफगान सांस्कृतिक विनियम कार्यक्रम पर नई दिल्ली में 2 अप्रैल, 1973 को हस्ताक्षर किये गये थे । उक्त कार्यक्रम में शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला तथा संस्कृति, रेडियो, टेलीविजन, प्रेस और खेलकूदों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग की परिकल्पना की गई है । उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत दोनों देश; प्रोफेसरों, विशेषज्ञों, कलाकारों, पुरातत्वज्ञों, नृत्य और संगीत मण्डलियों का आदान-प्रदान करेंगे और उच्च अध्ययन तथा अनुसंधान के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करेंगे तथा शैक्षिक साधनों, प्रकाशनों, पुरावशेषों और कला वस्तुओं के नमूनों का आदान-प्रदान करेंगे ।

सभा पटल पर रखें गयें पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

बड़ौदा नगर निगम (पार्षदों की कार्यविधि का विस्तारण) अध्यादेश, 1974

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 9 फरवरी, 1974 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित

संविधान के अनुच्छेद 213(2)(क) के उपबन्धों के अन्तर्गत बड़ौदा नगर निगम (पार्षदों की कार्यविधि का विस्तारण) अध्यादेश, 1974 (1974 का गुजरात अध्यादेश संख्या 2) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो गुजरात के राज्यपाल द्वारा 24 जनवरी, 1974 को प्रख्यापित किया गया था।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6522/74]

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जलपरिवहन लिमिटेड कलकत्ता, 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा समीक्षा

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ:—

(1) केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1972-73 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) केन्द्रीय अन्तर्देशी जल परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक और महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6523/74]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचना

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्रपाल सिंह) : मैं श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) सा० सां० नि० 123(ङ) जो भारत के राजपत्र दिनांक 7 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा मोटे अनाज के लाने ले जाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी किये गये कतिपय आदेशों को रद्द किया गया है।

(दो) महाराष्ट्र खाद्यान्न (निर्यात नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 मार्च, 1974 में अधिसूचना संख्या सा० सा० नि० 124 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) दादरा और नगर हवेल खाद्यान्न (निर्यात नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र, दिनांक 7 मार्च, 1974 म अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 125(ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(चार) ऊर्वरक (लाने-ले-जाने पर नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुआ था।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 6524/74]

विशाखापत्तनम न्यास, 1972-73 के वार्षिक लेखे

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं मुख्य पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत विशाखापत्तनम्, पत्तन न्यास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6525/74]

निर्माण और आवास मंत्री (श्री भोला पासवान शास्त्री) : मैं स्थावर सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन अधिनियम, 1952 की धारा 17 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सां० आ० 688 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 9 मार्च, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 29 सितम्बर, 1973 की अधिसूचना संख्या सां० आ० 3062 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6526/74]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : मैं चुखा पन बिजली परियोजना सम्बन्धी भारत-भूटान करार जिस पर 23 मार्च, 1974 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किये गये हैं, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6527/74]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति

47वां प्रतिवेदन तथा कार्यवाही-सारांश

6. **श्रीमती सुभद्रा जोशी** (चाँदनी चौक) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति का निम्न-लिखित प्रतिवेदन तथा कार्यवाही सारांश प्रस्तुत करती हूं।

(1) माडर्न बेकरीज (इण्डिया) लिमिटेड के बारे में 47वां प्रतिवेदन।

(2) उपर्युक्त प्रतिवेदन से सम्बन्धित समिति की बैठकों के कार्यवाही सारांश।

नियम 377 के अन्तर्गत मामले

MATTERS UNDER RULE 377

विश्वविद्यालय और महाविद्यालय, अध्यापकों द्वारा अपनी मांगों के सम्बन्ध में संसद भवन के सामने प्रदर्शन

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं सदन का ध्यान देश के सभी भागों से आए विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों द्वारा संसद के समक्ष किए गए प्रदर्शन की ओर दिलाना चाहता हूं।

देश में शिक्षक वर्ग के साथ आज सब से अधिक दुर्व्यवहार हो रहा है। 1966 से लेकर अब तक इन के वेतनमान पुनरीक्षित नहीं किए गए हैं। अनेक समितियों ने इस मामले पर विचार किया है। सेन समिति ने इस पर विचार किया। तत्पश्चात लगभग एक वर्ष पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार को इस बारे में कुछ सिफारिशें प्रस्तुत कीं। विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापक फेडरेशन

ने इन सिफारिशों को मान लिया परन्तु फिर भी आज तक कुछ नहीं किया गया है। समझ में नहीं आता कि सरकार द्वारा किस कारण विलम्ब किया जा रहा है। अध्यापकों का शिष्टमंडल राष्ट्रपति जी से मिला था। उन्होंने उन से अपनी सहानुभूति व्यक्त की ।

अध्यापकों की दूसरी मांग सेवा की सुरक्षा की है। उन्हें गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया जाता है। परन्तु कानून उनकी सहायता नहीं कर सकता। इसी प्रकार उन्हें सेवा निवृत्ति लाभ भी प्राप्त नहीं है। बाध्य हो कर उन्हें यह कहना पड़ रहा है कि यदि उनके साथ यही व्यवहार चलता रहा तो उन्हें सीधी कार्यवाही करनी पड़ेगी ।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वे उनके शिष्टमंडल से मिलने को तत्पर हैं। उसके साथ ही सदन में सरकारी मत स्पष्ट किया जाये और बताया जाये कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वित क्यों नहीं किया जा रहा है।

शिक्षा, समाज कल्याण और संस्कृति मन्त्री (प्रो० एस० नूरुल हसन) : माननीय सदस्यों को मालूम है कि मैं भी इन अध्यापकों के वर्ग में से ही हूं। मैं भूतकाल में अनेक अवसरों पर विश्वविद्यालय एवं कालेज अध्यापकों के शिष्टमंडलों से मिल चुका हूं और आज भी मैं उनसे मिलने वाला हूं।

वेतनमानों के पुनरीक्षण के बारे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। सरकार द्वारा इस मास के अंत तक कोई निर्णय लिये जाने की संभावना है ।

जहां तक सेवा की सुरक्षा की बात है, सरकार की स्थिति स्पष्ट है। सरकार इस बात से पूरी तरह सहमत है और सभी राज्य सरकारों से कहा गया है कि इसे सुनिश्चित करने के लिये अपक्षित कानून बनाया जाये। कुछेक राज्य सरकारें ऐसा कानून बना चुकी हैं और कुछ द्वारा बनाया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (ग्वालियर) : संघ राज्य क्षेत्रों की स्थिति क्या है ? दिल्ली में उन्हें ऐसी सुरक्षा प्राप्त नहीं है ।

प्रो० एस० नूरुल हसन : दिल्ली के संबंध में दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम सदन द्वारा पारित किया जा चुका है। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई अध्यादेश भी केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत किये जा चुके हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय अधिनियम के संशोधन द्वारा विश्वविद्यालय अध्यापकों की सेवा सुरक्षित की जायेगी ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को सेवा निवृत्ति लाभों के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी अनमति दे दी है और राज्य विश्वविद्यालयों से भी कहा गया है कि ऐसी व्यवस्था की जाये ।

सदस्य की गिरफ्तारी के बारे में

Re. ARREST OF MEMBER

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Sir I want to raise a matter of my arrest. It has been stated in the Bulletin dt. 23-3-74 that "He is being produced before the Judicial Magistrate first class for trial". But the fact is that I was not produced. Can wrong information be given to the house.

Mr. Speaker : I am merely concerned with intimation. It comes and I tell to the House.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I was produced before Executive Magistrate and remand was obtained for 8 days. Though it can be done only by producing before a Judicial Magistrate.

Mr. Speaker : I am merely concerned with the intimation. Other thing is for the court to decide.

Shri Atal Bihari Vajpayee : I am not seeking your decision. I just wanted to know whether it was necessary to give you wrong information. Moreover it does not relate to me only. It is a a question of individual's liberty. Delhi Police arrested about 350 people during the night on the threat of breach of peace. Some of these have been arrested from their homes. A few labourers who were sleeping under Bhogal Bridge have been arrested.

Mr. Speaker : Seek court's help.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Parliament has to raise its voice about individual's liberty. Is there Democracy in Delhi or not ? Home Minister should order an enquiry about this.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, I have a point of order. (*Interruptions*). They talk of Democracy but on the other hand violate it by opposing the Railway Budget which has been deleted and accepted in the House. I suggest that those Members who oppose such measures should be punished.

Shri Atal Bihari Vajpayee : Sir, there is no point of order in it.

अध्यक्ष महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है ।

Shri Atal Bihari Vajpayee : We are prepared for the consequences if we break the rules. But what has happened in Delhi is very serious. I am bringing it to your notice and through you to the notice of the Home Minister.

अध्यक्ष महोदय : यह केवल सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना की बात है । गृह मंत्री को वक्तव्य देने को कहने की इसमें कोई बात नहीं है ।

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : माननीय सदस्य ने आपको बताया है कि उनकी गिरफ्तारी के बारे में आपको गलत सूचना दी गई । मेरे विचार के अनुसार इस प्रकार की गलतियां नहीं होनी चाहियें । वास्तव में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है और इस प्रकार यह सदस्य के विशेषाधिकार का मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार के मामले उठाने से पूर्व सूचना दी जानी चाहिए । श्री वाजपेयी को इस संबंध में मुझे सुबह लिखना चाहिये था ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : पूर्व सूचना नहीं दी जा सकती थी । मैं सीधा जेल से सदन में आया हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे पत्र लिखें मैं उस पर विचार करूंगा । इस प्रकार कुछ नहीं कहा जा सकता ।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आप इस पर विचार अवश्य करें ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समझ में नहीं आता कि अधिकारियों को क्या हो गया है । श्री वाजपेयी की गिरफ्तारी की मुझे चार सूचनाएं प्राप्त हुईं, परन्तु फिर भी श्री वाजपेयी सन्तुष्ट नहीं हैं ।

श्री पीलू मोदी : क्या हम यह समझें कि आप इससे सन्तुष्ट हैं और इस प्रकार के मामले हमें भविष्य में नहीं उठाने चाहियें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं सारी स्थिति की जांच करूंगा ।

गुजरात विनियोग (लेखानुदान) विधेयक 1974
GUJARAT APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

श्री पीलू मोदी (गोधरा) मैं इस पर बोलना चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इस सम्बन्ध में मुझे कोई सूचना नहीं भेजी । अत: आप नहीं बोल सकते । आपको प्रक्रिया का पालन करना चाहिये ।

प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1974-75 के एक भाग की सेवाओं के लिये गुजरात राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के निकाले जाने का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted .

खण्ड 1, 2, 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clauses 1, 2, 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

लोक वित्तीय संस्थान विधि (संशोधन) विधेयक

नियम 74 के परन्तुक का निलम्बन

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

PUBLIC FINANCIAL INSTITUTIONS LAWS (AMENDMENT) BILL

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं, श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का, जहां तक यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 74 के प्रथम परन्तुक का, जहां तक यह भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपने सम्बन्धी प्रस्ताव पर लागू होता है, निलम्बन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० के० गणेश) : मैं, श्री यशवन्तराव चव्हाण की ओर से, प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 60 सदस्य हों, इस सभा से 40 अर्थात् :—

(1) श्री दिनेन भट्टाचार्य
(2) श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
(3) श्री के० चिक्कलिंगैया
(4) चौधरी दलीप सिंह
(5) श्री अनादि चरण दास
(6) श्रीमती रोजा विद्याधर देशपान्डे
(7) श्री जाम्बुवन्त धोते
(8) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
(9) श्री के० आर० गणेश

(10) श्री देवेन्द्र सिंह गरचा
(11) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(12) श्री नूरुल हुडा
(13) श्री ए० के० एम० इसहाक
(14) श्री राम चन्द्रन कडनापल्ली
(15) श्री रोबिन ककोटी
(16) श्री एन० एस० काम्बले
(17) श्री बी० एन० कुरील
(18) श्री मधु लिमये
(19) श्री जगन्नाथ मिश्र
(20) श्री श्रीकिशन मोदी
(21) श्री पीलू मोदी
(22) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(23) श्री प्रताप सिंह नेगी
(24) श्री राजाराम दादासाहेब निम्बालकर
(25) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
(26) श्री इ० वी० विखे पाटिल
(27) श्री एम० एस० पुरती
(28) चौधरी राम प्रकाश
(29) श्री राम स्वरूप
(30) श्री एम० एस० संजीवी राव
(31) श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
(32) डा० गोविन्द दास रिछारिया
(33) श्री बाबू नाथ सिंह
(34) श्री सोमचन्द सोलंकी
(35) श्री के० सूर्यनारायण
(36) श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरवासप्पा
(37) श्री एन० आर० वेकारिया
(38) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
(39) श्री सी० टी० दण्डपाणि
(40) श्री यशवन्तराव चव्हाण

और राज्य सभा से 20;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिये गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 20 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक अधिनियम, 1964, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934, औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951, जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 का और संशोधन करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये, जिसमें 60 सदस्य हों, इस सभा से 40, अर्थात् :—

(1) श्री दिनेन भट्टाचार्य
(2) श्री चन्दूलाल चन्द्राकर
(3) श्री के० चिक्कलिंगैया
(4) चौधरी दलीप सिंह
(5) श्री अनादि चरण दास
(6) श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे
(7) श्री जाम्बुन्त धोते
(8) श्री जगदीश चन्द्र दीक्षित
(9) श्री के० आर० गणेश
(10) श्री देवेन्द्र सिंह गरचा
(11) श्री इन्द्रजीत गुप्त
(12) श्री नूरुल हुडा
(13) श्री ए० के० एम० इसहाक
(14) श्री रामचन्द्रन कडनापल्ली
(15) श्री रोबिन ककोटी
(16) श्री एन० एस० काम्बले
(17) श्री बी० एन० कुरील
(18) श्री मधु लिमये
(19) श्री जगन्नाथ मिश्र
(20) श्री श्रीकिशन मोदी
(21) श्री पीलू मोदी
(22) श्री सुरेन्द्र महन्ती
(23) श्री प्रताप सिह नेगी
(24) श्री राजाराम दादासाहेब निम्बालकर
(25) डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय
(26) श्री इ० विखे पाटिल
(27) श्री एम० एस० पुरती
(28) चौधरी राम प्रकाश
(29) श्री राम स्वरूप

(30) श्री एम० एस० संजीवी राव
(31) श्री एम० राम गोपाल रेड्डी
(32) डा० गोविन्द दास रिछारिया
(33) श्री बाबू नाथ सिंह
(34) श्री सोमचन्द सोलंकी
(35) श्री के० सूर्यनारायण
(36) श्री टी० वी० चन्द्रशेखरप्पा वीरबासप्पा
(37) श्री एन० आर० वेकारिया
(38) श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
(39) श्री सी० टी० दण्डपाणि
(40) श्री यशवन्तराव चव्हाण

और राज्य सभा से 20;

कि संयुक्त समिति की बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को अगले सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य प्रकरणों में संसदीय समितियों के सम्बन्ध में इस सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियम ऐसे परिवर्तनों और रूपभेदों के साथ लागू होंगे, जो अध्यक्ष करें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किये जाने वाले 20 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

विदेशी अभिदाय (विनियमन) विधेयक

FOREIGN CONTRIBUTION (REGULATION) BILL

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव

गृह मंत्री (श्री उमाशंकर दीक्षित) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 19 फरवरी, 1974 को अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गई और 21 फरवरी, 1974 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा कुछ व्यक्तियों या संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने और उसके प्रयोग को विनियमित करने के लिए और उससे सम्बद्ध या उसके अनुषंगी विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित

हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 40 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

(1) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
(2) श्रीमती मुकुल बनर्जी
(3) श्री बशेश्वर नाथ भार्गव
(4) श्री चप्पलेन्दु भट्टाचार्य
(5) श्री ज्योतिर्मय बसु
(6) सरदार बूटा सिंह
(7) श्री सी० के० चन्द्रप्पन
(8) श्री धरणीधर दास
(9) श्री पी० के० देव
(10) श्रीमती मारजोरी गोडफ्रे
(11) श्री जे० मैथा गौडर
(12) श्री समर गुह
(13) श्री जे० जी० कदम
(14) कुमारी कमला कुमारी
(15) श्री किन्दर लाल
(16) श्रीमती पावर्ती कृष्णन
(17) श्री मल्लिकार्जुन
(18) श्री कृष्णन मनोहरन
(19) श्री श्यामनन्दन मिश्र
(20) श्री एफ० एच० मोहसिन
(21) श्री समर मुखर्जी
(22) श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय
(23) श्री एस० टी० पंडित
(24) श्री पी० पार्थसारथी
(25) श्री अरविन्द एम० पटेल
(26) श्री कृष्णराव पाटिल
(27) श्री एस० राधाकृष्णन
(28) श्री राम धन
(29) श्री राम सिंह भाई
(30) श्रीमती वी० राधाबाई आनन्दराव
(31) श्री जगन्नाथ राव
(32) श्री उमेद सिंह राठिया
(33) श्री मुल्की राज सैनी
(34) श्री एस० सी० सामन्त
(35) श्री एम० आर० शर्मा
(36) श्री एन० शिवप्पा
(37) श्री हरि किशोर सिंह

(38) श्री सन्त बख्श सिंह
(39) श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(40) श्री वीरभद्र सिंह ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा द्वारा 19 फरवरी, 1974 को अपनी बैठक में स्वीकार किये गये प्रस्ताव में की गई और 21 फरवरी, 1974 को इस सभा को भेजी गई इस सिफारिश से सहमत है कि यह सभा कुछ व्यक्तियों या संगमों द्वारा विदेशी अभिदाय या आतिथ्य स्वीकार करने और उसके प्रयोग को विनियमित करने के लिए और उससे सम्बद्ध या उसके अनुषंगी विषयों के लिये विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समितियों में सम्मिलित हो और संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में कार्य करने के लिए लोक सभा के निम्नलिखित 40 सदस्य नामनिर्दिष्ट किये जायें, अर्थात् :—

(1) श्री आर० बालकृष्ण पिल्ले
(2) श्रीमती मुकुल बनर्जी
(3) श्री बशेश्वर नाथ भार्गव
(4) श्री चप्पलेन्दु भट्टाचार्य
(5) श्री ज्योतिर्मय बसु
(6) सरदार बूटा सिंह
(7) श्री सी० के० चन्द्रप्पन
(8) श्री धरणीधर दास
(9) श्री पी० के० देव
(10) श्रीमती मारजोरी गोडफ्रे
(11) श्री जे० मैथा गौडर
(12) श्री समर गुह
(13) श्री जे० जी० कदम
(14) कुमारी कमला कुमारी
(15) श्री किन्दर लाल
(16) श्रीमती पार्वती कृष्णन
(17) श्री मल्लिकार्जुन
(18) श्री कृष्णन मनोहरन
(19) श्री श्यामनन्दन मिश्र
(20) श्री एफ० एच० मोहसिन
(21) श्री समर मुखर्जी
(22) श्री नरसिंह नारायण पाण्डेय
(23) श्री एस० टी० पंडित
(24) श्री पी० पार्थसारथी
(25) श्री अरविन्द एम० पटेल
(26) श्री कृष्णराव पाटिल

(27) श्री एस० राधाकृष्णन
(28) श्री राम धन
(29) श्री राम सिंह भाई
(30) श्रीमती वी० राधाबाई आनन्दराव
(31) श्री जगन्नाथ राव
(32) श्री उमेद सिंह राठिया
(33) श्री मुल्की राज सैनी
(34) श्री एस० सी० सामन्त
(35) श्री एम० आर० शर्मा
(36) श्री एन० शिवप्पा
(37) श्री हरि किशोर सिंह
(38) श्री सन्त बख्श सिंह
(39) श्री अटल बिहारी वाजपेयी
(40) श्री वीरभद्र सिंह ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की माँगें (रेल), 1973-74 और अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेल), 1971-72

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (RAILWAYS), 1973-74 AND DEMANDS FOR EXCESS GRANTS (RAILWAYS), 1971-72

श्री नरेन्द्र कुमार सांघी (जालोर) : रेलवे का प्रबन्ध संतोषजनक नहीं है। वित्तीय घाटा बढ़ रहा है। कुप्रबन्ध और श्रम सम्बन्ध खराब होने के कारण रेलवे द्वारा जितना माल ढोया जाना चाहिए और जितने यात्री ले जाए जाने चाहिएं उतने नहीं ले जाए गए। इससे रेलवे में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। इस संकट पर काबू पाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया गया।

विरोधी पक्ष द्वारा हर साल रेलवे बोर्ड पर आरोप लगाए जाते हैं। रेलवे बोर्ड के अधिकारियों में सहयोग की भावना का अभाव प्रतीत होता है। वस्तु स्थिति यह है कि यदि किसी एक्सप्रैस गाड़ी में भाप इंजन के स्थान पर डीज़ल इंजन भी लगाना है तो उस मामले को रेलवे बोर्ड को भेजा जाएगा। यदि इस प्रकार के साधारण मामले भी रेलवे बोर्ड को भेजा जाते हैं, तो ज़ोनल रेलवे में इतने अधिक वेतन पाने वाल अधिकारी रखे जाने का क्या औचित्य है? अतः रेलवे के केन्द्रीयकृत कार्यकरण में परिवर्तन करना होगा और डिवीज़नल और ज़ोनल रेलवे को अधिक स्वायत्तता तथा शक्तियां दी जानी चाहिएं।

रेलवे के 9 ज़ोन हैं। कुछ ज़ोन बहुत बड़े हैं जैसे पश्चिमी तथा उत्तर रेलवे। यदि उन्हें सक्षम, लाभप्रद और कुशल बनाना है तो उनमें कुछ कांटछांट करनी होगी। फिर रेलवे के कर्मचारियों एवं अधिकारियों में भी असन्तोष की भावना है। उनके विचार में 25 से 30 वर्ष तक उनकी पदोन्नति के कोई अवसर नहीं जबकि भारतीय प्रशासनिक सेवा के

अधिकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर अच्छे हैं। जब तक रेलवे के प्रबन्धक अधिकारियों के मन में विश्वास की भावना पैदा नहीं की जाती तब तक हम श्रम संगठन में बेहतर समन्वय मात्र से अपनी समस्याओं को हल नहीं कर सकते।

श्रम सम्बन्ध खराब होने के कारण ही हड़तालें होती हैं। गत वर्ष सामान्य बजट पर चर्चा के दौरान सुझाव दिया गया था कि यदि काम नहीं किया जाता तो वेतन भी न दिया जाए। यह नारा ठीक है परन्तु इसे कार्यरूप देना सरल बात नहीं है। यदि श्रम सम्बन्धी मामलों में निर्णय करने में विलम्ब होता है, तो इसके लिए किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

दिल्ली में तीसरे टर्मिनल के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है। दिल्ली की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और इसके साथ ही इस महानगर के लिए माल का यातायात भी बढ़ रहा है और यदि हम भविष्य के लिए कोई योजना नहीं बनाते तो रेलवे में कार्य-कुशलता की कोई आशा नहीं की जा सकती। मैं पूछना चाहता हूं क्या निजामुद्दीन में तीसरा टर्मिनल बनाने का निर्णय कर लिया गया है या नहीं? क्योंकि वहां इस प्रयोजन के के लिए कोई काम आरम्भ नहीं किया गया है।

कुछ परियोजनाएं आरम्भ की गई थीं परन्तु धनराशि के अभाव के कारण उन्हें बीच में ही छोड़ दिया गया है। अच्छा होता यदि उन परियोजनाओं को पूरा करने के बाद अति-रिक्त मांगें प्रस्तुत की जातीं। चलते काम को रोक देने और ठेकेदारों को मुआवजा दिये जाने से रेलवे को काफी घाटा होगा। अतिरिक्त अनुदानों की मांग से ही स्पष्ट हो जाता है कि रेलवे की कार्यकुशलता कम हो गई है।

हाल ही में रेलवे ने मुजफ्फरपुर में एक सेवा आयोग स्थापति किया है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव यह है कि प्रत्येक राज्य में एक सेवा आयोग स्थापित किया जाना चाहिए ताकि सबको समान अवसर उपलब्ध हो सकें। किसी एक क्षेत्र के लिए इस प्रकार का राजनीतिक निर्णय लेना ठीक नहीं प्रतीत होता। रेलवे लाइनें बिछाने या सेवा आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध में समन्वित रूप से निर्णय किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में जो सिद्धांत निर्धारित किए जायें वे सभी राज्यों पर समान रूप से लागू किए जाने चाहिएं।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम (तिरुचिरापल्ली) : रेलवे का कार्य इतना अधिक असन्तोष-जनक है कि समस्त देश को इसके बारे में चिन्ता होने लगी है। हमारी जनता का कोई भी वर्ग रेलवे प्रशासन से सन्तुष्ट नहीं है। कर्मचारी वर्ग बहुत असन्तुष्ट है। व्यापारी वर्ग भी प्रसन्न नहीं है क्योंकि उन्हें माल डिब्बे नहीं मिलते। यात्रा करने वालों की शिकायत यह है कि उनके लिए किराये तो बढ़ा दिए गए हैं परन्तु सुविधाएं कम कर दी गई हैं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।
Mr. Deputy Speaker in the Chair.]

सरकार को रेलवे की इस स्थिति पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। रेल मंत्री ने रेल कर्मचारियों पर निराधार आरोप लगाए हैं। यह बात ठीक नहीं है। वस्तु स्थिति क्या है? लोको कर्मचारी गत 25 वर्षों से 10 घण्टे की ड्यूटी की मांग कर रहे हैं परन्तु उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वे 14 या 15 घण्टे तक काम करते रहे, पर फिर

भी उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। बड़े संघर्ष के बाद कुरैशी समिति गठित की गई थी परन्तु उसका क्या परिणाम निकला है? अब उनका कहना है कि 20,000 अतिरिक्त कर्मचारियों की आवश्यकता होगी और उस पर 38 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एक ओर उन से इतना अधिक काम लिया जाता रहा है और दूसरे ओर उन पर आरोप लगाए जाते हैं। यह अनुचित बात है और इस प्रकार कर्मचारियों से सहयोग प्राप्त नहीं किया जा सकता।

गैंगमैन को महंगाई भत्ता समय पर नहीं दिया जाता। बकाया राशि का भुगतान भी विलम्ब से किया जाता है। वे बहुत असन्तुष्ट हैं क्योंकि रेलवे बोर्ड उनकी शिकायतों की उपेक्षा करता रहा है। अब यह कहानी बनाई जा रही है कि वे अनुशासनहीन हो गए हैं। परन्तु उन्हें अनुशासनहीन बनाने की जिम्मेदारी रेलवे अधिकारियों की है।

आज रेलवे बोर्ड की स्थिति यह है कि वे न सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की ओर न संसदसदस्यों द्वारा की गई आलोचना की परवाह करते हैं। सर्वप्रथम रेलवे बोर्ड में अनुशासन स्थापित किया जाना चाहिए। जहां तक सामान्य विनियोजन का सम्बन्ध है, संसद ने 2500 करोड़ रुपए से अधिक धनराशि की मंजूरी दी है। उसको उचित ढंग से खर्च करना चाहिए। राजस्व को उचित प्रकार से एकत्र करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाए, तो रेलवे को वित्तीय कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। रेलवे प्रशासन द्वारा की गई उपेक्षा के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई है। रेलवे में केवल एकाधिकार गृहों के हितों का ध्यान रखा जाता है।

रेलवे माल डिब्बे बनाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सका है। 37,000 माल डिब्बे बनाने की मांग थी परन्त केवल 9,000 ही डिब्बे बनाए गए। मेरा प्रश्न यह है कि रेलवे वर्कशाप का विकास न किए जाने के क्या कारण हैं? उनका आधुनिकीकरण करके उनमें अधिक संख्या में माल डिब्बे क्यों नही बनाए जा सकते? बड़े व्यापार गृह रेलवे को धोखा देते हैं। जब खर्च अधिक कर दिया जाता है तब अतिरिक्त मांगें प्रस्तुत कर दी जाती हैं। कर्मचारियों को परेशान करने के बजाय कार्यकुशलता में सुधार किया जाना चाहिए।

श्रमिक संघ प्रशासन और रेल कर्मचारियों के बीच समझौता करने का प्रयत्न कर रहे हैं। वे सरकार के विरुद्ध नहीं हैं। रेल मंत्री को चाहिए कि वह इन श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को बुला कर बातचीत करें। परन्तु रेलवे प्रशासन कर्मचारियों को तंग और परेशान करने की नीति पर चल रहा है। उन्हें श्रमिक संघों के अधिकारों को दबाने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। अतः रेलवे प्रशासन में सुधार करने की आवश्यकता है। रेलवे बोर्ड ही सब प्रकार की असफलताओं के लिए जिम्मेदार है क्योंकि वही कर्मचारियों को उत्तेजित करते हैं। मैं या मेरे दल का कोई भी व्यक्ति राष्ट्र के हित के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही का समर्थन नहीं करता। रेलवे कर्मचारी भी राष्ट्र के अंग हैं। रेलवे बोर्ड को अपना रवैया बदलना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय स्वयं रेल कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने प्रभावशाली भाषण दिया है परन्तु मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य केवल अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर ही बोलें कि क्या इनकी मंजूरी दी जाए या नहीं।

श्री एस० ए० कादर (बम्बई—मध्य-दक्षिण) : रेलवे केवल धन कमाने के लिए नहीं है बल्कि उसके कुछ सामाजिक कर्त्तव्य भी हैं। मैं चाहता हूं कि एक सामाजिक कर्त्तव्य सम्बन्धी बजट बनाया जाए जो कुल बजट से अलग हो जिससे देश को पता चले कि सरकार सामाजिक कर्त्तव्यों पर कितनी धनराशि खर्च कर रही है और उसमें रेलवे का योगदान क्या है।

हाल ही में हमें पता चला है कि कोयले की कमी के कारण 69 रेलगाड़ियां रद्द कर दी गई हैं, जिसके परिणामस्वरूप हज़ारों लोगों को प्रतिदिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस समस्या का समाधान करने के लिए कोई मार्ग ढूंढना चाहिए।

रेलवे प्रशासन पर बहुत अधिक धनराशि खर्च की जाती है परन्तु रेलगाड़ियों का पूरा उपयोग नहीं किया जाता। लगभग प्रत्येक गाड़ी एक या डेढ़ घंटे देर से चलती है। यदि कोई विशेषज्ञ या कोई तकनीकी समिति इस मामले पर विचार करे तो हम पर्याप्त धनराशि की बचत कर सकते हैं।

तीसरे दर्जे के डिब्बे इस प्रकार के बनाए गए हैं कि उनमें बाहर की अपेक्षा अन्दर अधिक गर्मी होती है। मुझे पता चला है कि "फाइबर ग्लास" के प्रयोग से गर्मी कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है। परन्तु यदि उसके प्रोयोग से कोई विशेष अन्तर न पड़े तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। रेलवे प्रशासन को इस समुचय मामले की जांच करनी चाहिए और यात्रियों को यथासम्भव अधिक सुविधाएं उपलब्ध करनी चाहिएं। प्रथम श्रेणी और वातानकूलित डिब्बों में उचित सुविधाएं उपलब्ध हैं। परतु मुझे पता चला है कि उनका किराया कम है। मैं चाहता हूं कि उनके किराए का पुनरीक्षण किया जाए और उन्हें लाभप्रद बनाया जाए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : I had requested the hon'ble Minister to convert existing narrow gauge line Shivpuri-Sopurkala-Bhind into broad gauge line and Sopurkala should be linked with Swai Madhopur. Similary Shivpuri should be linked with Guna and Bhind with Etawa. The facilities of light and the chain are not available in these trains at present. The engines and coaches used on these lines have outlived their lives. A train was derailed at Virpur in my constituency but no compensation has been paid to the victims so far.

There should be halt at Morena for the Punjab Mail, because it will help business community. It is understood that drinking water is not available at any Railway Station on the narrow gauge line. I wold suggest that the drinking water should be available on all the stations. Guna-Makshi line should be linked with Indore. It will prove to be economical and the income of Railways will be increased. The poeple should not be forced to resort to violence because it will result in loss of public property.

Shri B. R. Shukala (Babraich) : There is general feeling that Government takes action only after violent incidents. I had requested that there should be halt for 80 Mail from both the sides at Jarbal Road Railway Station but Railway Ministry does not believe in logic. If the passengers indulge in anti-social activities, pull chains, stone the train, then it can be stopped. The places where wagons are burnt, more wagons are provided. Bahraich-Gonda remains to be a backward area because of lack of railway facilities. There is no arrangement even for Road transport, I, therefore, suggest that Tulsipur Railway Station on North Eastern Railway should be linked with the Sirsia and should be extended up to Nepalganj. Secondly, Ayaudhya should be linked with Lakkar mandi on North Eastern Railway line.

With these words I support the supplementary demands. But it should be noted that there is large scale discontentment among the Railway employees. In order to improve efficiency, radical steps should be taken.

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : मैं आपका ध्यान वर्ष 1973-74 और 1971-72 की कर्मचारियों के कल्याण से सम्बन्धित मांग संख्या 10 की ओर दिलाना चाहता हूं। वर्ष 1971-72 से इस मद पर 15.85 लाख रुपय अधिक खर्च किए गये थे। वर्ष 1973-74 में 2.29 करोड़ रुपए की अनुपूरक मांग रखी गई है। भारतीय रेलवे में 14 लाख नियमित कर्मचारी हैं परन्तु रिहाइशी क्वाटरों की संख्या केवल 5.34 लाख है। फिर 14 लाख कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा के लिये केवल 751 शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं। इसके साथ ही मैं बताना चाहता हूं कि रेल कर्मचारियों के केवल एक प्रतिशत बच्चों के लिए होस्टल सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह बहुत ही दुख की बात है। रेल कर्मचारियों को इस प्रकार की न्यूनतम सुविधाएं अवश्य उपलब्ध की जानी चाहिए। तभी वे अपना काम एकाग्रचित हो कर कर सकेंगे।

विविध व्यय शीर्षक में बहुत गड़बड़ होती है। हर प्रकार की फजूलखर्ची को इसमें शामिल कर दिया जाता है। अतः मेरा सुझाव यह है कि इस शीर्षक को हटा कर इसके स्थान पर विशिष्ट शीर्षक बनाए जायें और उनमें वास्तविक व्यय दिखाया जाए ताकि इस प्रकार की गड़-बड़ी न हो।

दक्षिण रेलवे में ओलवकोट डिवीज़न बहुत बड़ा है और डिवीज़नल मुख्यालय इस डिवीज़न की अनेक समस्याओं पर पूरा ध्यान नहीं दे पाता। अतः सलेम में एक नया डिवीज़नल मुख्यालय बनाया जाना चाहिये जहां पर सब प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : It would be wrong to suggest that Railways belong to Railways men and the entire income should be given to them. It should not be foregotten that Indian community have invested Rs. 4000 crores. In fact 10 percent of this amount should have been kept in general reserve which comes to Rs. 400 crores but the hon'ble Minister has kept only Rs. 156 crores on this account. I would suggest that remaining Rs. 244 crores should also be taken out and only then the question of payment of bonus, gratuity etc. should be considered.

Secondly, I would like to point out that even after a span of 100 years sufficient facilities have not been extended to class III compartments. It has been observed that these compartments are overcrowded.

Though the railway employees are getting sufficient wages yet the sense of irresponsibility is increasing in them. Government should take a firm stand and should not surrender to the pressure tactics like strike. It should be made clear to the railwaymen that they will be named as traitor if they will go on strike. A guard in railways receives Rs. 1000 to Rs. 1200 for merely waving green flag. They get easy money. On the other hand a farmer works for 18 hours a day and produces grains and its always ready to give leavy for railwaymen, who do not care for farmers.

An amount of Rs. 5 to 6 crores is allocated for working expenses on repairs and maintenance. I would like to know whether the amount earmarked for maintenance and research is being spent properly in time; the mumber of wagons sent for repairs and the time taken in their repairs. What is the efficiency and how much time is taken in loading and unloading operations ? I hope the Minister will give detailed answer to these questions.

श्री कयालार रवि (चिरयिकील) : मैं वर्ष 1973-74 की अनुपूरक मांगों और वर्ष 1971-72 की अतिरिक्त अनुदानों का समर्थन करता हूं। किन्तु रेलवे के कुप्रबन्ध और गलत बजट के कारण इनकी आवश्यकता पड़ी। रेल प्रशासन में दावों को समुचित प्रकार से निपटाने

*तामिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर
Summarised translated version based on English translation of the speach delivered in Tamil

की व्यवस्था नहीं है। इसका प्रबन्ध किया जाना चाहिए। रेलों के स्टोर और डिपो ऐसे स्थानों पर बनाए जाने चाहिए ताकि उपकरणों एवं सामान के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने पर तथा मरम्मत पर अधिक खर्च न हो। रेल गाड़ियों को चालू रखने के लिए राशि मांगी गई है। किन्तु कई गाड़ियां रद्द कर दी जाती हैं और छात्रों तथा अन्य यात्रियों को कठिनाई होती है अधिक विद्युत उत्पादन के लिए बिजली बोर्डों को देने हेतु अतिरिक्त अनदानों की मांग की गई है। क्या रेलवे मंत्रालय बिजली उत्पादन के अपने निजी जेनेरेटरों को लगाने के कार्यक्रम पर विचार करेगी।

जहां तक कर्मचारियों के कल्याण का सम्बन्ध है, उस ओर ध्यान दिया जाता। वे असंतुष्ट और निराश हैं। बड़े अधिकारी उनकी शिकायतें नहीं सुनते। पदोन्नति बड़े अधिकारियों की इच्छा से होती है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि रेल कर्मचारियों, विशेषकर छोटी श्रेणी के कर्मचारियों की शिकायतें दूर करने के लिए उन्हें रेल कर्मचारी संघों से बातचीत शुरू करनी चाहिए ताकि देश को एक और रेल हड़ताल का सामना न करना पड़े।

श्री एन० के० पी० साल्वे (बेतूल) : उपाध्यक्ष महोदय, जिन मदों के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांग की गई है, उनमें रेलवे बोर्ड पर हुआ अतिरिक्त खर्च, कर्मचारियों को भुगतान, प्रशासनिक खर्च, मरम्मत और रख-रखाव खर्च आदि सम्मिलित हैं। इस आधार पर पूरे रेल प्रशासन पर बहस की जा सकती है। रेलवे बोर्ड की प्राय: कटु आलोचना की जाती है और कहा जाता है कि रेलवे बोर्ड को यह पता नहीं है कि कार्य कैसे किया जाए। रेलवे बोर्ड वह सचिवालय है जो रेलों के संचलन के लिए उत्तरदायी है परन्तु उसकी अपनी सीमाएं हैं। रेलों में जो हड़तालें होती हैं उनसे देश की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है। इसके लिए रेल कर्मचारी और प्रबन्धक जिम्मेदार हैं। क्या रेल कर्मचारियों के हितों पर ही ध्यान दिया जाये और सम्पूर्ण देश के हित की उपेक्षा की जाये। यदि रेल कर्मचारियों ने रेल सेवा को अस्त-व्यस्त किया तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो जायेगी तथा जनता का दुख निराशा और समस्याएं अधिकाधिक बढ़ती जायेंगी। जैसे ही रेल-व्यवस्था ठप्प होती है, कोयला, लोह अयस्क इस्पात और मैंगनीज तथा सीमेंट आदि की ढुलाई बन्द हो जाती है और लोगों की समस्याएं और कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। इस में श्री मिश्रा या श्री कुरेशी क्या कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा विरोधी दिलों के लिए यह सुझाव देता हूं कि देश के हित में कुछ क्षेत्रों को राजनीतिक टकराव से ऊपर रखा जाये, रेल व्यवस्था भी उनमें एक है। साम्यवादी दल के एक सदस्य श्रमिक वर्गों के हितों की वकालत बड़े जोर-शोर से कर रहे थे। क्योंकि उनके हितों की रक्षा की ठेकेदारी उन्होंने ही ले रखी है। श्रमिक वर्ग के हितों की रक्षा के पक्षपाती हम भी हैं किन्तु साथ ही पूरे देश और जनता के हित को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। कुछ राजनीतिक पार्टियां लोगों को भड़काती हैं कि वे हिंसा भड़क जाने पर, या शान्ति-व्यवस्था भंग हो जाने पर रेलों को अपना शिकार बनाए। इससे अन्ततोगत्वा हानि समाज की ही होती है और लोगों को ही इसके लिए भुगतान करना पड़ता है।

यह मैं स्वीकार करता हूं कि रेल के माल डिब्बों के आने-जाने की स्थिति बहुत ही निराशाजनक है। देश के सामने विद्यमान विकट आर्थिक कठिनाई के लिए एक बड़ा कारण माल डिब्बों का सुचारु संचालन न होना भी है। इसके लिए निस्सदेह रेल मंत्री जिम्मेदार हैं। किन्तु रेल संचलन में गतिरोध पैदा करने वाले रेल-कर्मचारियों अथवा अन्य व्यक्तियों को भी

इसकी जिम्मेदारी से मुक्त नहीं किया जा सकता। रेल के माल डिब्बों के संचलन की स्थिति दक्षिण-पूर्व रेल में और भी अधिक खराब है माल डिब्बों को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए बुक करने और भेजने के मामले में रिश्वत चलती है। आज कोयले की ढुलाई असंतोषजनक है क्योंकि खानों के सरकारीकरण के बाद इसकी ढुलाई के लिए रेल अधिकारियों को रिश्वत नहीं मिलती। इस्पात की ढुलाई के लिए इस्पात संयंत्रों को रिश्वत देनी पड़ती है। रेलवे में व्याप्त यह भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए। मेरा निर्वाचन क्षेत्र कोयला खान क्षेत्र में है। यहां भी कोयले के लदान में ऐसी ही कठिनाई होती है।

अन्त में, मैं रेलवे मंत्री से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वह मध्यप्रदेश के पिछड़े क्षेत्र में बेतुल नामक स्थान पर हाल्ट स्टेशन बनाये और चिन्दवाड़ा जिले के पंढुरना स्टेशन पर रिजर्वेशन की व्यवस्था करें।

Shri Hukam Chand Kachwai : Sir, The Minister of Railways is not present in the House while the demands for grants for Railways are being discussed.

उपाध्यक्ष महोदय : यहां उप रेल मंत्री उपस्थित हैं और वह आपके उत्तर देने के लिए सक्षम हैं।

श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : श्रीमान, रेल मंत्री राज्य सभा में हैं।

श्री हुकम चन्द कछवाय*
श्री मुहम्मद शफी कुरैशी : श्रीमान, जिन माननीय सदस्यों ने इस वाद-विवाद में भाग लिया है उनमें से कुछ ने राष्ट्रीय स्तर की समस्याओं का उल्लेख किया है और कुछ ने स्थानीय समस्याओं का। रेल की यातायात व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा है जिससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। यदि कच्चा माल जहां उपलब्ध है उन केन्द्रों से उपभोक्ता केन्द्रों का सम्पर्क टूट जाता है पूरे देश की उत्पादन स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रेल कर्मचारियों के आन्दोलनों और हड़तालों से यातायात में बाधा पैदा होती है जिसका प्रतिकूल प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।

श्री कल्याणसुन्दरम भारतीय रेलों के श्रमिक वर्ग की काम की दशाओं के बारे में बात कर रहे थे। उनका यह कहना गलत है कि रेल मंत्री का रवैया श्रमिक विरोधी है। रेल मंत्री और रेल प्रशासन का रवैया श्रमिक वर्ग के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रहा है। श्री एस० ए० कादर ने कहा है कि सबसे बड़ा सरकारी उपक्रम होने के नाते रेलों का कुछ सामाजिक बोझा भी वहन करना चाहिए। रेलें कुछ वस्तुओं पर कम ढुलाई दर लेती हैं। रेलें लगभग 115 करोड़ रुपये खाद्यान्न, उर्वरक तथा अन्य वस्तुओं की ढुलाई पर राजसहायता के रूप में खर्च करती है। 11 करोड़ रुपये की राशि अलाभकर रेल लाइनों को बनाये रखने के लिए खर्च की जाती है। चार करोड़ रुपये की राशि निर्यातकों को राजसहायता के रूप में दी जाती है। इस पर रेलें भारी सामाजिक भार वहन करती हैं। श्री सांघी ने दिल्ली में तीसरे रेल टर्मिनल की बात कही। निजामुद्दीन में यह बनाना उचित नहीं है। आगामी 6 मास के भीतर ही यह निर्णय कर लिया जायेगा कि दिल्ली में तीसरा टर्मिनल कहां बनाया जायेगा। श्री सांघी ने एक केन्द्रीय रेल सेवा आयोग की भी आलोचना की है। अब प्रत्येक रेल जोन का पथक रेल सेवा, आयोग बनाने का निर्णय कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त रेल सेवा आयोग की शाखाएं भी खोली जायेंगी। श्री बी० आर० शुक्ल ने पूर्वोत्तर रेलवे लाइन को रक्सौल तक बड़ी लाइन में बदलने

*कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और उसे आगे तक बढ़ाने की मांग की है। समस्तीपुर से रक्सौल तक बरासा मुजफ्फरपुर और दरभंगा, सर्वेक्षण कराया गया है और रिपोर्ट का अध्ययन किया जा रहा है।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बजट के बाद खर्च में जो वृद्धि हुई, उसे पूरा करने के लिए 20.29 करोड़ रुपये की राशि मांगी गई है। इसमें से 18.32 करोड़ रुपयों की राशि राजस्व खर्च शीर्ष के अन्तर्गत है। इसमें से 1.38 करोड़ रुपये की राशि न्यायालयों द्वारा दिये गये आदेशों के भुगतान के लिए खर्च किए गये। सरकार द्वारा मानी गई वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वियन के परिणामस्वरूप खर्च के लिए यह अतिरिक्त राशि मांगनी पड़ी। कुछ राशि रेल डिब्बों के रख-रखाव, नैमित्तिक श्रमिकों के दरों में वृद्धि बकाया दावों की राशि के भुगतान और खरीदे गये सामान की लागत में हुई वृद्धि के लिए भी मांगनी पड़ी। अनुपूरक मांगों की पुस्तक प्रत्येक अनुदान की मांगों का पूरा ब्यौरा दिया गया है। इन अतिरिक्त मांगों के विनियमन की सिफारिश करते हुए लोक लेखा सम्मिति ने यह टिप्पणी की कि जिन कारणों से वर्ष 1971-72 में जिन कारणों से अचानक स्थिति खराब हुई, उनकी जांच की जानी चाहिए और ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए जिससे भविष्य में अतिरिक्त मांग की आवश्यकता कम से कम हो। वर्ष 1971-72 में भारी अतिरिक्त मांगों को रखे जाने के कुछ प्रमुख कारण निम्न हैं।

(क) भारत-पाक युद्ध और एक करोड़ बंगला देश से आए शरणार्थियों के परिवहन पर अतिरिक्त खर्च करना पड़ा;

(ख) इस वर्ष मूल्य में जितनी वृद्धि हुई, उसका अनुमान नहीं लगाया जा सका; और

(ग) विदेशी और कुछ देशी सप्लायरों ने पहले की अपेक्षा इस वर्ष अधिक अग्रिम राशि सप्लाई के लिए मांगी। भविष्य में अतिरिक्त मांगों की स्थिति से बचने के लिए कुछ उपाय किये गये हैं। सामान सम्बन्धी बजट मांगों का ठीक अनुमान लगाने के लिए वस्तु सूची नियंत्रण विभाग खोल दिए गये हैं। उप रेल मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति जनवरी 1973 में नियुक्त कर दी गई है, जो सामान की खरीद सम्बन्धी और वस्तुसूची नियंत्रण सम्बन्धी अन्य कृत्यों से सम्बन्धित प्रक्रियाओं का पुर्नविलोकन करेगी। रेल विभाग से कहा गया है कि वह वेतन तथा लेखा अधिकारियों से सम्पर्क बनाये रखे ताकि खर्च बजट के उपवन्धों तक ही सीमित रहे। साथ ही वर्क्स मैनेजरों और वर्कशाप लेखा अधिकारियों की तिमाही और अर्धवार्षिक बैठकों के लिए भी आदेश मार्च, 1973 में दे दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और उपचारात्मक उपाय भी किये गये हैं और उनसे लाभ हुआ है जैसा कि वर्ष 1972-73 के विनियोग लेखों से स्पष्ट है, जो पहले ही सभा को प्रस्तुत किये जा चुके हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : कोयले तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के बारे में समूचे देश में रोष व्याप्त है। विभिन्न क्षेत्रों में इन वस्तुओं की सप्लाई की वर्तमान स्थिति क्या है?

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Mr. Deputy Speaker, Sir, none of my questions has been replied to No mention has been made by the hon. Minister regarding payment of compensation to the deceased and conversion of narrow gauge lines into broad gauge lines.

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : नए अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि रेल दुर्घटना में मरने वालों के वारिसों को 50,000 रुपए दिए जाते हैं लेकिन यह मुआवजा वारिस के मांगने पर ही दिया जाता है।

जहां तक कोयले के लदान का प्रश्न है, रेलवे कोयला खान प्राधिकरण के पास उपलब्ध कोयला लादने की स्थिति में है ।

Shri Hukam Chand Kachwai : The hon. Minister should ensure when narrow gauge line between Gwalior and Shivpuri will be converted into broad gauge line ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री महोदय को लिखकर भेज दें।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : अलाभप्रद ब्रांच लाइन समिति ने छोटी लाइनों और मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में बदलने के प्रश्न पर विचार करते समय इस लाइन को बड़ी लाइन में बदलने की सिफारिश नहीं की है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की 1973-74 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखीं गईं तथा स्वीकृत हुई :-

The following Supplementary Demands for Grants, 1973-74 in respect of Ministry of Railway were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
1	रेलवे बोर्ड . .	2,21,000
2	विविध व्यय . . .	19,83,000
3	चालित लाइनों तथा अन्यों को भुगतान . .	64,000
4	संचालन व्यय-प्रशासन . .	1,38,61,000
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . .	9,52,31,000
6	संचालन व्यय-परिचालन कर्मचारी . .	2,28,28,000
8	संचालन व्यय—कर्मचारी और ईंधन को छोड़कर .	2,83,23,000
10	संचालनब्यय—कर्मचारी कल्याण	2,29,55,000
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	37,29,000

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा रेल मंत्रालय की 1971-72 के लिये अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गई तथा स्वीकृत हुई :—

The following Supplementary Demands for Grants, 1971-72 in respect of Ministry of Railway were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपए
4	संचालन व्यय—प्रशासन	26,53,698
5	संचालन व्यय—मरम्मत और अनुरक्षण . . .	5,60,75,387
6	संचालन व्यय—परिचालन कर्मचारी . .	60,68,570
9	संचालन व्यय —विविध व्यय . . .	1,22,55,710
10	संचालन व्यय—कर्मचारी कल्याण . . .	15,85,172
15	चालू लाइन निर्माण—पूंजी, मूल्यह्रास आरक्षित निधि और विकास निधि . . .	29,37,12,152
16	पेंशन प्रभार—पेंशन निधि	15,74,131
18	विकास निधि में विनियोग . . .	8,76,07,799
19	राजस्व आरक्षित निधि में विनियोग . . .	7,711

विनियोग (रेलवें) संख्या 2 विधेयक, 1974

APPROPRIATION (RAILWAYS) No. 2 BILL, 1974

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुनःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुनःस्थापित करता हूं ?

श्री महम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित नधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि रेलों के प्रयोजनार्थ वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड वार विचार करेंगे और मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड 1 तथा अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title will added to the Bill

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

विनियोग (रेलवे) संख्या 3 विधेयक, 1974

APPROPRIATION (RAILWAYS) NO. 3 BILL, 1974

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : मैं 1972 के मार्च से 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के वास्ते उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।'

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 1972 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के वास्ते उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुन:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं विधेयक को पुर:स्थापति करता हूं।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि 1972 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के वास्ते उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि 1972 के मार्च के 31वें दिन समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के दौरान रेलों के प्रयोजनार्थ कतिपय सेवाओं पर खर्च की गई उन रकमों को पूरा करने के लिए जो उस वर्ष के लिए और उन सेवाओं के लिए अनुदत्त रकमों से अधिक हैं, भारत की संचित निधि में से राशियों का विनियोग प्राधिकृत करने के वास्ते उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खंड वार विचार करेगें और मैं प्रस्ताव को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

खण्ड 2 तथा 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2 and 3, the Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were addded to the Bill

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह ह :

"कि विधेयक को पारित किया जाए"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुपूरक अनुदानों की मांगें (सामान्य) 1973-74

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 1973-74

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मांग संख्या 32 के व्याख्यात्मक टिप्पण में कहा गया है कि 2384 अतिरिक्त पदों पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए 189.05 लाख रुपए की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। ऐसा करने से आयकर विभाग का कार्य सुचारू रूप से होगा। परन्तु वास्तविकता कुछ और ही है। क्या यह सच नहीं है कि हाल ही के वर्षों में आयकर की बकाया राशि में वृद्धि हुई है? कानपुर तथा महानगरों से आयकर की बकाया राशि वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों को 12 वर्ष 15 वर्ष तक नियमित नहीं बनाया जाता। वेतन आयोग की सिफारिशों की क्रियान्विति से भी इन मजदूरों को कोई लाभ नहीं होने वाला है। अतः एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए जो इस प्रश्न पर विचार करे कि ऐसे मजदूरों को स्थायी बनाया जाए जिन्होंने एक अथवा दो वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। अभी भी कई ऐसे वतनमान हैं जिनके बारे में वेतन आयोग ने घोषणा नहीं की है। तकनीशियनों ने यह मांग की है कि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बराबर वेतनमान मिलने चाहिए। प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों ने भी मांग की है कि उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के बराबर वेतन मान मिलने चाहिएं।

वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 1973 से क्रियान्वित होनी थी फिर गृह किराया भत्ते के सम्बन्ध में की गई सिफारिश को नवम्बर, 1973 से लागू क्यों किया जा

रहा है? मेरा अनुरोध है कि वेतन आयोग की सिफारिशों को शीघ्र लागू किया जाए, जिन वेतनमानों के बारे में घोषणा नहीं की गई है, उनके बारे में घोषणा की जाए और गृह किराया भत्ते के सम्बन्ध में की गई सिफारिश को 1 जनवरी, 1973 से लागू किया जाए।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के संघों तथा यूनियनों में इस बात को लेकर काफी रोष व्याप्त है कि सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों की तुलना में उन्हें कम वेतन दिया जाता है। मेरा अनुरोध है कि उन्हें राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए।

मांग संख्या 79 के बारे में भी मुझे कुछ कहना है। बोकारो संयंत्र में टाटा बन्धुओं से श्री के० एम० जार्ज को अंशकालिक चेयरमैन नियुक्त करने के पीछे किसका हाथ है? प्रबन्ध निदेशक का अचानक ही स्थानान्तरण क्यों किया गया?

पेंशन के सम्बन्ध में मैं इतना कहना चाहता हूं कि निर्णय को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया जाए तथा पेंशन की मात्रा बढ़ा दी जाए।

आय-कर छूट सीमा 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दी गई है। मेरे विचार में यह सीमा 10,000 कर दी जानी चाहिए।

कानपुर में उर्वरक कारखाना "इण्डियन एक्सोप्लोसिव" बिजली के अभाव में बन्द कर दिया गया है। इसी प्रकार कानपुर की कपड़ा मिलों के 54,000 कर्मचायियों को बिजली के अभाव के कारण जरुरी छुट्टी दे दी गई है। कानपुर में 5 या 6 आयुध कारखाने हैं जो अत्याधुनिक अस्त्र बनाते हैं। यदि 15 दिनों के भीतर बिजली सप्लाई न की गई तो मुझे आशंका है कि ये कारखाने भी बन्द हो जाएंगे। यदि इस पर गम्भीरता से विचार न किया गया तो कानपुर में कानून तथा व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी।

कम मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की स्थिति अत्यन्त शोचनीय है। यदि 1 अप्रैल को भारी प्रदर्शन किया जाएगा और उसके बाद आम हड़ताल शुरू होगी।

मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरी बातों पर विचार करके आवश्यक उपचारात्मक कार्यवाही करेंगे।

***श्री ई० आर० कृष्णन** (सलेम): मैं मांग संख्या 26 के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आजकल देश में छात्र असन्तोष व्याप्त है। 22 फरवरी, 1973 को इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। लेकिन अभी तक इस समिति की एक भी बैठक नहीं हुई है। यहीं से पता चलता है कि सरकार इस मामले को कितना महत्वपूर्ण समझती है।

छात्र-असंतोष का मुख्य कारण बेरोजगारी है। 30 जून, 1971 को बेरोजगार छात्रों की संख्या 20.53 लाख थी। दो वर्ष बाद उनकी संख्या में 75 प्रतिशत वृद्धि हुई। सरकार ने इस समस्या का समाधान करने के लिए क्या कार्यवाही की है? वर्ष 1973 74 में 'हाफ-ए-मिलियन जाब्स' कार्यक्रम शुरू किया गया था और लगभग 100 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक कितनी धनराशि व्यय

***तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।**
Summarised translated version based on English translation of the speach delivered in Tamil.

की गई है और इस योजना के अन्तर्गत कितने लोगों को रोजगार मिला। मेरे विचार में ये मांगें इस समस्या को हल करने में असमर्थ हैं।

गतवर्ष किफायती उपाय अपनाने के कारण कर्मचारियों को भवन निर्माण के लिए तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट खरीदने के लिए ऋण सहायता बन्द कर दी थी। मेरा अनुरोध है कि ऋण सहायता फिर से शुरू कर दी जाए।

आय-कर की बकाया राशि में वृद्धि होती जा रही है। सरकार को आगामी वित्तीय वर्ष में आय-कर की बकाया राशि की वसूली के लिए प्रयत्न करने चाहिए।

सेलम इस्पात योजना का कार्य बहुत धीमी गति से चल रहा है सरकार को इस परियोजना की क्रियान्विति के लिए कार्यवाही की जानी चाहिए।

वर्ष 1974-75 में प्राकृतिक प्रकोपों का सामना करने के लिए कम आबंटन करके सरकार ने अच्छा नहीं किया। मुझे आशा है सरकार प्राकृतिक प्रकोपों वाले राज्यों को वित्तीय सहायता देने में उदारता से काम लेगी।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : अनुदानों की अनुपूरक मांगों में 865.63 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, जिसमें से 171.27 करोड़ रुपए रक्षा कार्यों के लिए तथा 350.20 करोड़ रुपए राज्य सरकारों को राहत कार्यों हेतु, दिया गया है। 100.60 करोड़ रुपए रेलवे को ऋण सहायता के रूप में दिए गए हैं। तथा 134.93 करोड़ रुपए की व्यवस्था वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू क्रियान्वित करने के लिए की गई है।

जहां तक आय-कर विभाग में कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का प्रश्न है, ऐसा कर अपवंचकों से निपटने तथा बकाया राशि की शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करने के लिए किया गया है।

जहां तक दैनिक मजदूरी पर काम करने वालों का सम्बन्ध है, बोर्ड ने कुछ समय पूर्व यूनियनों के विभिन्न प्रतिनिधियों को आदेश भेजे थे कि जिन मजदूरों ने 2 या तीन वर्ष की सेवावधि पूरी कर ली है उन्हें नियमित बना दिया जाए। सेवावधि के बारे में मुझे पक्का पता नहीं है परन्तु ऐसे आदेश दिए अवश्य गए थे।

बोकारो का मामला एक प्रशासनिक मामला है। माननीय सदस्य के विचार में इस्पात मंत्री तक पहुंचा दूंगा।

पेंशनभोगियों की पेंशन में तदर्थ वृद्धि की गई है। 1-1-73 से पूर्व सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी तदर्थ वृद्धि का लाभ मिलेगा। इन पेंशनभोगियों को वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 16 प्वाइंट वृद्धि होने पर मंहगाई भत्ता भी मिलेगा।

बिजली संकट के बारे में माननीय सदस्यों के विचारों को मैं मंत्री महोदय तक पहुंचा दूंगा।

इन शब्दों के साथ मेरा अनुरोध है कि ये मांगे सदन द्वारा स्वीकार कर ली जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1973-74 के लिए अनुपूरक अनुदानों की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिए रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं :—

The following Supplementary Demands for Grants for 1973-74 were put and adopted :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि	
1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
6	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को भुगतान . .	1,000	—
9	सहकारिता विभाग	3,10,12,000	—
11	विदेश व्यापार .	—	23,00,00,000
16	डाक और तार संचालन व्यय . .	22,48,46,000	—
18	डाक और तार पर पूंजी परिव्यय (राजस्व से नहीं) .	—	18,30,00,000
19	रक्षा मंत्रालय .	13,88,000	1,000
20	रक्षा सेवाएं—थल सेना	139,38,89,000	—
21	रक्षा सेवाएं—नौसेना	11,77,03,000	—
22	रक्षा सेवाएं—वायु सेना	9,92,66,000	—
23	रक्षा सेवाएं—पेंशन आदि	2,07,00,000	—
24	रक्षा पूंजी परिव्यय	—	8,04,98,000
26	शिक्षा .	1,000	—
28	विदेश मंत्रालय	—	7,18,00,000
29	वित्त मंत्रालय	2,07,5,9000	—
32	आय, आदि पर कर	4,96,97,000	—
34	लेखा परीक्षा . .	1,70,00,000	—
37	अफीम और अल्कोलाईड कारखाने	—	19,45,000
38	राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अन्तरण	89,36,60,000	95,000
39	वित्त मंत्रालय का अन्य व्यय . .	—	106,36,02,000
40	सरकारी कर्मचारियों को ऋण आदि .	—	3,17,00,000
44	भारी उद्योग मंत्रालय . .	11,77,000	—
45	भारी उद्योग . . .	1,000	1,000
46	गृह मंत्रालय . . .	10,33,000	—
48	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग .	12,45,000	—
49	पुलिस . .	4,65,37,000	—
50	जन-गणना . . .	16,53,000	—

1	2	3	
		राजस्व रुपए	पूंजी रुपए
51	गृह मंत्रालय का अन्य व्यय .	4,43,69,000	2,16,93,000
53	चण्डीगढ़ . . .	3,00,0000	22,31,000
54	अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह	—	59,28,000
56	दादरा और नगर हवेली . .	6,66,000	44,03,000
57	लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप समूह	—	37,53,000
58	औद्योगिक विकास मंत्रालय	3,80,000	—
59	उद्योग	1,000	3,77,42,000
71	पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय .	1,80,10,000	9,28,18,000
75	नौवहन और परिवहन मंत्रालय .	7,72,000	—
77	पत्तन, पोत प्रकाश स्तम्भ और नौवहन	1,94,97,000	11,65,68,000
78	सड़क और अन्तर्देशीय जलपरिवहन	—	2,85,49,000
79	इस्पात विभाग	3,46,88,000	—
80	खान विभाग .	—	21,05,77,000
83	मौसम विज्ञान . .	—	13,30,000
87	लोक निर्माण कार्य . . .	91,78,000	32,30,000
90	परमाणु ऊर्जा अनुसंधान और विकास	—	5,59,72,000
93	पुरातत्व	61,64,000	—
97	वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद को अनुदान . .	77,28,000	—
102	राज्य सभा .	5,85,000	—
103	संसदीय कार्य विभाग . .	90,000	—

विनियोग विधेयक, 1974
APPROPRIATION BILL, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

श्री के० आर० गणेश: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री के० आर० गणेश: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि वित्तीय वर्ष 1973-74 की सेवाओं के लिए भारत की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम खंडवार चर्चा करेंगे। प्रश्न यह है:

"कि खंड 2, खंड 3, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, खण्ड 3, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 2, Clause 3, The Schedule, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

पूर्वोतर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक

NORTH EASTERN AREAS (REORGANISATION) AMENDMENT BILL

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन): मैं श्री रामनिवास मिर्धा की ओर से प्रस्ताव करता हूं:

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए"

मुख्य अधिनियम 1971 के अन्तर्गत आसाम के पुनर्गठन के फलस्वरूप आसाम राज्य विद्युत बोर्ड तथा आसाम राज्य भंडारण निगम, जो उस समय संयवत आसाम राज्य में थे,

21-1-1972 से अन्तर्राज्यीय निगम बन गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 53 में एक प्रावधान किया गया था कि ये दोनों निकाय संयुक्त राज्य के सभी क्षेत्रों अर्थात् वर्तमान आसाम राज्य, मेघालय राज्य तथा केन्द्र शासित मिजोरम राज्य में अपना कार्य जारी रखेंगे। उसी धारा की उपधारा 3 में यह भी व्यवस्था की गई थी कि पुनर्गठन की तिथि से दो वर्षों का समय समाप्त होने तक या 1971 के विधान को बनाते समय केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार निश्चित किसी पहली तिथि तक ये दोनों निकाय अपना कार्यकरण बन्द कर देंगे।

वर्ष 1971 का विधान बनाते समय यह आशा की गई थी कि आसाम और मेघालय सरकार दो वर्षों की अवधि के भीतर उचित योजनाएं बनाएंगी। परन्तु विभिन्न प्रकार की समस्याओं के कारण ये राज्य ऐसा नहीं कर सके। अतः किसी आकस्मिक स्थिति को रोकने के लिए यह आवश्यक हो गया कि ये दोनों निकाय 1971 के अधिनियम की धारा 53 की उपधारा (3) में उल्लिखित दो वर्षों की अवधि से एक वर्ष तक और अन्तर्राज्यीय निकायों के रूप में कार्य करते रहे। चूंकि संसद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए मुख्य अधिनियम के सम्बद्ध प्रावधानों का संशोधन करने सम्बन्धी अध्यादेश 19-1-1974 को राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया था। मैं सिफारिश करता हूं कि इस सदन में विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है :

"कि पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 का संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—

"कि खंड 2, 3, 4 तथा 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, 3, 4 तथा 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का शीर्षक विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 2, 3, 4 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION *RE*. CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में किया गया उल्लेख, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बारे में उल्लेख माना जायेगा।"

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) के अनुसरण में यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में किया गया उल्लेख, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बारे में उल्लेख माना जायेगा।"

इन संकल्पों के बारे में मैं सभा को बताना चाहता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 408, 409 और 410 के कार्यों के बारे में मामूली सा संशोधन है। संहिता में एक नई धारा सम्मिलित की गई है जिसके अन्तर्गत राज्य सरकारों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों को यह अधिकार होगा कि वे न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बजाए कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को अधिकार दे सकें।

दिल्ली और चण्डीगढ़ में अभी तक ये कार्य कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंपे हुए थे। कुछ ही राज्यों में ये कार्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को सौंपे गए थे। अतः यह संकल्प केवल दिल्ली और चण्डीगढ़ के बारे में है। इनमें कोई नई व्यवस्था नहीं की गई है। वर्तमान व्यवस्था को दिल्ली और चण्डीगढ़ में लागू रखे जाने के उद्देश्य से यह संकल्प लाये गए हैं। इन संकल्पों के पारित होने के पश्चात दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के उच्च न्यायलयों से परामर्श करना होगा और तभी अधिसूचना जारी की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : सांविधिक संकल्प प्रस्तुत हुए :

> "दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय

के साथ परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में किया गया उल्लेख, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बारे में उल्लेख माना जायेगा।"

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) के अनुसरण में यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में किया गया उल्लेख, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बारे में उल्लेख माना जायेगा।"

Shri R. V. Bade (Khargone) : I would like to have some clarification in this regard. With these resolutions Government wants to give certain powers to the executive Magistrate under section 108, 109 and 110. So far they are not empowered to sanction remand which has already been given in the care of Shri Vajpayee. I would like to know whether Government would see that only those Executive Magistrates who possess requisite qualifications for the post of Judicial Magistrate are given these powers. When they being given the powers of Judicial Magistrates their qualifications should also be such as of Judicial Magistrates.

श्री एफ० एच० मोहसिन : इन संकल्पों का उद्देश्य दिल्ली और चण्डीगढ़ में वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना है। यदि कार्यकारी मजिस्ट्रेट कोई गलत फैसला देता है तो उसकी अपील आगे हो सकती है। केन्द्रीय सरकार न्यायिक कार्यों में कोई दखल नहीं दे सकती।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) के अनुसरण में, यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि दिल्ली संघ राज्य-क्षेत्र के सम्बन्ध में, उक्त संहिता की धारा 108, 109 और 110 में किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में किया गया उल्लेख, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बारे में उल्लेख माना जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adotped.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 478 के खण्ड (क) के अनुसरण में यह सभा संकल्प करती है कि केन्द्रीय सरकार पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के साथ परामर्श करने के बाद अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकती है कि चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के सम्बन्ध में, उक्त संहिता की धारा 108, 100 और 110 में किसी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के बारे में किया गया उल्लेख, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के बारे में उल्लेख माना जायेगा।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

आर्थिक अपराध (परिसीमा-काल का लागू न होना) विधेयक, 1974
ECONOMIC OFFENCES (INAPPLICABILITY OF LIMITATION) BILL, 1974

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि कतिपय आर्थिक अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 के उपबन्ध लागू न होने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में एक उपबन्ध पुरःस्थापित किया गया था जिसमें न्यायालयों द्वारा कुछ अपराधों की सुनवाई के लिए परिसीमा काल निर्धारित किया हुआ था। संहिता में परिभाषित "अपराध" शब्द में भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आने वाले अपराध ही नहीं वरन् आयकर तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर अधिनियमों तथा अन्य विभिन्न आर्थिक कानूनों के अन्तर्गत आने वाले अपराध भी सम्मिलित हैं।

परिसीमा की अवधि, अपराध की तारीख से या अपराध कथित व्यक्ति की जानकारी में आने की तारीख से या उस तारीख से जिस दिन अपराधी की जानकारी कथित व्यक्ति या पुलिस अधिकारी, जो जांच कर रहा था दी गई, से मानी जाएगी। यह सन्देहास्पद है कि क्या विभाग का कोई अधिकारी जो न्याय प्रशासन में लगा है इस प्रयोजन के लिए कथित व्यक्ति कहा जा सकता है। अतः परिसीमा अपराध की तारीख से गिनी जाएगी इसमें आर्थिक अपराधों सम्बन्धी अनेक कानूनों के लागू करने में गम्भीर कठिनाइयां खड़ी हो जायेंगी।

[श्री जगन्नाथ राव जोशी **पीठासीन हुए**]
[Shri Jagannath Rao Joshi *in the Chair*]

प्रत्यक्ष कर कानून के अधीन अपराध विभाग की जानकारी में अनेक वर्ष बाद भी आ सकता है। इस प्रकार पकड़े गए अपराध अभियोग के प्रयोजन के लिए परिसीमा के कारण काल बाकित हो जायेंगे।

विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के सम्बन्ध में अभियोग के बारे में ऐसी कठिनाइयां उत्पन्न हो जाएंगी जैसे उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अधिनियम की धारा 23 (1) (ख) के अधीन तब तक अभियोग नहीं चलाया जा सकता जब तक न्यायनिर्णयन की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती। इसमें समय लगता है और न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने से पहले इस प्रकार कई वर्ष लग जाते हैं।

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और नमक अधिनियम के अधीन जांच और न्यायनिर्णयन के मामले में बहुत समय लगता है। विधेयक अनुसूची में दर्ज अन्य अधिनियमों के अधीन अपराधों में भी ऐसी ही कठिनाइयां खड़ी होंगी।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के माध्यम से उपबन्धित परिसीमा का उपबन्ध सरकार के लिए आर्थिक अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलाने में नीति के कार्यान्वयन में कठिनाई उत्पन्न हो जाएगी। अतः यह प्रस्ताव है कि विधेयक में उपबन्ध कर दिया जाए कि दण्ड प्रक्रिया संहिता का अध्याय संख्या 36 इस विधेयक की अनुसूची में दर्ज अधिनियमों के अधीन अपराधों के मामले में लागू नहीं होगा और वह अध्याय उन अन्य अपराधों पर भी लागू नहीं

होगा जिनमें दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्धों के अधीन ऐसे अपराधों पर अभियोग होगा।

इस विधेयक में निहित प्रस्ताव सराहनीय हैं तथा आशा है सदन में इसका समर्थन किया जाएगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि कतिपय आर्थिक अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 के उपबन्ध लागू न होने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाये।"

Shri R. V. Bade (Khargone) : Sir, the objective of the bill is landable but I do not agree with abolishing the provision regarding period of limitation in Criminal Procedure Code. If this provision is done away with people will be liable of prosecution all the times.

Nothing has been siad regarding the instructions to the Government servants to carry out the necessary investigation at the earliest possible opportunity. The provision regarding limitation of period should not be scrapped simply for the reason that a good period of time is consumed in conducting investigations. If the provision is scrapped it will prove a wrong policy and will generate discontent amongst the people. Moreover, it is against the judicial principles and against the provisions of Jurisprudence.

May I know whether the Government have discussed it with law commission, if so what is their opinion in this regard ? I think it against the jurisprudence and therefore, I oppose this bill.

श्री के० आर० गणेश : विधि आयोग ने आर्थिक अपराधों के स्वरूप तथा जटिलता का विस्तार से अध्ययन किया है। जहां तक आर्थिक अपराधों का सम्बन्ध है संसद ने, स्वर्ण नियन्त्रण अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शल्क तथा नमक कर अधिनियम जैसे जो अधिनियम बनाये हैं उनसे नई विचारधारा परिलक्षित होती है। अतः इस विधेयक का उद्देश्य आर्थिक अपराधों पर दण्ड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 36 के लागू होने के लिए सदन की अनुमति मांगना है।

मूल बात यह है कि आर्थिक अपराधों का पता बहुत देर से चलता है। उदाहरणार्थ वर्ष 1960 अथवा 62 के आयकर मूल्यांकन को यदि लें तो कर अपवंचन की बात का पता काफी देर बाद लगता है। सीमाशुल्क के मामले में, तस्करी के मामलों का भी देरी से ही पता लगता है। अतः इन मामलों में यदि समय सीमा को लागू किया जाये तो अधिकारी दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं कर सकते।

दूसरी बात यह है कि केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, नमक कर अधिनियम, सीमाशुल्क अधिनियम, आयकर अधिनियम, एक विशेष व्यवस्था निर्धारित की गयी है। सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम में न्याय निर्णय की व्यवस्था है। न्याय निर्णय प्राकृतिक न्याय के कुछ सिद्धान्तों के अनुसार होता है। जब तक यह कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अतः आर्थिक अपराधों के मामले में समय-सीमा लागू नहीं होनी चाहिए।

Shri R.V. Bade: May I know whether the matter, that the provision of limitation should not be applicable regarding certain enactments, has been referred to Law Commission or not ?

श्री के० आर० गणेश : विधि आयोग ने प्रश्न के इस पहलू पर तो विचार नहीं किया है परन्तु आर्थिक और सामाजिक अपराधों के प्रश्न पर विधि आयोग ने विचार किया है और आयोग ने बताया है कि जहां तक सामाजिक और आर्थिक अपराधों का सम्बन्ध है इसके लिए विशिष्ट व्यवस्था होनी चाहिए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कतिपय आर्थिक अपराधों को दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय 36 के उपबन्ध लागू न होने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्यसभा द्वारा पास किए गए रुप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, अनुसूची, खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

खण्ड 2, अनुसूची, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गए।
Clause 2, the schedule, Clause, 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री के० आर० गणेश : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted.

गुजरात बजट 1974-75---सामान्य चर्चा
गुजरात राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधयक
GUJARAT BUDGET, 1974-75--GENERAL DISCUSSION
GUJARAT STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL

गृह मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : श्रीमान् मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधान मण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में विचार किया जाये।"

सदन को पता है कि 9 फरवरी, 1974 की उद्घोषणा में राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि गुजरात राज्य विधान सभा की शक्तियों को संसद द्वारा अथवा उसके प्राधिकरण के अन्तर्गत प्रयोग किया जायेगा। दोनों सदनों के व्यस्त रहने के कारण संसद के लिए विभिन्न

विधायी कार्य करना कठिन होगा और राज्य के लिए आवश्यक तुरन्त कानून बनाना और भी कठिन होगा अतः इस विधेयक में राज्य के लिए कानून बनाने की शक्ति राष्ट्रपति को देने की व्यवस्था है।

राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत राज्यों के लिये ऐसे कानून बनाना एक साधारण प्रक्रिया है और वर्तमान विधेयक भी इसी तरह का है। इस सम्बन्ध में संसद सदस्यों की एक परामर्श-दात्री समिति बनाने की व्यवस्था की गई है। ऐसी व्यवस्था भी की गई है कि यदि आवश्यक समझा जाए तो संसद राष्ट्रपति द्वारा बनाये गए कानूनों में संशोधनों के लिए निर्देश दे सकती है।

सभापति महोदयः : प्रस्ताव किया गया है :

"कि राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधानमण्डल की विधियां बनाने की शक्ति प्रदान करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पास किए गए रूप में, विचार किया जाय"।

श्री एस० पी० भट्टाचार्य : (उलुबेरिया) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। गुजरात की समस्यायें केवल गुजरात की ही नहीं हैं। वहां की स्थिति की सर्वज्ञ प्रक्रिया हुई है। सरकार और प्रधानमन्त्री कहते हैं कि समाज विरोधी तत्वों ने ये समस्यायें पैदा की हैं, धनी वर्ग तथा दक्षिण पंथी नए संकट तथा समस्यायें पैदा कर रहे हैं। वास्तविक समस्या, मूल्य वृद्धि की है। मूल्य इतने अधिक बढ़ गए हैं कि गरीब लोग चीजें नहीं खरीद सकते अतः असन्तोष बढ़ रहा है।

इसी मूल कारण से बिहार की समस्या का जन्म हुआ। सरकार ने अपनी दमनकारी नीति से इसे दबाने का प्रयास किया। परन्तु सरकार स्थिति को नहीं संभाल सकती। सरकार को खाद्यान्नों की कमी समस्या का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। इस बात पर भी गम्भीरता से विचार करना चाहिए कि गरीब आवश्यक लोग वस्तुयें भी खरीदने योग्य नहीं रह गए हैं। यह सरकार की असफलता है कि वे खाद्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तुयें उचित मूल्य पर राशन की दुकानों से उपलब्ध नहीं करा सकते।

प्रधान मन्त्री ने विपक्षी दलों से पूछा था कि वसूली तथा खाद्यान्नों की समस्या का किस प्रकार समाधान किया जाए। हमने सुझाव दिए। हमने कहा था कि इस वर्ष देश में 11.5 करोड़ मीटरी टन खाद्यान्नों का उत्पादन होगा और बड़े भूस्वामियों के पास लगभग 40 प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है जिसमें वे स्वयं खेती नहीं करते हैं। उत्पादन लागत पर 25 प्रतिशत लाभ लगाकर हमने 80 रुपए प्रति क्विन्टल के आंकड़े दिए। इन आंकड़ों के हिसाब से राशन की दुकानों पर 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से गेहूं और चावल बेचा जा सकता था। परन्तु सरकार ने हमारी बात नहीं मानीं और बड़े किसानों से खाद्यान्न वसूल नहीं किए गए। वसूली असफल हुई इस कारण राशन की दुकानों से सप्लाई नहीं की जा सकी। कालाबाजारी करने वालों ने, मुनाफाखोरों ने मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि की और समाज में असन्तोष फैला। कहा जाता है निर्वाचन के दौरान मूंगफली के व्यापारियों से 50 करोड़ रुपया निर्वाचन कोष के लिए लिया गया और उन्हें मूंगफली की जमाखोरी का अलिखित लाइसेंस दे दिया गया। जब लोगों में असन्तोष फैल रहा था गुजरात के मुख्यमन्त्री

चुप रहे। केन्द्रीय सरकार ने सेना तथा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस भेज कर स्थिति पर नियन्त्रण पाना चाहा। इस से लोगों का असन्तोष दूर नहीं किया जा सका। अन्त में सरकार को पराजय स्वीकार करनी पड़ी। गुजरात नव निर्माण समिति के युवक व्यवसायिक राजनीतिज्ञ नहीं हैं। वे युवक जनभावना का प्रतिनिधित्व करते हैं। परन्तु क्या करना है, इस बारे में उनकी विचारधारा निश्चित नहीं है। टाइम्स वीकली में गुजरात पर एक लेख प्रकाशित हुआ है। उसमें एक छात्र ने स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के शब्दों को उद्धृत किया है। बताया गया है कि उन्होंने कहा था कि "जब स्थिति असहनीय हो जाती है तब क्रान्ति करना हमारा अधिकार ही नहीं कर्तव्य हो जाता है"। छात्रों में ऐसी भावना व्याप्त है। सरकार ने विधान सभा का विघटन करके राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है। क्या यही एक समाधान है।

जब तक सरकार जमाखोरों को संतुष्ट रखने तथा असन्तुष्टों को गोली मारने की अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं करती तब तक स्थिति नहीं सुधार सकती। समस्यायें पैदा होती रहेंगी। यदि सरकार लोकतन्त्र तथा लोगों को बचाना चाहती है तो केवल एक ही रास्ता है। जमाखोरों तथा मुनाफाखोरों को दंड दिया जाना चाहिए तथा लोगों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करें और इन समस्याओं का वास्तविक हल निकालें। तभी लोगों का असन्तोष दूर हो सकता है अन्यथा कोई विकल्प नहीं है। लोगों के सहयोग से समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। इसी नीति को देश पर्यन्त अपनाया जा सकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं गुजरात बजट का विरोध करता हूं।

श्री डी० डी० देसाई (कैरा): बजट का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। संसाधन बढ़ाये गये हैं परन्तु इस वर्ष पूंजीगत व्यय 1972-73 की अपेक्षा कम होगा। दूसरे शब्दों में विकास कार्य पिछले वर्षों की तुलना में कम होंगे। बिक्री कर आदि के रुप में राज्य सरकाररों ने राजस्व प्राप्ति में वृद्धि की है। सूखा राहत कार्यों के लिये व्यय की जाने वाली राशि में वृद्धि करके इसे 9 करोड़ तक पहुंचाया गया है। परन्तु राज्यों को सूखा राहत कार्यों के लिये आशानुकूल धनराशि उपलब्ध नहीं हुई है। विकास कार्यों के लिये भी धनराशि में वृद्धि की गई है परन्तु यह राशि उन कार्यों पर व्यय नहीं की जाती क्योंकि परियोजनाओं पर निर्माण कार्य आरम्भ ही नहीं हो पाया है।

राज्य में खाद्यान्नों की पैदावार में कमी हुई है और क्षेत्रीय प्रतिबन्धों तथा केन्द्र से कम राशि के नियतन के कारण बाहर से सप्लाई भी सीमित रही है। यदि नर्मदा परियोजना पूरी हो जाते तो अकेले उससे ही वर्ष में हजारों करोड़ रुपये के मूल्य के खाद्यान्न उपलब्ध हो जाते। 20 लाख टन अशोधित तेल के समतुल्य विद्युतशक्ति उपलब्ध हो जाती। पता नहीं केन्द्रीय सरकार इस परियोजना को स्वीकृति देने में क्यों हिचक रही है।

गुजरात में दीर्घकाल से उर्वरक परियोजनाओं की मांग की जा रही है। मीठापुर परियोजना की मांग 10 वर्ष पूर्व की गई थी परन्तु इसे रद्द कर दिया गया और इसमें अनेक संशोधन किये गये। गुजरात उर्वरक निगम से भी दूसरे राज्यों को उर्वरक सप्लाई करने के लिये कहा जाता है। गुजरात से उन राज्यों को उर्वरक दिलाने में क्या तर्क है जिन राज्यों में उर्वरक परियोजनायें तो हैं परन्तु उर्वरकों के उत्पादन का अभाव है।

महाराष्ट्र में पश्चिम रेलवे की केवल 150 किलोमीटर लाइन हैं। इसका अधिक भाग गुजरात में है । अतः इस रेलवे का मुख्यालय गुजरात में होना चाहिये । कार्यकुशलता की दृष्टि से भी मुख्यालय गुजरात में ही बनाया जाना चाहिये । परन्तु पता नहीं, केन्द्रीय सरकार इस मांग को क्यों स्वीकार नहीं कर रही है । गुजरात राज्य की उपेक्षा की गई है । लोगों के भड़कने की शिकायतें मिली हैं । गुजरात के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं । अतः सरकार को पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थानान्तरित कर देना चाहिये ।

गुजरात में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक गैस और तेल उपलब्ध है । लेकिन गुजरात को इसका कोई लाभ नहीं हो रहा है । इस उद्योग में गुजरात के मुश्किल से 200 व्यक्ति काम करते हैं । अध्यक्ष से लेकर चपरासी तक इस उद्योग में गुजरात के अलावा अन्य राज्यों के कर्मचारी काम करते हैं । इस उद्योग में कोई भी डायरेक्टर गुजराती नहीं है । दक्षिण भारत के किसी उद्योग को देख लीजिये । उस में अध्यक्ष से लेकर निम्न श्रेणी के कर्मचारी तक सब कर्मजारी दक्षिण भारत के हैं । यदि वर्तमान प्रवृति जारी रहती है तो गुजरात राज्य का इस उद्योग को चलाने में पूर्ण अधिकार की मांग करना उचित ही है ।

गुजरात राज्य में उत्पन्न होने वाली गैस और तेल से केन्द्रीय सरकार को बहुत लाभ हुआ है । उक्त लाभ का कुछ हिस्सा राज्य सरकार को भी दिया जाना चाहिये ।

गुजरात राज्य की यह एक मुख्य समस्या है और राज्य के लोग स्वभावतया यही प्रश्न पूछते हैं ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय या तो गुजरात या आसाम में स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि ये दो राज्य तेल पैदा करते हैं । लेकिन यह देहरादून में स्थित है । इससे प्रबन्धकों और उद्योग दोनों को ही अनावश्यक कठिनाइयां हो रही हैं ।

भारत में उत्पादित नमक का 60 से 70 प्रतिशत गुजरात में उत्पादन किया जाता है । यद्यपि नमक शुल्क लिया जाता है फिर भी इसको नये तरीके से निकालने के लिये प्रयोग नहीं किये गये हैं तथा नमक सम्बन्धी अनुसंधान के लिये कोई प्रयोगशाला नहीं है । नमक शुल्क का उपयोग नमक उद्योग के विकास के लिये किया जाना चाहिये । इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है और नमक शुल्क से एकत्र राशि का उपयोग नहीं किया गया है ।

सरकार को बेरोजगारी का हल निकालना होगा । उसे नौकरी प्रधान शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी । आज हम शिक्षा पर एक बड़ी राशि व्यय कर रहे हैं इसका परिणाम जो हमारे सामने आ रहा है वह है शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि । आज यदि गांव का लड़का कालेज जाता है तो वह अपने को खेती करने के उपयुक्त नहीं समझता । हमें उक्त भावना को प्रोत्साहन नहीं देना चाहिये ।

हाल ही के आन्दोलन में लगभग 100 युवक मारे गये और लगभग 400 युवक घायल हुए । वे मुआवजे की मांग कर रहे हैं । भारत सरकार को उनको मुआवजा देना चाहिये ।

बहुत बड़ी मात्रा में गैस को जला दिया जाता है । इतने उपयोगी प्राकृतिक संसाधनों को जलाना राष्ट्र के प्रति अपराध समझा जाना चाहिये ।

परमाणु बिजली घर समेत अनेक विद्युत परियोजनाएं केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं । परमाणु बिजली परियोजना के लिये गुजरात का पक्ष बड़ा मजबूत है । गुजरात सरकार इस बारे में अपनी

योजना केन्द्रीय सरकार को भेज चुकी है और वह उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा कर रही है। समस्त पश्चिमी भारत में कोयला न होने के कारण गुजरात राज्य में बिजली घर की स्थापना का पक्ष और भी मजबूत हो जाता है। गुजरात राज्य में पनबिजली परियोजना के लिये आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध हैं।

खोसला आयोग ने अपना प्रतिवेदन 10 वर्ष पूर्व प्रस्तुत किया था। इस समय परिस्थितियां विभिन्न थीं। तेल बहुत कम कीमतों पर बेचा जा रहा था। आज ऊर्जा की समस्या अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है। अतः ऊर्जा के विकास की ओर शीघ्र ध्यान दिया जाना चाहिये।

भारत की एक तिहाई कपास का उत्पादन गुजरात में होता है। गुजरात राज्य में 22 से 25 लाख तक कपास की गाठों का उत्पादन होता है। लेकिन राज्य में कोई अनुसंधान केन्द्र नहीं है जिससे कपास के बीज में सुधार किया जा सके। भारत के 30 प्रतिशत तिलहन का गुजरात में उत्पादन होता है। लेकिन इसके लिये भी वहां कोई प्रयोगशाला तथा पंतनगर विश्वविद्यालय की भांति कोई विश्वविद्यालय नहीं है। इन कारणों से राज्य के लोगों में यह भावना घर करती जा रही है कि उक्त राज्य भारत का सबसे उपेक्षित राज्य है।

देश के एक तिहाई तम्बाकू का गुजरात राज्य में उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त राज्य में अन्य फसलें भी होती हैं और उनसे गुजरात राज्य को बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। लेकिन सरकार ने गत 20 वर्षों में सिंचाई तथा अन्य उपकरणों और शिक्षा के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की है।

पोत-निर्माण गुजरात राज्य का परम्परागत उद्योग है। इसके बावजूद राज्य में किसी भी पोत-निर्माण यार्ड की स्थापना नहीं की गई है।

देश में किसी राज्य में भी सरकारी उपक्रमों में लगे विनियोजन से इतना अधिक लाभ सरकार को प्राप्त नहीं हो रहा जितना गुजरात राज्य में स्थित सरकारी उपक्रमों से।

गुजरात राज्य में बोक्साइट आदि जैसे अनेक खनिज पाये जाते हैं। गुजरात राज्य में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में अथवा संयुक्त क्षेत्र में अनेक एकक स्थापित किये जा सकते हैं। इस सम्बन्ध में अवसर उपलब्ध हैं और सरकार को विकास कार्यों को तेज करना चाहिये।

Shri Bhogendra Jha (Jainagar) : There are oil deposits in Gujarat and exploration work is going on there. It is strange that its head office has been located at Dehradun instead of Gujarat.

The land legislation in Gujarat is not being implemented. Big landlords are violating the law. Now there is President's Rule in Gujarat, land legislation should be strictly implemented. The People gave mandate to the congress in the hope that it would do something for their welfare, but now they felt that they had been deceived.

Land reform is necessary for removing social and economic injustice.

The Government should change present unsatisfactory situation in Gujarat before the election may be held in the state. The profiteers, hoarders and money lenders are exploiting the common man. The land should be given to the tiller.

We want to know the number of raids conducted in a large number of places. The hon. Minister should inform whether these raids were conducted on wholesale traders or retail traders.

Gujarat is well advanced in the production of cloth. But there is hardly any mill owner who pays attention regarding production of coarse cloth. The Government has made it obligatory.

for Textile mills that certain percentage of their production should consist of coarse cloth. But the mill owners are not producing the reguisite quantity of coarse cloth. The Government should take strict action against the mill-owners not producing reqiuiste quantity of coarse cloth.

The mill-owners violating the rules should be punished.

The country is facing a very serious unemployment problem. Social reformation is required to tackle this problem. The Government should provide all facilities like irrigation, seeds, bank credit to farmers. There should be land reforms on large scale. In case the people of the country starve, the industries will not develop and our engineers, overseers and graduates remain unemployed. The Government should provide various resources for increasing production to the farmers. The land should be given to the tillers.

The demands for improving oil industry cotton production etc. in Gujarat are justified. These are long term measures. Some such steps should be taken during President's Rule to improve the condition of the state so that the people may feel that there has been some improvement during President's rule in Gujarat.

श्री पीलू मोदी (गोधरा) : आज केन्द्र में ऐसी सरकार है जो सरकार की बजाय दलीय बातों में अधिक रुचि लेती है और जब तक ऐसा रुख रहता है केन्द्र और राज्यों की समस्याएं हल नहीं होगी। हमें देश में ऐसी सरकारों की स्थापना करनी चाहिये जो प्रबन्ध, वस्तुओं का उत्पादन और जनता को उचित न्याय देने की इच्छुक हों।

मेरे विचार से लोकतन्त्र प्रणाली विश्व की सबसे अच्छी प्रणाली है और इसे देश में बनाये रखा जाना चाहिये।

आज देश में स्थिति यह है कि जनता अपने वैध अधिकारों की मांग करती है, सरकार की ओर से इस बारे में कोई सुनवाई नहीं होती। वह तो अपनी शक्ति बनाये रखना चाहती है।

आज लाखों नौकरशाही लोग, राजनीतिक तथा व्यापारी देश को चूसने में लगे हैं। वे सुबह शाम पैसा बनाने में मग्न हैं। ऐसे लोगों की संख्या 20 लाख है।

देश में आज मूल्यों में वृद्धि, बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, अभाव में और अन्याय में वृद्धि के लिये मुख्यतया सरकार दोषी है।

मेरा यह विश्वास है कि गुजरात में सारी गड़बड़ी केन्द्रीय सरकार ने करवाई है।

लोकतन्त्र में जनता को मत-पेटिका का बहुत बड़ा सहारा होता है परन्तु आज यह स्थिति हो गई है कि लोगों को उस पर से भी विश्वास उठ गया है। क्योंकि अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव क्षेत्रों को छोटा बड़ा किया जाता है, साम्प्रदायिक भावनाओं को उकसाया जाता है।

कानून के अनुसार राजनैतिक दलों को चन्दा नहीं दिया जा सकता। परन्तु फिर चुनाव के लिए पैसा कहां से आता है? कांग्रेस दल ने हाल ही में चुनावों में उत्तर प्रदेश में 60 करोड़ रुपये और उड़ीसा में 8 करोड़ रुपये व्यय किये। इन में से 6 करोड़ रुपया रूस से प्राप्त हुआ।

श्री के० आर० गणेश : माननीय सदस्य अपना मत रखने को स्वतन्त्र हैं परन्तु ऐसा करते समय उन्हें किसी दूसरे देश का नाम नहीं लेना चाहिये।

श्री पीलू मोदी : इस धनराशि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। परन्तु इसके बावजूद उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश में उनको मामूली बहुमत ही प्राप्त हो सका।

गुजरात में कुछ समय पहले बहुत अधिक बाढ़ आई। उस समय सभी प्रकार के पुनर्वास के लिये सहायता का आश्वासन दिया गया। परन्तु लोगों तक पुनर्वास सहायता पहुंच नहीं सकी है। एक गांव में एक व्यक्ति को मकान के लिए 11 रु० की पुनर्वास सहायता दी गई। कुछ लोगों को सीमेन्ट की चादरें दी गई परन्तु वे उन तक पहुंचने से पहिले ही टूट गई। इसके कुछ देर बाद वह 11 रु० की राशि और सीमेन्ट की चादरें उन लोगों से यह कह कर वापस मांगी गई कि वह सब कुछ गलती के कारण हो गया था।

कुछ स्थानों पर बांध बनाये गये परन्तु बांध की ऊंचाई से कम ऊंचाई वाले गांवों को सात-आठ वर्ष तक दूसरे स्थानों पर नहीं बसाया गया। इस प्रकार बाढ़ से होने वाली क्षति का सीधा कारण यह भी है। इस के लिये सरकार उत्तरदायी है। इस स्थिति में गुजरात में जो कुछ हुआ है उसे खूनी क्रांति कहा जा रहा है जबकि वास्तव में वह सब बहुत ही शांति पूर्ण ढंग से हुआ है।

गुजरात में जो भी हिंसा हुई वह गृह मंत्रालय के आदेशों पर हुई। पुलिस, सी० आर० पी०, एस० आर० पी० और पी० ए० सी० को लोगों से दुर्व्यवहार करने को कहा गया। दोहद नामक नगर में 11 बजे पुलिस आई। वहां पर कोई कर्फ्यू कोई प्रदर्शन नहीं किया गया था और न कोई नारे बाजी ही की गई थी। घर-घर जाकर पुलिस ने तहस-नहस किया और स्त्रियों से अभद्र व्यवहार किया। बिना कारण और बिना पूर्ण सूचना गोली चलाई गई। पुलिस सामान्यतया इस प्रकार का व्यवहार नहीं करती जब तक कि उसे उसके लिये विशेष आदेश न दिये गये हों। यदि 100 से कम लोगों की मृत्यु हुई है तो इसका श्रेय गुजरात की जनता पर है कि उन्होंने सरकार को गिराया और उसे त्यागपत्र देने को मजबूर किया। जनता द्वारा मूल्यों को कम करने और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यह संघर्ष चलता ही रहेगा।

भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये उन्हें सरकार को भी गिराना होगा क्योंकि आज की सरकार भ्रष्टाचार के बिना चल नहीं सकती। इसे चुनाव को जीतने के लिये धन इकट्ठा करने के लिये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना होता है। क्योंकि इसके बिना पैसा इकट्ठा नहीं हो सकता।

गृह मंत्री (श्री उमा शंकर दीक्षित) : यह सब गलत है। इस प्रकार के गलत आरोप लगाने से पूर्व उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।

श्री पीलू मोदी : इससे क्या यह अर्थ लिया जाये कि आपने बिना पैसे लिये चुनाव लड़े थे। यदि यह अर्थ है तो बताया जाये कि आप के पास पैसा कहां से आया ?

श्री उमा शंकर दीक्षित : यदि सभी दल अपना लेखा जोखा प्रस्तुत करें तो हम भी कर देंगे।

श्री पीलू मोदी : तो फिर इस प्रकार अस्वीकार करने से क्या फायदा है। चाहे कितना भी धन हो यह मानना ही पड़ेगा कि भ्रष्टाचार के द्वारा उसे इकट्ठा किया जाता है। इसी भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह संघर्ष है। भ्रष्टाचार द्वारा एकत्र किया गया धन चुनावों को भ्रष्ट करता है : देश में जब तक चुनावों को स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष नहीं किया जाता तब तक कुछ लाभ नहीं होने वाला है। **(अन्तर्बाधाएं)** मैं सारी सूची प्रस्तुत कर सकता हूं। किन लोगों ने पैसा इकट्ठा किया, किन लोगों द्वारा कहां-कहां पर ले जाया गया मैं सब बता सकता हूं। यह मेरे और आप के बीच युद्ध की बात नहीं है। मैं यह सब देश को सुधारने की दृष्टि से कह रहा हूं।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Deputy Speaker *in the Chair*]

मेरे विचार से केन्द्र प्रशासन द्वारा कुछ समझदारी से काम लिया जायेगा । आपके दल के ही एक सदस्य ने आपाको कुछ कामों की सूची दी है । कृपया उसमें लिखी बातें ही पूरी करें ।

श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (कलकत्ता-दक्षिण) : विपक्ष के सदस्यों और विशेष रूप से स्वतन्त्र पार्टी और उसके नेता के विचारों को सुनकर बहुत अचम्भा होता है । यदि सरकार और उसके प्रशासन के विरुद्ध क्रोध और आक्रोश प्रकट किया जाये तो समझ में आता है परन्तु यदि उसका कारण केवल उनकी अपनी विफलताएं हों तो यह समझ में न आने वाली बात है ।

गुजरात असेम्बली के भंग होने से पूर्व श्री मोरारजी देसाई ने अनशन किया और विरोधी दलों ने हिंसा और लूट-मार के विरुद्ध उसका समर्थन किया और शांति भी भंग की । किसी समस्या के मूल की बातों को हल किये बिना स्थायी शांति स्थापित नहीं हो सकती । कई ऐसे राजनैतिक दल हैं जो लोगों की कठिनाइयों के अवसरों पर क्रियाशील होते हैं और लोगों की भावनाओं का शोषण करते हैं । जब सरकार द्वारा जनता की भलाई के कानून बनाये जाते हैं तो उसका विरोध किया जाता है । मैं मानता हूं कि देश में भ्रष्टाचार है परन्तु मैं यह नहीं मानता कि हमारी सरकार केवल बड़े लोगों के पैसे पर आधारित है । वास्तव में इसे जनता से सहायता और समर्थन प्राप्त होता है । स्वाधीनता से पहले से हमारा दल देश के लाखों लोगों के दिलों में बसा है और बसा रहेगा ?

कुछ प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है कि गुजरात के विद्यार्थी वर्गहीन समाज की मांग करते हैं । कुछ का मत है कि उनके उद्देश्यों की प्राप्ति शांति स्थापना से नहीं हो सकती । सरकार के बारे में मेरा स्पष्ट मत है कि राजनैतिक विचार अथवा वर्गहीन समाज की विरोधी शक्तियों से संघर्ष के बिना जनता को और युवा वर्ग को, वर्गहीन समाज की प्राप्ति नहीं हो सकती । यह सच है कि सरकार को लोगों को भावनाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी होना चाहिये । मैं यह भी समझता हूं कि सूखा, बाढ़ आदि की समस्याओं एवं अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं के होते हुए भी हमारी सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में अच्छे काम करने की कोशिश की । परन्तु विरोधी दलों, निहित स्वार्थों, मिल मालिकों आदि ने उचित वातावरण की स्थापना नहीं करने दी ।

यदि आप गुजरात में चुनौती का सामना करना चाहते हैं तो इसका उपाय केवल यही है कि हम अपने आश्वासनों को पूरा करें । गुजरात का पाठ यही है कि आप जनता से, विद्यार्थियों से एवं युवावर्ग से नाराज न हों अपितु आप को गुजरात के मिल मालिकों, पूंजीपतियों एवं बड़े-बड़े व्यापार गृहों के साथ कठोरता बरतें और यह सुनिश्चित करें कि भविष्य में उन्हें और लाइसेंस न दिये जायें, वह अपनी सम्पत्ति एवं आय न छिपा सकें ।

यद्यपि गुजरात की घटनाओं में प्रारंभ में विद्यार्थी वर्ग का हाथ था परन्तु पिछले 15 दिनों से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें विरोधी दलों के नेताओं का हाथ था । प्रारंभ में विद्यार्थियों ने हिम्मत दिखाई और जनता की वास्तविक शिकायतों की बात उठाई परन्तु बाद में धीरे-धीरे सारा आन्दोलन फासिस्ट ढंग धारण कर गया । इसके मुखिया वह थे जो बैंक राष्ट्रीयकरण, गेहूं के व्यापार के सरकारीकरण व अन्य प्रगतिवादी कानूनों के विरोधी थे ।

खाद्य की कमी और मूल्य वृद्धि को देखते हुए प्रारंभ में विद्यार्थी आगे आए । उनका प्रारंभिक विद्रोह लोकतन्त्र, संविधान अथवा भारतीय एकता के विरोध में न था । परन्तु बाद का आन्दोलन इसके

विपरीत है। स्वतन्त्र गुजरात की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि कच्चा माल गुजरात के बाहर न जाये और स्थानीय लोगों की भर्ती की जाये। यह सब बातें उन लोगों की हैं जो लोकतन्त्र के विरोधी हैं और देश में फासिश्ट चाहते हैं।

श्री पीलू मोदी व संगठन कांग्रेस के सदस्य संसद् में जनता के साथ सहानुभूती दिखाते हैं परन्तु वास्तव में वे उन शक्तियों के साथ हैं जिन्होंने देश में इस प्रकार का वातावरण पैदा किया है जिससे विद्यार्थियों व युवा वर्ग में असन्तोष बढ़ा है।

श्री पीलू मोदी ने आरोप लगाया है कि हमने रूस से पैसा लिया है। वास्तव में श्री मोदी को मनोवैज्ञानिक उपचार की आवश्यकता प्रतीत होती है। उनके आक्रोश का कारण यह है कि वे भारत-रूस शांति सन्धि के विरोधी हैं अतः हर किसी अवसर पर वह इस प्रकार की बातें करते हैं। मैं उनके दल को जानता हूं। लाला चरत राम उनके दल के कोषाध्यक्ष थे। इस प्रकार की बातों से किसी पर क्रांति का रंग नही चढ़ सकता। वह दिन दूर नहीं जब युवा वर्ग न केवल प्रशासन को ही बदलेगा अपितु देश में जनता विरोधी दलों को भी समाप्त करेगा। **(अन्तर्बाधाएं)**

मैं समझता हूं कि यह अवसर है कि सरकार को अध्यादेश जारी करके जनता के सामने वह बातें लानी चाहिए कि कांग्रेस क्या चाहती है। राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत सरकार शहरी सम्पत्ति की अधिकतम सीमा निर्धारित करे, खाद्यान्न तेलों का व्यापार सरकार अपने हाथों में ले। कपड़ा मिलों के प्रबन्ध मंडलों में श्रमिकों के प्रतिनिधि भेजे जाएं। इन कार्यवाहियों से गुजरात की राजनीति को नई दिशा प्राप्त होगी और वह दिशा वही होगी जिसके लिए विद्यार्थियों ने संघर्ष प्रारंभ किया व अपना बलिदान दिया। असैम्बली के भंग होने से शासन भूमिपतियों व बड़े-बड़े व्यापारियों के हाथ में आयेगा इस बात को श्री पीलू मोदी व कांग्रेस संगठन के लोगों को भूल जाना चाहिए।

गुजरात के कपास बुनकरों और कपड़ा मिलों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति बहुत शोचनीय है। श्रमिक वर्ग और किसानों ने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया। मैं श्री पीलू मोदी और सभी विरोधी राजनैतिक दलों से अनुरोध करता हूं कि वे कपड़ा मिल मालिकों से पता करें कि उन्होंने पिछले दो वर्षों में कितना लाभ कमाया और उसमें से कितना अंश उन्होंने मूल्यवृद्धि के परिणामस्वरूप श्रमिकों को अन्तरिम राहत अथवा बोनस के रूप में दिया? **(अन्तर्बाधाएं)**

गुजरात में विश्वविद्यालय और कालेज खुल गए हैं। मेरी सरकार से भी अपील है कि विद्यार्थी परामर्श दात्री समितियां बनाई जाएं जिससे विद्यार्थियों में यह भावना आए कि उनकी बात भी सुनी जाती है। वह यह समझे कि नये गुजरात के बनाने में वे भी साझेदार हैं। यदि ऐसा किया गया तो मैं समझता हूं कि फासिस्ट शक्तियों व साम्राज्यवादी शक्तियों के एजेंटों द्वारा खेला जा रहा खेल असफल हो जाएगा अन्यथा यह अन्य स्थानों पर भी फैलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: गुजरात की स्थिति पर हमने कुछ दिन पूर्व पूरी चर्चा की थी। अतः अब इस अवसर पर उसके कारणों अच्छाइयों आदि के बारे में कुछ कहने की आवश्यकता

नहीं है। इस समय हम गुजरात के बजट पर और उससे सम्बद्ध कानूनों पर चर्चा कर रहे हैं। अतः आप बजट प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करें। बजट प्रस्ताव वित्त मंत्री द्वारा पहिले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं अतः सदस्य उनके संबंध में ही विचार व्यक्त करें।

Shri Jagannathrao Joshi (Shajapur): Debate is going on in regard to Gujarat Budget. I cannot understand why the Legislative Assembly in Gujarat was not dissolved much earlier when you had already decided to drop Shri Chimanbhai Patel as a corrupt administrator. At that time it was said that the Government would not bow to the vendalism. In fact the Government do not bother themselves to meet the general grievances of the people, when they demand peacefully and democratically so they have to adopt other methods.

One fails to understand that how the powers were delegated to the Governor. When under the ordinary conditions the Governor has been empowered to pronouse and dissolve the Legislative Assembly, but when we impose Presidents' Rule under section 356, the Legislative Assembly come under the Presidents' Rule although it has been kept under suspended animation. We should understand the reasons for the discontentment in the public. We cannot run the administration inspite of the political majority, we have seen the example for the same in Gujarat. Why are you trying to change the person instead of running the administration efficiently. In democracy the policies are important, but the persons are not important. The allegations of corruption levelled against Chimanbhai Patel should be inquired into. Until black money and corruption are not eliminated, democracy can not function in the proper way. I want that the action should be taken against the persons who are found guilty after the inquiry.

The families, who have been affected badly, should be properly compensated.

Further, elections should be conducted in Gujarat at the earliest so that a popular and stable Government may be restored there.

We should try to erode the democracy. It is a matter of shame for us that we could not give clean and efficient administration in Gujarat inspite of our majority in the Legislative Assembly.

Our education should be of the type which should make a person cultured and able.

The Hon'ble Home Minister has stated that R.S.S. and Jan Sangh are behind the incidents of Gujarat and Bihar. There people do not do anything secretly. Allegation should not be levelled against them without any basis. The realities of Gujarat should be well sponsored and responded to by our Government during the Presidents' Rule. If the Government try to concede the demands of the people, then only useful purpose can be served.

***श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) :** मैं अपने दल की ओर से वर्ष 1974-75 के लिए गुजरात सरकार के बजट पर सामान्य चर्चा और गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक के संबंध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं।

गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक के द्वारा राष्ट्रपति को गुजरात राज्य के विधान मंडल को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गयी है। मैं यह कहना चाहता हूं कि राज्य विधान सभा के भंग किए जाने की घोषणा राज्यपाल द्वारा की गई थी। समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि इस मामले में राष्ट्रपति से परामर्श भी नहीं किया गया। अब इस विधेयक के द्वारा उनसे राज्य विधान मंडल की शक्तियां प्रदान करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में गुजरात की घटनाएं हमारे देश में लोकतन्त्र और केन्द्रीय

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of a speech delivered in Tamil.

सरकार को चेतावनी है। यह किसी भी देश के संवैधानिक इतिहास में अभूतपूर्व घटना है कि विधान सभा में एक दल के बहुमत होते हुए भी उस दल की सरकार ने विधान सभा को भंग किया हो। यह पहली बार हुआ है कि बहुमत वाले शासक दल के मुख्य मंत्री को उस दल की केन्द्रीय सरकार ने त्यागपत्र देने पर बाध्य किया हो।

गुजरात में लोकतन्त्र की रक्षा भी उस ढंग से नही की गई है जिस ढंग से की जानी चाहिए थी। हजारों युवक पुलिस गोली के शिकार हुए। हजारों व्यक्तियों पर लाठी चार्ज किए जाने तथा अश्रु गैस छोड़े जाने से वह घायल हो गए थे। गुजरात के विद्रोह का वास्तविक कारण बेकारी की समस्या, अत्यावश्यक वस्तुओं का अभाव और निरन्तर मूल्य वृद्धि था। केन्द्रीय सरकार और शासक दल ने राज्य में जमाखोरों, चोरबाजारी करने वालों और मुनाफाखोरों से साठ-गांठ की हुई थी जो राज्य में इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार थे। यदि केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार ने लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की होती, तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था।

यह बहुत दुख की बात है कि उस राज्य के लोगों को, जिस में महात्मा गांधी द्वारा बताए गए सत्य और अहिंसा की धारणा प्रदान को, पशुओं की तरह हजारों की संख्या में पुलिस की गोलियों द्वारा हत्या कर दी जाए। मैं इस वर्ष के संबन्ध में अनुपूरक मांगों का उल्लेख कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि शायद केन्द्र, 2.12 करोड़ रुपए की मांग करके गुजरात में पुलिस राज की स्थापना करना चाहता है। यदि उचित मूल्यों पर गुजरात के लोगों को उनकी न्यूनतम आवश्यकताएं उपलब्ध करायी जाती, तो वे शान्तिपूर्ण रहते।

समाचारपत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ने चिमनभाई पटेल सरकार के पतन के पश्चात 15000 टन खाद्यान्न गुजरात भेजा, हालांकि यह मांग श्री चिमनभाई पटेल द्वारा, जब वह मुख्य मंत्री थे, मांग की गई थी। यदि उचित समय पर राज्य को खाद्यान्न भेजे गए होते, तो स्थिति इतनी खराब न होती । सत्तारूढ़ दल को वर्तमान स्थिति के लिए प्रतिपक्षी दलों को दोषी ठहराने से सन्तोष प्राप्त होता है। किन्तु इस से केवल उसके जिम्मेदारी से बचने का ही आभास मिलता है। अब यह स्थिति बिहार और उड़ीसा में भी पैदा हो गयी है और यही स्थिति अन्य राज्यों में भी हो सकती है। मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह समूचे देश में अराजकता और गड़बड़ फैलाने से पूर्व देश के लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए पर्याप्त और आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

मेरे दल का लोकतन्त्र के तरीकों में दृढ़ विश्वास है। इसके साथ ही हमारा दल लोगों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए समान रूप से वचनबद्ध है।

गुजरात के लोग इस बात के लिए क्रोधित हो उठे हैं क्योंकि उस राज्य में मूंगफली के तेल की बहुत अच्छी फसल होते भी उसके मूल्य इतने अधिक हो गए। इस सब कुप्रबन्ध की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सत्तारूढ़ दल पर ही आती है।

जब तक सत्तारूढ़ दल लोगों की उचित शिकायतों को दूर करने के लिए रचनात्मक एवं अर्थपूर्ण योजना नहीं बनाता, तब तक हमारे देश में लोकतन्त्र पूरी तरह काम नहीं कर सकता।

नेफ्था के मूल्य के बारे में वक्तव्य

STATEMENT *RE* : PRICE OF NAPHTHA

उपाध्यक्ष महोदय: पैट्रोलियम और रसायन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने नेफ्था के मूल्य के बारे में सरकार के निर्णय के सम्बन्ध में वक्तव्य देने के लिए अनुमति की प्रार्थना की है। सामान्यतय: एक मद के अन्त तथा दूसरी मद को आरम्भ करने से पूर्व ऐसी बातों के लिए अनुमति दी जाती है। किन्तु मन्त्री महोदय ने कहा कि इसे अन्य मन्त्री ने दूसरी सभा में वक्तव्य दिया हो। इसलिए यह वक्तव्य दोनों सभाओं में लगभग साथ-साथ ही दिए जाने के उद्देश्य से मैं बहुत ही विशेष मामले के रूप में पूर्व परम्परा का अनुसरण न करते हुए उन्हें वक्तव्य देने की अनुमति देता हूं।

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां) : 2 मार्च, 1974 से उर्वरक निर्माताओं के अतिरिक्त अन्य उद्योगों द्वारा प्रयोग में लाये जाने वाले नेफ्था के मूल्य को 446 रुपए प्रतिटन से बढ़ा कर 2320 रुपए प्रति टन कर दिया गया था। ऐसा अशोधित तेल के मूल्य में वृद्धि के कारण होने वाले भार को आंशिक रूप से कम करने के लिए किया गया था। इस वृद्धि के कारण रसायन उद्योग, रोज़गार, उत्पादन और निर्यात पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस पर पुन: विचार किया है और यह निर्णय किया है कि उर्वरकों के बनाने के अतिरिक्त अन्य उद्योग के प्रयोग में लाये जाने वाले नेप्था का मूल्य 26 मार्च, 1974 से 1000 रुपए प्रति टन निर्धारित किया जाये।

गुजरात बजट, 1974-75—सामान्य चर्चा

गुजरात राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन विधेयक)—जारी

Kumari Maniben Patel (Sabarkantha): When President's Rule has been imposed in Gujarat, all the responsibility comes upon the shoulders of the Central Government. The root of the whole trouble in Gujarat began due to shortage of foodgrains. The Central Government are not taking any decision on the Narmada waters, resulting in fall of agricultural production in Gujarat. This dispute must be settled without any further delay in spite of the pressures from the Governments of Maharashtra and Madhya Pradesh, so that the problem of Gujarat may be solved.

[डा० हेनरी आस्टिन पीठासीन हुए
Dr. Henry Austin **in the Chair**]

Why the Home Minister is annoyed so much, when it is said that he received money. This is not the question that how much money was received by him. We heard this incident from the Chief Minister and Deputy Chief Minister of his party, otherwise how could we know about it? The ex-Chief Minister Shri Chimanbhai Patel issued a clear statement in the press that he is not worried about the inquiry as he has given accounts to the Prime Minister about the funds collected for U.P. elections. So, the Home Minister should be angry for this.

All the municipalities have been suspended in Gujarat and the term of the Panchayats is also coming to end. The Government should explain that what are they going to do in regard to

Panchayats, as no law in regard to them has been formulated so far. Please letus know whether they have thought about having elections to Panchayats ?

I have seen the excesses being perpetuated by the Police on the innocent people in Gujarat. Inquiries should be instituted into all the charges of corruption and the police excesses in the State. Innocent people including old women had been mercilessly beaten.

In Saharkantha there is no proper arrangement of roads. More funds should be allocated for the development of roads in Saharkantha district so that industries may be set up there so as to remove the backwardness of that area.

The police used to round up the goondas before they could indulge in their reforious activities. It means that the Government wanted that the people should be put to troubles and they had given full powers to the Police to beat all the persons as and when they like. What was the result of it ? As a result we saw the people uprange.

Now when there is President's rule in the state, the state of Gujarat should receive proper attention in regard to the problems it is facing.

I have received the information that due to shortage of coal, the factories in Saurashtra are being closed. Please look into it.

If you want to develope the industries and decrease the increasing prices of commodities you should take steps to incrcease the production and check the corruption etc. I again request you to make an early announcement in regard to Narmada water.

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : परम्परा द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि जब भी बजट पर चर्चा होती है तो आकाश जैसी बातें की जाती हैं। सामान्यतय: मैं ऐसा करने का प्रयास नहीं करता हूं। किन्तु हम इस प्रकार के बाद विवाद में गुजरात की स्थिति का उल्लेख करना आवश्यक हो जायेगा। बहुधा यही तर्क दिया जाता है कि गुजरात में जो घटना घटी है, वह लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। वस्तुत: गुजरात के संघर्ष में किसी प्रकार के मतदान पीटिका का उपयोग नहीं किया गया, किन्तु जिस प्रकार हजारों लोगों ने भ्रष्टाचार और न्याय के लिए संघर्ष कर रहे छात्र संगठनों के साथ मिलकर उनका साथ दिया है, उसके बारे में यही कहा जाना चाहिए। कि गुजरात के लोगों और विधायकों ने हाल के इस क्रान्ति और संघर्ष का समर्थन किया है ।

इस बात के लिए आश्चर्य व्यक्त किया गया है कि गांधी जी के गुजरात में कैसे इस प्रकार का संघर्ष हुआ? इसकी आलोचना करने वाले भूल जाते हैं कि जिसने डांडी यात्रा का नेतृत्व किया था और गुजरात ही था। जहां बारदोली का युद्ध भी लड़ा गया था। पुन: गुजरात ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए युवक संगठनों ने आह्वान किया है। इस प्रकार इतिहास बनाया जा रहा है। राष्ट्रीय संघर्ष में भाग लेने वाले लोगों को इसे गांधीजी और सरदार पटेल की शानदार विरासत की दृष्टि से देखना चाहिए और पैदा हुए नए दृष्टिकोण का स्वागत करना चाहिए।

हमारे संविधान में किसी मामले पर जनमत प्राप्त करने का उपबन्ध नहीं किया गया है। लोगों के अधिकारों और आकांक्षाओं को दर्शाने में असफल रहने वाले प्रतिनिधियों को वापस बुलाने का कोई उपबन्ध नहीं किया गया है। भ्रष्टाचार में व्यस्त रहने वाले लोगों का यह विश्वास है कि जब वे भारी बहुमत प्राप्त कर लेते हैं; तो उन्हें भारी भ्रष्टाचार

करने का लाइसेंस और परमिट मिल जाता है। किन्तु लोकतन्त्र और स्वच्छ राजनीतिक तथा सार्वजनिक जीवन में विश्वास रखने वाले लोग पांच वर्ष की अवधि को भ्रष्टाचार का लाइसेंस और परमिट नहीं समझते। वे पांच वर्ष की अवधि के पूरा हो जाने से पूर्व भी हस्तक्षेप करेंगे और गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह के हथियार की सहायता से अधिक प्रत्यक्ष रूप वापस बुलाने के अधिकार का उपयोग भी करेंगे। गुजरात के लोगों ने विशेषकर कि वहां के नवयुवकों ने इस अधिकार का उपयोग किया और विधायकों को बताया कि वे विधान सभा के, जो भ्रष्टाचार का स्थान बन गई है, सदस्य नहीं रह सकते। यही कारण था कि उन में से कई सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया था। आखिरकार सरकार को लोगों की इच्छा को स्वीकार करना पड़ा। और विधान सभा को भंग भी करना पड़ा।

मैं सरकार को एक बात से आगाह करना चाहता हूं जो कि बहुत खतरनाक है, मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि जब सेना गुजरात में गई तो वहां के लोगों ने उन्हें मालाएं पहनाई, यदि ऐसा होता रहा तो सेना लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था का स्थान ले सकती है जो कि एक बहुत खतरनाक दृष्टान्त होगा जब भी कहीं आपात कालीन स्थिति होती है, वहां की सेना को भेजा जाता है, इससे सेना के मन में यह भावना आ सकती है कि क्यों नहीं वे समूचे प्रशासन को ही अपने नियन्त्रण में ले लें। यदि उन्हें इस प्रकार मालाएं पहनाई जाती रहीं तो लोगों के मन से नागरिक प्रशासन से विश्वास उठ जायेगा और वे सेना पर भरोसा करने लगेंगे।

हमने इस महीने की 18 तारीख को राज्यपाल को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था जिसमें कुछ उपाय और नीतियां दी हुई थीं। इसमें कहा गया था कि गुजरात में अमुक व्यक्ति जमाखोरी तथा चोरबाजारी कर रहा है तथा उनकी दुकानों और घरों पर छापे मारे जाने चाहिए। परन्तु जब उनके यहां छापा मारा गया तब वहां कुछ नहीं निकला, स्पष्ट: ही उन्हें छापे मारे जाने की पूर्व सुचना मिल गई थी, यह अधिकारियों और भ्रष्टाचार में रत व्यापारियों के के बीच षड़यन्त्र हो सकता है।

गुजरात का पर्याप्त विकास नहीं हुआ है, वर्तमान आवंटित राशि से विकास की दर नहीं बढ़ सकेगी, व्यय और उत्पादन का अन्तर बढ़ता जा रहा है। किसानों, छोटे दुकानदारों, शिक्षित बेरोजगारों ने आन्दोलन करके सरकार के प्रति अपने आक्रोश को उजागर किया है।

हमने राज्यपाल से अनुरोध किया था कि इस संघर्ष में मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को 50,000 रुपए का न्यूनतम मुआवजा दिया जाना चाहिए ताकि वे अपना पुनर्वास कर सकें, इस आन्दोलन में मारे जाने वाले व्यक्ति कोई दंगाई, गैर सामाजिक तत्व नहीं थे, और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद तथा महंगाई के विरुद्ध आन्दोलन छेड़ा था, ।

सरकार सभी वस्तुओं का व्यापार अपने हाथ में लेकर तथा वितरण की समस्या सुलझाये बिना गुजरात की समस्या का समाधान नहीं कर सकती है। वितरण व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है हम एक ओर तो खाद्यान्नों के थोक व्यापार का राष्ट्रीयकरण करते हैं तो दूसरी ओर बिकाऊ फालतू माल तथा बाजार में आया हुआ फालतू माल में अन्तर बढ़ाते जाते हैं, ऐसी नीति सहायक नहीं होगी। आपको बड़े जमींदारों से समूचा

बिकाऊ फालतू माल खरीद लेना चाहिए। वसूली नीति के सफल होने पर वितरण व्यवस्था कारगर सिद्ध होगी। ऐसा करने से हम गुजरात में लोगों को पर्याप्त अनाज उपलब्ध कर सकते हैं।

विद्यार्थियों ने शैक्षिक संस्थाओं के लिए अधिक धनराशि आवंटित करने की मांग की है, उन्होंने शिक्षा व्यवस्था तथा परीक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्त्तन की मांग भी की है। वर्तमान परीक्षा पद्धति विद्यार्थियों की योग्यता को मापने का सही मापदंड नहीं है। सेनेस्टर प्रणाली को लागू किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए केन्द्र को शैक्षिक संस्थाओं के लिए अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिए।

चूंकि इस बजट के निर्माताओं ने गुजरात में जन आक्रोश का अनुमान नहीं लगाया था इसलिए मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, मैं गुजरात के बजट का पूर्ण विरोध करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (भुवत्तु पुजा) : प्रोफेसर दंडवते ने गुजरात की घटनाओं के बारे में कहा है कि यह नए युग का सूत्रपात है और उन्होंने रूस की क्रांति का उदाहरण दिया है परन्तु वह इस के वास्तविक तथ्य से अनभिज्ञ हैं।

रूस में जो क्रांति हुई थी, उसका उद्देश्य श्रमिक वर्ग अधिनायकवाद स्थापित करना था। परन्तु क्या यहां गुजरात में आन्दोलनकारियों का उद्देश्य वर्तमान व्यवस्था को समाप्त करके नई व्यवस्था लाना है? अगर उनका उद्देश्य यही है तो इसको क्रांति की संज्ञा से अभिहीन किया जायेगा। परन्तु यदि वे लोकतन्त्र को चलाये रखना चाहते हैं तथा वर्तमान व्यवस्था का बनाए रखना चाहते हैं और केवल गलत सरकार को बलदना चाहते हैं तो यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या परिवर्तन लाने का तरीका यह है। बारदोली संघर्ष और डांडी कूच का उल्लेख किया गया था। परन्तु क्या बरदोली संघर्ष तथा डांडी कूच में इस प्रकार की कोई खून खराबी, लूट-पाट, आगजनी आदि की घटनाएं हुई थीं? और यहां प्रोफेसर दंडवते कह रहें हैं कि गुजरात में एक नई क्रांति का सूत्रपात हो रहा है, मैं इस बारे में उनका विरोध करता हूं। लोकतन्त्र में आस्था रखने वाले व्यक्ति से यह पूछा जा सकता है कि सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन लाने का यह तरीका है।

आज सर्वत्र महंगाई है परन्तु आपको इस अभूतपूर्व स्थिति में रहना पड़ेगा। परन्तु क्या गलत सरकार को हिंसा तथा आगजनी से बचाया जा सकेगा, मैं आन्दोलन करने की बात समझ सकता हूं परन्तु क्या आप इस प्रकार के आन्दोलन का समर्थन करेंगे जिसमें विधायकों के साथ गलत ढंग से पेश आया जा रहा है। क्या केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध आन्दोलनों में संसद् सदस्यों के साथ भी ऐसा व्यवहार किया जायेगा? क्या राजनीतिक तथा आर्थिक परिवर्तन लाने का यह तरीका है? इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो लोक-तांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहता है। यह एक खतरनाक बात है क्योंकि फिर सत्ता उन केन्द्रित शक्तियों के हाथ में आ जाएगी और वे मनमान कार्य करेंगी। उनको अपने कार्य में थोड़ी-बहुत जो सफलता मिली है उससे प्रोत्साहित होकर वे अपना अभियान कहीं और चला सकते हैं, खतरा इसी में है। गुजरात में जिन लोगों ने हिंसात्मक कार्यवाही की हैं उन्होंने लोकतन्त्र का अहित किया है, जो कुछ गुजरात में हुआ है उससे किसी भी लोक-तन्त्रवादी व्यक्ति का सिर शर्म से झुक सकता है, । समस्या के सामधान का उतर हिंसा नहीं है।उससे अन्ततः लोकतन्त्र की हत्या हो जाएगी। आन्दोलनकारियों को अपनी आंशिक

विजय पर संतोष हो सकता है परन्तु उन्हें बाद में यह महसूस होगा कि उन्हें जो कुछ प्राप्त हुआ, वह राष्ट्र को हानि पहुंचाकर ही प्राप्त हुआ। इस शब्दों के साथ मैं विधेयक और मांगों का समर्थन करता हूं।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद): गुजरात के बारे में अधिकांश माननीय सदस्य सुनी सुनायी बातों अथवा समाचारों पर अपनी रायें बनाते हैं। स्वयं भारत सरकार को गुजरात में हो रही घटनाओं के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है और इसीलिए उनके निदेश भी गलत होते हैं। परिणामतः स्थिति और अधिक गम्भीर हो जाती है।

इस महीने की 11 तारीख को मैंने सरकार को समय पर कार्यवाही करने के लिए सचेत किया था। उनका केवल यहीं कहना था कि सामान्य स्थिति स्थापित होने के बाद ही विधान सभा को भंग किया जा सकता है। परन्तु उन्हें पांच दिन के बाद विधान सभा भंग करनी पड़ी। मैंने उन्हें स्थिति के बारे में पहले ही निष्पक्ष और स्वतन्त्र चित्र प्रस्तुत कर दिया था।

गुजरात में हो रही घटनाओं को हिंसात्मक आन्दोलन की संज्ञा देना वस्तुस्थिति के प्रति आंखें मूंदना है। यह आन्दोलन काफी सीमा तक अहिंसात्मक रहा है और यह जनता में से अपने आप उभरा है, हां, कई लोग मौके का फायदा उठा रहे हैं यह भी सच है कि यदि सरकार ने समय पर कार्यवाही की होती तो उनको ऐसा करने का अवसर नहीं मिलता, मैं इस बात को मानता हूं कि यह आन्दोलन शत प्रतिशत अहिंसात्मक न रहा। फिर भी यह लोकप्रिय आन्दोलन था जिसके पीछे जनता का समर्थन था।

नवनिर्माण समिति के विद्यार्थी नेताओं को बातचीत के लिए अहमदाबाद दिल्ली बुलाया था। यहां सत्तारूढ़ कांग्रेस के कुछ सदस्यों ने उनको अपना पथ छोड़ने के लिए हर प्रकार से फुसलाया।

श्री उमा शंकर दीक्षित: माननीय सदस्य ने यह जताने की कोशिश की है कि मानो हमने उनको यहां बुलाया था और यहां उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। यह नितान्त गलत है। वे अपनी मर्जी से स्वयं यहां आए और चले गए।

श्री पी० जी० मावलंकर: विद्यार्थी नेता कांग्रसियों के बहकाने-फुसलाने में नहीं आए। मैं उन कांग्रसियों के नाम दे सकता हूं जिन्होंने उनको बहकाने का भरसक प्रयत्न किया था, मन्त्री महोदय चाहे जो भी कहें परन्तु तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे, सरकार इस कठिन स्थिति से निकलना चाहती थी क्योंकि वह जानती थी कि अन्तोगत्वा उन्हें विधान सभा भंग करनी पड़ेगी। उन पर निरन्तर दबाव पड़ता जा रहा था। दिन प्रति दिन आन्दोलन जोर पकड़ता जा रहा था। यहां तक कि सत्तारूढ़ कांग्रेस के सदस्य भी त्यागपत्र दे रहे थे। सरकार बहाना चाहती थी और इन विद्यार्थियों को आधा दर्जन कागजातों पर हस्ताक्षर करने को कहा गया। सरकार यह जताना चाहती थी कि चूंकि विद्यार्थी उनकी बात मान रहे हैं इसलिए वे विधान सभा भंग करने जा रहे हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि विधान सभा भंग करने के बारे में घोषणा राष्ट्रपति ने क्यों नहीं की? इसकी घोषणा राज्यपाल ने की, थी। यह दुःख की बात है कि राष्ट्रपति को इस स्थिति के बारे में अनभिज्ञ रखा गया।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना वक्तव्य बाद में जारी रख सकते हैं।

*डालडा की कमी

**SHORTAGE OF DALDA

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेलीचेरी) गत श्रम वर्षों से डालडा के मूल्यों निरन्तर वद्धि हो रही है और बाजार में उसकी भारी कमी है। यह दलील देने में कोई औचित्य नहीं है कि केवल खाद्य तेलों के कारण डालडा की कमी हुई है। चालू मौसम में मूंगफली का उत्पादन 55 से 60 लाख टन हुआ है जबकि वर्ष 1972-73 में यह 39 लाख टन था, इसका मतलब है कि मूंगफली के उत्पादन में एक तिहाई वद्धि हुई है, परन्तु आप देखेंगे कि बाजार में डालडा और वनस्पति की भारी कमी बनी हुई है और इनके मूल्यों में भी वृद्धि होती जा रही है, तेल के उत्पादन और उपलब्धता में कमी मानवकृत है। स्टोरिये और जमाखोर तेल का अभाव पैदा करक लाभ कमा रहे हैं। आवंटित तेल का प्रयोग डालडा के बनाने में नहीं किया जा रहा है।

देश में डालडा का निर्माण यही कम्पनी करती है गाजियाबाद में इसकी उत्पादन क्षमता 460 टन है और यह 200 टन का उत्पादन का कर रही है जबकि देश में डालडा की भारी कमी है। उनका कहना है कि बनस्पति बनाने वाला तेल नहीं मिलता हांलांकि उन्हें तेल मिल रहा है। वास्तव में तो उनका उ य यहां की जनता को लूटना तथा मुनाफा कमाकर अपने देश भेजना है। सरकार से प्राप्त होने वाले तेल को व परिष्कृत तेल के उत्पादन की ओर भेज देते हैं तथा गोल्डन सील मोर्गेराहन तथा मारशो के उत्पादन में इस्तमाल करते हैं क्योंकि इन मदों पर मूल्य नियंत्रण लागू नहीं है या मुनाफा भी खूब होता है। जबकि डालडा के मूल्य नियंत्रित हैं और उसमें लाभ का प्रतिशत भी कम है। सरकार सब कुछ जानते हुआ भी कुछ नहीं कर रही है। लोग लंबी-लंबी कतारों में घन्टों खड़े रहते हैं मगर उन्हे डालडा नहीं मिलता है जबकि ये लोग हमारा धन अपने देश भेज रहे हैं।

दूसरे, कुछ रोचक तथ्य भी हैं। इन्दौर स्थित मालवा वनस्पति के महाप्रबंधक को जमाखोरी तथा मुनाफाखोरी कें आरोप में आन्तरिक सुरक्षा अधिनियम कें अधीन गिरफ्तार किया गया परन्तु फिर किसी दबाव में आकर उसे छोड़ दिया गया और उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई।

आज देश धार्मिक संकट से गुजर रहा है सरकार को चाहिये कि वह एकाधिकरणों की जमाखोरी काला बाज़ार तथा लोगों के जीवन के साथ उन के खिलवाड़ को रोके। सरकार इसमें असफल रही है। तिलहनों की भारी पैंदावार होने पर भी देश में खाद्य तेल दिखाई नहीं देते हैं। इसके लिये केवल सरकार ही दोषी है। यह उसी का दायित्व है कि वह कड़ी कार्यवाही करे। क्या आप डालडा बनाने वाली कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करेंगे। क्या आप डालडा बनस्पति का वितरण का सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के माध्यम से

*आधे घंटे की चर्चा।

**Half-an-Hour Discussion

करने को अनिवार्य बनायेंगे ? यदि हां, तो यह बहुत ही अच्छी बात होगी। डालडा बनस्पति का उत्पादन बढ़ाने तथा लोगों की अवश्यकता पूरा करने के लिये आपको खाद्य तेलों तथा उसमें व्यापार का राष्ट्रीयकरण करना ही होगा। देश के बड़े-बड़े व्यापार-गृह खाद्य तेलों की जमाखारी काला बाजार तथा मुनाफाखोरी करने में लगे हैं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या आप वनस्पति निर्माता हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड जोकि यूनीलीवर लिमिटेड लन्दन, की एक सहायक कम्पनी है जिसकी 85 प्रतिशत पूंजी ब्रिटेन से प्राप्त है का राष्ट्रीयकरण करेंगे ?

तीसरे क्या आप समूचे डालडा उत्पादन को सार्वजनकि वितरण व्यवस्था या सरकारी एजन्सियों के माध्यम में वितरित करेंगे ?

सरकार मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दे।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड नामक कम्पनी कम उत्पादन करके कर्मचारियों का शोषण तथा हमारे देशवासियों का शोषण कर रही है। इसके दबाव में आकर सरकार ने कई बार डालडा के मूल्यों में वद्धि की है। मेरे विद्वान मित्र ने सही कहा है कि गाजियाबाद स्थित डालडा निर्माता एक 460 टन की क्षमता रखते हुए भी केवल 200 टन का उत्पादन कर कहा है क्योंकि उसे गोल्डन सील मार्गेताहन तथा मारगो का उत्पादन करने में ज्यादा मुनाफा मिलता है। इन लोगों को आप भारत रक्षा अधिनियम के अधीन गिरफ्तार क्यों नहीं करते ? सुना है उत्तर प्रदेश के ऊनावों में दस कम्पनी ने चुनाव लड़ने के लिये शासक दल को बहुत बड़ी धनराशि चन्दे के रूप में दी। उनके कमचारी 24 घंटे की भूख हड़ताल पर हैं तथा उत्पादन तथा अपनी मजूरी में वृद्धि तथा शोषण को समाप्त करने की मांग कर रहे हैं। सरकार को वरिष्ठ आफसरों प्रबंधकों के साथ सांठ-गांठ किये हुए हैं। प्रबंधक लोक इधर सरकार से मूल्य बढ़ाने को कह रहे हैं तथा दूसरी ओर श्रमिकों का शोषण कर रहे हैं। सरकार ने इस एकाधिकार गृह को जमाखोर आयोग की सलाह के बिना ही विस्तार की अनुमति दे दी क्या कारण है कि यह कम्पनी अपनी उत्पादन क्षमता के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है ? वे अनेक प्रकार के साबून तथा अन्य चीजें तो बना लेंगे मगर डालडा नही बनाते स्पष्ट है कि वह अपने लाभ की अधिक परवाह करते है उन्होंने आवश्यकता के समय उत्पादन नहीं किया कम्पनी कार्य मंत्री, गृह मंत्री या कार्य मंत्री इस विषय में क्या कदम उठायेंगे ? क्या सरकार देश के हित में उस कम्पनी को अपने हाथ में लेगी या कम से कम वहां अपने निदेश मंडल का नियुक्ति करने का साहस रखती है। शायद नहीं। कारण यह बताया जाता है कि हम इस कम्पनी ने वित्तीय संस्थाओं से कोई धन प्राप्त नहीं किया है। यदि मंत्री महोदय एक मास के भीतर इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करते हैं तो मैंने श्रमिकों से कह दिया है कि वे इस के बाद इस कारखाने पर कब्जा कर ले, हम चलाये तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से इसके उत्पाद का वितरण करे। बाद में आप उन्हें दोष न दें। कम्पनी वाले खुले रूप से कहते हैं कि उन्होंने भारी चन्दे दिये हैं। उच्च अधिकारियों ने मुझे धमकी दी है कि मंत्री महोदय उनकी जेब में हैं और आप के चिल्लाने का कोई परिणाम नहीं निकलेगा। मैं मंत्रीयों की ईमानदारी पर अविश्वास नहीं करता हूं वे इस हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध कार्यवाही करें तभी मुझे संतोष होगा।

वरना मैं भी यह मानने पर मजबूर हो जाऊंगा कि इस कम्पनी ने उन्हें भारी चन्दे दिये हैं और उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं होगी।

***श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** (तिरुनेलवेली) : वनस्पति हमारे देश के लोगों की रोजाना की परम् आवश्यकता की वस्तु है और हम लोग देशी घी का खर्च वहन नहीं कर सकते। नवम्बर, 1972 से 1 जुलाई, 1973 के बीच वनस्पति के मूल्यों में चार बार वृद्धि हुई है और कुल 2 रुपये प्रति किलो की वृद्धि हुई। इससे भी संतुष्ट न होकर इस विदेशी एकाधिकार गृह ने मार्च 1974 के बाद दो बार फिर मूल्यों में वृद्धि की। मूल्यों में वृद्धि का कारण मूंगफली के तेल के मूल्यों में वृद्धि बताया गया जबकि विडम्बना यह है कि स्वयं मूंगफली उत्पादकों को अपने उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। रेली ब्रदर्स जैसे एकाधिकार गृह बड़ी सस्ती दरों पर मूंगफली का क्रय करते हैं। इसके अतिरिक्त निहित स्वार्थ मूंगफली का प्रयोग वनस्पति से अन्य पदार्थों के निर्माण के लिये कर रहे हैं।

बताया जाता है कि हमारे देश में वनस्पति निर्माण उद्योग की स्थिति क्षमता 10 लाख टन वार्षिक है परन्तु वर्ष 1973-74 में ये 4.4 लाख टन का ही उत्पादन हुआ था। फिर 70-80 वनस्पति निर्माता कारखानों के बन्द हो जाने के कारण तथा इस कम उत्पादन के फलस्वरूप बनस्पति के मूल्यों में वृद्धि होती गई।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सामान्य जनता को इन विदेशी एकाधिकारियों के पंजे से बचाने के लिए सरकार मूंगफली की वसूली तथा वितरण को अपने हाथ में लेने तथा वनस्पति उद्योग को पूरी तरह राष्ट्रीय करने के लिए तैयार है? केवल कुछ एक मदों को छोड़ सरकार गत पच्चीस वर्षों में भी आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण सरकारी क्षत्र में आरम्भ नहीं कर सकी। क्या सरकार बन्द पड़े वनस्पति निर्माण कारखानों को अपने अधिकार में लेगी जैसे दिल्ली का सब से बड़ा वनस्पति कारखाना डी० सी० एम० कैमिकलस मजदूरों द्वारा अधिक मजूरी की मांग के कारण बन्द पड़े है। प्रबन्धकों का यह कहना बड़ा विचित्र लगता है कि वें उतनी मजूरी नहीं दे सकते जबकि उन्हें वनस्पति निर्माण में उतना अधिक मुनाफा मिल रहा है। क्या सरकार ऐसे एककों अपने अधिकार में लेगी ताकि मूंगफली उत्पादकों को उचित मूल्य प्राप्त हो सके तथा जनता के हितों की रक्षा हो?

Shri Ram Avtar Shastri (Patna): The producers and dealers of Dalda are looting the people of the country with the help of the Government itself and people are crying for vanspati oil. The marriage season is to set in very soon and none knows what would happen then. I, therefore, want to know as to what is the hindrance in taking over or nationalising the Dalda and vanaspati producing factories and regularise the distribution thereof through fair price shops ?

Also I would like to know the amount of profit sent abroad by Hindustan Lever Ltd., whether they are engaged in producing Golden Seal Margarine etc. instead of Dalda so as to earn more and more profits, and whether the Government have permitted them to do so. If not what action is being taken against them? Whether it is a fact that Margarine was manufactured pre- viously in their factory at Bombay only whereas they have now started this production at Ghaziabad also and that this has resulted in the increase of their profit to Rs. 20,000 per day ?

* तामिल भाषा में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रुपान्तर
*Summarised translated version based in English translation of speech delivered in Tamil.

What arrangements have been made for distribution of Vanaspati in different states and the same Ration Card system as is in Delhi would be introduced in other States also ? Is it true that the Vanaspati is being blackmarketed on large scale ; and if so, what measures have been taken to check that ? Also how many such profiteers and business houses have been brought to book on this charge.

Lastly, is it a fact that about 17500 tins of Dalda ghee were seized from 26 wagons of a Goods train ; if so, who were the owners of those tins and what action has been taken against them and also to distribute these tins ?

कृषि मंत्री (श्री फखरुद्दीन अली अहमद) : डालडा तथा बनस्पति की कमी के बारे में अनेक प्रश्न उठाये गये हैं और हमने अपने पास उपलब्ध समूची जानकारी माननीय सदस्यों के सामने रख दी है। अब माननीय सदस्य ने उस आधार पर चर्चा आरम्भ भी की है कि हमने जो उत्तर दिये वे प्रश्नों से सम्बन्द्ध नहीं थे और सरकार ने बनावटी आंकड़े दिये हैं। मैं चाहूंगा कि वह उन आंकड़ों पर गौर करें तथा देश में डालडा तथा वनस्पति की उपलब्धता के संदर्भ में विचार कर के ही कोई निर्णय करे।

वर्ष 1969-70, 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 में औसतन प्रतिमास उसका क्रमश: 39800, 46500, 49500 तथा 48300 टन उत्पादन हुआ। स्वयं माननीय सदस्य ने कहा है कि गत वर्ष मूंगफली के तेल में 22 लाख टन की कमी होने की तुलना में इस वर्ष स्थिति बेहतर है। मूंगफली के तेल की कमी के कारण अप्रैल से सितम्बर 1973 के बीच वनस्पति की औसत निर्माण केवल 33,900 रहा अच्छी फसल के बाद भी हम अपनी पिछले वर्षों के सामान उत्पादन नहीं कर सके हालांकि अक्टूबर, नवम्बर तथा दिसम्बर में क्रमशः 30,700, 45,400 तथा 46,700 टन का अधिक उत्पादन हुआ। परन्तु दुर्भाग्य से जनवरी में केवल 35,000 ही रह गया जिस के कारण मैं बाद में बताऊंगा। फिर हमने कुछ उपाय किये तो यह उत्पादन बढ़के फरवरी में 43,400 टन हो गया तथा मार्च के पहले पन्द्रह दिनों में 21,000 टन का उत्पादन हुआ और मुझे आशा है यह मात्रा मास के अन्त तक 44,000 टन हो जायगी। माननीय सदस्य यह याद रखें कि मूंगफली तथा मूंगफली के तेल की उपलब्धता से ही वनस्पति तथा डालडा के उत्पादन में वृद्धि हुई है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड कम्पनी जिसके बारे में कुछ शिकायतें की गई हैं क्या उत्पादन घटा है परन्तु उसका कारण मूंगफली के तेल का न उपलब्ध होना हो सकता है जोकि वनस्पति में 80 प्रतिशत की मात्रा है में होता है। पर लाइसेंस क्षमता का स्थापित क्षमता नहीं बल्कि कच्चे माल को उपलब्ध होने को भी देखना होता है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अब हम तेल के दुरुपयोग के ठोस प्रमाण दे रहे हैं तो वह इन का उत्तर दें।

श्री रामावतार शास्त्री : कम्पनी ने अधिक मुनाफा कमाने के उद्देश्य से अपने निर्माण को दूसरी दिशा दी है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : हमें देश में गत वर्ष मूंगफली का मूंगफली के तेल का उपलब्धता के आधार पर स्थिति का मूल्यांकन करना है। यह सही है कि हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड के उत्पादन में कमी अथवा कारखानों की तुलना में कहीं कम है। प्रश्न यह है कि कुछ

किया ज़ाना चाहिये। माननीय सदस्य शायद यह समझते हैं कि हम उन्हें मूंगफली या मूंगफली के तेल का कोई कोटा देते हैं जिसे डालडा बनाया जाता है।

श्री एस० एम० बनर्जी : हमने इस चर्चा की सूचना इसलिए दी थी कि मंत्री महोदय द्वारा दिय गये उत्तर टालमटोल पूर्ण थे। हमने विशिष्ट प्रश्न पूछे हैं। मूल उत्पादन के बारे में सही नहीं था और डालडा के उत्पादन में कमी कच्चे माल की कमी के कारण भी नहीं हैं। इसका कारण है विशाखान वे वनस्पति या डालडा की बजाये थे (शोधित तेल) अन्य मदें बना रहे हैं जिनमें उनको अत्याधिक लाभ हो रहा है।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : यही तो मैं स्पष्ट कर रहा था। हम इन कम्पनियों को मूंगफली या मूंगफली तेल का कोटा नहीं देते हैं ये इसका खुले बाजार से क्रय करते है और फिर डालडा आदि बनाते है।

जहां तक डालडा के बजाये अन्य मदें बनाकर अधिक मुनाफा कमाने की बात है तो हम उन्हें इसके लिये राज़ी कर रहे हैं।

श्री एस० एम० बनर्जी : आप उन्हें भारत रक्षा नियमों के अधीन गिरफ्तार कीजियें। आप छात्रों को गोली मार सकते हैं हममे से किसी को क्यों नहीं? वे जानते हैं कि मंत्री महोदय तो विवश हैं वे आपके अधिकारियों से बात करते हैं।

श्री फखरुद्दीन अली अहमद : जसा कि मैंने कहा गत एक दो महीने में स्थिति सुधरी है।

माननीय सदस्य ने पहले कहा कि इस कम्पनी ने हमें चन्दे दिये। अब कह रहे हैं कि कुछ अधिकारियों की साठगांठ है। यदि माननीय सदस्य को कोई विशिष्ट अधिकारी का नाम पता है तो मैं निश्चय उसकी जांच करूंगा और यदि कुछ पाया गया तो कार्यवाही करूंगा।

कारखाने वनस्पति का उत्पादन करने के सम्बन्धित राज्य सरकारों को सौंप देते हैं और राज्य सरकारे हीं उचित मूल्यों की दुकानों या सरकारी संस्थानों के माध्यम से ही उनका वितरण करती हैं। जहां तक मूल्यों का संबंध है वे निश्चित है। आप काले बाज़ार का कोई मामला है तो वह बतायें हम कार्यवाही करेंगे। विभिन्न राज्यों में बड़ी संख्या में लोग गिरफ्तार भी किये गये हैं। दक्षिण में 41 लोग पकड़े गये, पंजाब में 45। शेष लोगों से भी जानकारी एकत्रित की जा रही है।

जहां तक मालवा एण्ड इन्दौर मिल्स का प्रश्न है वह मध्य प्रदेश सरकार का मामला है और मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमने उस प्रबंध निदेशक को छोड़ देने संबंधी कोई निर्देश नहीं दिये। हम इस बारे में पता करेंगे।

दिल्ली में गणेश फ्लौर मिल्स तथा डी० सी० एम० द्वारा निर्मित तमाम वनस्पति दिल्ली प्रशासन के हवाले कर दिय जाता है और वही उचित मूल्यों की दुकानों, सरकारी संस्थानों के माध्यम से उसका वितरण करता है डी० सी० एम० में कुछ दिनों से तालाबन्दी है और उत्पाददन नहीं हो रहा है: होली के दिन श्रमिकों तथा प्रबंधकों के मध्य कोई झगड़ा हो गया था तभी से तालाबंदी है। श्रमिक लोगों को कारखाने में काम करने को जाने नहीं देते हैं। हम समझौता कराने का प्रयास कर रहे हैं।

कुछ सदस्यों न वनस्पति उद्योग को अपने अधिकार में लेने तथा सरकारी क्षेत्र में उसका उत्पादन करने का सुझाव दिया है। सरकार बिनौलों, तिलहनों आदि की वसूली को अपने अधिकार में लेने हेतु एक गोनिगम बनाने के प्रश्न पर विचार कर रही है और इस संबंध में इस दृष्टि से निर्णय किया जाये कि माननीय सदस्यों की शिकायतें भी किसी सीमा तक दूर हो जायें।

इस प्रकार मैं माननीय सदस्यों के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दे सका हूं। राष्ट्रीयकरण संबंधी प्रश्नों का उत्तर यहां नहीं दिया जा सकता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन: जिस निगम का आपने ज़िक्र किया है उसके बार में विस्तार से बतायें।

सभापति महोदय: माननीय सदस्य वही बात पूछें जो स्पष्ट नहीं हुई है। इतना व्यापक प्रश्न नहीं।

इसके पश्चात् लोक सभा मंगलवार 26 मार्च, 1974/5 चैत्र, 1896 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till eleven of the clock on Tuesday, the 26th March, 1974/ Chaitra 5, 1896 (Saka).

212LSS/74—GIPF.